सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

मैनुअल संख्या–5

******

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।

खण्ड–1

मोटरयान अधिनियम, 1988

खण्ड–2

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989

खण्ड–3

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें

सेवा नियमावलियाँ।

(मई, 2018 तक संशोधित)

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 06, 2018/चैत्र 16,1940
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

का.आ.1522(अ)– केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II, खंड 3, उप–खंड (II) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1997(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति नियत करती है।

सारणी

भारत में सड़कों पर किलोमीटर में प्रति घंटा अधिकतम गति					
क्रं0 सं0	मोटरयान का वर्ग	नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेसवे	4 लेन और अधिक के विभाजित वहन मार्ग (मध्य पट्टियों/विभाजक वाली सड़कें)	नगरपालिक सीमाओं के भीतर सड़क	अन्य सड़के
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)	120	100	70	70
2	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम2 और एम3 प्रवर्ग यान)	100	90	60	60
3	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	80	80	60	60
4	मोटरसाईकिल	80′	80	60	60
5	चौपहिया साइकिल	–	60	50	50
6	तिपहिया यान	–	50	50	50
′यदि एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए अनुज्ञात है।					

2– यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ 2,1939
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

सा.का.नि.634(अ)– केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सड़क विनियमन, 1989 के नियम को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, मोटरयान चालन के लिए विनियमन बनाती है–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मोटरयान चालन विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2– परिभाषायें–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) ''परिवहन मार्ग'' से अभिप्रेत है वह जो सड़क का वह हिस्सा या हिस्से जिन्हें सामान्य रूप से यानों की यातायात के लिये उपयोग किया जाता है, बेशक उन्हें एक दूसरे से विभाजन पट्टी या स्तर के अंतर या बिना किसी विभाजन के अलग किया जाता है;

(ग) ''संनिर्माण क्षेत्र'' सड़क मार्ग का वह हिस्सा है जहां पर निर्माण प्रगति कार्य किया जा रहा है या किया जाने वाला है और जिसमें कार्य स्थल, यातायात स्थान या अवरोधक स्थल सम्मिलित है;

(घ) ''भारी यान'' का से अभिप्रेत है वह भारी मालयान या भारी सवारी के मोटरयान है जैसा अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) और (17) में क्रमशः परिभाषित किया गया है;

(ड) ''चौराहे'' से अभिप्रेत है किसी सम पार, चौराहे या कांटे से, जिसमें ये सम पार, चौराहे या कांटे शामिल है;

(च) ''लंबवत चिन्हांकन'' से अभिप्रेत है सड़क के चिन्ह जिन्हें यातायात की यातायात के लिये सड़क पर प्रदान किया जाता है;

(छ) ''प्रमुख जिला सड़क'' से अभिप्रेत है एक जिले में राज्य सरकार द्वारा इस तरह के रूप में अधिसूचित महत्वपूर्ण सड़के हैं,

(ज) ''प्रमुख सड़क'' से अभिप्रेत है उन राजमार्गो से जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है या अन्य कोई राजमार्ग जिसे कथित अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(झ) ''यान स्थल'' से अभिप्रेत है ऐसे स्थल से जहां पर व्यक्तियों/यानों, माल या सामान को उतारना या उठाना छोड़कर या किसी अन्य प्रयोजन के लिये यानों को एक स्थिर स्थिति में प्रतीक्षा करने के लिये खड़ा किया जाता है, और इसके लिये यान का तीन मिनट से अधिक समय तक रूकना सम्मिलित है;

(ञ) ''सवारी'' या ''यात्री'' से अभिप्रेत है एक मोटरयान पर यान के चालक को छोडकर यात्रा करने वाले यात्री से है, बेषक वह भाडे या पुरस्कार या अन्यथा किसी तरीके से यात्रा कर रहा है;

(ट) ''रास्ते के अधिकार'' से अभिप्रेत है वह यान या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को विधिपूर्वक रीति से प्राथमिकता देकर दूसरे यान से पहले रास्ता देने का अधिकार है या किसी अन्य आने वाले सड़क उपयोगकर्ता को दिशा, गति, और निकटता की परिस्थितियों में यदि एक को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी जाती तब इससे खतरा या आपस मे टकरा सकते है;

(ठ) ''सडक'' मे पुल, सुरंगे, सडक के किनारे यान खडा करने का स्थान, ढोने की सुविधा, अदला बदली, गोल चक्कर, सुरक्षित/निरापद क्षेत्र, सड़क विभाजक, सभी यातायात गतियां, तीव्र लेन, मंद लेन, अंतःस्थल, ओवरपास, अंडरपास, पहुंच मार्ग, प्रवेश और निकास रैंप, टोल प्लाजा, और निर्माणाधीन सड़कें शामिल है लेकिन इसमें कोई निजी सड़क सम्मिलित नहीं है;

(ड) '' सड़क के निशान'' से अभिप्रेत है वह सड़क के चिन्हों को छोडकर उन पंक्तियों, आकारों, शब्दों से जिन्हें सड़क मार्ग या फुटपाथ या सडक मार्ग में या उनके साथ सटी वस्तुओं में सडक उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित, चेतावनी, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करेन के लिये चित्रित किया जाता है।

(ढ) ''सड़क उपयोगिर्ता'' में यान चलाने वाला व्यक्ति या यान में सवारी करने वाला यात्री या अन्यथा एक पैदल व्यक्ति सम्मिलित है;

(ण) ''शान्त क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह ऐसा क्षेत्र या इलाका है जिसमें एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वनि संकेतो के उपयोग को निसिद्ध अधिसूचित किया गया है;

(त) '' राज्य राजमार्ग'' से अभिप्रेत है जो राज्य की प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें कथित राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाता है;

(थ) ''ठहराव'' से अभिप्रेत है जो यान को स्वतंत्र इच्छा पर या तो सवारियों को बिठाने या उतारने या तुरन्त माल लादने या उतारने के लिये बहुत कम अंतराल के लिये रोकना है;

(द) ''यातायात'' में हर श्रेणी के यान और अन्य मालवाहक और परिवहन, पैदल चलने वाले, जुलूस, पशुओं द्वारा ढोइे गाड़ी या पशुओं के झुंड, और यात्रा के प्रयोजन के लिए कोई भी सड़क या राजमार्ग का उपयोग करने वाला सभी यपों में सड़क यातयायात शामिल है;

(ध) ''निरापदक्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह सड़क मार्ग पर चौराहों के निकट आने जाने वाले यानों को नियंत्रित करने के लिये वास्तविक उपाबन्ध और सड़क मार्ग पर चिन्हित चिन्ह है;

(न) ''पारगमन चिन्ह'' से अभिप्रेत है वह सड़क चिन्ह है जिन्हें सड़क मार्ग पर शुरू से अंत तक प्रदान किया जाता है।

(1) इन विनियमों में प्रयुक्त कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जिसे यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है, उसका वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3– अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्यः– कोई भी यान सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से चलाया, रोका या खड़ा नहीं किया जाएगा,

जिसके कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा, या असुविधा होने की संभावना हो सकती है।

4— यानों के द्वारा सड़कों का उपयोग करना—

(1) प्रत्येक यान यानों के संयोजन, सड़क पर चलाते समय, चालक द्वारा संचालित होगा।

(2) एक मोटरयान सड़क मार्ग पर चलाया जाएगाः

(3) जब तक सड़क चिन्ह या निशान अन्यथा संकेत नहीं करते, चालक यान को सड़क मार्ग के बांई ओर जितना संभव हो सकता है चलाएगा, और विपरीत दिशा से आने वाले सारे यातायात को अपनी दाई ओर से निकल जाने का अधिकार देगा।

(4) किसी अन्य यान द्वारा पिछेलने में करते समय और जब किसी ऐसे मोड़ या पहाडी पर पहुंचते समय जहां आगे का दृश्य बाधित है या स्पष्ट नही है चालक को अपना यान बांई ओर रखना होगा।

(5)एक भारी यान या गति प्रतिबंधित यान एक ही दिशा के सड़क मार्ग में बहुल पंक्ति के साथ एक दिशा में बाई लेन में चलाया जाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां पिछलना पर करने में बाधा उत्पन्न होती है या यान धीमी गति में चल रहे हैः

परंतु चालक बाधा या धीमी गति से चलते यानों को पार करने के बाद जितना जल्दी संभव हो अपनी बाई यथास्थिति लेन/पंक्ति में वापस सुरक्षित आ जाता है।

(6) एक यान ऐसी सड़क पर नहीं चलाया जाएगा जिसे, ''एक तरफा'' घोषित किया गया है, सिवाय साइनेज/चिन्हांक में निर्दिष्ट दिशा को छोड़कर

(7) कोई भी चालक यातायात प्रवाह के विपरीत यान को न खीचेगा, न धक्का लगायेगा, न ही चलाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोडकर जब समुचित प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से उसे ऐसा करने के लिये या यातायात संकेत स्थापित किया गया है या कर्तव्य पर तैनात वर्दी में उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है।

(8) चालक को किसी यान को पीछे की ओर घुमाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना होगा और उसकी ओर तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कथित यान द्वारा पीछे घुमाने/करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली गई है।

5— चालको और सवारियों के कर्तव्य—

(1) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा।

(2) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में है और शारीरिक और मानसिक रूप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

(3) चालक हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग/भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सकें।

(4) चालक और यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गो और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रूप में सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे।

(5) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थिर स्थिति में खड़ा करते समय, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो।

(6) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्टता बाधित न हो और उसकी सुनने की षक्ति यान के यात्रियों, पषुओं, भार, यान मे रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो।

(7) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये है।

(8) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते है।

(9) जहां कहीं भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा।

(10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा।

(11) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीडियों, नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिये इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए।

(12) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री, यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे।

(13) यान पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

(14) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलागा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

(15) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आ जाता है, तब जितनी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सड़क से सुरक्षित रूप में दूर ले जाएगाः

परंतु कि बैटरी चलित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है।

(16) मोटरसाइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकडेगा या न ही धक्का देगा।

(17) मोटरसाइकिल या तिपहिया यान का चालक हर समय अपने दोनो हाथ से हैंडल पकडकर रखेगा सिवाय उस समय छोडकर ज बवह विनियम 9 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संकेत प्रदर्शित करने का कौशल करता है।

(18) चालक अपने पैर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सड़क की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिए के लिये आवश्यक है।

6– लेन यातायात–

(1) जहां किसी सड़क को यातायात की यातायात के लिये लेन में चिह्नित किया जाता है, चालक लेन के भीतर यान चलाएगा, और केवल उपयुक्त संकेत या सड़क के चिन्ह या सड़क के निषान या संकेतक देकर लेन बदलेगा।

(2) जहां किसी लेन को विशेष रूप से यानों की श्रेणी के लिये चिन्हित किया जाता है, वहां केवल यानों की कथित श्रेणी ही उस लेन पर चलाई जाएंगी।

(3) जहां एक लेन को निर्दिष्ट श्रेणी या किसी विशेष प्रयोजन के यानों के लिये चिन्हित किया जाता है उस लेन पर किसी अन्य यान या अन्य श्रेणी के यानों को नहीं चलाया जाएगा।

(4) जहां किसी सड़क को एक लंबवत पीली रेखा या ठोस सफेद रंग की पंक्ति से विभाजित किया जाता है, चालक उसी दिषा में आगे बढ़ने और अपने से आगे वाले यान को पिछेलना/पार करने का प्रयास करते समय, कथित पीली या सफेद ठोस पंक्ति को पार नहीं करेगा।

(5) चौराहों पर पहुंचने के समय, जहां मुडने वाली पंक्तियां एकल ठोस पंक्ति के साथ चिन्हित है, चालक सुनिश्चित करेगा कि यान उसी दिशा में रहेंगे जिसके लिये निर्दिष्ट किया गया है।

(6) चालक एकल या दोराहे लंबवत ठोस पंक्ति पर या उसके ऊपर या चित्रांकित सुरक्षित यातायात क्षेत्र पर यान नही चलाएगा, सिवाय उस मामले को छोडकर जब आगे सड़क अवरूद्ध है।

(7) एक ऐसी सड़क पर जिसके साथ–साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है, चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल पिछेलना करते समय ही पार करेगा, और पिछेलना करने के उपरान्त विनियम 12 में निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों का अनुपालन करते हुए वापस अपनी लेन पर वापस आ जाएगा।

7– रास्ते का अधिकार–

(1) जहां सड़क पर ''रूकने'' के संकेत प्रदर्शित किये जाते है, संकेत के सामने चालक–

(क) ''रूकने'' के संकेत से पूर्व आड़ी ''रूकने'' की रेखा पार करने से पहले रूक जाएंगे;

(ख) यदि किसी मामले में ''रूकने'' की रेखा चिन्हित नहीं की गई है, या चिन्हित की है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तब ''रूकने'' के संकेत से पहले रूक जाएंगे;

(ग) प्रमुख सड़क पर यातायात को रास्ता देंगे; और

(घ) प्रमुख सड़क पर केवल तब प्रवेश करेंगे जब आगे का रास्ता साफ है।

(2) जहां सड़क पर एकल या दोहरी खंडित आड़ी रेखाओं के साथ मिलाकर ''रास्ता देने'' का संकेत प्रदर्शित किया गया है, चालक यान धीमा कर देगा, जिस सड़क पर आगे जा रहा है वहां पहले यातायात को रास्ता देगा और फिर सावधानीपूर्वक आगे बढेगा।

(3) यदि वहां ''रास्ता देने'' के संकेत या ''रूकने'' के संकेत से पहले कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं किया गया है, चालक पहले पैदल पार करने वाले लोगों को रास्ता देगा।

(4) सड़क किनारे किसी संपत्ति की चारदीवारी से निकलने वाले यान को पहले दूसरे मोटर यानों और सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को रास्ता देना होगा।

8– बांए, दांए और 'यू'–टर्न– एक मोड़ आने से पहले चालक अच्छी तरह अग्रिम योजना बनाएगा, सड़क पर उचित लेन मे आ जाएगा और निम्नलिखित तरीके से अपना इच्छित मुडने का संकेत देगा, अर्थातः–

(क) एक चालक जो बांई ओर मुड़ना चाहता है सही समय पर बांई ओर अपने मुड़ने के इरादे का या तो दिशा संकेतक या उपयुक्त हाथ का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) बांए मुड़ने से पहले, चालक उचित समय पर, जितनी दूर तक बाई ओर की लेन पर या गली का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेगा, यदि प्रदान की गई है;

(ग) एक बहु–लेन सड़क पर यान चलाते समय, जहां सड़क पर बाई ओर दिशा संकेतक तीर चिह्नित किये गये है, चालक को बांई ओर मुडते समय उस लेन का प्रयोग करना होगा;

(घ) बाई लेन में जाने से पहले, चालक अपने बांई और उसके पीछे से आने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए, केवल बांई ओर को संकेत देकर लेन बदलेगर;

(ड) बांए मुड़ने से पहले, चालक को साईकिल चालकों और अन्य धीमी गति से चलने वाले यातायात को रास्ता देना होगा;

(च) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को बाई ओर मुड़ने से पहले पैदल चलने वालों को रास्ता देना होगा;

(छ) एक यान, जो अपनी बड़ी त्रिज्या के कारण मुड़ने में असमर्थ है ऐसे यान को बाई लेन के अंतिम छोरपर पहुंचकर मुडना आवश्यक है, उस यान का चालक पिछले देखने वाले शीर्ष से बांई ओर के यातायात पर नजर रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक यान को मोडना होगा;

(2) दांई ओर मोड़ना–

(क) जो चालक दांई ओर मुड़ने की इच्छा करता है स्पष्ट रूप से और सही समय पर दांई ओर मुड़ने के इरादे का दिशा संकेत या हाथ के संकेत का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) दांई ओर मुडने से पहले, चालक सही समय पर दांई ओर की लेन में प्रवेश करेगा;

(ग) एक बहुल–लेन सड़क पर यान चलाते समय जहां सड़क पर दांई ओर इशारा करते हुए दिशा तीर चिन्हित किये गये है, चालक उस लेन में रहते हुए दाई ओर मुड़ेगा;

(घ) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को पहले पैदल चलने वालों के लिए रास्ता देना होगा।

(3) 'यू' टर्न लेना–

(क) एक यान 'यू' टर्न नहीं लेगा;

(i) जहां कथित 'यू' टर्न एक सड़क चिन्ह या यातायात चिन्हांक द्वारा निषिद्ध है;

(ii) निरंतर प्रवाह के यातायात के साथ एक व्यवस्त सड़क पर;

(iii) प्रमुख सड़क, राजमार्ग या चौडे रास्ते/एक्सप्रेसवे पर; तथा

(iv) निरंतर एकल या दोहरी ठोस रेखा के आरपार;

(ख) यदि वहां यान के आसपास कोई अस्पष्ट स्थान है ऐसी स्थिति में चालक 'यू' टर्न नहीं लेगा और बारीकी से विपरीत दिशा से आने वाले यातायात का अवलोकन करने के बाद और बगल के यातायात और पिछले देखने वाले शीशे पर पीछे से आने वाले यातायात पर दृष्टि रखते हुए ही पलराव लेगा।

(ग) चालक को दांई ओर मुड़ने के लिये पहले पैदल और साइकिल चालकों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रास्ता देना होगा जिनके पास रास्ते का अधिकार है;

(घ) चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे आनेवाले यातायात का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है और वह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिये किसी प्रकार की अनुचित असुविधा का कारण नहीं बनेगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा;

(ड) एक बडा यान बाई लेन से पलराव ले सकता है केवल जब उसे इसकी अनुमति प्राप्त हो जाती है।

9– चौराहों पर बरती जाने वाली सावधानियां–

(1) सड़क के चौराहे, सड़क जंक्शन, पैदल पारपथ या सड़क के किनारे पर पहुंचने पर यान को निरपवाद रूप से गति धीमी करनी होगी, और इस तरह के किसी चौराहे, सड़क जंक्शन, पारपथ पर प्रवेश नहीं करेंगे जिससे यातायात करते हुए अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे की संभावना हो सकती है, या जो सड़क उपयोगकर्ता कथित चौराहों, सड़क जंक्शनों, पैदल पारपथों या सड़क किनारे पहले से ही उपस्थित है।

(2) चौराहों और जंक्शनों पर, दाई ओर से आ रहे यान को पहले रास्ते का अधिकार होगा;

परंतु यह उपविनियम लागू नहीं होगा,–

(क) जब जंक्शन या चौराहे किसी प्राधिकृत व्यक्ति, यातायात लाइटों या अनिवार्य यातायात संकेतों द्वारा हाथ/मैनुअल संकेतों द्वारा विनियमित किये जा रहे हैं;

(ख) जब यान एक छोटी सड़क पर है और प्रमुख सड़क पर प्रवेश करने वाला है।

(3) एक मोटरयान चौराहे पर प्रवेश नहीं करेगा यदि चौराहे पर यातायात रूक गया है यहां तक कि प्रमुख सड़क पर या आगे जाने के लिये संकेत मिल गया है।

10– गोल चक्करों पर अपनाई जाने वाली सावधानियां–

(1) गोल चक्कर पर प्रवेश करते समय, गोलचक्कर पर पहले से उपस्थित यातायात को पहले रास्ते का अधिकार होगा।

(2) गोल चक्कर के पास पहुंचने वाले मोटरयान को उसके आगे बढ़ने के लिये प्रासंगिक लेन की दिशा का चयन करना होगा।

(3) गोल चक्कर के भीतर लेन बदलते समय चालक संकेत का उपयोग करेगा।

(4) गोल चक्कर से बाहर निकलते समय बांई ओर मुडने के लिये, चालकविनियमन (6) के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

11– सिग्नलों के संकेत–

(1) चालक स्पष्ट रूप से बांए या दांए मुडने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का यान मे लगे यात्रिक या बिजली उपकरणों को उपयोग कर या हाथ से संकेत करेगा।

(2) किसी मामले में यदि यान में यांत्रिक या विद्युत संचालित उपकरण नहीं लगाए गये या, कथित उपकरण लगाए गये हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे है, चालक निम्न निर्दिष्ट किये अनुसार हाथ से संकेत देगा–

(i) यान रोकने के लिए, चालक को दांई ओर अपना दांया हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना होगा;

(ii) दांई ओर मुडने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई ओर यान चलाने के लिये या किसी अन्य कारण, चालक को अपना दांया हाथ चालक यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना होगा;

(iii) बाई ओर मोडने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए, चालक को अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना होगा;

(iv) चालक अपने पीछे आने वाले यान को पिछेलना करने का संकेत दे सकता है, ऐसा करने के लिये चालक अपना दाहिना हाथ यान के दांई ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा, और अर्ध–गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

12– यातायात नियंत्रण सिग्नल– यातायात नियंत्रण सिग्नल पर पहुचते समय, यान को अपनी गति धीमी करनी होगी और निम्न रीति से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करना होगा अर्थातः–

(क) एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती के सामने, पैदल पार पथ से पहले रूकने की रेखा से पहले यान को रोकना होगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है मगर दिखाई नही दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(ग) यदि वहां पर कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, यान प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले रोकना होगा;

(घ) यातायात सिग्नल की हरी बत्तीबदलने पर यान को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा;

(ड) जब, एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, यातायात नियंत्रण सिग्नल द्वारा निरंतर लाल बत्ती जल्दी रूक–रूक कर चमकती है, सिग्नल प्रतीक्षा करने वाला यान–

(i) पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा;

(ii) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है पर दृश्य नही दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(iii) यदि वहां चौराहे पर पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब आप प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले यान आगे ले जाएं;

(iv) पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले यानों को रास्ते का अधिकार देने के बाद सिग्नल को पार कर यान आगे ले जाएं;

(च) खंड (क) से (घ) में निहित होते हुए भी, एक मोटरयान बांई ओर मुड सकता है ओर चौराहे पर उसके दांई ओर से आने वाले यातायात और बांई ओर से चौराहा पार करने वाले पैदल और साइकिल चालकों को रास्ते का अधिकार देने के बाद आगे बढ़ सकता है जब तक यातायात नियंत्रित उपकरण या सड़क का कोई संकेत लाल लाल बत्ती जलने तक बांई ओर मुडना निषिद्ध नहीं करता;

(2) हरी यातायात बत्ती,–

(क) जब एक चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त अन्य यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है, हरी बत्ती के सामने मोटरयान,–

(i) यदि आगे का रास्ता साफ है तब यान को चौराहे में या पैदल पार पथ पर आगे ले जाएगा;

(ii) यदि किसी मामले में यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा हरा दिषा तीर भी प्रदर्षित किया गया है तब केवल हरे दिषा तीर संकेत दिखाई देने पर यान को उस दिषा में आगे बढाएं;

(iii) चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल में उपस्थित किसी भी पैदल यात्री, और किसी अन्य यान को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है;

(ख) जब, एक चौराहे पर, यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा लगातार तेजी से रूक रूक कर हरे चमकते तीर के सिग्नल का सामना करने वाला मोटरयान पहले पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर चालक यान ले जा रहा है उसमें मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद प्रदर्षित किये गये तीर की दिशा में यान आगे बढाएगा।

(3) नारंगी यातायात बत्ती–

(क) जब, एक चौराहे पर या एक चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, किसी यातायात नियंत्रित सिग्नल पर नांरगी रोशनी होती है, नांरगी रोशनी के सामने आने वाला यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले यान को रोक देगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित रेखा दिखाई नहीं देती, यान को पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

परंतु यदि कोई चिन्हित पैदल पार पथ न होने पर, यान प्राथमिक यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकेगा जब तक वह रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाता या रूकने की रेखा के बहुत निकट पहुंच गया है कि अचानक यान रोकने के कारण पीछे से आने वाले यानों के साथ टकराने का खतरा हो सकता है;

(ग) चौराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर तेजी से रूक रूक कर चमकने वाली नांरगी रोषनी के सामने या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यान को धीमा कर देगा और चौराहे पर या पैदल पार पथ पर बड़ी सावधानी के साथ पैदल यात्रियों और अन्य यानों को जो उससे पहले चौराहे पर है रास्ता देकर आगे यान ले जा सकता है।

13– मैनुअल यातायात नियंत्रण–

(1) जहां चौराहे पर या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यध्क्ति यातायात नियंत्रित करता है, चालक को अपना यान धीमा करना होगा और कथित अधिकारी या व्यक्ति के निर्देशों का पालन करना होगा।

(2) जहां वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ''रूकने'' का सिग्नल दिया जाता है, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोक देगा।

(3) किसी मामले मे ''रूकने'' की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित है पर दिखाई नहीं दे रही, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रोक देगा।

(4) किसी मामले मे पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, चालक अपना यान गंतव्य सड़क के पास चौराहे पर रोक देगा।

(5) जब एक यान वर्दी में पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुपालन में ''रोक'' दिया गया है, वह तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कथित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता।

14– पिछेलना–

(1) एक मोटरयान किसी अन्य सडक उपयोगकर्ता को पिछेलना करआगे नहीं जाएगा जब तक ऐसा करना सुरक्षित और उस समय लागू अधिनियम या नियमों के उपावंधो का उल्लंघन नहीं है।

(2) किसी भी यान को केवल दाई ओर से पिछेलना/पार किया जाएगा;

बशर्ते कि यान को बांई ओर से पिछेलना किया जा सकता है, यदि–

(क) जिस यान को आगे निकलना/पिछेलना करनाया जिस यान से आगे निकलना/पिछेलना करना है वह दोनों एक बहुल–लेन वाली सड़क पर चल रहे हैं और अगले यान को सुरक्षित रूप से बांई ओर से चिन्हित पंक्ति में पिछेलना किया जा सकता है;

(ख) पिछेलना किये जाने वाला यान या तो दांए मुड रहा है या सड़क के मध्य से पलराव ले रहा है और मुडने का सिग्नल दे रहा है और उसे बांई ओर से पिछेलना करना सुरक्षित होगा; या

(ग) पिछेलना किये जाने वाला यान स्थिर अवस्था में खडा है और उसके बांई ओर से आगे जाना सुरक्षित होगा।

(3) किसी भी यान को ऐसी स्थिति में पिछेलना नहीं किया जाएगा यदि पिछेलना करने से उस ओर आने वाले यातायात के बाधित होने की संभावना हो।

(4) पिछेलना करते समय, यान की गति पिछेलना किये जाने वाले यान से अधिक होगी, लेकिन गति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकतम गति सीमा से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई यान पिछेलन नहीं करेगा–

(क) यदि यातायात की स्थिति स्पष्ट नहीं है;

(ख) निरंतर एकल या दोहरीचिन्हित ठोस लंबवत लेन/पंक्ति जो सड़क को विभाजित करती है उसे पार कर;

(ग) निरंतर एकल या दोहरीचिन्हित ठोस लंबवत लेन/पंक्ति जो सडक को विभाजित करती है उसे पार कर;

(घ) किसी मोड़ या कोने पर आगे सड़क पर किसी भी तरह की बाधा के परिणामस्वरूप जहां स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता;

(ड) जंक्शनों, चौराहों और पैदल यात्री पथों पर;

(च) पारगमन स्थान पर जहां सड़क संकरी हो जाती है या जहां प्रमुख मार्ग के साथ गली/लेन चौडाई में कम हो जाती है;

(छ) किसी संकरी पुलिया पर; या

(ज) एक सड़क जहां पर सड़क संकेत द्वारा ''स्कूल क्षेत्र'' या ''अस्पताल क्षेत्र'' या ''निर्माण क्षेत्र'' के संकेत दिये गये है।

(6) चालक पिछेलन करेन के अपने आषय को दिखाने के लिए दिशा संकेतक का उपयोग करेगा और जितना जल्दी संभव हो सकेगा पिछलेना करने के बाद सडक पर अपनी बांई ओर वापस आ जाएगा।

(7) पीछे वाले यान को पिछेलन/आगे जाने की अनुज्ञा के लिये कोई भी चालक दांई ओर का सिग्नल देगा।

(8) बाहरी निर्माण क्षेत्रों में, आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने के आशय का चालक बहुत अल्प अवधि के लिए हार्न/भौंपू बजाकर या हेडलाइट को जला बुझाकर संकेत देगा और अगले यान के चालक द्वारा पिछेलना करने के संकेत मिलने के बाद ही यान आगे/पिछेलन कर सकता है या तक जब आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता।

(9) यदि एक यान किसी अन्य यान को पिछेलन करता है, पिछेलन किये जाने वाले यान का चालक अपने यान की गति नहीं बढाएगा या पिछेलन करने वाले यान को बाधा उत्पन्न कर उसे वापस बांई लेन पर जाने के लिये बाध्य नहीं करेगा।

15– यातायात में विलय–

(1) एक राष्ट्रीय राजमार्ग या यथास्थिति एक राज्य के राजमार्ग या एक प्रमुख जिला सड़क में प्रवेश करने वाले मोटरयान को पहले राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क पर चलने वाले यातायात को रास्ता देगा।

(2) एक ही श्रेणी की दो सड़कों के चौराहे पर, दाई ओर यान के चालक को रास्ते का अधिकार होगा।

(3) जहां कहीं भी लागू हो, चालक राजमार्ग पर या प्रमुख जिला सड़क पर यातायात में मिलने वाली लेन में विलय करने से पहले यान की गति को तेज करेगा।

(4) यातायात में विलय करने से पहले और करते समय, चालक यान के पीछे देखने वाले और बगल में देखने वाले षीषों से यातायात पर पैनी नजर रखेगा और उसके बाद ही विलय/मिलने के आषय का संकेत करेगा।

(5) चालक किसी यान या उसके आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक वह बाई ओर की लेन पर या जिस लेन पर वह उस समय यान चला रहा बहुत ज्यादा समय से रूका नहीं हुआ है।

16– गति–

(1) चालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके यान की स्थिति और उसका भार, सड़क, अन्य यातायात, दृष्यता और मौसम शामिल है, एक चालक केवल उस समय यान की गति बढायेगा जब यान पर हर समय उसका नियंत्रण है।

(2) कोहरे, बारिश, बर्फबारी, तूफान या रेगिस्तान की हवाओं के दौरान यान को धीमी गति में चलाया जाएगा ताकि आगे दृष्यता की दूरी के दायरे में यान को रोका जा सके।

(3) एक मोटर यान को नहीं चलाया जाएगा यदि–

(क) उसकी गति चेतावनी संकेतकों पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक या कम है; और
(ख) सक्षम प्राधिकारी या यानों की उस वर्ग के लिये अधिकारियों द्वारा और उन सड़कों की वर्ग के लिये अधिसूचित अधिकतम गति सीमा से अधिक गति पर यान चलाया जाएगा।

(4) कोई भी चालक, बिना उचित और पर्याप्त कारण के बगैर, कम गति में यान नहीं चलाएगा जिसके कारण सामान्य यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

(5) किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय कोई भी चालक 25 किमी प्रति घंटा से अधिक या कथित कम गति में, जिसे सड़क पर संकेतक में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या बिना फुटपाथ की सड़क पर और सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के मार्ग पर यान नहीं चलायेगा।

17– सुरक्षित दूरी बनाए रखना–

(1) अन्य यान के पीछे यान का चालक यातायात की अनुपातिक स्थिति के साथ अपने आगे चलने वाले यान के पीछे पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा ताकि यदि आगे चलने वाला यान अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है त बवह सुरक्षित रूप से रूकने में सक्षम हो सके।

(2) जब आपके पीछे दूसरा यान चल रहा है, चालक बिना किसी अकाटय कारण के अचानक अपने यान को ब्रेक नहीं लगाएगा।

(3) वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, चालक आगे चलने वाले यान से थोडी दूरी बनाए रखेगा।

18– पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा मे)–

(1) कोई भी चालक सड़क या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा मे) यान नहीं चलाएगाः
परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सडक उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी।

(2) सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटरयान विपरित दिशा में नहीं चलाया जाएगा।

(3) ''एक तरफा रास्ते'' के रूप में नामित सडक में कोई भी मोटरयान पीछे की ओर नहीं चलाया जाएगा।

19– सम पार–

(1) रेल जनित यानों को सभी मानवरहित रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता होगी।

(2) जब एक चालक रेल सम पार/क्रासिंग पर पहुचंता है उसे यान धीमा करना होगा और वह–
(क) रेल सम पार/क्रॉसिंग के भीतर यान खडा कर रास्ता अवरूद्ध नहीं करेगा;
(ख) एकरेल सम पार/क्रॉसिंग में परिछालन नहीं करेगा; और
(ग) सड़क मार्ग के बाई ओर यान रखेंगे।

(3) एकसंरक्षित रेल सम पार / क्रॉसिंग पर, फाटक का बैरियर नीचे गिराने / बंद करने या बैरियर गिराना शुरू करने के बाद या यानों का यातायात लाल बत्ती सिग्नल के सामने खडा है कोई भी मोटरयान सम पार में प्रवेश नहीं करेगा।

(4) एक अरक्षित रेल सम पार / क्रॉसिंगपर–

(क) मोटरयान केवल यह सुनिश्चित करने के बाद रेल सम पार / क्रॉसिंग पर प्रवेश करेगा जब उसे रेल के डिब्बे और इंजन दिखाई देना बंद हो जाता है, और

(ख) एक स्कूल बस सहित बस का चालक, एक मालवाहक यान, खेत के श्रमिकों और माल ले जाने वाली ट्रैक्टर की ट्रॉली या खतरनाक, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री को ले जाने वाले यान, रेल सम पार / क्रॉसिंग पर पहुंचने पर रूक जांएगे और यान के चालक अपने परिचर या किसी अन्य व्यक्ति को रेल सम पार के पास जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे, और परिचर या कथित अन्य व्यक्ति रेल सम पार से उस पार के बारे में चालक का मार्गदर्शन करेगाः

परंतु जहां यान पर ऐसा कोई परिचर या अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, चालक सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से यान की बत्ती चालू कर यान को खडा करेगा और रेल सम पार / क्रॉसिंग को पार करने से पहले सम पार पर जाकर सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे है।

20– एक सुरंग में प्रवेश करना–

(1) किसी सुरंग में प्रवेश करने से पहले चालक यान की नीचे की रोशनी चालू करेगा।

(2) सुरंग के भीतर चालक परिछालन, पलराव या विरीत दिशा में यान नहीं चलाएगा।

(3) कोई भी चालक सुरंग के भीतर यान को खडा नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से वह करना आवश्यक नहीं हो जाता और, ऐसी स्थिति में, वह यान की खतरे की चेतावनी बत्ती चालू कर देगा और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 138 के उप नियम (4) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार यान के आगे और पीछे बीस मीटर दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण भी रखेगा।

21– पहाड पर चढाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दी जाएगी–

(1) पहाडी और खडी सड़को पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौडी न होने के कारण मोटरयानों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, नीचे उतरने वाले यान का चालक–

(क) सड़क के बाईं ओर यान खडा करेगा; और

(ख) पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने / चढ़ने वाले यान को पार करने की अनुमति देगा।

22– यान को रोकना और खड़ा / यान स्थल करना–

(1) कोई भी यान इस स्थिति में रोका नहीं जाएगा

(क) एक ऐसे स्थान पर जहां सड़क संकरी और आगे देखने का दृश्य अवरूद्ध है;

(ख) एक तीव्र मोड़ पर;

(ग) तेज या मंद लेन में;

(घ) पैदल पार पथ पर, या उससे पांच मीटर पहले;

(ड) रेल सम पार पर;

(च) यातायात बत्ती सिग्नल से पांच मीटर या उससे कम दूरी पर या ''रास्ता देने'' के संकेत या ''रूकने'' के संकेत या यदि कोई स्थिर यान के कारण अन्य सड़क अपयोगकर्ताओं की दृष्टयता में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है;
(छ) किसी नामित बस स्टैंड पर यदि स्कूल बस के अतिरिक्त कोई अन्य बस है;
(ज) सड़क पर पीले रंग के चिह्नित बॉक्स पर;
(प) जहां ''नहीं रूकने'' का अनिवार्य संकेत द्वारा यान खड़ा करना निषिद्ध किया गया है।

(2) कोई यान खड़ा/पार्क नहीं किया जाएगा–
(क) जहां पर उप–विनियम (1) के अंतर्गत ऐसेस्थान पर यान रोकनानिषिद्ध है;
(ख) एक प्रमुख सड़क या सड़क के एक हिस्से में जहां पर अधिसूचित अधिकतम गति सीमा पचास किमी प्रति घंटे या उससे अधिक है;
(ग) एक पगडंडी, साइकिल ट्रैक और पैदल पार पथ पर;
(घ) एक चौराहे या जंक्शन से पहले या बाद में या चौराहे या जंक्शन के किनारे से जंक्शन के पचास मीटर की दूरी तक;
(ड) जहां वह नामित यान स्थल के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न करेगा;
(च) एक बस स्टॉप के निकट, एक शैक्षिक संस्थान या अस्पताल के प्रवेश द्वार पर या यदि जहां किसी यातायात संकेतक या अग्निरोधक को अवरूद्ध करने की संभावना हो सकती है;
(छ) एक सुरंग में;
(ज) एक बस लेन में;
(झ) किसी संपत्ति के प्रवेश और निकास द्वार के सामने;
(ञ) जहां सड़क मार्ग की पगडंडी के बगल में एक निरंतर पीले रंग की रेखा लगाई या चित्रित की गई है;
(ट) पगडंडी के किनारे से दूरी पर;
(ठ) अन्य पार्क/खडे किये यान के सामने;
(ड) यदि किसी अन्य यान को अवरूद्ध करने की संभावना या किसी अन्य व्यक्ति के लिये असुविधा का कारण है;
(ढ) पहले खडे यान के बगल में;
(ण) निर्दिष्ट अवधि से भी अधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर जहां यान स्थल की केवल निर्धारित अवधि के लिये अनुज्ञा है;
(त) ऐसे स्थान पर जहां यान स्थल की अनुज्ञा निर्दिष्ट श्रेणी या यानों की श्रेणियों के लिये दी जाती है और यान निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित नहीं है;
(थ) समर्थाग रूप से असक्षम चालक द्वारा चलाए गये यानों की आरक्षित पार्किंग स्थल पर ऐसे चालक द्वारा यान खड़ा करना जो समर्थन रूप से असक्षम/विकलांग नहीं है;
(द) एक विनिर्दिष्ट यान स्थल पर उल्लिखित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य रीति के साथ या इस तरह से यान खड़ा करना जो अत्यधिक स्थान लेता है; तथा
(ध) जहां पार्किंग ''निषिद्ध यान स्थल'' संकेतक द्वारा निषिद्ध किया गया है।

23– भौंपू का इस्तेमाल और शान्त क्षेत्र–

(1) भौंपू का अनावश्यक उपयोग करना निषिद्ध है।

(2) जहां तक हो सकता है, भौंपू का उपयोग तभी किया जाएगा जब चालक को स्वयं या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरा के आशंका है।

(3) चालक तब भौपू बजाएगा जब अनिवार्य संकेतकों द्वारा निर्देशित किया गया है।

(4) चालक नहीं करेगा–

(क) लगातार या बार–बार या आवश्यकता से अधिक या आवासीय क्षेत्रों में या अनिवार्य संकेतकों में इंगित षान्त क्षेत्रों में भौपू नहीं बजाएगा;

(ख) किसी कट आउट का उपयोग जिसके द्वारा ध्वनिमंदक के माध्यम के स्थान पर निकास गैसे निष्कासित होती है;

(ग) हवाई भौंपू या बहु–आवाज वाले भौंपू का प्रयोग करना या स्थापित करना जो कर्कष, चुभती हुई, ऊंची या खतरनाक आवाज करते है सिवाय जैसा नियम 119 के उप–नियम (3) में प्रदान किया गया है और

(घ) जिनमें अनुचित शोर या ज बवह बजाए जाते है बहुत ही भयानक ध्वनि करते है।

24– संज्ञापक आदेश–

(1) वर्दी मे एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यान को तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देषो का पालन करना होगा।

(2) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सड़क चिन्हों और सक्षम प्राधिकारी या वरदी में पुलिस अधिकारी या उस समय डयूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देषो का पालन करना होगा।

(3) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेष, सड़क संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतो या निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में उस समय वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतो या निर्देशों का अनुपालन करना होगा। और सकेतो का पालन करना होगा, जिसमे रूकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोडने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

25– किसी प्रदर्शन के पास से गुजरना–

(1) जब किसी प्रदर्षन के पास से गुजरते है जैसे किसी के संसकार और अन्य जुलूस या सैन्य टुकडी या पुलिस दल द्वारा मार्च करते हुए, या जानवरों के झुंड या घोड़े की जीन या मवेशियों के पास से गुजर रहे है, चालक यान की गति को कम कर देगा और धीरे–धीरे सावधानी के साथ यान और प्रदर्शन के बीय पर्याप्त जगह छोड़कर पार कर जाएगा।

(2) यदि उप–विनियम (1) में वर्णित प्रदर्शन यान के आगे की सड़क पर गुजर रहा है, या वहा से गुजरने वाला है, तब चालक यान को रोक देगा और प्रदर्शन को पहले गुजर जाने देगा और उसके वहां से गुजरने तक यान नहीं चलाएगा।

26– यातायात में रूकावट पर रोक– जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा–

(क) सड़क पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना;या

(ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन।

27–'आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान–

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं के लिये नामित एक यान का चालक, जिसमें एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाने वाला यान या अग्निशमन या कबाड़ समान के प्रयोजनों के लिये या पुलिस यान, केवल तब बहु–ध्वनि भौंपू /भौंपू सायरन और बहु–रंग चमकने वाली बत्तीयां अलार्म संचालित करेगा जब यान आपातकालीन सेवाओं पर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(2) एक आपातकालीन यान, जब उसकी बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चलती है, अन्य यानों द्वारा उसे रास्ता देने का अधिकार होगा।

(3) किसी अत्यंत आपात स्थिति जैसे एक मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचने या आग बुझाने के मामले में, आपातकालीन यान का चालक बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी संचालित कर अत्यंत सावधानी, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है–

(क) यातयात लाल बत्ती को पार कर सकता है;

(ख) विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति में यान चला सकता है;

(ग) राजमार्ग पर यानों के ठहरने के स्थान पर यान चला सकता है;

(घ) किसी भी दिशा में यहां तक कि ''प्रवेष निषिद्ध'' या किसी ''एक–तरफा'' सड़क पर यान चला सकता है।

(4) आपातकालीन यानों के अंतर्गत उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रूप से इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी–

(ड) सबसे पहले, अग्निशमन यान को;

(च) दूसरे, एम्बुलेंस को;

(छ) तीसरे, पुलिस यान सेवा को; तथा

(ज) चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी भी अन्य यान को आपात यान प्रबंधनयान के रूप में जैसे आवष्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन यान।

(5) जब एक आपातकालीन यान, अपने बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चालू कर किसी यान को पिछालन करता है, या किसी अन्य यान के मार्ग में पहुंचता या प्रवेश करता है, जो व्यक्ति कथित यान चला या सवारी कर रहा है, जब तक उसे पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक वह–

(क) आपातकालीन यान से रास्ते का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, अपने यान को बांई ओर जितना व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जाएगा;

(क) यान को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है, और जब तक आपालकालीन यान वहां से निकल नहीं जाता वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा।

(6) चालक, जब तक आपातकालीन यान के चालक दल द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता, आपातकालीन यान जिसमें बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती दोनों काम कर रही है उनसे कम से कम पचास मीटर की दूरी बनाए रखेगा।

(7) सड़क के रखरखाव या सार्वजनिक उपयोगिता के अनुरक्षण यानों को सड़क मार्ग पर खड़ किया जा सकता है, यदि आवश्यकता है, खतरों की चेतावनी लाइटों को जलाकर और खडे किये गये यान के पीछे पचास मीटर दूरी पर आवश्यक जानकारियों के साथ चेतावनी उपकरणों को स्थापित कर, और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

28– यान खराब होना– किसी मामले में यदि दो पहियों से अधिक पहियों वाला कोई यान ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां से उसे एक स्थिर बाधा के रूप में पहचाना जा सकता हैः–

(क) तुरन्त यान की खतरे की चेतावनी लाइटे चालू करनी होंगी;

(ख) तेज गति वाले राजमार्गो और प्रमुख सड़कों पर, खराब यान के पीछे पचास मीटर की दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे;

(ग) जहां यान खड़ा है और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे।

29– यानीय की दुर्घटना के मामले में कार्यवाही–

(1) किसी दुर्घटना के मामले में चालक पूर्ण शांत बना रहेगा और दूसरे चालक या दुर्घटना में संलग्न यान या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(2) छोटी दुर्घटनाएं

(क) दुर्घटना में शामिल चालक या कई चालक, अपने यान से नीचे उतरकर यानों, यान मे बैठी सवारियों, किसी पैदल यात्री या किसी अनय व्यक्ति या यान के चित्र खीचेंगे,बेशक वह कोई दुर्घटना स्थल सहित मोटरयान या अन्य कुछ हो, यदि संभव है;

(ख) सभी चालक यानों को खींच कर तुरंत सड़क के बाहर निकाल ले जाएंगे ताकि आने वाले यानों के यातायात के लिये मार्ग बाधारहित/साफ हो;

(ग) चालक अन्य यान चालकों को सतर्क करने के लिये यान के निकट या उसके आसपास परावर्ती यातायात खतरों के त्रिकोण रखेंगे और उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला देंगे;

(घ) यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है चालक या सवार तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस या निकटतम अस्पताल में फोन करेंगे;

(ड) चालक जबतक हर किसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर लिया जाता, दुर्घटना स्थल / दृश्य को छोडकर नहीं जाएंगे भले ही दुर्घटना किती छोटी ही क्यों न हो।

(3) बड़ी दुर्घटना–

(क) हर व्यक्ति जो दुर्घटना में शामिल होता है उसे अपने स्वयं और यान में बैठे अन्य यात्रियों और दुर्घटना में शामिल यान की जांच कर यह देखना चाहिए कि किसी को चोट तो नहीं आई है;

(ख) यदि किसी को चोट लगी है, तब तुरन्त चिकित्सा सहायता और पुलिस को बुलाएगा;

(ग) जब एक बार चालक और यात्रियों या सवार की हालत स्थिर हो जाती है, दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों और यानों के चित्र खींचेगा जिसमें यान की रजीस्ट्रीकरण प्लेट और दुर्घटना दृश्य / स्थल के चित्र भी शामिल होंगे;

(घ) दुर्घटना में शामिल चालक यानों को जितनी जल्दी संभव हो सकता है सड़क से दूर किनारे पर स्थानांतरित कर देंगे;

(ड) यदि यान या यानों को हटाना संभव नहीं है, दुर्घटना में शामिल प्रत्येक चालक दुर्घटना स्थल पर तब तक उपस्थित रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती और दुर्घटना में घायल होने के कारण पीड़ित को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता;

(च) चालक और सवारियां दुर्घटना की जांच में पुलिस प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे;

(छ) यदि किसी दूसरे यान के साथ दुर्घटना में शामिल हैं, चालक निम्नलिखित जानकारियां दूसरे चालक के साथ आपस में अदला बदली करेंगेः नाम, पता फोन नंगर, बीमाकंपनी, पॉलिसी नंबर, चालन अनुज्ञप्ति नंबर और यान के रजिस्ट्रीकरण नंबर।

(4) दूसरे चालक के साथ बातचीत–

(i) एक बार शुरूवाती झटके से उभरने के बाद जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को भी गंभीरता से चोट नहीं लगी है, गुस्सा भड़क सकता है और दुर्घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गुस्से से बचना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का गुस्सा भड़कने के कारण बचना होगा।

(ii) चालक या अन्य यात्री दूसरे चालक का नाम, पता, संपर्क की जानकारी प्राप्त करेंगे, और वह उन्हें प्रदान किये जाएंगे;

(iii) यदि आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता, तब तुरन्त पुलिस को बुलांए;

(iv) यदि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, दुर्घटना मे शामिल उन सभी व्यक्त्यिों को घटनास्थल पर तब तक रहना होगा जब तक जांचकर्ता पहुंच नही जाते और वापस जाने की उन्हें अनुमति नहीं दे देते।

30– यान को रस्सी से खींचना–

(1) किसी भी दुपहिया मोटरयान को किसी अन्य यान द्वारा नहीं खींचा जाएगा।

(2) यान को खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) खींचे जाने वाले यान और खींचने वाले यान की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी;

(4) अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफ दिखाई देनी चाहिए।

(5) खींचे जाने वाले यान के सामने और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेट्रो परावर्ती ''ऑन टा'' संकेतक प्रदर्शित किया जाएगा जिसके अक्षरों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अक्षरों के बीच 2 सेंटीमीटर फासले सहित चौडाई 2 सेंटीमीटर होगी और चालक रात के समय, अंधरे में याप्रतिकूल मौसम की स्थित में यान को तब तक नहीं खींचेगा जब तक दोनों यानों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं ली जाती है;

परन्तु यदि खींचे जाने वाले यान की खतरे की चेतावनी लाइटें काम नहीं कर रही, उन्हें खींचा नहीं जाएगा जब तक उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं दी जाती।

31— यान की लाइटें—

(1) चालक यां काल, रात को और सुबह और जब दृश्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करेगा;

परन्तु एक दुपहिया मोटरयान चालक दिन के दौरान भी अपनी हैडलाइट को नीचे गिराकर जलाएगा।

(2) एक यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में रखे जाने चाहिए और किसी भी प्रकाश व्यवस्था के उपकरण को किसी वस्तु या धूल आदि से छिपाया नहीं जाएगा।

(3) कोई चालक—

(क) केवल यान स्थल रोशनी जलाकर यान नहीं चलाएगा, जब तक उसे ऐसा वरद में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता; तथा

(ख) अनुपयुक्त यान के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(4) आने वाले यान के निकट पहुचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(5) चालक कोहरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा जब कोहरे,धूल,तूफान,बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैड लैंप को नीचे गिरा कर।

32— ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलाना—

(1) ट्रैक्टर का चालन अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा।

(2) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा।

33– लेन अलग होना (लेन के भीतर लेन)– शहरी क्षेत्रों में, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा की सड़कों पर, जहां कहीं भी विशेष रूप से सड़क के संकेत द्वारा अनुमति दी जाती है, मोटरसाइकिल चालक तीन और चार पहियों के यानों के बीच में धीरे–धीरे से आगे निकल सकते है जब मोटरसाइकिल और अन्य यानों के बीच की गति का अंतर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नही है।

34– खतरनाक पदार्थो की ढुलाई पर प्रतिबंध–किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्यधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय ईंधन और स्नेहको को छोडकर जो यान चलाने के लिये आवश्यक है।

35– भार यान के बाहर उठा होना/निकलना–

(1) चालक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि भार नियंत्रित करने और लादने के उपकरण सहित भार को यान पर सही तरीके से इस प्रकार से व्यवस्थित/रखा और नियंत्रित किया गया है कि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ यान के मुडने पर माल फिसलकर, गिरकर, घुमकर यान से न गिरे या अनावष्यक शोर उत्पन्न न करे।

(2) कोई भी चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर यान को चलाएगा जिस पर इस तरीके से माल लदा हुआ है कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना हो सकती है।

(3) भार या उसके किसी भाग के लिए, या यान मे कोई अन्य वस्तु उसके ढांचे के बगल या आगे या पीछे बाहर की ओर नहीं निकलेगी, या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऊंचाई या भार की सीमा से अधिक नही होगी।

36– रजिस्ट्रीकरण प्लेट–

(1) सार्वजनिक सड़क पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विर्निदिष्ट रजिस्ट्रीकृत प्लेट प्रदर्शित किये बिना कोई भी यान चलाया या खड़ा नहीं किया जाएगा।
(2) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रूप से दृश्य और सुपाठय होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न करेगी।
(3) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोडकर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्शित या गढ़े या लिखे नहीं जाएंगे।
(4) मोटरयान पर कोई भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंशिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाएं।

37– मोबाइल टेलीफोन और संचार युक्तियों का उपयोग–

(1) चालक हाथ में पकडे जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।
(2) कोई प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक नौसीखिया चालक को प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण करते समय मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

38– दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण–

(1) एक परिवहन यान का चालक हमेशा अपने साथ मूल रूप मे निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेजो को छोड़कर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थातः—
(क) चालन अनुज्ञप्ति;
(ख) कराधान प्रमाण पत्र;
(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
(घ) बीमा प्रमाण पत्र;
(ड) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र; और
(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;

(2) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियमो 132 और 133 में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेंगे।

(3) गैर—परिवहन यान के चालक अपने साथ हमेशा रखेंगे—
(क) चालन अनुज्ञप्ति और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ; और
(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि।

(4) यान का चालक, वरद में पुलिस अधिकारी, मोटरयान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;
परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के अधीन जब्त किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध मे एक रसीद या अन्य पावर्ती जारी की जाएगी;
परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप—विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवश्यक है।

39— पैदल यात्री पार पथ, फुटपाथ और साइकिल पगडंडी—

(1) एक अनियंत्रित पैदल पार पथ से गुजरते समय, चालक यान धीमा कर देगा, रूक जाएगा और पैदल, असक्षम सड़क उपयोगकर्ताओं को ले जाने वाली गाड़ी, और व्हीलचेयर को रास्ता देना होगा।

(2) यदि यातायात में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और यदि आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है जिसके कारण पैदल पार पथ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है तब चालक पैदल पार पथ पर आगे यान नही चलाएगा।

(3) जब कोई भी सड़क फुटपाथ या साईकिल पगडंडी के साथ प्रदान की जाती है, कोई भी यान ऐसे फुटपाथ या पगडंडी पर नहीं चलाया जाएगा, सिवाय वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के निर्देश पर या जहां यातायात संकेत में उस पर चलाने की अनुज्ञा प्रदर्शित की गई है।

40– सड़क के संकेत, चिन्ह, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम और नियमों का ज्ञान और समझ–प्रत्येक चालक निम्नलिखित के साथ परिचित होगा और उसका पर्याप्त ज्ञान और समझ होगी, अर्थात–

(क) सडक संकेतो, चिन्हो और यातायात नियंत्रण सिग्नलों;

(ख) मोटरयान अधिनियम,1988 की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के साथ, अर्थात

(i) धारा 19ः अयोग्यता या चालन अनुज्ञप्ति लाइसेंस रदद करने के लिये आधार;

(ii) धारा 112ः गति की सीमा;

(iii) धारा 113ः वजन की सीमा और उपयोग की सीमाएं

(iv) धारा 121ः सिग्नल और सिग्नलों के उपकरण;

(v) धारा 122ः खतरनाक स्थिति में यान छोड़ना;

(vi) धारा 125ः चालक को अवरोध;

(vii) धारा 132ः कुछ मामलों मे रोकने के लिये एक चालक के कर्तव्य;

(viii) धारा 133ः मोटरयान के मालिक के जानकारी देने के कर्तव्य;

(ix) धारा 134ः दुर्घटना और किसी व्यक्ति को चोट लगने पर मोटर यान के चालक के कर्तव्य;

(x) धारा 185ः एक मत्त व्यक्ति द्वारा या नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना;

(xi) धारा 186ः जब मानसिक या शारीरिक रूप से यान चलाने मे अयोग्य हैं;

(xii) धारा 187ः दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड;

(xiii) धारा 194ः स्वीकार्य भार से अधिक सीमा में भार लादकर यान चलाना;

(xiv) धारा 200ः कतिपय अपराधों की सरंचना; तथा

(xv) धारा 207ः बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट के यानों को हिरासत में रखने की शक्ति;

(ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के उपाबंध

(i) नियम 121ः अधिनियम जो अवरोध या जनता को खतरा उत्पन्न करता है उसके लिये एक व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति रखने के लिये अयोग्य ठहरता है;

(ii) नियम 133ः चालक की जिम्मेदारियां;

(iii) नियम 136ः चालक दुर्घटना के बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा;

(घ) अच्छे आदमियों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग सं0 25035/101/2014–आरएस, तारीख 21 जनवरी, 2016 में प्रकाशित भारत का राजपत्र, असाधारण भाग–I, धारा 1 सरकार की अधिसूचना के उपाबंध।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

मैनुअल संख्या–5

******

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।

खण्ड–4

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011
(मई, 2018 तक संशोधित)

उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जैसा राज्य सरकार नियत करे।

परिभाषायें

2 (1) विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस नियमावली में –

(क) 'अधिनियम' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) अभिप्रेत है;

(ख) 'अपर परिवहन आयुक्त' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुमोदित अभिकर्ता' से मालिक द्वारा उसकी ओर से किसी कार्य या कार्यो को करने के लिए प्राधिकृत और या तो किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में मालिक द्वारा निष्पादित किसी लिखत के माध्यम से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई विधिक व्यवसायी भी सम्मिलित है,

(घ) 'मोटरयान निरीक्षक' से परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त और किसी सम्भाग या उप–सम्भाग के मुख्यालय में सहायक सम्भागीय निरीक्षक के रूप में तैनात व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ङ) 'सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त हो और प्रत्येक सम्भाग या उप सम्भाग के मुख्यालय में तैनात हो,

(च) ''सहायक परिवहन आयुक्त'' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त और देहरादून में तैनात अधिकारी अभिप्रेत है,

(छ) 'केन्द्रीय नियमावली' से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 अभिप्रेत है,

(ज) 'उप परिवहन आयुक्त' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त और देहरादून में तैनात अधिकारी अभिप्रेत है,

(झ) 'प्रपत्र एस0 आर0' से इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है,

(ञ) 'पर्वतीय सड़क' से पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिलों, देहरादून, जिले की चकराता तहसील और नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पश्चिम में रामनगर, काठगोदाम से होकर पूरब में सीधे टनकपुर से उत्तर की ओर तलहटी के आधार में पड़ती है, और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा के आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कें अभिप्रेत हैं,

(ट) 'अलचीला' से मोटरयान के टायर के सम्बन्ध में ऐसा टायर अभिप्रेत है जो न तो ''वायवीय'' हो और न ही ''लचीला'' हो,

(ठ) 'यात्री' से किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत परिचालक, ड्राइवर या कन्डक्टर या सार्वजनिक सेवा यान के परिचालक का कर्मचारी नहीं होगा जो सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में वास्तव में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा कर रहा हो,

(ड़) 'परिवहन कर अधिकारी–1' से परिवहन आयुक्त द्वारा प्रत्येक सम्भाग या उप सम्भाग या चैकपोस्ट पर इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी अभिप्रेत है।

(ढ) 'परिवहन कर अधिकारी–2' से परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा परिवहन विभाग का ऐसा कार्मिक, जो परिवहन कर

अधिकारी–2 से न्यून श्रेणी का न हो और जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है।

(ण) 'वायवीय टायर' से ऐसे टायर अभिप्रेत है जिसमें यांत्रिक दबाव द्वारा भरी गयी वायु हो,

(त) 'सम्भाग' से किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार द्वारा धारा–68 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट है,

(थ) 'ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक' से परिवहन आयुक्त द्वारा किसी सम्भाग या उप सम्भाग के मुख्यालय में सम्भागीय निरीक्षक के रूप में तैनात व्यक्ति अभिप्रेत है,

(द) 'सम्भागीय परिवहन अधिकारी' से सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अधीन प्रत्येक सम्भाग के मुख्यालय में इस रूप में नियुक्त और तैनात अधिकारी अभिप्रेत है,

(ध) किसी मोटरगाड़ी या ट्रेलर के सम्बन्ध में ''लचीला'' से ऐसा टायर अभिप्रेत है जो भारत–रबर का बना वायवीय प्रकार का न हो,

(न) 'अनुसूची' से इस नियमावली से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(प) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(फ) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है,

(ब) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(भ) 'उप–सम्भाग' से किसी राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमा या इससे भिन्न राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा अभिप्रेत है,

(म) 'परिवहन आयुक्त' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(य) ''समकक्ष अधिकारी'' से तात्पर्य ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो उस पद के समान वेतनक्रम में परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत नियुक्त हो तथा वह सम्बन्धित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

(2) इस अधिनियम और केन्द्रीय नियमावली में प्रयुक्त और इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए इस अधिनियम और केन्द्रीय नियमावली में दिए गए हैं।

अध्याय – दो

मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग)

अनुज्ञापन प्राधिकारी

3 सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटरयान निरीक्षक या ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, अथवा आपातकालीन स्थिति में जिसके कारण अभिलिखित किये जाये, मोटर यान निरीक्षक के पद से सम्बन्धित अर्हता रखने वाले अन्य कोई अधिकारी, जो मोटर यान निरीक्षक से निम्न वेतनमान का न हो और जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

चिकित्सा प्रमाण–पत्र

4 धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए देय फीस बीस रुपये होगी। यदि ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने के

जारी करने के लिए देय फीस

लिए कोई सम्यक् सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिए राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिए फीस ऐसे प्रत्येक विशेषज्ञ के लिए बीस रुपये के अतिरिक्त होगी।

अपील प्राधिकारी

5 धारा 9 की उपधारा (8), धारा 17 की उपधारा (2) और धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी उप परिवहन आयुक्त (विधि एवं न्यायाधीकरण), अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा इस हेतु नाम निर्दिष्ट अन्य अधिकारी जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न स्तर का न हो, होगा।

अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई

6 (1) अधिनियम के अध्याय दो के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी एक प्रति पर वापस न की जाने वाली पच्चीस रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्पों में फीस होगी जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, संक्षेप में आपत्ति के आधार दिए जाएंगे और इसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब अपील प्रस्तुत की जाये, तब उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाये, ऐसे प्रपत्र में, जैसा अपील प्राधिकारी निर्देश दें, एक नोटिस जारी किया जाएगा।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने और ऐसी अग्रतर जांच के पश्चात, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझता हो, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है और तदनुसार आदेश देगा।

चालन अनुज्ञप्तियों (ड्राइविंग लाइसेंस) के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण

7 (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रत्येक कलेण्डर वर्ष 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर और 7 जनवरी को या उससे पूर्व केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र संख्या 10 में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में तिमाही विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती तीन मास की अवधि का ब्यौरा समाविष्ट होगा, राज्य के परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारी को भेजेगा, जिसे सरकार के परिवहन विभाग के सचिव द्वारा इस निमित्त समय–समय पर नाम–निर्दिष्ट किया जाय।

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम–निर्दिष्ट अधिकारी चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर रखेगा और निदेशक (परिवहन/अनुसंधान), भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को उस रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति या ऐसे अन्य प्रारुप में जैसा केन्द्र सरकार अपेक्षा करें, प्रति भेजेगा।

अनुज्ञप्तियों का खो जाना या नष्ट हो जाना–प्रक्रिया

8 (1) यदि किसी समय चालक अनुज्ञप्ति, उसके धारक द्वारा खो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो धारक तत्काल प्रपत्र एस0 आर0 –1 में लिखित रूप में तथ्यों को उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति को जारी या अन्तिम नवीनीकरण किया गया था, सूचित करेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच

जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाए कि दूसरी प्रति समुचित रुप से जारी की जा सकती है, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा और उसकी सूचना उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या उसका अंतिम नवीकरण किया गया था।

(3) सन्देह होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से एक शपथ–पत्र या एक घोषणा–पत्र दाखिल करने के लिए कह सकता है कि चालन अनुज्ञप्ति, जिसके सम्बंध में आवेदन किया गया है, वास्तव में खो गयी है और अधिनियम के अधीन विहित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिबद्ध नहीं की गयी है और यदि आवेदक ऐसा करने में असमर्थ है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने से इन्कार कर सकता है।

(4) जहां इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर फोटो चिपकाया जाना अपेक्षित है वहां लाइसेंस का धारक अपनी हाल के फोटो की दो स्वच्छ प्रतियां अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जिसमें से एक अनुज्ञापन की दूसरी प्रति पर चिपका दी जाएगी, दूसरी प्रति जारी करने वाले प्राधिकारीं द्वारा अभिलेख के लिए रख ली जाएगी।

(5) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए फीस वही होगी जो चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये केन्द्रीय नियमावली के नियम 32 के अधीन विहित है।

(6) जब अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति इस अभ्यावेदन पर जारी की जाये कि अनुज्ञप्ति खो गई है और बाद में धारक को मूल अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाये तब वह उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे दी जाएगी जिसने अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी की हो।

(7) अनुज्ञप्ति पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति उसे अनुज्ञप्ति के धारक को देगा या उसे निकटतम पुलिस थाने में जमा करेगा।

विरूपित या फटी हुई अनुज्ञपित

9 (1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धृत चालन अनुज्ञप्ति किसी प्रकार से इतनी फट गई है या विरूपित हो गई है कि उसकी युक्तियुक्त पठनीयता समाप्त हो गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को परिबद्ध कर सकता है और उसकी दूसरी प्रति जारी कर सकता ळें

(2) यदि उपर्युक्तानुसार परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर धारक का फोटो चिपकाया जाना अपेक्षित हो, तबः–

(एक) यदि परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में संतोषप्रद और सुविधानुसार लाइसेन्स की दूसरी प्रति के लिए अंतरणीय है तब अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए फोटो को अन्तरित कर सकता है, चिपका सकता है और मुहर लगा सकता है।

(दो) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर चिपकाया गया फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि उसे अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर स्थानान्तरित किया जा सके, तब अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी की मांग पर, अपने हाल के फोटोग्राफ की तीन स्वच्छ प्रतियां देगा जिसमें से एक को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर चिपका दिया जाएगा और उस पर मुहर लगा दी जाएगी, एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी

जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी और शेष प्रति को अभिलेख के लिए रख लिया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए फीस वही होगी जो चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये केन्द्रीय नियमावली के नियम 32 के अधीन विहित है।

अनुज्ञप्ति–फोटो का प्रतिस्थापन

10 (1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्ति पर चिपकाया गया फोटो स्पष्टतः धारक के सदृश नहीं रह गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक से अनुज्ञप्ति को तत्काल अभ्यर्पित करने और स्वयं की हाल के फोटो की तीन स्वच्छ प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और धारक ऐसे समय के भीतर जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और तदनुसार फोटो प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि धारक उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता उक्त अवधि के अवसान से समाप्त हो जाएगी।

(3) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित फोटो की प्रतियां प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति से पुरानी फोटो हटा देगा और उस पर नवीन फोटो की एक प्रति चिपकायेगा और उस पर मुहर लगाएगा और आवेदक को अनुज्ञप्ति वापस कर देगा और यदि वह ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई थी या उसका अन्तिम नवीनीकरण किया गया था, उस प्राधिकारी को फोटो की दूसरी प्रति अग्रसरित करेगा और शेष अभिलेख के लिए रख लेगाः

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति का धारक ऐसा चाहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी नवीन फोटो चिपकाई गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा और मूल अनुज्ञप्ति को नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया गया था तो वह उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया था।

(4) जब किसी अनुज्ञप्ति पर नवीन फोटो चिपकाया जाता है तब फोटो के ऊपर चिपकाने के दिनांक को अंकित किया जाएगा।

(5) उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन जारी किए गए अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए फीस वही होगी जो चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये केन्द्रीय नियमावली के नियम 32 के अधीन विहित है।

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किया जाना

11 (1) जब नियम 8, 9 या 10 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी की जाती है, तब उस पर स्पष्ट रूप में लाल स्याही से ''दूसरी प्रति'' चिन्हित किया जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर के साथ दूसरी प्रति के जारी किए जाने का दिनांक चिन्हित किया जाएगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करता है ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या उसका अन्तिम नवीकरण किया गया था, तो वह इस तथ्य से ऐसे प्राधिकारी को सूचित करेगा, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अन्तिम नवीकरण

किया गया था।

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को सूचना

12 (1) किसी अन्य राज्य द्वारा जारी की गयी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यदि उसकी सत्यता पर संदेह करने का पर्याप्त कारण हो या उसमें कोई हेर–फेर (tempred with) की गयी हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसके जारी होने के तथ्यों की प्रमाणिकता उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसने उसे जारी किया है, नवीकरण प्रपत्र की एक प्रति डाक द्वारा भेजकर उससे तीस दिन की अवधि के भीतर पुष्टि करने के लिये अनुरोध करेगा।

(2) परिवहन यान से भिन्न यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में

(एक) यदि विशिष्टियां जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दी गयी हों तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को नवीकृत हुए उस पर नयी अनुज्ञप्ति संख्या पृष्ठांकित करेगा।

(दो) यदि निर्धारित समयावधि के भीतर जारी करने वाले प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 15 के उपनियम (3) में विहित चालन सक्षमता परीक्षण से गुजरना होगा।

(3) परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी से उत्तर प्राप्त होने या न होने दोनों स्थितियों में आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रशिक्षण संस्थान में चालन सक्षमता परीक्षण से गुजरना होगा और उसे अपनी सक्षमता का समाधान कराना होगा।

स्पष्टीकरण– उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक परिवहन यान चालन अनुज्ञप्ति धारक जिसकी अनुज्ञप्ति राज्य के बाहर के अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा दी गयी हो के, नवीकरण से पहले राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रशिक्षण संस्थान में चालन सक्षमता परीक्षण में सम्मिलित होना पड़ेगा और उसे अपनी सक्षमता का समाधान कराना होगा।

(4) आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार चालन सक्षमता परीक्षण पास करने पर और ऐसी अनुज्ञप्तियों के मामलों में जिनकी प्रमाणिकता की पुष्टि दी गयी समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो आवेदक से समुचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा नवीकरण हेतु प्रस्तुत अनुज्ञप्ति एवं उसमें दी विशिष्टियां सत्य एवं वास्तविक हैं, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा और उसकी सूचना मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा।

(5) यदि मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से यह उत्तर प्राप्त होता कि चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों में फेरफार (tempred with) की गयी है या अनुज्ञप्ति वास्तविक नहीं है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और यथोचित वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करायेगा। ''

(6) किसी परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में से किसी में दों दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनुक्रम के अधीन रहना होगा और अन्य औपचारिकताओं के साथ उक्त पुनश्चर्या अनुक्रम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विभिन्न जनपदों के आवेदकों के लिये

अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे। विभिन्न चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।

''चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां लाईसेन्स धारक अथवा अन्य व्यक्ति को देने की फीस

12क मोटर वाहन दुर्घटना, बीमा या अन्य प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्ति धारक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा मांग किये जाने पर एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी एक चालक अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दिये जाने की फीस पचास रूपये होगी।

परिवहन यान के ड्राइवर का बैज

13 (1) किसी परिवहन यान का ड्राइवर अपने सीने पर बायीं ओर ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा परिवहन यान चालन का प्राधिकार स्वीकृत किया गया है, जारी किया गया धातु या प्लास्टिक का बैज प्रदर्शित करेगा। ऐसा बैज प्रपत्र एस0 आर0–2 में होगा। ऐसे बैज पर जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान संख्या और नाम सहित शब्द ''ड्राइवर'' उत्कीर्ण किया जाएगा।
(2) परिवाहन यान का ड्राइवर राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे एक से अधिक बैज धारण नहीं करेगा।
(3) उपर्युक्तानुसार बैज जारी करने के लिए फीस एक सौ रुपये होगी। यदि बैज खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो बैज की दूसरी प्रति एक सौ रुपये का भुगतान करने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके द्वारा उसे पूर्व में जारी किया गया था।
(4) यदि किसी समय ड्राइवर के लाइसेंस पर प्राधिकार, जो उसे परिवहन गाड़ी चलाने का पात्र बनाता है, किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहत कर दिया जाए या समय समाप्त होने पर विधिमान्य न रह जाए तो ड्राइवर उसे यथास्थति ऐसे निलम्बन, प्रतिसंहरण या समाप्त होने के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा बैज जारी किया गया था, अभ्यर्पित कर देगा।

बैज का अन्तरण नहीं किया जायेगा

14 (1) कोई ड्राइवर अपना बैज किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा या उधार नहीं देगा।
(2) ड्राइवर के बैज को पाने वाला कोई व्यक्ति यदि वह उस व्यक्ति को वापस नहीं कर देता है, जिसे वह जानता है कि वही उसका धारक है, तत्काल उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह जारी किया गया है या उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसमें वह पाया गया हो, हस्तान्तरित कर देगा या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जमा कर देगा।

परिवहन यान के ड्राइवर की वर्दी

15 मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान का ड्राइवर निम्नलिखित वर्दी पहनेगा –
(एक) खाकी बुश–शर्ट या चार पाकेट फ्लैप वाला कोट,
(दो) खाकी फुल पैन्ट और

(तीन) खाकी टोपी या पगड़ी

कतिपय व्यक्तियों को चालन अनुज्ञप्ति या सक्षमता परीक्षा फीस से छूट

16 किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ड्राइवर के रूप में सरकारी नियोजन में हो या सरकारी नियोजन में हो और ड्राइवर पद हेतु प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया हो, चालन अनुज्ञप्ति या सीखने वाले की अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीनीकरण करने या चालन हेतु सक्षमता परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी।

रोड रोलर के ड्राइवरों को चालन अनुज्ञप्ति से छूट

17 अधिनियम के अध्याय दो में अन्तर्विष्ट कोई बात रोड रोलर के ड्राइवर पर लागू नहीं होगी।

परिवहन यानों के ड्राइवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण

18 (1) परिवहन गाड़ी का ड्राइवर –

(एक) जहां तक अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो सके अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(दो) ड्यूटी पर रहते हुए धूम्रपान नहीं करेगा या नशे की स्थिति में या ऐसी सीमा तक औषधि के प्रभाव के अधीन, जिससे वह गाड़ी पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाए, गाड़ी नहीं चलाएगा,

(तीन) यात्रियों और आरक्षित यात्रियों के साथ शिष्ट और अनुशासित व्यवहार करेगा,

(चार) ड्यूटी पर रहते हुए साफ वर्दी पहनेगा,

(पांच) यान को जिसमें फर्नीचर और फिटिंग भी है, साफ सुथरा और स्वच्छ दशा में और यथोचित मरम्मत कराकर रखेगा,

(छः) शुल्क शिष्टतापूर्वक और शान्तिपूर्ण रीति से ही मांगेगा अन्यथा नहीं,

(सात) किसी व्यक्ति के अन्य यान पर चढ़ते हुए या चढ़ने की तैयारी करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेगा,

(आठ) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट सीटिंग क्षमता और अनुज्ञा–पत्र की शर्तों में खड़ा होकर ले जाए जाने के लिए अनुज्ञात किसी अतिरिक्त संख्या से अधिक किसी व्यक्ति को परिवहन यान में ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(नौ) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक परिवहन यान में किसी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(दस) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय वैध किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी यान को मांगने पर भाड़े पर उठाने से इंकार नहीं करेगा,

(ग्यारह) जहां यात्रियों के अतिरिक्त माल को ले जाया जाता हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त युक्तियुक्त पूर्वोपाय करेगा कि यात्रियों को माल की उपस्थिति के कारण संकट उत्पन्न न हो या अनुचित रूप से असुविधा न हो,

(बारह) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने वैध किराये का भुगतान किया है, यात्रा की समाप्ति से पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

(तेरह) किसी यात्रा पर अकारण इधर–उधर नहीं घूमेगा या अनावश्यक विलम्ब नहीं करेगा अपितु जितना जल्द हो सके, गाड़ी से सम्बन्धित समय सारिणी के अनुसार या जहां ऐसी समय–सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ेगा,

(चौदह) यांत्रिक व्यवधान के कारण या ड्राइवर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से किसी मंजिली गाड़ी के अपने गन्तव्य स्थान की ओर न बढ़ सकने की दशा में, किसी अन्य तदसदृश गाड़ी में यात्रियों को गन्तव्य स्थान को ले जाने का प्रबन्ध करेगा, पर यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात् आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसे प्रबन्ध करने में असमर्थ हो, तब मांगने पर प्रत्येक यात्री को, यात्रा जिसके लिए यात्री ने किराया दिया है का समापन करने से सम्बन्धित, किराये का एक उचित भाग वापस करेगा,

(पन्द्रह) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में कोई वस्तु गाड़ी में नहीं रखवायेगा या ऐसी रीति से रखे जाने की अनुमति नहीं देगा जिससे यात्रियों को प्रवेश करने या बाहर निकलने में बाधा पड़े,

(सोलह) किसी यात्री या भाड़ेदार से माल की ढुलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किराया या भाड़े से अधिक कोई किराया या भाड़ा न तो मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा,

(सत्रह) यदि आवश्यक हो तो यान में चढ़ने या उससे उतरने में और अपने सामान को लादने और उतारने में यात्री की सहायता करेगा,

(अठारह) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में मंजिली गाड़ी में शिकायत पुस्तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा,

(उन्नीस) ड्राइवर के सीट के लिए आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति को बैठने, पशु या वस्तु को न तो रखने देगा और न रखने की अनुमति देगा, जिससे कि सड़क स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ने में या यान के समुचित नियंत्रण रखने में रुकावट हो,

(बीस) यात्रियों को आकर्षित करने के लिए जोर की आवाज नहीं लगाएगा,

(एक्कीस) अधिनियम के अधीन बनाए गए और प्रवृत्त ऐसे किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन रहते हुए, जो कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों पर या उनके सिवाय यात्रियों को चढ़ने या उतरने से प्रतिषेध करते हैं, कण्डक्टर या किसी यात्री की, जो यान से उतरना चाहता हो, मांग या संकेत (सिग्नल) पर और यात्री बनने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या संकेत (सिग्नल) पर, जब तक कि यान में कोई जगह नहीं रह जाती तब तक यान को किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में पर्याप्त समयावधि के लिए आराम करने के लिए लाएगा,

(बाइस) किसी ऐसे यान को यात्रियों या माल को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाये, के सिवाय किसी सार्वजनिक

स्थान में न खड़ा होने देगा और न इधर–उधर घूमने देगा और न ऐसा करने की उसे अनुमति देगा,

(तेइस) किसी अन्य परिवहन यान के ड्राइवर, कण्डक्टर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को उसके कारबार के संव्यवहार करने से न तो अनुचित रूप से रोकेगा और न रोकने की चेष्टा करेगा,

(चौबीस) ऐसे स्थान पर या उसके निकट जहां कोई अन्य सार्वजनिक सेवा यान किसी यात्री को चढ़ाने या उतारने के प्रयोजनों के लिए जब विश्राम करने के लिए अपनी गाड़ी को ला रहा हो तब वह गाड़ी को इस प्रकार नहीं चलाएगा कि अन्य गाड़ी के ड्राइवर या कण्डक्टर या किसी व्यक्ति को, जो उस पर चढ़ रहा हो या चढ़ाने की तैयारी कर रहा हो या उससे उतर रहा हो, खतरा, असुविधा या बाधा पहुँचे और अपनी गाड़ी को अन्य गाड़ी के सामने या उसके पीछे और सड़क या स्थान के बायीं तरफ विश्राम करने के लिए लायेगा,

(पच्चीस) अपनी गाड़ी को हर समय ठीक और सही हालत में रखने के लिए समस्त युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता बरतेगा और जब गाड़ी या उसका कोई ब्रेक, टायर या लैम्प त्रुटिपूर्ण दशा में हो जिससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति पर खतरे की सम्भावना हो या जब गाड़ी की टंकी में पर्याप्त ईंधन न हो जिससे कि वह मार्ग पर अपने पेट्रोल भरने वाले स्टेशन पर पहुँच न सके, जानबूझ कर अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, और

(छब्बीस) माल वाहन का ड्राइवर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रपत्र एस0 आर0– 3 में एक अभिलेख रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) मोटर टैक्सी का ड्राइवर उपनियम (1) में उल्लिखित कर्तव्यों के अलावा (एक) युक्तियुक्त कारण के अभाव में उस गन्तव्य स्थान के लिए निम्नतम दूरी वाले जल्दी से जल्दी पहुँचने वाले मार्ग से आगे बढ़ेगा जिसके लिए गाड़ी को किराये पर उठाया गया है, (दो) न तो अपनी टैक्सी को जब वह इस प्रयोजन के लिए नियत स्टैण्ड से भिन्न स्थान पर रुकने के लिए दिया गया हो और न ही अपनी गाड़ी को भाड़े पर उठाये जाने के लिए किसी सार्वजनिक मार्ग, सड़क या स्थान पर इधर–उधर घूमने की अनुमति देगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (सोलह) में प्रमाणित ड्राइवर के कर्तव्यों की सूची के हिन्दी पाठ की एक प्रति प्रत्येक परिवहन यान में किसी प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी।

निवास स्थान में परिवर्तन

19 चालन अनुज्ञप्ति धारी, किसी अस्थायी अनुपस्थिति के मामले के सिवाय, जिसमें तीन मास से अधिक अवधि के लिए निवास स्थान का परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त न हो, अनुज्ञप्ति में दिए गए अपने अस्थायी या स्थायी पते में किसी परिवर्तन की सूचना ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था या अन्तिम बार नवीकरण किया गया था।

अध्याय– तीन

मंजिली गाड़ियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

अनुज्ञापन प्राधिकारी

20 अधिनियम के अध्याय तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा ज्येष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक या मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता

21 कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी,

परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इन नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो।

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति रखने से छूट के लिए शर्तें

22 (1) जहां किसी आपातकाल में परमिट धारक के लिए उसके मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कण्डक्टर की व्यवस्था करना कठिन हो जाए या जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त कण्डक्टर जो ड्यूटी पर है अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है, वहां किसी मंजिली गाड़ी का ड्राइवर एक माह से अनधिक अवधि के लिए बिना कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य कर सकता है।

(2) किसी मंजिली गाड़ी के ड्राइवर से भिन्न कोई व्यक्ति एक मास से अनधिक अवधि के लिए बिना कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में कार्य कर सकता है यदि –

(एक) वह ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना प्रपत्र एस0 आर0–4 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे देता है जिसकी अधिकारिता के भीतर कण्डक्टर के रूप में कार्य करने का उसका इरादा हो,

(दो) वह कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अनर्ह नहीं है, और

(तीन) वह पूर्व अवसरों पर कुल एक मास से अधिक अवधि के लिए बिना अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में कार्य नहीं किया हो।

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना

23 (1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई नियोजक किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार नियोजित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति प्रपत्र एस0 आर0– 5 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक न हो।

(2) जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी किए जाने या नवीकरण किए जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा और सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होगा।

(3) ऐसे किसी अन्य राज्य द्वारा जिसके साथ इस बिन्दु पर पारस्परिक सहमति हुई हो, जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को इस नियमावली के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति समझी जाएगी।

(4) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र, प्रपत्र एस0 आर0– 6 में उस जिले के जिसमें आवेदक निवास करता हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित

रूप में दिया जाएगा।

(5) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए फीस ऐसी होगी जैसी धारा 30 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट है।

(6) धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र एस0 आर0–7 में होगी।

निवास स्थान में परिवर्तन

24 कण्डक्टर अनुज्ञप्तिधारी,, किसी अस्थायी अनुपस्थिति के मामले के सिवाय जिसमें तीन मास से अधिक अवधि के लिए निवास–स्थाान में परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त न हो, अपने अस्थायी या स्थायी निवास स्थान के किसी परिवर्तन की रिपोर्ट उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी या अन्तिम बार उसे नवीकृत किया गया था।

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति का नवीकरण

25 (1) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र एस0 आर0–8 में दिया जाएगा और इसके साथ कण्डक्टर अनुज्ञप्ति, अपने हाल के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां, धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र और धारा 30 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित फीस होगी और उस क्षेत्र के जिनमें वह साधारणतः निवास करता हो या कारबार करता हो, अधिकारितायुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा।

(2) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई थी, प्रपत्र एस0 आर0– 9 में नवीकरण के तथ्य से उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या अन्तिम बार उसे नवीकृत किया गया था।

अपील प्राधिकारी

26 धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन और धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी उप–परिवहन आयुक्त (विधि एवं न्यायाधिकण), अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा इस हेतु नाम निर्दिष्ट अन्य अधिकारी जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न स्तर का न हो, होगा।

अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई

27 (1) अधिनियम के अध्याय तीन के अधीन कोई अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रति में प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसकी एक प्रति पर न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में पच्चीस रुपये की अवापसी फीस होगी, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश जिसकी अपील की गई हो। आपत्ति के संक्षिप्त आधार दिए जाएंगे और उसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब कोई अपील प्रस्तुत की जाए, तब उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाए ऐसे प्रपत्र में जैसा अपील प्राधिकारी निर्देश दे, नोटिस दी जाएगी।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी अग्रतर जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे उस आदेश की जिसकी अपील प्रस्तुत की जाए, पुष्टि करेगा, उसमें फेर–फार करेगा या उसे अपास्त करेगा और तदनुसार आदेश देगा।

(4) सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

अपने स्वविवेक पर अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां प्रति पृष्ठ दो रुपये फीस की दर से और स्टाम्प अधिनियम के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने पर दे सकेगा।

(5) उप परिवहन आयुक्त (विधि एवं न्यायाधिकरण) या सभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अपील मे हितबद्ध किसी व्यक्ति को प्रति घन्टे या उसके भाग के लिए दस रुपये की फीस और स्टाम्प अधिनियम के अधीन आवेदन–पत्र पर देय दो रुपये की न्यायालय फीस का भुगतान करने पर ऐसी अपीलों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे सकेगा।

अनुज्ञप्ति खो जाने या नष्ट हो जाने पर प्रक्रिया

28 (1) यदि किसी समय अधिनियम के अध्याय तीन के उपबंधों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति, धारक द्वारा खो जाए या नष्ट हो जाए तो धारक प्रपत्र एस0आर0– 10 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति को जारी या अन्तिम नवीकरण किया गया था, तथ्यों की सूचना लिखित रूप में देगा।

(2) उपर्युक्तानुसार सूचना की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, यदि उसका समाधान हो जाए कि एक दूसरी प्रति यथोचित रूप से जारी की जा सकती है, दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करेगा और उस प्राधिकारी को सूचना देगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी या उसे अन्तिम बार नवीकृत किया गया था।

(3) संदेह की स्थिति में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से ऐसा शपथ–पत्र या घोषणा–पत्र दाखिल करने के लिए कि अनुज्ञप्ति जिसके सम्बन्ध में आवेदन–पत्र दिया गया है, वास्तव में खो गई है और अधिनियम के अधीन विहित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं की गई है, कह सकता है, और यदि आवेदक ऐसा करने में असमर्थ हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने से इन्कार कर सकता है।

(4) जहां इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन जारी की गई दूसरी अनुज्ञप्ति पर चिपकाए जाने के लिए फोटाग्राफ अपेक्षित हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपने हाल के फोटोग्राफ की दो स्पष्ट प्रतियां देगा, जिसमें से एक द्वितीय अनुज्ञप्ति पर चिपकायी जाएगी, शेष अन्य प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के लिए रख ली जाएगी।

(5) इस नियम के अधीन जारी की गई दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस नई अनुज्ञप्ति जारी करने की फीस के बराबर होगी।

(6) जब कोई दूसरी अनुज्ञप्ति इस अभ्यावेदन पर कि अनुज्ञप्ति खो गई है, जारी की गई है और बाद में धारक द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पाई जाती है तब उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को दे दिया जाएगा जिसने दूसरी अनुज्ञप्ति जारी की थी।

(7) अनुज्ञप्ति पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति उसे अनुज्ञप्तिधारी को दे देगा या उसे निकटतम पुलिस थाने में जमा कर देगा।

विरूपित या कटी–फटी अनुज्ञप्ति

29 (1) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति द्वारा धृत अनुज्ञप्ति किसी तरह इस प्रकार कट–फट गई है या विरूपित हो गई है कि उसकी युक्तियुक्त सुपाठ्यतः समाप्त हो गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को जब्त कर सकता है और दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

(2) यदि उपर्युक्तानुसार जब्त की गई अनुज्ञप्ति पर धारक का फोटोग्राफ चिपकाया जाना अपेक्षित हो तो –

(एक) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में जब्त की गई अनुज्ञप्ति का फोटोग्राफ सन्तोषजनक हो और उसे दूसरी अनुज्ञप्ति पर सुविधापूर्वक अन्तरित किया जा सकता हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दूसरी अनुज्ञप्ति पर फोटोग्राफ को इस प्रकार अन्तरित कर सकता है, चिपका सकता है और उस पर मोहर लगा सकता है, या

(दो) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन जब्त की गई अनुज्ञप्ति पर चिपकाया हुआ फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि उसे दूसरी अनुज्ञप्ति पर अन्तरित किया जा सके तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी हाल के अपने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिसमें से एक प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति पर चिपकायी जाएगी और उस पर मोहर लगाई जाएगी, एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी और शेष प्रति दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख के लिए रख ली जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन जारी की गई दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस नई अनुज्ञप्ति जारी करने की फीस के बराबर होगी।

अनुज्ञप्ति–फोटोग्राफ का प्रतिस्थापन

30 (1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि अनुज्ञप्ति पर चिपकाया हुआ फोटोग्राफ की धारक से स्पष्ट समानता नहीं रह गई है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक से अनुज्ञप्ति को तुरन्त अभ्यर्पित करने और हाल के अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की तीन स्पष्ट प्रतियां देने की अपेक्षा कर सकता है और धारक ऐसे समय के भीतर जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा और तदनुसार फोटोग्राफ प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति उक्त अवधि की समाप्ति से विधिमान्य नहीं रह जाएगी।

(3) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित फोटोग्राफ की प्रतियां प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति से पुराना फोटोग्राफ हटा देगा और नए फोटोग्राफ की एक प्रति उक्त पर चिपकायेगा और मोहर लगा देगा और अनुज्ञप्ति को आवेदक को लौटा देगा और यदि वह ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था या अन्तिम बार नवीकृत किया गया था तो वह फोटोग्राफ की द्वितीय प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी शेष प्रति अपने अभिलेख के लिए रख लेगा,

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा चाहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस पर चिपकाए गए नए फोटोग्राफ के साथ दूसरी अनुज्ञप्ति जारी करेगा और मूल अनुज्ञप्ति नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी तो वह मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन जारी की गई दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए फीस नई अनुज्ञप्ति जारी करने की फीस के बराबर होगी।

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना

31 (1) जब नियम 28, 29 या 30 के अधीन दूसरी अनुज्ञप्ति जारी की जाए तब उस पर लाल स्याही में स्पष्ट रूप से ''दूसरी प्रति'' चिन्हित किया जाएगा और उस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर सहित दूसरी प्रति के जारी करने का दिनांक चिन्हित होगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो द्वितीय प्रति जारी करता है, ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी तो वह उस प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।

कन्डक्टर का बैज

32 (1) मंजिली गाड़ी का कन्डक्टर अपने सीने के बांयी ओर उस प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा कन्डक्टर की अनुज्ञप्ति दी गई हो, जारी किया गया धातु या प्लास्टिक का बैज संप्रदर्शित करेगा। ऐसा बैज प्रपत्र एस0 आर0– 11 में होगा। ऐसे बैज पर पहचान संख्या के साथ शब्द ''कन्डक्टर'' और अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम उत्कीर्ण होगा। अन्य राज्य द्वारा जिसके साथ इस बिन्दु पर परस्पर सहमति हुई हो जारी किए गए बैज को संप्रदर्शित करने वाले मंजिली गाड़ी के कन्डक्टर को इस नियम के अधीन जारी किया गया बैज संप्रदर्शित करने वाला समझा जाएगा।

(2) कोई कन्डक्टर राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा एक से अधिक बैज धारण नहीं करेगा।

(3) उपर्युक्तानुसार किसी बैज के जारी करने के लिए फीस एक सौ रुपये होगी। यदि बैज खो जाए या नष्ट हो जाए तो दूसरा बैज एक सौ रुपये देने पर उस प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसने उसे पहले जारी किया था।

(4) यदि किसी समय कन्डक्टर अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा निलम्बित या रद्द कर दिया जाये या समय बीत जाने के कारण विधिमान्य न रह जाये तो कन्डक्टर ऐसे निलम्बन, रद्दकरण या अवसान के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था, बैज अभ्यपर्ति कर देगा।

बैज अन्तरित नहीं किया जाएगा

33 (1) कोई कन्डक्टर अपना बैज किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगा और न अन्तरित करेगा।

(2) कन्डक्टर का बैज पाने वाला कोई व्यक्ति जब तक कि वह उसे उस, व्यक्ति को वापस न करे जिसको वह धारक के रूप में जानता है, उसे उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था या उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा जहां वह पाया गया था या उसे निकटतम पुलिस थाने पर जमा करेगा।

कन्डक्टर की वर्दी

34 मंजिली गाड़ी का कन्डक्टर निम्नलिखित वर्दी पहनेगा –

(1) चार पाकेट फ्लैप वाला स्लेटी बुश–शर्ट या कोट,

(2) स्लेटी पतलून, और

(3) स्लेटी टोपी या पगड़ी

मंजिली गाड़ी के कन्डक्टर के कर्तव्य, कृत्य और आचरण

35 (1) मंजिली गाड़ी का कन्डक्टर –

(एक) अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए जहां तक युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो सके अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा,

(दो) जब ड्यूटी पर हो धूम्रपान नहीं करेगा या गाड़ी का संचालन नशे की स्थिति में या ऐसी सीमा तक औषधि के प्रभाव के अधीन रहकर, जिससे कि स्वयं पर समुचित नियंत्रण रखना असम्भव हो जाए, नहीं करेगा,

(तीन) यात्रियों या जाने का इरादा रखने वाले यात्रियों के साथ नागरिक और अनुशासित रीति से व्यवहार करेगा,

(चार) ड्यूटी पर स्वच्छ वर्दी पहनेगा,

(पांच) गाड़ी को साफ सुथरा और स्वच्छ रखेगा,

(छः) शुल्क नागरिक और शान्तिपूर्ण रीति सें मांगेगा, अन्यथा नहीं,

(सात) किसी अन्य गाड़ी में चढ़ने वाले या चढ़ने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा,

(आठ) गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने की क्षमता से अधिक, किसी मंजिली गाड़ी में ले जाये जाने के लिए किसी व्यक्ति को और किसी अतिरिक्त संख्या को जिसे अनुज्ञा–पत्र के निर्बन्धों के अधीन खड़ा होकर ले जाने की अनुज्ञा दी गई है जैसा कि गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट है, अनुमति नहीं देगा,

(नौ) मंजिली गाड़ी में गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक किसी माल को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(दस) उचित और पर्याप्त कारणो के सिवाय विधिक किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी यान को मांगने पर भाड़े पर उठाने से इंकार नहीं करेगा,

(ग्यारह) जहां गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाता हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोपाय करेगा कि माल की उपस्थिति के कारण यात्रियों को काई खतरा या अनुचित असुविधा न हो,

(बारह) उचित और पर्याप्त कारणों के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने विधिक किराये का भुगतान किया है, यात्रा की समाप्ति से पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

(तेरह) इधर–उधर नहीं घूमेगा और न किसी यात्रा में अनुचित विलम्ब करेगा। और अपने गन्तव्य की ओर उतनी निकटता से जितनी गाड़ी से सम्बन्धित समय सारिणी के अनुसार हो सके या जहां ऐसी समय–सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता से बढ़ेगा,

(चौदह) यांत्रिक खराबी या ड्राइवर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से उसके गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ने में असमर्थ हो जाने पर यात्रियों को किसी अन्य तद्सदृश गाड़ी में ले जाने का प्रबन्ध करेगा पर यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात् आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसा प्रबन्ध करने में असमर्थ हो, तो तब मांग किये जाने पर प्रत्येक यात्री को असमाप्त यात्रा, जिसके लिए यात्री ने किराये का भुगतान कर दिया है, सम्बन्धित किराये से समुचित भाग को वापस करेगा,

(पन्द्रह) गाड़ी में ऐसी रीति से जिससे यात्रियों के प्रवेश या बाहर निकलने में रूकावट पैदा हो, किसी चीज को नहीं रखवायेगा या रखे जाने की अनुमति देगा,

(सोलह) माल की ढुलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किराये या भाड़े में भिन्न किसी यात्री या भाड़े पर लेने वाले से कोई किराया

या भाड़ा नहीं मांगेगा और न उसे स्वीकार करेगा,

(सत्रह) जहां आवश्यक हो यात्रियों को गाड़ी में प्रवेश करने या उसे छोड़ने और उनके सामान को चढ़ाने या उतारने में सहायता करेगा। माल चढ़ाते समय कन्डक्टर ऊपर जायेगा और यात्री या उसका अभिकर्ता अपने सामान को ऊपर उठायेगा, जिसे गाड़ी के शीर्ष पर कन्डक्टर द्वारा समुचित रूप से रखा जायेगा, उतारते समय कन्डक्टर यात्री या उसके अभिकर्ता के लिये सामान नीचे करेगा जो जमीन पर खड़े होकर उसको उससे ले लेगा,

(अट्ठारह) ड्राइवर द्वारा कर्मी रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी को रोके जाने के पश्चात् वहां उतरेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि कोई रेलगाड़ी (ट्रेन) या अन्य रेलवे गाड़ी (वेहिकल) रेलवे ट्रेक पर नहीं आ रही है, ड्राइवर को उसे पार करने के लिए संकेत देगा,

(उन्नीस) यात्री गाड़ी में परिवाद पुस्तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा,

(बीस) ड्राइवर की सीट के लिए आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति, पशु या चीज को न रखवायेगा और न वहां उनके होने की अनुमति देगा, जिसके कारण गाड़ी के समुचित नियंत्रण के लिये सड़क की स्पष्ट दृष्टि रखने में उसको रूकावट हो,

(इक्कीस) ऐसे किसी प्रवृत्त नियम या विनियम के अधीन रहते हुए जो यात्रियों को कतिपय विर्निदिष्ट स्थान पर या उसके सिवाय चढ़ाने या उतारने से निषेध करता हो, गाड़ी से उतरने की इच्छा करने वाले किसी यात्री की दशा में और जब तक गाड़ी में स्थान का अभााव न हो, यात्री बनने के लिये इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या संकेत पर पर्याप्त समयावधि तक विश्राम करने के लिए गाड़ी को लाने के लिए ड्राइवर को संकेत देगा,

(बाइस) किसी ऐसी गाड़ी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान और रीति को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों को एकत्र करने के प्रयोजनार्थ न तो खड़ा करायेगा और न इधर–उधर घूमायेगा और न उसको ऐसा करने की अनुमति देगा,

(तेईस) ड्राइवर, कण्डक्टर या किसी अन्य सार्वजनिक सेवायान के प्रभारी व्यक्ति को अपने कारबार के साथ एक साव्यवहार में सदोष न तो रोकेगा और न रोकने का प्रयास करेगा,

(चौबीस) जब तक गाड़ी की अधिकतम यात्री क्षमता पूरी नहीं हो जाती किसी यात्री द्वारा विधिक किराये के भुगतान पर शीघ्र टिकट जारी करेगा,

(पच्चीस) किसी यात्रा के पूर्ण होने पर किसी यात्री द्वारा छूट गयी किसी वस्तु के लिए गाड़ी में युक्तियुक्त तलाशी करेगा और इस प्रकार पायी गई किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और प्रथम युक्तियुक्त अवसर पर अधिक से अधिक 24 घण्टे के भीतर उसे गाड़ी के अनुज्ञा–पत्र धारी के किसी कार्यालय या स्टेशन पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति को या किसी पुलिस थाने पर किसी अधिकारी को सौंपा देगा और उसी तरह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार पायी गई किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और उसका निस्तारण करेगा,

(छब्बीस) ड्राइवर की सहायता करेगा और पीछे से आने वाली अन्य मोटर यानों पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को उनके पहुंचने का संकेत देगा,

(सत्ताईस) जब यह ड्यूटी पर हो यान का प्रयोग अविधिमान्य या अनैतिक प्रयोजनों के लिये किए जाने की अनुमति नहीं देगा,

(अट्ठाईस) जब इंजन गति में हो, ईंधन की टंकी में कोई ईंधन उड़ेलने की अनुज्ञा नहीं देगा,

(उन्नतीस) यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर घायल व्यक्तियों की सहायता करने का और निकटतम पुलिस थाने को तुरन्त सूचना देने का युक्तियुक्त प्रयास करेगा,

(तीस) शिशुओं, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धवय यात्रियों और गोद में बच्चा लिये हुए महिलाओं को गाड़ी में चढ़ने या उससे उतरने में सहायता करेगा,

(इक्कतीस) जब ड्राइवर यान को पीछे कर रहा हो तब यान से उतर जाएगा और यान के ट्रैक में अन्य मोटर गाड़ियों या किसी अन्य बाधा पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को प्रभावी संकेत देगा,

(बत्तीस) यान में किसी विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(तैतीस) सामान गलत जगह ले जाए जाने या उसके खो जाने को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त एहतियात बरतेगा,

(चौंतीस) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह जानता हो या उसे विश्वास करने का करण हो कि वह संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है यान में प्रविष्ट नहीं होने देगा या प्रवेश करने को अनुमति नहीं देगा,

(पैंतीस) किसी यात्री को आकर्षित करने के लिए जोर की आवाज नहीं लगाएगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (पैंतीस) में प्रमाणित कण्डक्टर के कर्तव्यों की सूची के हिन्दी रूपान्तर की एक प्रति प्रत्येक मंजिली गाड़ी में किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगाई जाएगी।

अध्याय – चार

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

अपील प्राधिकारी

36 (1) धारा 57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी उप परिवहन आयुक्त विधि एवं न्यायाधिकण अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा इस हेतु नाम निर्दिष्ट अन्य अधिकारी जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न स्तर का न हो, होगा।

(2) परिवहन आयुक्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी अपील को किसी अन्य अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त के स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो स्थानान्तरित कर सकता है।

अपीलों का संचालन और सुनवाई

37 (1) धारा 57 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें से एक प्रति पर न्यायिकेतर स्टाम्पों के रूप में पच्चीस रुपये की फीस होगी, जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अपीलित आदेश के प्रति संक्षेप में आपत्ति के आधार दिए जाएंगे और उसके साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब कोई अपील प्रस्तुत की जाय, तब रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में जैसा अपील प्राधिकारी निदेश दे, एक नोटिस दिया जाएगा।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात और ऐसी अग्रतर जांच, के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसको अपास्त कर सकता है।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपील प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किसी आदेश के सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत की है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास दाखिल किए गए किसी दस्तावेज की प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपील प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार अधिनियम के अध्याय चार के अधीन प्रस्तुत किसी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करने पर दे सकता है।

(6) अपील प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को प्रति घंटा या उसके भाग के लिये दस रुपये का भुगतान करने पर ऐसी अपील से सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण करने की अनुमति दे सकता है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

38 (1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक या मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाये।

(2) विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी – राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा नये मोटरयानों के विनिर्माण या विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों में से किसी को जो बेचें गए हों ऐसे नये मोटरयानों के सम्बन्ध में मोटर यानों के निर्माण या विक्रय में लगी फर्मों द्वारा निर्मुक्त कर दिए गए हों और तत्काल रजिस्ट्रीकरण पर फर्म के परिसर बाहर किसी स्थान पर जा रहें हैं रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र और अस्थायी चिन्ह जारी करने के लिये धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

परिवहन यानों पर पेन्ट की जाने वाली विशिष्टियां

39 (1) मोटर टैक्सी से भिन्न किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां ऐसे यान के बायीं ओर प्रदर्शित की जायेगी –

(एक) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ————————————

(दो) यान की लदान रहित भार—————————— किलोग्राम/अनलेडन वेट से सूचित

(तीन) यान का सकल यान भार—————————— किलोग्राम/ग्रास व्हेकिल वेट से सूचित

(चार) यात्रियों की संख्या जिनके लिये स्थान की व्यवस्था है ————— यात्रियों से सूचित

(पांच) रजिस्ट्रीकृत अग्र धुरी भार—————————— किलोग्राम/ एफ. ए. डब्ल्यू. से सूचित

(छः) प्रत्येक मध्यवर्ती धुरी यदि कोई हो का रजिस्ट्रीकृत धुरी भार——————————— किलोग्राम/एम. ए. डब्ल्यू. से सूचित

(सात) टायरों की संख्या, प्रकार और आकार

(1) अग्रधुरी ——————————————— संख्या से सूचित

(2) पिछली धुरी ——————————————— संख्या से सूचित

(3) मध्यवर्ती धुरी ——————————————— संख्या से सूचित

(आठ) अधिकतम गति जिस पर यान ट्रेलर सम्बद्ध किए बिना चलाया जा सकता है ———————————————।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ऐसे यान के दाहिने ओर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां देवनागरी लिपि में हिन्दी या अंग्रेजी में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के साथ दी जाएंगी, प्रत्येक विशिष्टी छः मिलीमीटर से कम ऊँची नहीं होगी, समतल सतह पर या यान से चिपकायी गयी प्लेट पर स्पष्टतः पेन्ट की जाएंगी।

(3) इसके अतिरिक्त, उन मार्गों की विशिष्टियां जिन पर मंजिली गाड़ी चलने के लिए प्राधिकृत हो, अनुज्ञापन संख्या और उसकी विधिमान्यता स्पष्ट रूप से हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्रदर्शित की जायेंगी, छत के स्तर पर गाड़ी के सामने लगाए गए किसी पट्ट या प्लेट पर सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग से कम से कम दस मिलीमीटर ऊँची अक्षर होंगे।

(4) धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत यानों को उपनियम (1) के खण्ड (एक), (चार) और (आठ) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र स्वीकृति और जारी करना

40 (1) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा। ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र जारी करने के लिये आवेदन प्रपत्र एस0 आर0—12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके कार्य क्षेत्र में यान रखा जाता हो या जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उस मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल है जहां तक यान से सम्बन्धित परमिट स्वीकृत हो इस दस्तावेज के साथ कि वाहन का कर/अतिरिक्त कर जमा कर दिया गया है और वाहन के प्रति कोई चालान लम्बित नहीं है प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र जारी किया गया था उस पर यान के अगले निरीक्षण के लिए नियत दिनांक पृष्ठांकित कर सकता है और तदनुसार यान का स्वामी यान को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करायेगा।

(3) यदि उप नियम (2) में यथा व्यवस्थित प्रमाण—पत्र पृष्ठांकित नहीं किया गया है यान का तो यान का स्वामी प्रमाण—पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर प्रपत्र एस0 आर0— 13 में आवेदन देगा और ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तत्पश्चात् युक्तियुक्त नोटिस देकर नियत करे, यान को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करायेगा।

(4) यान का स्वामी उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उपनियम (3) के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर यान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह केन्द्रीय नियमावली के नियम 81 की सारिणी की क्रम—संख्या 11 में विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान का दायी होगा।

(5) किसी यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र एक से अधिक नहीं होगा।

(6) यदि कोई यान ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र की समाप्ति के पश्चात्

यांत्रिक खराबी या अन्य कारण से ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना हो, कार्य क्षेत्र के बाहर हो तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी शास्ति के, जिसके लिए स्वामी या ड्राइवर दायी होता, प्रतिकूल होते हुए भी यदि उसकी राय में यान प्रयोग के लिए ठीक हालत में है, प्रपत्र एस0 आर0–14 में पृष्ठांकन द्वारा और ऐसी शर्तों के, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुए ऐसे समय के लिए उसका प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जैसा ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के, जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी किया जाना हो, क्षेत्र में लौटने के लिए यान के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और यान को ऐसे पृष्ठांकन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में चलाकर ले जाया जाएगा, किन्तु उस क्षेत्र को लौटने के पश्चात् उसका तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है;

परन्तु यह कि इस उप नियम के अधीन कोई प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, जो ऐसे अधिकारिता क्षेत्र के जिसमें स्वामी ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करता, बाहर स्थित हो, किसी यान को ऐसा प्राधिकार जारी नहीं करेगा।

(7) यदि कोई यान किसी समय इतना क्षतिग्रस्त हो जाये कि वह साधारण प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाये और किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की राय में मरम्मत के किसी स्थान पर घटायी गई गति पर निरापद रूप से ले जायी जा सकती हो और यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि यह आवश्यक है कि यान को इस प्रकार चलाया जाय, तो कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्रपत्र एस0 आर0 15 में पृष्ठांकन द्वारा उस समय को, जिसके भीतर और ऐसी शर्तों के, जिसके अन्तर्गत गति की सीमा भी है, अधीन यान की मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी विनिर्दिष्ट गन्तव्य स्थान पर चलाया जा सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(8) जहां धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन कोई विहित प्राधिकारी ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र रद्द करता है तो –

(क) यान के स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति को ऐसे रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में देगा,

(ख) उक्त स्वामी या व्यक्ति को प्रपत्र एस0 आर0 16 में मोटर यान के निराकरण के लिये समय विनिर्दिष्ट करते हुए एक अस्थायी प्राधिकार और शर्तें जिनके अधीन यान की मरम्मत के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट गंतव्य स्थान को चलाया जा सकता है, जारी करेगा।

अन्य समयों पर निरीक्षण

41 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना समाधान करने के लिए कि अधिनियम के अध्याय सात और आठ के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है, किसी समय किसी मोटर यान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति से उक्त यान को अपने समक्ष या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर जैसा वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और ऐसे किसी मोटर यान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे निर्देश का पालन करेगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को उक्त यान का निरीक्षण करने के लिए पूर्ण सुविधाओं की अनुमति देगा।

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण

42 (1) अधिनियम की धारा 43 और इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

(2) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रपत्र एस0 आर0–17 में आवेदन जिसमें स्पष्ट रूप से ''अस्थायी'' चिन्हांकित किया जायेगा, सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र प्रपत्र एस0 आर0– 18 में जारी किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र देने वाला प्राधिकारी समस्त मामलों में प्रपत्र एस0 आर0–18 की एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसके क्षेत्र में गाड़ी साधारण रूप से रखी जाएगी;

परन्तु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण–पत्र किसी विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिया जाये, वहां प्रपत्र एस0 आर0–17 की एक प्रति उस प्राधिकारी द्वारा उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भी अग्रसारित की जायेगी जिसके क्षेत्र में उसका मोटर यानों के विनिर्माण या विक्रय का स्थान हो;

परन्तु यह और कि विशेष रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ रखे गए अभिलेख राज्य के परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा , जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो, सभी युक्तियुक्त समय निरीक्षण के लिए सुलभ रहेंगे।

(5) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यान को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा।

(6) उप नियम (5) के अधीन दिये जाने वाले अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में प्रथम अनुसूची में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर, उसके बाद आवंटित संख्या और अक्षर ''टी'' होंगे।

ठीक हालत में होने का कटा–फटा या विरूपित प्रमाण–पत्र

43 यदि किसी समय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि उनके द्वारा या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी किया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र इस प्रकार कट–फट गया है या विरूपित हो गया है कि उसकी युक्तियुक्त पठनीयता समाप्त हो गई है तो वह ऐसे प्रमाण–पत्र को जब्त कर सकता है और प्रमाण–पत्र से आच्छादित यान के स्वामी को यह निर्देश देगा कि वह ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन करे।

ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना

44 (1) यदि किसी समय ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र खो जाये या नष्ट हो जाये तो स्वामी तुरन्त ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसके द्वारा या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, ठीक हालत में होने का दूसरा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए तथ्य की लिखित सूचना देगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, ठीक हालत में होने का दूसरा प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

(2) ठीक हालत में होने के दूसरा प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ एक सौ रुपये की फीस देनी होगी।

विलम्ब से दी गई सूचना के लिए शमन फीस

45 धारा–177 के अधीन किसी कार्रवाई के बदले, जो धारा 41 की उपधारा (13) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिये या धारा 47 की उपधारा (7) के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिये या धारा 49 की उपधारा (4) के अधीन नया पता अभिलिखित कराने के लिए या धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन यान के स्वामित्व का अन्तरण

अभिलिखित कराने के लिए आवेदन–पत्र के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के लिए प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए प्रशमन फीस निम्नलिखित होगी –

(1) अशक्त गाड़ी के सम्बन्ध में एक रुपया।

(2) मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पांच रुपया।

(3) परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान के सम्बन्ध में अशक्त गाड़ी या मोटर साइकिल को छोड़कर पच्चीस रुपया।

(4) परिवहन गाड़ी के सम्बन्ध में पचास रुपया।

परन्तु यह कि शमन फीस की धनराशि किसी भी दशा में सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को निलम्बित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी

46 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उप–परिवहन आयुक्त विधि एवं न्यायाधिकरण को छोड़कर परिवहन विभाग का कोई अधिकारी जो परिवहन कर अधिकारी–1 की श्रेणी से निम्न न हो, धारा 53 के अधीन किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को निलम्बित कर सकता है।

उत्तराखण्ड के भीतर रजिस्टर न किये गये यानो के सम्बन्ध में सूचना

47 (1) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षाओं के अतिरिक्त जब कोई मोटर यान, जो उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड न हो, तीस दिन से अधिक अवधि के लिए राज्य के भीतर रखा गया हो, तब यान का स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के साथ उस क्षेत्र के, जिसमें मोटर यान रिपोर्ट करने के समय हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित की सूचना देगा :–

(एक) अपना नाम और स्थायी पता और तत्समय का अपना पता,

(दो) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह,

(तीन) यान का मेक और ब्यौरा, और

(चार) परिवहन यान की दशा में उत्तराखण्ड के भीतर उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया हो या प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड में विधिमान्यता रखने वाले परमिट से आच्छादित परिवहन यान की दशा में, इस उपनियम के अधीन प्रथम अवसर पर जब अपेक्षित (ड्यू) हो, सूचित करना आवश्यक होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति कर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसा सत्यापन करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, यान के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा यान को पिछली बार रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

(3) इस नियम की कोई बात धारा 60 के अधीन रजिस्टर किये गए मोटर यान पर या नियम 48 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त मोटर यान पर लागू नहीं होगी।

ऐसे यानों को छूट जो विनिर्माताओं या व्यवहारियों के कब्जे में हो

48 किसी ऐसे मोटर यान पर जो मोटर यानों के किसी व्यवहारी के, उसके कारबार के दौरान, कब्जे में हो, धारा 39 तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह किसी ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिसके क्षेत्र में व्यवहारी का अपना कारबार हो, दिये गए व्यापार प्रमाण–पत्र के प्राधिकार के अधीन प्रयोग में लाया जाये और उसका प्रयोग केन्द्रीय नियमावली के नियम 41 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जाये।

राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टरों का रखा जाना

49 (1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसे प्रपत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाये, राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टर रखेगा।
(2) यह रजिस्टर या तो जिल्दबन्द पुस्तक के रूप में या कम्प्यूटर डिस्क या टेप पर हो सकता है।
(3) जैसे ही यान रजिस्ट्रीकृत हो जाये, आवश्यक प्रविष्टियां लेकर उन्हें राज्य मोटर यान से सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
(4) राज्य मोटर यान सम्बन्धी रजिस्टर यान के वर्ग के अनुसार रखा जाएगा अर्थात परिवहन या गैर परिवहन और यदि सभी प्रकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण भारी संख्या में हो तो यानों के विस्तृत वर्गीकरण के अनुसार अर्थात दुपहिया, कार, मालवाहन, ट्रैक्टर आदि के अनुसार जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाये।

रोड रोलरों आदि को छूट

50 सभी रोड रोलरों को अधिनियम के अध्याय चार और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों से छूट होगी।

रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट

51 निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी –
(1) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ट्रेक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव;
(2) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों को ले जाने के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेन्स;
(3) ऐसे मोटर यान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों।

रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना

52 (1) मोटर यानों को रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
(2)केन्द्रीय नियमावली के प्ररूप –20 में आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो दी गयी अन्तिम संख्या के क्रमशः बाद में पड़ती हो और निम्नलिखित उपबन्धो के अधीन होः–

(एक) परिवहन आयुक्त ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरक्षित कर सकता है जिसे राज्य सरकार के वाहनों को दिये जाने के लिये आवश्यक समझा जाय;

(दो) परिवहन आयुक्त समय–समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में इस नियमावली की ''द्वितीय अनुसूची'' में दी गयी संख्या अधिसूचित कर सकता है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिये आरक्षित किये जाने के लिये आकर्षक समझा जाय जिसने उसके लिये आवेदन किया हो और खण्ड (तीन) में यथा विहित शुल्क भुगतान कर दिया हो;

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये शुल्क की दरें निम्नलिखित होगीः–

(क) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–1 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 1,00000;

(ख) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–2 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 60,000;

(ग) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–3 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 50,000;

(घ) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–4 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 20,000;

(ड) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–5 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 5000;

परन्तु यह कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से इस नियम के अधीन कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(चार) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार खण्ड (दो) में अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये लिखित आवेदन करने पर रजिट्रीकर्ता प्राधिकारी इस नियम में यथा विहित शुल्क, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, का अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धान्त के आधार पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करेगा और ऐसी संख्या आरक्षित हो जाने के बाद अन्तरणीय नहीं होगी;

परन्तु यह कि द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या–5 के अधीन इच्छित रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदन की तारीख से अधिसूचित संख्या से भिन्न क्रमानुसार दी गयी अन्तिम रजिस्ट्रीकरण संख्या से एक हजार के अन्दर होगी;

(पांच) आरक्षण शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से किया जायेगा तथा एक बार जमा हो जाने पर किसी भी दशा में वापस नहीं होगा;

(छः) आरक्षित संख्या केन्द्रीय नियमावली के प्ररूप 20 में आवेदन के साथ यान प्रस्तुत करने पर आबंटित की जायेगी। यदि आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार निरस्त की गयी संख्या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है जिसने इस नियम के अधीन विहित शुल्क के साथ उसके लिये आवेदन किया हो;

(सात) इस नियम के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिये आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उन्हें किसी वाहन को आबंटित नहीं किया जायेगा;

(3) मोटर यानों को एक बार दी गई कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायेगी और न ही रद्द की गई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उस मोटर यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गई है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियॉ– प्रतियों की आपूर्ति

53 (1) कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वविवेकानुसार अपने द्वारा रखे गये अभिलेख में रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान की विशिष्टियों की एक प्रति ऐसे किसी व्यक्ति को दे सकता है, जो उसके लिए आवेदन करता है और दस रुपये का न्यायिकेत्तर स्टॉम्प देता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता में मोटर यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और उस पर न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन देय न्यायालय फीस दी गई हो।

चुराये गए या

54 (1) राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को

बरामद किए गए मोटर यानों के सम्बन्ध में सूचना

प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन या उसके पूर्व पूर्ववर्ती कलेण्डर मास की अवधि के सम्बन्ध में एक मासिक विवरणी देगा जिसमें चोरी किए गए मोटर यानो और चोरी हुए ऐसे यानो के, जिन्हें सम्पूर्ण राज्य से बरामद किया गया हो, जिनकी पुलिस को जानकारी हो, सम्बन्ध में सूचना होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित मासिक विवरणी प्रपत्र एस0 आर0 19 में होगी और तीन प्रतियों में होगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्राप्त होने पर, राज्य परिवहन प्राधिकरण समस्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को प्रपत्र एस0 आर0– 19 की प्रतियां भेजेगा।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव और प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी भी यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी हुए और बरामद किए गए मोटर यानों का एक रजिस्टर रखेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत किया जाना

55 जब किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो परिवहन कर अधिकारी–1 से निम्न श्रेणी का न हो या पुलिस अधिकारी जो सब–इन्सपेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाये तब ऐसे मोटरयान का जिसके सम्बन्ध में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, स्वामी या स्वामी की अनुपस्थिति में उसका ड्राइवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–पांच
परिवहन यानों का नियंत्रण

राज्य परिवहन प्राधिकरण

56 (1) राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति निम्नलिखित से होगी

(एक)प्राधिकरण में केवल एक सदस्य होने की दशा में – एक

(दो) प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में – दो,

(तीन)प्राधिकरण में चार या पांच सदस्य होने की दशा में – तीन।

(2) पुनः बुलाई गई बैठक के लिये जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई हो, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष यदि किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम–निर्दिष्ट करेगा।

(4) अध्यक्ष या उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत देगा।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर जैसा अध्यक्ष नियत करे, बैठक करेगा;

परन्तु यह कि प्राधिकरण जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर और अक्तूबर से दिसम्बर की प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(6) सदस्यों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक की सूचना देने की अवधि दस दिन से कम नहीं होगी;

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष की राय में, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आपात बैठक आवश्यक हो, वहां सदस्यों के नोटिस देने की अवधि चौबीस

घण्टे से कम नहीं होगी।

(7) परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय –

(एक) बिना कोई कारण बताये सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के किसी नाम निर्दिष्ट सरकारी या गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल समाप्त कर सकती है,

(दो) धारा 68 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण की संरचना में परिवर्तन कर सकती है और परिणामस्वरूप सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है।

(9) उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण का कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) दो वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम निर्दिष्ट न कर दिया जाय, पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि जब कोई ऐसा सदस्य मर जाय या हटा दिया जाय या उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाय, या वह पद रिक्त कर दे तो उसका उत्तराधिकारी उस सदस्य की जिसका स्थान वह लेता है, पदावधि के शेष भाग के लिए और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम निर्दिष्ट न किया जाये, पद धारण करेगा;

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसकी पदावधि समाप्त हो गई हो, पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

57 (1) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति निम्नलिखित से होगी –

(एक) प्राधिकरण में केवल एक सदस्य होने की दशा में – एक, या

(दो) प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में – दो

(2) किसी पुनः बुलाई गई बैठक के लिए जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई हो, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष यदि किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट करेगा।

(4) अध्यक्ष या उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत देगा।

(5) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसे समयों पर और ऐसे स्थानों पर, बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष नियत करे;

परन्तु यह कि जब तक राज्य परिवहन प्राधिकरण अन्यथा निर्देश न दे, प्राधिकरण दो मास में एक बार से कम बैठक नहीं करेगा।

(6) सदस्यों को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक की सूचना देने की अवधि दस दिन से कम नहीं होगी;

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष की राय में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की आपात बैठक आवश्यक हो वहां सदस्यों को नोटिस देने की अवधि 24 घण्टे से कम नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा।

(8) राज्य सरकार किसी समय–

(एक) बिना कोई कारण बताये सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल समाप्त कर सकती है।

(दो) धारा 68 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण के संरचना में फेरफार कर सकती है और परिणामस्वरूप सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घट या बढ़ा सकती है।

(9) उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) दो वर्ष की अवधि तक और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नाम निर्दिष्ट न कर दिया जाय, पद धारण करेगा।

परिवहन प्राधिकरणों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

58 राज्य या कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अपनी कार्यवाहियों में अभिलिखत सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाय, निम्न प्रकार से प्रत्यायोजित कर सकता है :–

(एक) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को मंजिली गाड़ी,, ठेका गाड़ी,, प्राइवेट सेवा यान या माल वाहनों की परमिट को स्वीकृत करने, इन्कार करने, नवीकरण करने या अन्तरित करने की शक्ति,

(दो) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अस्थायी और विशेष परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(तीन) अपने सम्भाग के भीतर किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अस्थायी परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(चार) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 के अधीन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करने या प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार करने की शक्ति,

(पांच) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 85 और 86 के अधीन यानों का प्रतिस्थापन स्वीकृत करने या प्रतिस्थापन स्वीकृत करने से इन्कार करने से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(छः) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 89 के अधीन दूसरा अनुज्ञा–पत्र जारी करने की

शक्ति,

(सात) अध्यक्ष को धारा 86 की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति,

(आठ) अपने सम्भाग के भीतर सचिव को अनुज्ञापत्रों को निलम्बित करने और धारा 86 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबन्धित कार्यवाही करने की शक्ति,

(नौ) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन–पत्र पर अनुज्ञा–पत्र जारी करने की शक्ति,

(दस) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने, नवीकरण करने, या इन्कार करने की शक्ति,

(ग्यारह) अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को पर्यटन गाड़ी के परमिट को स्वीकृत करने, नवीकरण करने या इन्कार करने की शक्ति,

परन्तु यह कि सचिव यथा स्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष व्यक्ति के द्वारा जिसे इस नियम के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लिखित नियतकालिक रिपोर्ट देगा।

परिवहन प्राधिकरणों के कारबार का संचालन

59 (1) परिवहन प्राधिकरण का कारबार नियमों के अनुसार उसके अध्यक्ष के निर्देश के अधीन संचालित किया जाएगा।

(2) अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए किसी राज्य या संभागीय परिवहन प्राधिकरण को अपने कारबार के संचालन को विनियमित करने के लिए उपविधियां बनाने की शक्ति होगी।

(3) सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी बैठक में विचार करने के लिए कार्यसूची के मदों को अन्तिम रूप देगा, कार्यसूची के प्रत्येक मद का विस्तृत टिप्पणी (नोट) तैयार करेगा और प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची की एक प्रति ऐसी बैठक के कम से कम पांच दिन पूर्व देगा;

परन्तु यह कि किसी आपात बैठक की दशा में, कार्यसूची बैठक के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उपस्थित सदस्यों को दी जा सकती है।

(4) साधारणतया, समस्त मामलों का विनिश्चय किसी नियमित बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, बहुमत के आधार पर किया जायेगा। मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष का यह विचार है कि किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा अत्यावश्क विनिश्चय की आवश्यकता है और प्राधिकरण की बैठक सुविधापूर्वक बुलाई नहीं जा सकती है और ऐसा मामला परिचालन द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों

की राय प्राप्त करके समुचित रूप से विनिश्चित किया जा सकता है, तो वह मामलें को परिचालन द्वारा ऐसी राय आमंत्रित कर सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन अंगीकृत प्रक्रिया की दशा में, सचिव, प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को मामले की ऐसी विशिष्टियां भेजेगा, जैसा सदस्य को किसी विनिश्चय पर पहुंचने में समर्थ होने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और वह दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जब तक प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्यों का मत प्राप्त हो जाना है। उपर्युक्तानुसार सदस्यों का मत प्राप्त होने पर सचिव पत्रादि अध्यक्ष के समक्ष रखेगा जो प्राप्त मतों और अध्यक्ष द्वारा दिए गए मत या मतों के अनुसार यथास्थिति, आवेदन–पत्र के प्रपत्र या अन्य दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा विनिश्चय अभिलिखित करेगा। डाले गए मतों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जायेगा और प्राधिकरण के किसी सदस्य के सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। कोई विनिश्चय उस दिनांक के पूर्व जब तक सदस्यों का मत प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचना अपेक्षित है, परिचालन के माध्यम से नहीं किया जायेगा, प्राधिकरण के एक तिहाई से कम सदस्य सचिव को लिखित नोटिस द्वारा यह मांग नहीं कर सकते हैं कि मामले को प्राधिकरण की बैठक में निर्दिष्ट किया जाय।

(6) अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत को छोड़कर परिचालन द्वारा किये जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए आवश्यक मतों की संख्या गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या से कम नहीं होगी।

(7) यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट के लिए किसी आवेदक को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और तब तक परमिट देने से इन्कार कर सकता है जब तक आवेदक या तो स्वयं या अपने द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से इस प्रकार उपस्थित न हो जाये या जब तक आवेदक ने ऐसी सूचना न दी हो जैसी आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो।

(8) इस नियम में दी गई कोई बात किसी राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को परिचालन के माध्यम से ऐसे किसी विषय का, जिस पर किसी बैठक में विचार किया गया हो या जो सुनवाई का विषय हो और जिस पर विनिश्चय आरक्षित किया गया हो, विनिश्चय करने से नहीं रोकेगी।

(9) जब किसी विषय का विनिश्चय राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों द्वारा किया जाये, तब प्राधिकरण के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा और किसी भी ओर से डाले गए मतों की संख्या के अभिलेख के सिवाय मतों का कोई अभिलेख नहीं रखा जायेगा, परन्तु जब किसी विषय का विनिश्चय अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग करके किया जाये, तब तथ्य को अभिलिखित किया जायेगा।

(10) यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव समुचित रूप से जिल्दबन्द कार्यवृत्त पुस्तक रखेगा जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन बैठक का कार्यवृत्त चिपकाया जायेगा। कार्यवृत्त पुस्तक अध्यक्ष को, जब भी उसके द्वारा अपेक्षा की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) जब राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवहन यानों के लिए कोई परमिट जारी किया जाये तब वह सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को, जिनकी अधिकारिता में यान संचालन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निम्नलिखित विशिष्टियों की

संसूचना देगा ;

(एक) उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसको परमिट जारी किया गया हो;

(दो) परमिट की संख्या;

(तीन) अवधि, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो;

(चार) मार्ग, जिस पर या क्षेत्र जिसमें यान का प्रयोग किया जाएगा;

(पांच) जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम;

(छः) परमिट से आच्छादित यान या यानों की रजिस्ट्रीकृत संख्या;

(सात) यात्रियों की अधिकतम संख्या या अधिकतम भार।

(12) जब धारा 82 के उपबन्धों के अधीन कोई परमिट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरित किया जाये या धारा 83 के अधीन जब किसी परमिट के धारक को समान प्रकार और क्षमता के दूसरे यान द्वारा यान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गई हो या जब धारा 86 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी परमिट को रद्द या निलम्बित किया जाय तो तथ्य की सूचना उपनियम (11) में उल्लिखित प्राधिकारियों को दी जायेगी।

परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट

60 (1) प्रत्येक सभागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्तूबर और 7 जनवरी को या उससे पूर्व तिमाही देगा सूचना, जिसमें प्राप्त हुए परमिटों, स्वीकृत हुए, नामंजूर हुए, स्थगित हुए आवेदन पत्रों की संख्या हो, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती तीन कलेन्डर मास का विस्तृत ब्यौरा समाविष्ट हो।

(2) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर समेकित सूचना राज्य परिवहन प्राधिकरण की सूचना के साथ उप–नियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक कलेन्डर के तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन को या उसके पूर्व राज्य सरकार को देगा।

परिवहन प्राधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन

61 प्रत्येक संभागीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रत्येक विनिश्चय को यथास्थिति सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

ठेका गाड़ियों और प्राइवेट सेवा यानों के परमिटों के लिए आवेदन– पत्र और उसका निस्तारण

62 राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अपने कारबार का इस प्रकार प्रबन्ध करेगा कि ठेका गाड़ियों और प्राइवेट सेवा यानों के परमिट के लिए आवेदन–पत्रों को साधारणतया प्राधिकरण के कार्यालय में उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर निस्तारित कर दिया जाये।

परमिटों के लिए आवेदन–पत्र

63 परमिट के लिए आवेदन–पत्र, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में रखे गए रजिस्टर में उसी क्रम में प्रविष्ट किये जायेंगे, जिसमें वे प्राप्त किये जायें। इस रजिस्टर का नियमित निरीक्षण अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किये गए ज्येष्ठ

अधिकारी द्वारा किया जायेगा। परमिटों के लिए उपलब्ध मार्गों को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर या स्थानीय समाचार–पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जायेगा। परमिट के लिए आवेदन–पत्र में विशिष्टतः बस के स्वामित्व और आवेदक की सामान्य ख्याति या चरित्र के बारे में उल्लेख होगा। प्राधिकरण द्वारा ऐसे समस्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा और नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा।

आवेदन–पत्र पर सुनवाई

64 (1) जब राज्य या किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में परमिट के लिए किसी आवेदन–पत्र पर विचार किया जाये और आवेदक अपने आवेदन–पत्र के समर्थन में सुनवाई किये जाने के लिए इच्छुक हो या उसे नियम 59 के उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित होने के लिए बुलाया गया हो तब या तो वह स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले का संचालन कर सकता है या कोई अनुमोदित अभिकर्ता उसका प्रतिनिधित्व कर सकता हैः

परन्तु यह कि स्थायी मंजिली गाड़ी के परमिट के लिये किसी आवेदन–पत्र पर यदि वह अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये हो, ऐसे मार्ग या क्षेत्र की अनुमोदित स्कीम में यथा उपबंधित के सिवाय विचार नहीं किया जायेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आवेदक से इस निमित्त एक घोषणा या शपथ–पत्र दाखिल करने को कह सकता है कि यान के सम्बन्ध में कोई अन्य परमिट विद्यमान नहीं है।

(3) परमिट के लिए आवेदन–पत्र पर विचार करते समय राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सड़क परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) प्रचालन के लिए उदारीकरण नीति को ध्यान में रखेगा।

परमिट के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र

65 परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में से किसी एक में होगा, अर्थात् –

(एक) मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 20 में;
(दो) ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 21 में;
(तीन) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 22 में;
(चार) निजी (प्राइवेट) सेवा यान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 23 में;
(पांच) अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 24 में;
(छः) विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 25 में;

परमिट के लिए फीस और प्रपत्र

66 (1) प्रत्येक परमिट निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र में होगा, अर्थात्–

(एक) मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 26 में;
(दो) ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 27 में;
(तीन) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 28 में;
(चार) निजी (प्राइवेट) सेवा यान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 29 में;
(पांच) अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 30 में;
(छः) विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0 आर0 31 में

(2) जहां परमिट एक से अधिक यान का हो, वहां उसकी एक प्रति परमिट द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक यान के सम्बन्ध में जारी की जायेगी और ऐसी प्रत्येक प्रति में परमिट की संख्या के साथ–साथ परमिट की संख्या के पश्चात् कोष्ठक में अलग–अलग क्रम संख्या होगी। प्रत्येक ऐसी प्रति पर ऐसे

प्राधिकारी का, जिसके द्वारा परमिट जारी किया जाय और ऐसे प्राधिकारी का जिसके द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय, हस्ताक्षर होगा और उसकी मोहर लगायी जायेगी।

(3) किसी परमिट का धारक, यथास्थिति, परमिट की सुसंगत प्रति या अस्थायी परमिट को रखने के लिए स्वच्छ और पठनीय दशा में शीशे के चमकदार या अन्य उपयुक्त पात्र (कन्टेनर) में ले जाने की व्यवस्था करायेगा जो कि यान के आन्तरिक भाग में इस प्रकार ले जाया जायेगा या चिपकाया जायेगा जिससे कि वह किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(4) परमिट दिये जाने के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाय।

नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुमोदित मोटर यानों के लिए परमिट

67 धारा 66 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुमोदित मोटर यानों पर लागू होंगे।

परमिट की शर्तें

68 परिवहन प्राधिकरण अपने द्वारा स्वीकृत प्रत्येक परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तें लगायेगा।

(एक) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (संख्या 12, वर्ष 2003) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाय या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (संख्या 12, वर्ष 2003) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक भुगतान नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि परमिट के धारक ने जानबूझकर ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है;

(तीन) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा;

(चार) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;

(पांच) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा;

(छः) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसको आगे बढाने के लिये परमिट प्राप्त किया

जाय और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, बोनट, फ्रन्ट, स्क्रीन, बिण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय गाड़ी पर प्रदर्शित किया जा सकता है;

परन्तु यह कि किसी विषय का विज्ञापन यान के ऊपर लगाए गए या रखे गये किसी सारवान विवरण को न तो ढकेगा और न उसके 20 सेन्टीमीटर से कम की दूरी पर होगा।

(सात) परमिट को परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

मंजिली गाड़ियों के लिये परमिट की विशेष शर्तें

69 परिवहन प्राधिकरण किसी मंजिली गाड़ी के लिये निम्नलिखित में से एक से अधिक शर्तें लगा सकता है –

(एक) परमिट धारक या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या ड्राइवर या कन्डक्टर या परमिट धारक के नियोजन में वेतनधारी लिपिक से भिन्न कोई व्यक्ति यान नहीं चलाएगा;

(दो) यान प्रत्येक यात्रा में उस पूरे मार्ग को तय करेगा जिसके लिये परमिट दिया गया हो;

(तीन) ड्राइवरों और कन्डक्टरों की ड्यूटी सूचियों की प्रतियां गाड़ी पर और मार्ग पर विनिर्दिष्ट स्टेण्डों और हॉल्टों पर प्रदर्शित की जायेंगी;

(चार) यान पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनिर्दिष्ट की जायें और ऐसी दरों पर जैसी डाक प्राधिकारियों के परामर्श से परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायें, डाक ले जाई जायेगी;

(पांच) (क) किसी मंजिली गाड़ी में यात्रियों का सामान 25 किलोग्राम प्रति यात्री तक निःशुल्क ले जाया जायेगा;

(ख) निम्नलिखित को यात्री का सामान समझा जायेगा और मंजिली गाड़ी की छत पर निःशुल्क ले जाया जायेगा –

सन्दूक में हैण्ड हारमोनियम, हाथ सिलाई मशीन, पोर्टेबिल ग्रामोफोन, पोर्टेबिल टाइपराइटर, रेडियो (समुचित रूप से पैक किया गया हो यदि कि वह सीट के नीचे नहीं ले जाया जा सकता) ड्राई 6 बोल्ट बैटरी,

(ग) निम्नलिखित पर पृथक–पृथक प्रभार लिया जायेगा जैसे 18 किलोग्राम वाली बच्चों की ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग कैम्प कॉट, फोल्डिंग मेज या फोल्डिंग कुर्सी जिसका वजन 18 किलोग्राम से अधिन न हो;

(घ) निम्नलिखित पर पृथक–पृथक प्रभार लिया जायेगा, जैसे– 37 किलोग्राम बाइसाइकिल, नान फोल्डिंग कुर्सियां, चाय की मेजें, छोटी अल्मारियां या रैक ,शैय्या आदि जो सुविधापूर्वक बस पर ले जायी जा सकती हो और जिसका वजन 37 किलोग्राम से अधिक न हो;

(ड) निम्नलिखित वस्तुओं के लिये कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा – बशर्ते वे उन यात्रियों द्वारा जिनकी वस्तुएं हों, दखल की गई सीट के नीचे ले जायी जा सकती हों –, बन्द टिन में घी, थर्मस फलास्क, छोटा टिफिन कैरियर या छोटा टिफिन केस, स्टिक और छाता, चाइना टी सैट, छः टम्बलर और ग्लास, जग का एक सेट,

छोटी अटैची केस, पुस्तक, फल या खाने की वस्तुएं, टेबुल पंखा (पैक किया हुआ) और टाइपराइटर (स्टैन्डर्ड, जो पैक किया गया हो) परन्तु एक यात्री केवल अपनी सीट के नीचे एक ऐसा बन्डल ले जा सकता है;

(छः) जब लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा के हित में या आपातकाल में, परिवहन प्राधिकरण, जिसके द्वारा परमिट जारी किया जाय, परमिट धारक को किसी मंजिली गाड़ी को ऐसे मार्ग पर या परमिट में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये निदेश जारी करता है, तब परमिट धारक मंजिली गाड़ी को ऐसे मार्गों पर या ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि के दौरान और ऐसे समय पर, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रयोग करेगा।

ठेका गाड़ियों और माल वाहनों के लिये परमिट की विशेष शर्तें

70 परिवहन प्राधिकरण किसी ठेका गाड़ी परमिट या माल वाहन परमिट में यह शर्त लगा सकता है कि यान को परमिट धारक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या ड्राइवर या कन्डक्टर या परमिट धारक के नियोजन में वेतन भोगी लिपिक से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं चलायेगा।

ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें

71 मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाड़ी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी—

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा—

यात्रियों की सूची

मोटर यान की संख्या .... दिनांक ....प्रस्थान का समय ....से ....तक।

——

—

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

——

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा ऐसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी,

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर

प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) परमिट धारक दिन–प्रतिदिन की वार्षिक लॉग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राइवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पहुंचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा,

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उर्पयुक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लॉगबुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लॉग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी:

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गए किसी ठेका गाड़ी पर लागू नहीं होगी।

मुख्तारनामा के माध्यम से परिवहन यानों का प्रचालन

72 (1) मुख्तारनामा के माध्यम से किसी परिवहन यान का प्रचालन ऐसे परमिट धारक के मामले के सिवाय अनुज्ञेय नहीं होगा जो –

(एक) अविवाहित महिला हो या यदि विवाहित हो तो उसका पति से विवाह विच्छेद या प्रथक्करण हो गया हो या विधवा हो,

(दो) अल्पवयस्क हो जिसके पिता की मृत्यु हो गयी हो,

(तीन) पागल या मूर्ख हो,

(चार) ऐसा व्यक्ति हो जो अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण परिवहन यान का प्रचालन का प्रबन्ध करने में असमर्थ हो,

(पांच) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा हो और उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो,

(छः) भारतीय संघ के सैनिक, नाविक या वायु सेवा में हो,

(सात) निरुद्ध या कारावास में हो।

(2) किसी परिवहन यान के मुख्तारनामा के अधिकार के अधीन प्रचालन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्तारनामा रजिस्ट्रीकृत न हो और उसकी एक प्रति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत न कर दी गई हो, इस शर्त का अनुपालन करने में विफलता अनुज्ञा–पत्र के रद्दकरण के लिये विधिमान्य आधार बन जायेगा।

परमिट पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि

73 अस्थायी परमिट के मामले के सिवाय, जहां यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि किसी परमिट पर किया जाना हो और आवेदन पत्र के दिनांक को सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत यान आवेदक के कब्जे में न हो, वहां वह परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदन–पत्र की स्वीकृति के दिनांक से एक मास के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि के लिये, जैसी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिससे कि परमिट में विशिष्टियां या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि की जा सके।

परमिट की स्वीकृति का प्रतिसंहरण

74 कोई परमिट तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि परमिट से सम्बन्धित यान के रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टि उसमें न कर दी गई हो। यदि कोई आवेदक नियम 73 के अधीन अनुमत समय के भीतर बिना युक्तियुक्त कारण के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो परिवहन प्राधिकरण परमिट देने की स्वीकृति का प्रतिसंहरण कर सकता है।

अस्थायी परमिट

75 (1) यदि राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसा चाहता है तो उत्तरांचल कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (संख्या 12, वर्ष 2003) और तद्धीन बनाये गए नियमों के अधीन कर के भुगतान से सम्बन्धित ऐसी शर्तों के, जैसी वह उचित समझे, अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को, चाहे वह उसके अधीन प्रयोग किए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी हो या न हो, अस्थायी परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।
(2) जब अस्थायी परमिट के लिये आवेदन–पत्र देने के समय आवेदक के कब्जे में यान नहीं है या उसने यान को किराये पर लेने की संविदा नहीं की है या अन्यथा राज्य या सम्भागीय परिहवन प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि वह समुचित और पर्याप्त कारणों से परमिट के अधीन प्रयोग किये जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विनिर्दिष्ट करने में असमर्थ है तब यथास्थिति, राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाये कि अन्यथा अनावश्यक असुविधा हो जायेगी, उसमें रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए बिना ही अस्थायी परमिट जारी कर सकता है और यदि वह उचित समझे तो परमिट की शर्त के रूप में अस्थायी परमिट के प्राधिकार के अधीन प्रथम यात्रा के प्रारम्भ के 24 घण्टे के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि के भीतर जैसी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की विशिष्टियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की आवेदक से अपेक्षा कर सकता है।
(3) अस्थायी परमिट की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी ऐसे यान के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया गया है जो सम्यक रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिसके सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का कोई विधिमान्य प्रमाण–पत्र नहीं है या जो अधिनियम या तद्धीन बनाये गए नियमों के किन्हीं प्राविधानों का अन्यथा उल्लंघन करता है।
(4) अस्थायी परमिट की स्वीकृति के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाये।

परमिट के विधिमान्यकरण के क्षेत्र का विस्तार

76 (1) धारा 88 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, जिसने किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट जारी किया हो (जिसे आगे मूल परिवहन प्राधिकरण कहा गया है) राज्य के भीतर किसी अन्य सम्भाग में परमिट के प्रभाव का विस्तार कर सकता है और उस सम्भाग के सम्बन्ध में परमिट में शर्त लगा सकता है और विभिन्न सम्भागों में परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, परन्तु यह कि यान जिसका परमिट है, सामान्यतया मूल परिवहन प्राधिकरण के सम्भाग के भीतर और निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रखी जाये।
(2) मूल परिवहन प्राधिकरण किसी अन्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किसी सामान्य या विशेष संकल्प के अनुसार ऐसा परमिट जारी कर सकता है जिसकी किसी अन्य सम्भाग में विधिमान्यता हो और इस प्रकार जारी किये गये किसी परमिट का अन्य प्राधिकरण के सम्भाग में तत्समान प्रभाव होगा, मानो वह उस अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी की गई हो।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई मूल परिवहन प्राधिकरण मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी का परमिट, जिसका प्रभाव किसी अन्य सम्भाग या सम्भागों में होगा, जारी कर सकता है यदि वह परमिट में यह शर्त लगाता है कि यान का प्रयोग केवल मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र से प्रारम्भ होकर और क्षेत्र में समाप्त

होने वाली किसी यात्रा के लिये संविदा के अधीन किया जायेगा।

(4) इस नियम की किसी बात का प्रभाव किसी परमिट के धारक के परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी को आवेदन करने के अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

(5) प्रतिहस्ताक्षर के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

पर्वतीय मार्गों पर परमिट की विधिमान्यता

77 धारा 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक पर्वतीय सम्भाग का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पर्वतीय मार्गों के लिये परमिट जिसके अन्तर्गत अस्थायी परमिट भी है, स्वीकृत कर सकेगा, जो राज्य के भीतर अन्य पर्वतीय सम्भाग के या सम्बन्धित अन्य सम्भागों में से प्रत्येक सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा, और ऐसे परमिट के जारी किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों की प्रतियां यथाशीघ्र भेजेगा।

परमिटों की आवश्यकता से छूट

78 निम्नलिखित के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले किसी परिवहन यान के लिये धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन परमिट अपेक्षित नहीं होगा—

(एक) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त किसी संगठन द्वारा अस्पृष्यता हटाये जाने और अनुसूचित जाति कल्याण कार्य के सम्बन्ध में,

(दो) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित खादी एवं ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में,

(तीन) इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विनिर्मित अत्यन्त परिष्कृत पुर्जो (सोफिस्टिकेटेड कम्पोनेन्ट्स) के प्रदर्शन के लिये इलैक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शन गाड़ी के सम्बन्ध में,

(चार) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संगठन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण कार्य के सम्बन्ध में।

मंजिली एवं ठेका गाड़ियों में माल ले जाने की शर्तें

79 निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजिली और ठेका गाड़ियों में माल ले जाया जा सकता है —

(एक) किसी डबल—डेक्ड मंजिली गाड़ी के शीर्ष डेक पर कोई माल नहीं ले जाया जायेगा,

(दो) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में किसी समय कोई ऐसा माल, जिसमें यान के आन्तरिक भाग के दूषित या अस्वच्छ होने की संभावना हो, नहीं ले जाया जायेगा,

(तीन) परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिषिद्ध माल किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में नहीं ले जाया जायेगा,

(चार) कोई ऐसा माल नहीं ले जाया जायेगा जिसके ले जाये जाने से परिवहन प्राधिकरण द्वारा आरोपित शर्तों का उल्लंघन होता हो,

(पांच) किसी मंजिली गाड़ी का प्रयोग माल ले जाये जाने के लिए नहीं किया जायेगा, जिससे कि लोक सुविधा को रूकावट उत्पन्न हो जाय या उसके द्वारा यात्री परिवहन के लिए मांग की पूर्ति न हो सके,

(छः) ठेका गाड़ी में विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से और परमिट में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अधीन के सिवाय कोई माल नहीं ले जाया जायेगा,

(सात) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में कोई माल तब तक नहीं ले जाया

जायेगा जब तक कि वह ऐसी प्रकृति का और इस प्रकार पैक न किया गया न हो कि यान में ले जाने पर वह किसी यात्री के लिए कोई खतरा, असुविधा या कष्ट उत्पन्न करे और परमिट में विनिर्दिष्ट सीटों की संख्या यात्रियों के उपयोग के लिये खाली रखने और इस नियमावली के अधीन अपेक्षित यान के प्रवेश और निकास मार्गों में कोई अड़चन पैदा करे,

(आठ) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में कोई ऐसा माल नहीं ले जाया जायेगा जिसका भार, यान में ले जाये जाने वाले यात्रियों के निजी सामान के भार और यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात यात्रियों की संख्या में दो (ड्राइवर और कन्डक्टर) को जोड़कर प्राप्त संख्या को 59 से गुणा करके किलोग्राम में गणना करके निकाले गए भार को मिलाकर, यान के सकल यान भार में से लदान रहित भार को घटाकर निकाले गए भार के अन्तर से अधिक हो।

माल वाहनों में पशुओं को ले जाया जाना

80 (1) कोई मवेशी किसी माल वाहन में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं ले जाया जायेगा, जब तक कि –

(एक) बकरी, भेड़, हिरण या सुअर की दशा में यान में, ऐसे मवेशियों के लिए प्रति पशु न्यूनतम 60 सेन्टीमीटर गुणा 60 सेन्टीमीटर फर्श के स्थान की व्यवस्था न हो

(दो) किसी अन्य मवेशी की दशा में –

(क) प्रति अदद मवेशी के लिये न्यूनतम 210 सेन्टीमीटर गुणा 90 सेन्टीमीटर फर्श के स्थान और ऐसे मवेशी के बच्चों के लिए जिनका दूध छुड़ा दिया गया हो, ऐसे फर्श स्थान के आधे की व्यवस्था यान में न हो,

(ख) लदान के लिए यान का ढांचा (लोड बॉडी) मजबूत लकड़ी के तख्तों या लोहे की चादरों से निर्मित होने के साथ–साथ यान के फर्श से चारों ओर और पीछे से मापी गई न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर न हो,

(ग) यान के चारों तरफ में बंधी हुई रस्सियों से मवेशी समुचित रूप से सुरक्षित न हो,

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ मवेशी के अन्तर्गत बकरी, भेड़, भैंस, बैल, हिरन, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, सुअर, इनकी मादा (फीमेल्स) या उनके बच्चे भी सम्मलित हैं।

(2) सर्कस, प्राणिशाला या अजायबघर से सम्बन्धित या उसके लिये आशयित किसी पशु को किसी माल वाहन में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं ले जाया जायेगा जब तक कि –

(एक) जंगली या भयानक पशु की दशा में पशु को हमेशा सुरक्षित रूप से रखने के लिये पर्याप्त मजबूती का एक उपयुक्त पिंजड़े की प्रयोग की गई गाड़ी के लोड बाडी से पृथक या उसके अभिन्न भाग के रूप में व्यवस्था न की गई हो, और

(दो) प्रत्येक पशु के लिये युक्तियुक्त फर्श स्थान की व्यवस्था गाड़ी में न हो।

(3) उपनियम (1) के अधीन कोई मवेशी या उपनियम (2) के अधीन कोई पशु ले जाते समय कोई माल वाहन 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलाया जायेगा।

अनावश्यक परमिटों को रद्द किया जाना

81 जब कोई परमिट प्रथम आवेदन–पत्र पर किसी विशिष्ट यान या यानों की सेवा के सम्बन्ध में एक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया हो, और यह प्रतीत हो कि परमिट –
(क) उस यान के सम्बन्ध में, या
(ख) यानों की सेवा के सम्बन्ध में, स्वीकृत किया गया है, जो आवेदन–पत्र के समय परमिट धारक के कब्जे में जितने यान हैं उससे अधिक संख्या में यान के प्रयोग की अपेक्षा करता हो, किसी अन्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भी स्वीकृत किया गया है तब सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा कोई एक परमिट जारी किया गया था दूसरे प्राधिकरण से परामर्श करके तुरन्त ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे परमिट को रद्द या उपान्तरित कर सकता है।

परमिटों का नवीकरण

82 (1) परमिट का नवीकरण करने वाला राज्य अथवा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण धारक को परमिट प्रस्तुत करने के लिये कहेगा और प्रस्तुत करने पर नवीकरण पृष्ठांकित करेगा और तदुपरान्त उसे धारक को वापस कर देगा।
(2) परमिट के नवीकरण की फीस वही होगी जैसा नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट है।
(3) परमिट का नवीकरण करते समय परिवहन प्राधिकारी परिवहन यान की वर्तमान यांत्रिक स्थिति, और पूर्ववर्ती पॉच वर्षो में ऐसे यान के दुर्धटनाओ तथा चालान के अभिलेखों को ध्यान में रखेगा।
(4) यान का यांत्रिक निरीक्षण मोटरयान का तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट राजपत्रित सरकारी सेवक होगा।

परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

83 (1) नियम 84 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र लिखित रूप में सम्बंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे प्रतिहस्ताक्षर की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दिया जायेगा।
(2) यदि किसी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र के समय परमिट, जो ऐसे प्राधिकरण द्वारा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था नवीकरण के अधीन हो, उपलब्ध न हो तो आवेदन पत्र में यह तथ्य उल्लिखित किया जायेगा और परमिट की संख्या और दिनांक, ऐसे प्राधिकरण का नाम जिसके द्वारा वह स्वीकृत किया गया था, उसकी समाप्ति का दिनांक और नवीकृत किये जाने वाले प्रतिहस्ताक्षर की संख्या और दिनांक भी उल्लिखित किया जायेगा।

(3) प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण स्वीकृत करने वाला राज्य अथवा सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण धारक से परमिट को यदि वह प्रस्तुत न किया गया हो प्रस्तुत करने के लिये कहेगा और इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षर की विधिमान्यता को पृष्ठांकित करेगा कि वह परमिट की विधिमान्यता के समकालिक हो जाये और उसे धारक को वापस करेगा।

(4) प्रतिहस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये फीस वही होगी जैसी नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट है।

परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में नवीकरण का विधिमान्यकरण

84 (1) ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा कोई परमिट नवीकृत किया जाय, जब तक ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो, परमिट की समाप्ति के दिनांक के पूर्व समाप्त न किये जाने पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, उसी तरह परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण को पृष्ठांकित कर सकता है (समुचित प्रपत्र में दी गई रीति में) और ऐसी दशा में, ऐसे प्राधिकारी को नवीकरण की सूचना देगा।

(2) जब तक कोई परमिट जैसा उपनियम (1) में उपबन्धित है, पृष्ठांकित न किया गया हो या जब तक प्रतिहस्ताक्षर की विधिमान्यता की अवधि प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित न कर दी गई हो, तब तक उसमे उल्लिखित समाप्ति के दिनांक के बाद प्रतिहस्ताक्षर का कोई प्रभाव नहीं होगा।

परमिटों द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन

85 (1) यदि परमिट का धारक किसी समय परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी यान को दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहता है तो वह नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रपत्र एस0 आर0– 32 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, कारण उल्लिखित करते हुए कि क्यों प्रतिस्थापन वांछित है, आवेदन करेगा और –

(एक) यदि नया यान उसके कब्जे में हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अग्रसारित करेगा, या

(दो) यदि नया यान उसके कब्जे में नहीं है तो कोई सारवान विशेषता उल्लिखित करेगा जिसके लिये नया यान पुराने से भिन्न हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण स्वविवेकानुसार आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकता है –

(एक) यदि उसने आवेदन पत्र के पूर्व धारा 71 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अपने आशय का युक्तियुक्त नोटिस दिया हो, या

(दो) यदि प्रस्तावित नया यान पुराने यान से सारवान भिन्नता रखता हो।

(तीन) यदि परमिट धारक ने परमिट के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो या ऐसे मामलों के सिवाय जहां कोई जब्त यान सीधे क्रय किए गए किसी यान से प्रतिस्थापित किया गया हो किसी क्रय–विक्रय करार के उपबन्ध के अधीन पुराने यान के कब्जे से वंचित कर दिया गया हो।

(3) यदि सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण इस नियम के अधीन यान के

प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पत्र स्वीकृत करे तो वह परमिट धारक को परमिट और नये यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, यदि उसे पहले न दिया गया हो, प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन तद्नुसार परमिट को ठीक करेगा और उसे धारक को वापस कर देगा।

परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में प्रतिस्थापन आदेश का विधिमान्यकरण

86 (1) नियम 85 के अधीन किसी यान के प्रतिस्थापन के लिए अनुज्ञा देने वाला प्राधिकारी, जब तक ऐसा प्राधिकारी ने जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया था सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अन्यथा निदेश न दिया हो, परमिट में किए संशोधन को सम्बन्धित प्राधिकारी का नाम बढ़ाते हुए शब्द''........................के लिए भी विधिमान्य'' के साथ पृष्ठांकित करेगा और प्रतिस्थापन का तथ्य और विशिष्टियां ऐसे प्राधिकारी को सूचित करेगा।
(2) जब तक परमिट को उपनियम (1) में यथा उपबन्धित पृष्ठांकित न कर दिया गया हो या जब तक परिवर्तन को प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो, किसी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किसी नए यान के सम्बन्ध में विधिमान्य नहीं होगा।

परमिट के रद्द होने, निलम्बित होने या समाप्त होने पर प्रक्रिया

87 (1) परमिट धारक किसी भी समय परमिट को ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह स्वीकृत किया गया था अभ्यर्पित कर सकेगा और परिवहन प्राधिकरण तुरन्त इस प्रकार अभ्यर्पित परमिट को रद्द कर देगा।
(2) जब कोई परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को निलम्बित या रद्द करता है, तो –
(एक) धारक परिवहन प्राधिकरण की लिखित मांग की प्राप्ति के सात दिन के भीतर परमिट अभ्यर्पित कर देगा, और
(दो) परमिट को निलंबित या रद्द करने वाला प्राधिकारी उन प्राधिकारियों को सूचना भेजेगा जिनके द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है और जिसके क्षेत्र में नियम 76 के अधीन विधिमान्यता का विस्तार किया गया है।
(3) किसी परमिट का समय व्यतीत हो जाने के कारण समाप्ति के चौदह दिन के भीतर परमिट धारक परमिट को उस परिवहन प्राधिकरण को देगा, जिसके द्वारा वह जारी किया गया था और ऐसा परमिट प्राप्त करने वाला परिवहन प्राधिकरण उस प्राधिकरण को या उन प्राधिकरणों को जिनके द्वारा वह प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था और अन्य प्राधिकारी को जिसके क्षेत्र में नियम 76 के अधीन उसकी विधिमान्यता का विस्तार किया गया हो, तथ्य की सूचना देगा।
(4) परमिट धारक, यदि ऐसा अपेक्षित हो, परिवहन प्राधिकरण को निलम्बन आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर उस स्थान की सूचना देगा, जहाँ वह यान जिसके सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया हो, निलम्बन की अवधि के दौरान रखा जायेगा। धारा 192 की उपधारा (2) और धारा 192 (क) की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ऐसा धारक परिवहन प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार सूचित स्थान से यान को नहीं हटायेगा।

परमिट का अन्तरण

88 (1) जब परमिट का धारक धारा 82 के अधीन परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करना चाहता है, तब वह तथा वह व्यक्ति जिसको वह अन्तरित करना चाहता है प्रपत्र एस0आर0– 33 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, प्रस्तावित अन्तरण का कारण बताते हुए संयुक्त आवेदन पत्र देंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर परिवहन प्राधिकरण परमिट के धारक और अन्य पक्षकार से लिखित रूप में बताने कि क्या उनके बीच किसी भी प्रीमियम, भुगतान या अन्य प्रतिफल का अन्तरण हुआ है या होने वाला है और ऐसे किसी भी प्रीमियम, भुगतान या अन्य प्रतिफल की धनराशि और प्रकृति की अपेक्षा कर सकता है।

(3) ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए पक्षकार भागी हो सकते हैं, इस नियम के अधीन किसी आवेदन पत्र पर आदेशित परमिट का कोई अन्तरण परिवहन प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि आवेदन पत्र में या उपनियम (2) के अधीन दिए गए तथ्य मनगढ़न्त हैं। किन्तु, ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(4) परिवहन प्राधिकरण आवेदन पत्र के दोनों पक्षकारों को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और यदि वह उचित समझे, आवेदन पत्र पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है मानों वह परमिट के लिए आवेदन पत्र था।

(5) (एक) यदि परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाये कि परमिट का अन्तरण समुचित रूप से किया जा सकता है तो वह परमिट धारक को आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर परमिट को अभ्यर्पित करने के लिये लिखित रूप में कहेगा और इसी तरह उस व्यक्ति को जिसको परमिट अन्तरित किया जाना हो, नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करने के लिए कहेगा।

(दो) परमिट और अपेक्षित फीस की प्राप्ति पर, परिवहन प्राधिकरण उस पर धारक की विशिष्टियां रद्द कर देगा और अन्तरिती की विशिष्टियां पृष्ठांकित करेगा और अन्तरिती को परमिट वापस कर देगा।

(तीन) उपर्युक्तानुसार परमिट को अन्तरित करने वाला परिवहन प्राधिकरण यदि ऐसे अन्य प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा अपेक्षा न की गई हो, तो उस प्राधिकारी का जिसके द्वारा परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो नाम अन्तःस्थापित करते हुए शब्द ''...................... के लिए परमिट का विधिमान्य अन्तरण'' परमिट पर पृष्ठांकित कर सकता है।

(चार)जब तक कि परमिट को खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अनुसार पृष्ठांकित न कर दिया गया हो या परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित परमिट को अनुमोदित न कर दिया गया हो तो अन्तरण के दिनांक के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षर का कोई प्रभाव नहीं होगा।

खो गए, नष्ट हुए परमिटों के स्थान पर दूसरी प्रति का जारी किया जाना

89 (1) यदि कोई परमिट खो गया हो या नष्ट हो गया हो तो धारक तुरन्त उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था इस तथ्य की सूचना देगा और दूसरी प्रति जारी करने के लिए नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करेगाः

परन्तु यह कि उपनियम (4) के अधीन जारी किये गये परमिट की दूसरी प्रति की दशा में, कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी यदि मूल परमिट पिछले पांच वर्ष के पूर्व जारी किया गया था।

(2) परिवहन प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, आवेदक से ऐसा शपथ पत्र या घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए कह सकता है कि परमिट जिसके सम्बन्ध में आवेदन–पत्र दिया गया है वास्तव में खो गया है या नष्ट हो गया है और उसे अधिनियम के अधीन विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और अपना समाधान करने के पश्चात् कि यह इस प्रकार खो गया है या नष्ट हो गया है, दूसरी प्रति जारी कर सकता है और उस सीमा तक जिस तक वह तथ्यों का सत्यापन करने में समर्थ है उस पर अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी प्रतिहस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति को उस प्राधिकरण को तथ्य से सूचित करते हुए पृष्ठांकित कर सकता है।

(3) इस नियम के अधीन जारी किये गये दूसरे परमिट पर स्पष्ट रूप से लाल स्याही से ''दूसरी प्रति'' चिन्हित होगा और इस नियम के अधीन किसी परमिट पर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी प्रतिहस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति विधिमान्य होगी मानों वह प्रतिहस्ताक्षर हों।

(4) यदि कोई परमिट गन्दा हो गया हो, फट गया हो या अन्यथा इस प्रकार विरूपित हो गया हो कि परिवहन प्राधिकरण की राय में वह अपठनीय हो गया है, तो उसका धारक परिवहन प्राधिकरण को परमिट अभ्यर्पित कर देगा और इस नियम के अनुसार दूसरा परमिट जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(5) कोई परमिट जो किसी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस थाने में या धारक को या उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था, सौंप दिया जाएगा और यदि धारक उस परमिट को जिसके सम्बन्ध में दूसरी प्रति जारी की गई है पाता है, या प्राप्त करता है तो वह मूल को उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था, वापस कर देगा।

परमिट का प्रस्तुत किया जाना

90 परमिट सदैव यान में ले जाया जाएगा और किसी युक्तियुक्त समय पर नियम 229 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के किन्हीं अधिकारियों द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा अधिकारी यान का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ किसी परिवहन यान में प्रवेश कर सकता है।

किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में छोड़ी गई सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और उसका निस्तारण

91 (1) जहां कोई परमिट धारक या उसका कर्मचारी यान में छोड़ी गई किसी वस्तु को प्राप्त करता है, वहां वह उस वस्तु को सात दिन की अवधि के लिए रखेगा और यदि उस अवधि के दौरान वस्तु का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दे देगाः

परन्तु यह कि यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की हो तो उसे सात दिन की समाप्ति के पूर्व भी निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दिया जा सकता है।

(2) जहां पूर्ववर्ती उपनियम में उल्लिखित अवधि के दौरान –
(एक) वस्तु का दावा एक से अनधिक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए,वहां परमिट धारक ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे और यदि आवश्यक हो, दावेदार से क्षतिपूर्ति करार लेने के पश्चात् दावेदार को वस्तु दे सकता है, और

(दो) वस्तु का दावा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए, तब परमिट धारक उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दे सकता है।

राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील

92 (1) धारा 89 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च), और (छ), में व्यवहृत मामलों के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील को विनिश्चय करने वाला प्राधिकारी धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उक्त अधिकरण के अध्यक्ष को ज्ञापन के रूप में अपील कर सकता है। ज्ञापन के साथ पंजीकृत डाक द्वारा राज्य और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों से भिन्न प्रतिवादियों पर नोटिसों की तामीली करने के लिए अपेक्षित संख्या में लिफाफे और आवश्यक डाक टिकट होंगे। ज्ञापन में संक्षिप्त रूप में और भिन्न शीर्षकों के अधीन अपील किए गए आदेश के प्रति आपत्ति के आधार दिए जाएंगे। ज्ञापन के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रतिवादी हैं और उसके साथ आदेश की प्रमाणित प्रति भी होगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी है।

(3) (एक) अपील अपीलार्थी द्वारा स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और उस पर बहस की जा सकती है। परिवहन प्राधिकरण से भिन्न प्रतिवादी की ओर से, अपील पर स्वयं प्रतिवादी द्वारा या किसी अभिकर्ता द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा बहस की जा सकती है।

(दो) परिवहन प्राधिकरण की ओर से, उप परिवहन आयुक्त (विधि एवं न्यायाधिकरणं) या परिवहन विभाग का कोई अधिकारी या इस निमित्त परिवहन आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता या अधिवक्ता अपील पर बहस कर सकता है और सामान्यतया अपील अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है, कार्य कर सकता है और बहस कर सकता है।

(4) उपनियम (1), (2) और (3) के अनुसार अपील प्राप्त होने पर अधिकरण सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण, अन्य प्रतिवादियों, यदि कोई हों, और अपीलार्थी को कम से कम तीस दिन की नोटिस देते हुए अपील की सुनवाई के लिए

कार्यालय समय में कोई दिनांक निर्धारित कर सकता है और इस दशा में अपीलार्थी को नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस जमा करने का आदेश देगा।

(5) सुनवाई के दिनांक का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा अपीलार्थी और परिवहन प्राधिकरण से भिन्न प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन में दिए गए पते पर या किसी अन्य पते पर जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाए, दिया जाएगा। परिवहन प्राधिकरण को नोटिस उप परिवहन आयुक्त (विधिक एवं न्यायाधिकरण) के माध्यम से या ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिसे अपील अधिकरण के समक्ष अपील पर बहस करने के लिए नियुक्त किया जाए, दिया जाएगा।

(6) अपील अधिकरण चूक करने पर या अपीलकर्ता द्वारा अपील के खारिज होने के आदेश की जानकारी के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पत्र पर अभियोजन के अभाव में खारिज की गई किसी अपील को पर्याप्त कारणों से फिर से चालू कर सकता है।

(7) सुनवाई के दिनांक की सूचना प्राप्त होने पर 14 दिन के भीतर अपीलार्थी अधिकरण को उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिन पर अपीलार्थी निर्भर होने का प्रस्ताव करता है। प्रतिवादी को अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर उन कागजातों को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिन पर वह निर्भर करता है।

(8) राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव, उपनियम (2) के अधीन की गई अपील के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज की प्रतियां, नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर दे सकता है।

(9) राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव ऐसी अपील से सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण करने की, अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर अनुमति दे सकता है।

अपील या पुनरीक्षण में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रक्रिया

93 (1) जहां अपीलार्थियों या पुनरीक्षणकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो जाए और शेष अपीलार्थियों या पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, या जहां एक मात्र अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता की मृत्यु हो जाये, वहां अधिकरण विधिक प्रतिनिधि को उपस्थित हो सकने और पक्षकार होने के लिए आवेदन कर सकने के लिए मामले की अग्रेतर सुनवाई को स्थगित कर देगा। यदि विधिक प्रतिनिधि अपीलकर्ता या पुनरीक्षणकर्ता की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो अपील या पुनरीक्षण पूर्ण रूप से, या जहां तक यथास्थिति, मृत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता से सम्बन्धित हो, समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां अपील या पुनरीक्षण लम्बित रहने के दौरान किसी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाये और जब तक उसका विधिक प्रतिनिधि अभिलिखित न कर लिया जाय, मामला आगे नहीं बढ़ सकता हो, वहां अधिकरण प्रतिवादी की मृत्यु के दिनांक से 90 के भीतर इस निमित्त दिए गए आवेदन–पत्र पर, मृत प्रतिवादी

के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनायेगा और मामले पर आगे कार्रवाई करेगा। यदि ऐसे समय के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन–पत्र न दिया जाये तो मृत प्रतिवादी के सम्बन्ध में अपील या पुनरीक्षण समाप्त हो जाएगा।

(3) उपनियम (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, सुनवाई के समाप्ति और आदेश पारित होने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु होने के कारण अपील या पुनरीक्षण का उपशमन नहीं होगा और ऐसे मामले में आदेश मृत्यु के होते हुए भी, पारित किया जायेगा। ऐसे आदेश का वही बल और प्रभाव होगा मानों वह मृत्यु होने के पूर्व पारित किया गया था।

(4) यदि किसी अपील या पुनरीक्षण में यह प्रश्न उठता हो कि कोई व्यक्ति मृत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण अधिकरण द्वारा सरसरी तौर से साक्ष्य लेने के पश्चात् या अन्यथा, जैसा आवश्यक समझा जाये, किया जा सकता है।

(5) अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या किसी मृत अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता या विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उपशमन को अपास्त करने के आदेश हेतु आवेदन कर सकता है और यदि यह साबित हो जाये कि वह किसी पर्याप्त कारण से अपील या पुनरीक्षण को जारी रखने से रोका गया था, तो अधिकरण उपशमन को अपास्त करेगा और अपील या पुनरीक्षण पर आगे कार्रवाई करेगा।

प्रतियों की आपूर्ति

94 (1) अधिकरण अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को न्यायालय फीस लेबिल जिस पर शब्द ''केवल प्रतियों के लिये'' मुद्रित हो, के रूप में नियम 126 में विनिर्दिष्ट फीस और उत्तराखण्ड में जिसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1889) की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 24 के अधीन देय स्टाम्प शुल्क, या उत्तराखण्ड राज्य में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1870) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 6 से 9 के अधीन देय न्यायालय फीस का भुगतान करने पर अपील से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की प्रतियां दे सकता है।

(2) आदेश की प्रतियां परिवहन प्राधिकरणों को, जिन्होंने प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किया हो, निःशुल्क दी जायेगी।

अपीलों की प्रक्रिया

95 नियम 92 के उपनियम (1) के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकरण की नियुक्ति की दशा में, या नियम 92 के उप नियम (4) के अधीन सुनवाई के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा समय नियत करने की दशा में अपीलार्थी सुनवाई होने की सूचना प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर यथास्थिति अधिकरण को या अपील प्राधिकारी को उन दस्तावेजों की एक सूची तथा दो प्रतियों में ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर वह निर्भर होने का प्रस्ताव करता है, अग्रसरित करेगा और नियत दिनांक को और पश्चात्वर्ती सुनवाई पर या तो स्वयं या अनुमोदित अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

पत्रावलियों का

96 देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त नियम 126 के अधीन किसी एक घन्टे

निरीक्षण

या उसके भाग के लिये विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर किसी पत्रावली के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी।

कार्य के समय का अग्रिम निर्धारण

97 इस नियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी परिवहन यान के ड्राइवर के नियोजक से उक्त प्राधिकारी के सन्तोषानुसार ऐसी समय सारणी, अनुसूची या विनियम, जो अग्रिम में उनके द्वारा नियोजित ड्राइवर से कार्य का समय निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो, बनाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार किसी समय सारणी, अनुसूची, या विनियम का अनुमोदन करने पर वह धारा 91 की उपधारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित कार्य के समय का अभिलेख होगा।

प्राधिकारी—ऐसे परिवहन यानों के चालकों के नियोक्ता, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए या उनके सम्बन्ध में प्रयोग किए जाते हैं। चालको के नियोक्ता —

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण—(एक) पांच से अन्यून मंजिली गाड़ियों की सेवा के लिए,

(दो) केवल सम्भाग के भीतर एक या अधिक परमिटों के अधीन एक परमिट धारक द्वारा चलाये गए माल वाहन के कारबार के लिए।

राज्य परिवहन प्राधिकरण—किसी मंजिली गाड़ी या परमिट जो उसी परमिट धारक द्वारा यथास्थिति पांच से अन्यून मंजिली गाड़ियों या माल वाहनों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हो।

मंजिली गाड़ियों में यात्रियों का आचरण

98 (1) कोई व्यक्ति किसी चलती मंजिली गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा, न उससे उतरेगा, न उसमें प्रवेश करने या उससे उतरने की चेष्टा करेगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रवेश या निकास के प्रयोजन के लिए प्राविधानित द्वार के

सिवाय किसी मंजिली गाड़ी में न तो प्रवेश करेगा और न उससे उतरेगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उससे उतरने वाले समस्त यात्रियों को उतरने का अवसर न दे दे।

(4) कोई व्यक्ति जानबूझकर या इरादे से इस नियमावली के अधीन विहित यात्री क्षमता की सीमा के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्रियों को ले जा रही मंजिली गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा।

(5) कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति ड्राइवर के प्लेटफार्म पर नहीं चढ़ेगा, न उससे बातचीत करेगा, और न उसको बाधा पहुंचायेगा या अन्यथा मंजिली गाड़ी के ड्राइवर का जब वह गाड़ी चला रहा हो, ध्यान दूसरी ओर हटायेगा।

(6) कोई यात्री परमिट धारक के किसी कर्मचारी को मंजिली गाड़ी में उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा नहीं पहुंचायेगा।

(7) कोई यात्री मंजिली गाड़ी की किसी सीट पर अपना पांव नहीं रखेगा।

(8) वास्तविक यात्री या इच्छुक यात्री के सिवाय कोई व्यक्ति जो परमिट धारक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति न हो, मंजिली गाड़ी पर नहीं चढ़ेगा और कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी के किसी बाहरी भाग की ओर नहीं लटकेगा।

(9) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में नहीं चढ़ेगा जब तक कि वह पास धारण नहीं करता हो या जिसमें यात्रा के लिए जिसे वह करना चाहता हो किराये का भुगतान करके टिकट न प्राप्त कर लिया हो।

(10) टिकट केवल उस यात्रा के लिए और उस मंजिली गाड़ी के लिए

जिसके लिए वह जारी किया गया हो, विधिमान्य होगा।

(11) कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी में ऐसे गंतव्य स्थान से आगे जिसके लिए उसने किराये का भुगतान किया है, कन्डक्टर को सूचना दिए बिना और अतिरिक्त यात्रा के लिए विधिक किराया दिए बिना आगे यात्रा करने का हकदार नहीं होगा। प्रत्येक यात्री जब ऐसा अपेक्षित हो उस बस से जिसमें वह यात्रा कर रहा हो मार्ग के उस टर्मिनल पर जिसके लिए उसने टिकट लिया हो, उतर जायेगा।

(12) यदि किसी मंजिली गाड़ी में कोई यात्री किसी समय –

(एक) उच्श्रंखल व्यवहार करता हो, या

(दो) ऐसा व्यवहार करता है जिससे महिला यात्री को परेशानी हो, या

(तीन) गाली–गलोज करता हो, या

(चार) किसी अन्य यात्री से छेडखानी करे, या

(पांच) साथी यात्रियों के आपत्ति करने के बावजूद या गाड़ी में ईंधन भरते समय धूम्रपान करें, या

(छः) थूकता हो, या

(सात) ड्राइवर या कण्डक्टर को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहुंचाता हो, या

(आठ) किराये का भुगतान करने से इन्कार करता हो या उसका भुगतान करने में असमर्थ हो, या

(नौ) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगने पर टिकट दिखाने से इन्कार करता हो, या

(दस) जब उसने अपने टिकट को इस प्रकार परिवर्तित या विरूपित कर दिया हो जिससे कि उसकी संख्या या उसका कोई भी भाग अपठनीय हो जाये, फिर से किराया देने से इन्कार करता हो, या

(ग्यारह) किसी विशिष्ट यात्रा के लिए विधिमान्य टिकट से भिन्न किसी टिकट का या ऐसे टिकट का जिसका किसी अन्य यात्री द्वारा या किसी अन्य यात्रा के लिये पहले ही उपयोग किया जा चुका हो, उपयोग करे या उपयोग करने का प्रयास करे, या

(बारह) एक से अधिक सीट को दखल करता हो या किसी अन्य सीट को स्वयं के लिए या किसी अन्य यात्री के लिए रोक रखता हो, या रोके रखने का प्रयास करता हो, या

(तेरह) ऐसा कपड़ा पहने है या उसके कब्जे में है जिससे किसी अन्य यात्री की पोशाक (ड्रेस) या कपड़े के गन्दा होने या क्षति होने की सम्भावना हो या जो किसी अन्य कारण से अन्य यात्री के लिए घृणोत्पादक हो, या

(चौदह) ऐसे आकार या प्रकार का सामान रखता हो जिससे किसी अन्य यात्री को बाधा, कष्ट या असुविधा होने की संभावना हो, या

(पन्द्रह) ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु ले जाता हो जिससे किसी अन्य यात्री को कष्ट पहुंचने या असुविधा होने या घृणा उत्पन्न होने की संभावना हो, या

(सोलह) बिना विधिपूर्ण कारण के महिलाओं के लिए अनन्य रूप से आरक्षित किसी सीट का दखल करता हो, या

(सत्रह) जानबूझकर मंजिली गाड़ी के भीतर या बाहर किसी संधारण (फिटिंग्स) को नष्ट करता हो, क्षति पहुंचाता हो या हटाता हो या मंजिली गाड़ी की किसी लाइट या किसी भाग या उसके उपस्कर से छेड़छाड़ करता हो, या

(अठ्ारह) बिना विधिपूर्ण कारण के मंजिली गाड़ी के किसी सिग्नल को बजाता है या छेड़छाड़ करता है, या

(उन्नीस) उसका किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का युक्तियुक्त संदेह दिया जाता हो, या

(बीस) अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता हो या उसके करने को दुष्प्रेरित करता हो।

नियम 229 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी या ड्राइवर या कन्डक्टर ऐसे यात्री से गाड़ी से तुरन्त उतरने की अपेक्षा कर सकता है और गाड़ी को तब तक रोक सकेगा और उसे खड़ा रख सकेगा, जब तक कि यात्री उतर न जाये। ऐसा यात्री ऐसे किसी किराये की वापसी का हकदार नहीं होगा जिसका उसने भुगतान कर दिया हो और ऐसी अपेक्षा का तुरन्त पालन करने में विफल रहने वाले किसी यात्री को जबरदस्ती कन्डक्टर या ड्राइवर द्वारा हटाया जा सकेगा और वह धारा 177 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

(13) ऐसा यात्री जिस पर इस नियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने का सन्देह हो, नियम 229 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या ड्राइवर या कन्डक्टर द्वारा मांग किए जाने पर अपना सही नाम और पता ऐसे अधिकारी, ड्राइवर या कन्डक्टर को देगा।

(14) उपनियम (9) और (10) और उपनियम (12) के खण्ड (एक), (दो), (पांच), (सात), (आठ) और (बीस) में हिन्दी पाठ में वर्णित यात्रियों के कर्तव्यों की सूची की एक प्रति प्रत्येक यात्री गाड़ी में किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगाई जायेगी।

बस स्टैण्डों और मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तकों का अनुरक्षण

99 (1) प्रपत्र संख्या एस0आर0– 34 में शिकायत पुस्तक जिसके पृष्ठ तीन प्रतियों में क्रमांकित हों, प्रत्येक बस स्टैण्ड पर और प्रत्येक मंजिली गाड़ी में भी रखी जायेगी, जिससे मंजिली गाड़ी सेवा के सम्बन्ध में यात्री कोई वैध शिकायत अभिलिखित कर सके, शिकायत अभिलिखित करने वाला कोई यात्री शिकायत लिखने के तुरन्त पश्चात् परिवाद की एक प्रति लेने का हकदार होगा। मंजिली गाड़ी का ड्राइवर और कन्डक्टर यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि मंजिली गाड़ी में शिकायत पुस्तक रखी है।

(2) ऐसा शिकायत स्पष्ट रूप से और बोधगम्य रीति से लिखा जायेगा और परिवादी स्पष्ट रूप से और पठनीय रूप से परिवाद पुस्तक में अपना पूरा नाम, पता, जब परिवाद लिखा जाये का समय और दिनांक भी अभिलिखित करेगा।

(3) यथास्थिति, मंजिली गाड़ी सेवा का ड्राइवर या मंजिली गाड़ी का परमिट धारक शिकायत पुस्तक में अभिलिखित प्रत्येक परिवाद को देखेगा। यथासम्भव शिकायत के कारण को दूर करेगा और परिवाद की एक प्रति के साथ उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने परमिट जारी किया हो शिकायत के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गयी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए सूचित करेगा। रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति मंजिली गाड़ी सेवा के प्रचालक या मंजिली गाड़ी के परमिट धारक द्वारा शिकायतकर्ता को अग्रसारित की जायेगी।

(4) शिकायत पुस्तक मंजिली गाड़ी में और बस स्टैण्ड पर इस प्रकार सुरक्षित रूप से रखी जायेगी कि हटाये जाने के जोखिम के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा हो सके और शिकायत लिखने के इच्छुक किसी यात्री को या नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को हर समय

उपलब्ध कराया जायेगा।

बालकों और शिशुओं को सार्वजनिक सेवा यान में ले जाया जाना

100 ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में जिन्हें किसी सार्वजनिक सेवा यान में ले जाया जा सके –
(एक) बारह वर्ष से अनधिक आयु वाले बच्चे को आधा समझा जायेगा, और
(दो) पांच वर्ष से अनधिक आयु वाले बच्चे को छोड़ दिया जायेगा।

शवों का ले जाया जाना

101 किसी परिवहन यान का कोई ड्राइवर, कन्डक्टर या प्रभारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिनके द्वारा शव को ले जाने के प्रयोजन के लिए यान को स्पष्ट रूप से किराये पर लिया गया हो, भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे यान में जब ऐसा यान किसी यात्री को ले जाने के लिए किराये पर चल रहा हो, शव को रखने या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

माल वाहन में व्यक्तियों का ले जाया जाना

102 (1) किसी यान, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की ओर से या सेना या पुलिस को ले जाये जाने के लिए प्रयोग की जा रही हो या किसी मंजिली गाड़ी जिसमें यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जा रहा हो, के मामले को छोड़कर किसी माल वाहन में, यान के स्वामी या किराये पर लेने वाले व्यक्ति या स्वामी के या किराये पर लेने वाले के किसी वास्तविक कर्मचारी से भिन्न कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार के सिवाय, नहीं ले लाया जायेगाः
परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसी किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग को जिसके पास कोई माल वाहन हो या जिसने उसे किराये पर लिया हो ऐसे माल वाहन में जब इसका प्रयोग समिति के कार्य के दौरान समिति के माल को ले जाने के लिए किया जाये, अपने प्राधिकार के अधीन अपने किसी सदस्य को ले जाये जाने के लिये अनुज्ञा दे सकती है।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि वाहन के स्वामी या उसे किराये पर लेने वाले का वास्तविक कर्मचारी यथास्थिति, उसके स्वामी या किरायेदार से लिखित प्राधिकार के अधीन के सिवाय ऐसे माल वाहन में यात्रा नहीं करेगा।

(2) किसी माल वाहन के कैब में उस संख्या से अधिक जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के बैठने के लिए 37 सेन्टीमीटर माप के स्थान की दर से बैठने का स्थान है, जिसमें ड्राइवर का सुरक्षित स्थान सम्मिलित नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं ले जाया जायेगा और किसी माल वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त कुल मिलाकर छः से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाया जायेगा।
(3) किसी व्यक्ति को माल के ऊपर बैठाकर या अन्यथा ऐसी रीति से नहीं ले जाया जायेगा कि ऐसे व्यक्ति का वाहन से गिरने का खतरा हो और किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को माल वाहन में ऐसी रीति से नहीं ले जाया जाएगा कि उसके शरीर का कोई अंग, जब वह बैठा हो उस सतह से जिस पर यान खड़ा होता है 3.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हो।
(4) उपनियम (2) के प्राविधानों के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण किसी

माल वाहन के लिए स्वीकृत परमिट की शर्त के रूप में शर्त विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसके अधीन रहते हुए यान में व्यक्तियों को अधिक संख्या में ले जाया जा सकता है। परन्तु यह कि ऐसी संख्या वर्ग मीटर में मापे गए यान के फर्श को सात से भाग देने पर प्राप्त भजनफल से अधिक नहीं होगी।

(5) इस नियम के किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी यान पर किसी व्यक्ति को किराए या पारिश्रमिक के लिए ले जाने के लिए प्राधिकृत करता है जब तक कि यान के सम्बन्ध में कोई परमिट, जो ऐसे प्रयोजन के लिए यान के प्रयोग को प्राधिकृत करता हो, प्रवृत्त न हो और ऐसे परमिट के प्राविधानों के अनुसार नहीं हो।

(6) इस नियम के उपबन्ध धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होगे।

माल वाहन द्वारा माल ले लाने का कर्तव्य

103 युक्तियुक्त और विधिसंगत कारण के सिवाय कोई माल वाहन किसी व्यक्ति के, जो धारा 67 के अधीन निर्धारित अधिकतम भाड़ा देता है, माल को ले जाने से इंकार नहीं करेगा।

रखे जाने वाले अभिलेख

104 (1) परिवहन प्राधिकरण सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा किसी परिवहन यान के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारबार के स्थान पर या यान पर या दोनों स्थानों पर अभिलेख रखे और यान के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्र में जैसा प्राधिकरण विनिश्चित करे विवरण प्रस्तुत करे। ऐसे अभिलेख और विवरण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में यान के दैनिक प्रयोग की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी –

(एक) ड्राइवर, कन्डक्टर और अन्य परिचरों के, यदि कोई हो, नाम और लाइसेन्स संख्या,

(दो) मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसके भीतर यान का प्रयोग किया गया था,

(तीन) यात्रा किए गए किलोमीटरों की संख्या,

(चार) किसी यात्रा का प्रारम्भ और समापन और यात्रा के दौरान किसी विराम का समय जब चालक ने विश्राम किया,

(पांच) विनिर्दिष्ट स्थानों के बीच ले जाये गए माल का भार और माल की प्रकृति,

(छः) मंजिली गाड़ी में माल ले जाने की दशा में, फेरों की संख्या और मील दूरी जब केवल माल ले जाया गया या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया गया और इस स्थिति में, यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या।

(2) कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति किसी परिवहन यान को किसी व्यक्ति से न तो चलवायेगा और न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा जब तक कि ऐसे स्वामी या अन्य व्यक्ति के कब्जे में चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) में दिया गया ड्राइवर का नाम और पता, अनुज्ञप्ति संख्या और प्राधिकारी जिसके द्वारा वह जारी किया गया है, का लिखित अभिलेख न हो।

(3) इस नियम के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित अभिलेखों को किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

परमिट धारक के पते में परिवर्तन

105 (1) यदि किसी परमिट का धारक परमिट में दिए गए पते पर यथास्थिति निवास करना छोड़ दे या उसके कारबार का स्थान न रह जाये तो वह नया पता सूचित करते हुए चौदह दिन के भीतर ऐसे परिवहन प्राधिकरण को, जिसके द्वारा परमिट जारी की गई थी, परमिट भेजेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, परमिट में नये पते की प्रविष्टि करेगा और उस सम्भाग के प्राधिकरण को, जिसमें प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्यथा परमिट विधिमान्य है, विशिष्टियां की सूचना देगा।

सार्वजनिक सेवा यान को क्षति पहुंचने या उसके असफल होने की सूचना

106 (1) किसी विशिष्ट यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के संदर्भ में किसी मंजिली या ठेका गाड़ी के परमिट का धारक ऐसे यान के या उसके किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने का, असफल हो जाने की ऐसी प्रकृति की घटना के जिससे यान परमिट की शर्तों के अनुसार सात दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाये, घटित होने के सात दिन के भीतर उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, लिखित सूचना देगा।

(2) किसी मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में किसी परमिट का धारक परमिट के प्राधिकार के अधीन उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी यान के असफल हो जाने या उसको क्षति पहुंचने की ऐसी प्रकृति की घटना को, जो धारक को परमिट के किन्हीं उपबन्धों या शर्तों के अनुपालन करने से सात दिन से अधिक अवधि के लिए रोकती हो, घटित होने के सात दिन के भीतर उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, लिखित सूचना देगा।

(3) पूर्ववर्ती उपनियमों के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ऐसा परिवहन प्राधिकरण, जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, नियम 85 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(एक)ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी घटना के दिनांक से दो मास से अधिक न हो, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, परमिट के धारक को या तो यान को ठीक कराने या उसे प्रतिस्थापित करने का निदेश देगा,

(दो) यदि यान को क्षति या उसकी खराबी ऐसी है कि उक्त प्राधिकरण की राय में इसे घटना के दिनांक से दो महीने भर की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जा सकता तो वह परमिट के धारक को निदेश दे सकता है कि वह प्रतिस्थानी यान की व्यवस्था करे और जब परमिट का धारक ऐसे निदेशों का पालन करने में विफल रहे तो वह तदनुसार परमिट को निलम्बित या रद्द या उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन परमिट को निलम्बित करने, रद् करने या उसमें परिवर्तन करने का निदेश देने वाला, परिवहन प्राधिकरण इस तथ्य की सूचना किसी अन्य सम्भाग को भेजेगा, जिसमें प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्य प्रकार से परमिट विधिमान्य है।

मोटर यान में परिवर्तन

107 (1) धारा 52 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रिपोर्ट करते समय किसी परिवहन यान का स्वामी या यदि स्वामी परमिट धारक नहीं हो तो परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा यान के सम्बन्ध में परमिट स्वीकृत किया गया था, या किसी मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में किसी परमिट की दशा में उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जिसके अधीन यान का प्रयोग किया जा रहा है, स्वीकृत किया गया था, रिपोर्ट के साथ नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस सहित उसकी एक प्रति भी अग्रसारित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकरण

जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, यदि परिवर्तन ऐसा हो जिससे

परमिट के उपबन्धों या शर्तों का उल्लंघन होता हो –

(एक) तदनुसार परमिट में परिवर्तन कर सकता है, या

(दो) ऐसी अवधि के भीतर जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, परमिट धारक से प्रतिस्थानी यान की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि धारक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहे तो परमिट को रद्द या निलम्बित कर सकता है।

(3) परमिट में परिवर्तन करने वाला, उसको निलम्बित या रद्द करने वाला या परमिट से आच्छादित यान को प्रतिस्थापित करने वाला परिवहन प्राधिकरण अन्य सम्भाग के, परिवहन प्राधिकरण को, जिसमें प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्य प्रकार से परमिट विधिमान्य है, विशिष्टियां सूचित करेगा।

परिवहन यान और उसकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण

108 कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या नियम 229 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई प्राधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी किसी भी समय जब यान सार्वजनिक स्थान पर हो, यान के ड्राइवर को यान को रोकने के लिए और ऐसे समय तक जो प्राधिकारी या अधिकारी के लिये यथास्थिति यान के अन्तर्वस्तुओं का या यान के यात्रियों की संख्या का युक्तियुक्त परीक्षण करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक हो जिससे उसका स्वयं का समाधान हो जाये कि अधिनियम और इस नियम के उपबन्धों का और यान से सम्बन्धित परमिट के उपबन्धों और शर्तों का अनुपालन हो रहा है, उसे विश्राम पर रखने के लिए अपेक्षा कर सकता है।

अन्य समयों पर निरीक्षण

109 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, अपना समाधान करने के लिये कि अधिनियम के अध्याय सात के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गए नियमों का अनुपालन हो रहा है, किसी भी समय किसी सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति से उक्त यान को अपने समक्ष या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और किसी ऐसे सार्वजनिक सेवा यान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को उक्त यान के निरीक्षण के लिए पूर्ण सुविधा देगा और इस प्रयोजन के लिए अपने परिसर में प्रवेश की अनुज्ञा

देगा।

परमिट के बदले अस्थायी प्राधिकार–पत्र

110 (1) जहां किसी परमिट का धारक परिवहन प्राधिकरण को परमिट के नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पुलिस अधिकारी या किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करे और ऐसा अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी परमिट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र या चालन–अनुज्ञप्ति (ड्राविंग लाइसेंस) या कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति (जिसे आगे इस नियम में दस्तावेज कहा गया है) उसके धारक से किसी प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लेता है, तो यथास्थिति ऐसा परिवहन प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी परमिट धारक को तुरन्त दस्तावेज के लिए रसीद देगा और प्रपत्र एस0आर0 35 में ऐसी अवधि के दौरान यान को चलाने के लिए अस्थायी प्राधिकार–पत्र देगा जो उक्त अस्थायी प्राधिकार–पत्र में विनिर्दिष्ट होगी और उक्त अवधि के भीतर मांगने पर अस्थायी प्राधिकार–पत्र का प्रस्तुतीकरण दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण समझा जाएगा।
परन्तु यह कि जब तक कि दस्तावेज वापस नहीं कर दिए जाते हैं ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा अस्थायी प्राधिकार–पत्र दिया गया था ऐसी अवधि तक जब तक अस्थायी प्राधिकार पत्र विधिमान्य रहेगा विस्तार करेगा किन्तु ऐसा विस्तार दस्तावेजों की विधिमान्यता की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) जब तक उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज उसके धारक को वापस नहीं कर दिए जाते हैं यथास्थिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट अस्थायी प्राधिकार पत्र में यथा विनिर्दिष्ट या उस उपनियम के परन्तुक के अधीन यथा विस्तारित अवधि के पश्चात् सम्बन्धित यान का प्रचालन नहीं किया जायेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में कोई फीस देय नहीं होगी।

कतिपय प्रकार की रंगाई या चिन्ह लगाने का प्रतिषेध

111 (1) कोई परिवहन यान जब वह भारतीय डाक विभाग के द्वारा या उसके साथ किसी संविदा के अधीन नियमित रूप से प्रयोग किया जाता हो, पोस्टल लाल रंग से पेंट किया जाएगा।
(2) उत्तराखण्ड पुलिस के यानों को नीले और लाल रंग के संयोजन से या गहरे खाकी रंग से पेंट किया जायेगा।
(3) उत्तराखण्ड परिवहन निगम के यानों को सफेद रंग की पृष्ठभूमि में हरी पटि्टयों से पेंट किया जायेगा।
(4) पर्यटन यानों और राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित किसी यान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित या उपनियम (1), (2) और (3) में विहित उक्त रंगों या रंगों के संयोजनों में से किसी रंग में राज्य में प्रचालित किसी अन्य परिवहन यान को पेंट नहीं किया जायेगा।

मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन

परिभाषाएं

112 जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नियम 113 से 120 में –
(क) ''अभिकर्ता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस रूप में माल वाहनों

द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रहण, अग्रेषण या वितरण के कारबार में

प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लगा हो,

(ख) ''अभिकर्ता अनुज्ञप्ति'' से नियम 114 के अधीन किसी अभिकर्ता को प्रमुख अधिष्ठान के लिये स्वीकृत अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी अतिरिक्त अधिष्ठान के लिये ऐसे अभिकर्ता को स्वीकृत अनुपूरक अनुज्ञप्ति भी सम्मिलित है।
(ग) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से ऐसे सम्भाग के, जिसमें आवेदक का यथास्थिति अपने कारबार का प्रमुख स्थान हो या कारबार करने का इरादा रखता हो, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रतिषेध

113 कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हें अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया गया हो, चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा।

अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति का दिया जाना

114 (1) कोई व्यक्ति, जो अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रपत्र एस0आर0– 36 मे अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
(2) आवेदन के साथ नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।
(3) इस नियम के अधीन दिए गए आवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगाः–
(क) ऐसे माल वाहनों की संख्या जो आवेदक के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो।
(ख) माल के भण्डारण के लिए आवेदक के कब्जे में स्थान की उपयुक्तता।
(ग) क्षेत्र में सामान्य यातायात को बाधा पहुंचाये बिना माल को लादते और उतारते समय माल वाहनों को खड़ा करने के लिए आवदेक द्वारा प्रदान की गई सुविधाऐं।
(घ) आवेदक के वित्तीय संसाधन और कारबार को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए उसकी योग्यता।
(4) यदि आवेदन पत्र को नामंजूर करने के लिए कोई विधिमान्य आधार न हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे स्थान या स्थानों को जहां कारबार चलाया जा सकता हो, विनिर्दिष्ट करते हुए यथास्थिति प्रपत्र एस0आर0– 37 या एस0आर0– 38 अनुज्ञप्ति देगा या किसी शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति देगा।
परन्तु यह कि जब तक आवेदक को सुनवायी का अवसर न दे दिया जाये और इन्कार करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय और उसे उसकी लिखित सूचना न दे दी जाय, अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदित अनुज्ञप्ति या शाखा कार्यालय के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति देने से इंकार नहीं करेगा।
(5) अधिष्ठान या शाखा कार्यालय का अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् प्रमाणित विवरण यथा नगर पालिका भवन संख्या, निकटतम सड़क, उपगली, डाक वितरण जिला और आस–पास के अन्य पहचान चिन्ह का विवरण अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जायेगा।

(6) जारी होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य होगी। उस दिनांक का ध्यान दिए बिना जब अनुपूरक अनुज्ञप्ति दी गई हो, अनुपूरक अनुज्ञप्ति के अवसान का दिनांक वही होगा, जो मूल अनुज्ञप्ति के अवसान का दिनांक होगा।

(7) अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

शर्तो का अनुपालन करने के लिए प्रतिभूति

115 (1) नियम 118 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्तों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक अनुज्ञप्ति के दिए जाने के समय केवल दस हजार रुपये की प्रतिभूति या तो नकद या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(2) नियम 121 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के अवसान पर या उसके द्वारा कारबार बन्द करने पर, जो भी पहले हो, प्रतिभूति वापस की जाएगी।

अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति का नवीकरण

116 (1) अनुज्ञप्ति को उसके अवसान के दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र एस0आर0 39 में दिये गए आवेदन पत्र पर नवीकृत किया जा सकता है। ऐसे आवेदन पत्र के साथ मूल और अनुपूरक अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, और नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए लागू विचारों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति का या तो नवीकरण कर सकता है या अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकता है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीकरण उस पर नवीकरण का पृष्ठांकन करके किया जाएगा।

(4) नियम 114 और 115 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर भी लागू होंगे।

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना

117 यदि किसी समय किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाए या कट–फट जाए या अन्यथा विरूपित हो जाये जिससे वह अपठनीय हो जाए, तो अभिकर्ता लाइसेन्स की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा। आवेदन के साथ नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी। ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर प्राधिकारी आवेदक से शपथपत्र या घोषणा दाखिल करने को कह सकता है कि अनुज्ञप्ति वास्तव में खो गई है या नष्ट हो गई है और अपना समाधान करने के पश्चात् कि इस प्रकार वह खो गई है या नष्ट हो गई है, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकता है, जिस पर लाल स्याही में ''दूसरी प्रति'' की स्पष्ट मुहर लगी होगी। जहां अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति ऐसे अभ्यावेदन पर स्वीकृत की गई हो, कि मूल रूप में स्वीकृत अनुज्ञप्ति खो गई है या नष्ट हो गई है और बाद में मूल अनुज्ञप्ति मिल जाती है तो मूल अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

अभिकर्ता

118 अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् –

अनुज्ञप्ति के लिए शर्तें

(एक) कि अनुज्ञप्तिधारी नियम 120 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, माल को उतारने और चढ़ाने के लिए स्थानों की व्यवस्था करेगा।

(दो) कि अनुज्ञप्तिधारी भेजे जाने और वितरण किये जाने के लिए एकत्रित किए गए माल के भण्डारण के लिए समुचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) कि अनुज्ञप्तिधारी –

(क) परेषिती को माल की समुचित सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी होगा,

(ख) जब माल उसके नियंत्रण या कब्जे में हो, तब माल को होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए परेषिती को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा,

(ग) माल को वास्तव में प्राप्त किए बिना माल परिवहन रसीद नहीं देगा,

(घ) परेषिती से माल परिवहन रसीद या यदि रसीद खो गई हो या मिल न रही हो तो माल को आच्छादित करने वाले क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र वस्तुतः प्राप्त किए बिना परेषिती को माल परिदत्त नहीं करेगा।

(चार) कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक कि माल उसके नियंत्रण या कब्जे में हो, उसे कोई हानि या क्षति न पहुंचे।

(पॉच) कि अनुज्ञप्तिधारी अपने नियंत्रणाधीन यानों का और माल संग्रहण, प्रेषण और परिदान का उचित अभिलेख रखेगा जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण या इस निमित उस प्राधिकरण द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूर्ववर्ती कलेण्डर वर्ष के सम्बन्ध में प्रपत्र एस0आर0– 40 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(छः) कि अनुज्ञप्तिधारी प्रचालक को परेषकों या परेषितियों से प्राप्त किए जाने वाले भाड़े का सही अंक देगा।

(सात) कि अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा लिए गए कमीशन का उचित लेखा रखेगा और प्रतिवर्ष अर्हित लेखा परीक्षक से उसकी लेखा परीक्षा करायेगा।

(आठ) कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन माल वाहनों के पास उन मार्गों के लिए विधिमान्य अनुज्ञा–पत्र है जिन पर यानों का प्रचलन करना पड़ता है।

(नौ) कि अनुज्ञप्तिधारी अच्छी दशा में एक तुलाई मशीन रखेगा जिससे एक समय में 226 किलोग्राम से कम न तोला जा सके।

(दस) कि अनुज्ञप्तिधारी उसी क्रम में अपने उपभोक्ताओं की सेवा करेगा जिस क्रम में वे उसके पास आये हो,

परन्तु यह कि शीघ्र नष्ट होने वाले ऐसे माल के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित किया जाये, ग्राहकों को अन्य ग्राहकों पर प्राथमिकता दी जायेगी और उन्हें उसी क्रम में सेवा दी जायेगी जिस क्रम में वे अनुज्ञप्तिधारी के पास आए हों।

(ग्यारह) कि अनुज्ञप्तिधारी प्रचालकों को उपलब्ध माल उसी क्रम में देगा जिस क्रम में वे उसके पास आये हों, और एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उपलब्ध माल और प्रतीक्षा करने वाले प्रचालकों का विवरण कालानुक्रम में अभिलिखित किया जायेगा।

(बारह) कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट करे।

अभिकरण (ऐजेन्सी) की संविदा में उल्लिखित किए जाने वाली विशिष्टियाँ

119 माल के संग्रहण, प्रेषण और वितरण के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई सभी संविदायें लिखित रूप में होंगी और उनमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(एक) परेषक और परेषिती का नाम और पता;
(दो) पारेषण का विवरण और भार;
(तीन) गन्तव्य स्थान और प्रस्थान के स्थान से उसकी दूरी किलोमीटर में;
(चार) प्रति टन प्रति किलोमीटर भाड़ा और सम्पूर्ण पारेषण के लिए भाड़ा;
(पॉच) माल ढुलाई अनुदेश उदाहरण के लिये दिनांक जिस तक और स्थान जहां माल परेषिती को परिदत्त किया जाना हो;
(छः) भुगतान की सहमत शर्तें;
(सात) स्वामी और ड्राइवर का नाम, यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और कमीशन की धनराशि।

प्रयोग किये जाने वाले परिसर

120 (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी के परामर्श से जिसकी सम्बन्धित क्षेत्र पर अधिकारिता हो, माल के संग्रहण और उसके उतारने और चढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी परिसर को, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदक के स्वामित्व में या कब्जे में हो, परिसर के स्थान की उपयुक्तता, स्वच्छता की दशा, संग्रहण की क्षमता और माल वाहनों आदि को खड़ा करने के लिए उपलब्ध स्थान पर विचार करते हुए, या तो अनुमोदित कर सकता है या अनुमोदित करने से इन्कार कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् —

(एक) कि परिसर हर समय साफ—सुथरा और अच्छी तरह से मरम्मत की हुई रखी जाएगी;
(दो) कि परिसर का प्रबन्ध सुन्दर एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा;
(तीन) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतेगा कि किसी यान के परिसर में प्रवेश करते या परिसर छोड़ने या उसके खड़ा करने के सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों को भंग नहीं किया जाता है।

(3) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किसी परिसर को अनुमोदित करने से इंकार करता है वहां वह ऐसे इन्कार करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना

121 (1) किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाये, अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि उसके विचार में उन शर्तों में से जिनके अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, या नियम 120 के अधीन किसी परिसर को अनुमोदित किया गया हो, किसी का उल्लंघन किया गया हो, लिखित आदेश द्वारा नियम 115 के अधीन जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति को या उसके भाग को समपहरण कर सकता है या अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिए रद्द कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

(2) इस नियम के अधीन प्रतिभूति को समपहृत करने या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने का कोई आदेश करने से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे समपहरण या निलम्बन या रद्द करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) जहां इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित की जाने वाली हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह विचार हो कि मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के लिये राजी हो तो उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलम्बित करने के बजाय अनुज्ञप्तिधारी से सहमत धनराशि वसूल कर सकता है।
(4) जहां नियम 115 के अधीन जमा प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः समपहरण कर ली गई है, वहां अनुज्ञप्तिधारी आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस प्रकार समपहरण धनराशि को जमा करेगा जिससे प्रतिभूति की पूर्ण राशि पूरी हो जाये, ऐसा करने में विफल होने पर अनुज्ञप्ति धनराशि के जमा कर दिए जाने तक निलम्बित रहेगी।
(5) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त कारणों से पूर्ववर्ती उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धनराशि जमा नहीं कर सका, तो धनराशि को जमा करने की अवधि बढ़ा सकता है।

अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन

122 (1) संग्रहण अभिकर्ता अपने साथ अपनी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति रखेगा और मांग करने पर उसे इस नियमावली के नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, प्रस्तुत करेगा।
(2) अग्रेषण अभिकर्ता नियम 120 के अधीन अनुमोदित परिसर में प्रमुख स्थान पर अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को प्रदर्शित करेगा और उसे इस नियमावली के नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी के जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता अपने पास अभिकर्ता अनुज्ञप्ति रखेगा और मांग करने पर उसे नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी

का न हो, प्रस्तुत करेगा और नियम 120 के अधीन अनुमोदित परिसर में प्रमुख स्थार पर अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की सत्य प्रतिलिपि भी प्रदर्शित करायेगा।

अपील

123 (1) नियम 114 के उपनियम (3), नियम 116 के उपनियम (2), नियम 120 के उपनियम (3) या नियम 121 के उपनियम (1) के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है;

परन्तु यह कि अपील के ज्ञापन–पत्र के साथ नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आपत्ति का आधार स्पष्ट रूप में दिया हो और उसके साथ आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, होगी।

परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रतियों की आपूर्ति के लिए फीस का उद्ग्रहण

124 किसी आदेश की प्रतिलिपि जिससे नियम 123 के अधीन अपील की जा सकती हो या किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी पक्षकार को उसके द्वारा इस निमित आवेदन करने पर नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस और उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के सम्बंध में, यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने पर, दी जा सकती है।

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ता /ट्रेवल एजेन्ट/ टूर आपरेटर का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन

125 (1) (क) किराये पर दिए जाने वाले या भाड़े के लिए प्रचालित किए जाने वाले सार्वजनिक सेवा यानों का प्रत्येक स्वामी द्वारा उनकी ओर से नियुक्त ऐसे अभिकर्ता के, जो ऐसे यान द्वारा यात्रा करने के लिए यात्रियों को टिकट का विक्रय करने में लगे हुए हैं;

(ख) कोई ट्रेवल एजेन्सी जो किसी व्यक्ति या कम्पनी से संचालित हो, जिसके पास अपने वाहन हो या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन पट्टे पर लिये हों, जो सड़क, हवाई, रेल, जहाज पासपोर्ट, वीजा, ठहरने का स्थान, पर्यटन आदि सेवाओं की व्यवस्था करती हो;

(ग) कोई टूर आपरेटर व्यष्टि या कम्पनी जिसके पास अपने निजी वाहन हों या जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन पट्टे (लीज) पर लिये हों, जो परिवहन, ठहरने का स्थान, दृश्यावलोकन, मनोरंजन आदि और उससे आनुषंगिक सेवाओं की व्यवस्था करती हो;

सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अपना नाम और पता सूचित करेगी/करेगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के स्वामी के अभिकर्ता के रूप में या कोई ट्रेवलिंग एजेन्ट या टूर आपरेटर इस रूप में कार्य नहीं करेगा और कोई यान का स्वामी किसी व्यक्ति को, जब तक कि उसने संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से प्रपत्र एस0आर0–41 में अभिकर्ता का लाइसेंस प्राप्त न कर लिया हो, इस प्रकार

नियोजित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण – किसी यान में यात्रा करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना, उससे याचना करना या किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करना इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे यानों में यात्रा करने हेतु टिकटों की बिक्री या यथा स्थिति ट्रेवल एजेन्सी या टूर आपरेटर का कार्य अभिकर्ता का कार्य समझा जायेगा।

(3) किसी अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीकरण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और केवल उसी सम्भाग में प्रभावी होगी, जिसमें वह जारी या नवीकृत की गई हो।

(4) अठ्ठारह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति अभिकर्ता अनुज्ञप्ति का धारक नहीं होगा।

(5) किसी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखित रूप में प्रपत्र एस0आर0–42 में उस सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जायेगा जिसमें आवेदक रहता हो और उसके साथ आवेदक के हाल के छायाचित्र की दो सुस्पष्ट प्रतियां और नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(6) अभिकर्ता की शर्तो का समुचित पालन सुनिश्चित करने के लिये आवेदक अनुज्ञप्ति दिये जाने के समय पांच हजार रुपये की प्रतिभूति नकद या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मान्य किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(7) अभिकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति यदि जब्त न की गयी हो तो अनुज्ञप्ति के समाप्त होने पर या उससे पूर्व अभिकर्ता द्वारा स्वेचछा से अनुज्ञप्ति समाप्त होने से पूर्व व्यवसाय बन्द किये जाने पर वापस कर दी जायेगी।

(8) अनुज्ञप्ति धारी के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्वविवेक से लिखित आदेश द्वारा पूर्णरूप या आंशिक रूप से प्रतिभूति को समपह्वत कर सकता है।

परन्तु यह कि प्रतिभूति को समपह्वत करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे समपहरण के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(9) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण करने या उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिए नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(10) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञप्ति के साथ लिखित रूप में आवेदन पत्र उस सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को सम्बोधित किया जायेगा, जिसके द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी।

(11) यदि किसी समय मूल अनुज्ञप्ति खो जाय या नष्ट हो जाय तो आवश्यक छानबीन के बाद उसे उसकी दूसरी प्रतिलिपि जिस पर लाल स्याही से ''द्वितीय प्रतिलिपि'' अंकित होगा, दी जायेगी। दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिये नियम–126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(12) (एक) प्रत्येक अभिकर्ता ड्यूटी के समय अनुज्ञप्ति को साथ रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

(दो) अभिकर्ता फर्म की दशा में अनुज्ञप्ति कार्यस्थल में मुख्य स्थान पर

प्रदर्शित की जायेगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत की जायेगी।

(13) अभिकर्ता/टूर एजेन्ट/टूर आपरेटर अनुज्ञप्ति की शर्तें:–

(एक) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे मोटरयान से जो परमिट से आच्छादित न हो सम्बन्ध नहीं रखेगा/रखेगी;

(दो) अनुज्ञप्तिधारी सवारियों से शिष्ट एवं शान्त तरीके से व्यवहार करेगा;

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी सवारियों/ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये यथोचित स्टाफ सहित पूर्ण फर्नीचरयुक्त कार्यालय रखेगा और ट्रेवल एजेन्सी या टूर आपरेटर की दशा में पर्यटक का नाम, पता लिये गये किराये, यात्रा एवं उससे सम्बन्धित ठेका गाड़ी की विशिष्टियों का अभिलेख रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसका ब्यौरा देगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तो में परिवर्तन कर सकता है या नई शर्ते जोड सकता है।

(पांच) अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति को न तो अनुज्ञप्ति देगा और न ही उसको हस्तान्तरित करेगा।

(छः) ट्रेवल एजेन्सी या टूर आपरेटर के मामले में अनुज्ञप्तिधारी किसी पूर्ण कालिक सदस्य, जो परिवहन व ठहरने की सुविधाओं और यात्रा से सम्बन्धित अन्य सामान्य सही और अद्यतन जानकारियां देने की स्थिति में हो, के प्रभार में एक कार्यालय रखेगा।

(सात) कोई भी अभिकर्ता/ट्रेवल एजेन्ट/टूर आपरेटर जिसे अनुज्ञप्ति दी गयी हो अनुज्ञप्ति संख्या, उसके अवसान का दिनांक और जिस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी गयी हो उसकी विशिष्टियों के दिये बिना किसी अखबार, पुस्तक, वर्गीकृत निर्देशनी या किसी अन्य प्रकाशन में विज्ञापन नहीं देगा।

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी शिकायत पुस्तिका रखेगा जिसे अनुज्ञप्ति के नवीकरण के समय प्रस्तुत किया जायेगा। किसी गम्भीर शिकायत की दशा में नवीकरण से इनकार किया जा सकता है।

(14) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है।

(15) (एक) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहरित कर सकता है।

(दो) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहरित होने पर या उसको नवीकरण करने से इन्कार करने पर, उसे तुरन्त उस सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित किया जाएगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी।

(16) कोई अभिकर्ता, परिवहन विभाग के किसी अधिकारी के मांगने पर, जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो, अपनी अभिकर्ता अनुज्ञप्ति निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(17) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आदेश द्वारा अभिकर्ता द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(18) कोई भी व्यक्ति एक सम्भाग में प्रभावी एक से अधिक अभिकर्ता अनुज्ञप्ति नहीं रखेगा।

(19) अभिकर्ता ड्यूटी के समय अपने वक्ष पर बांयी ओर सहज दृश्य स्थान पर, अंग्रेजी या हिन्दी में श्वेत सतह पर काले बड़े अक्षरों में अपने नेम प्लेट के साथ नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र एस0आर0– 43 में यथा विहित मैटल बैज धारण करेगा। कोई अभिकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को बैज उधार नहीं देगा या उसमें सहभागी नहीं बनाएगा और उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द कर दी जाने या उसे नवीकृत न किए जाने की दशा में वह उसे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित करेगा। यदि बैज नष्ट हो जाय या खो जाय, तो उक्त नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर उस प्राधिकारी द्वारा बैज जारी किया जाएगा जिसने उसे जारी किया था।

(20) उप नियम (8) (14) व (15) के अधीन दिये गये आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 89 के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

परन्तु यह कि अपील के ज्ञापन पत्र के साथ नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

फीस

126 इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन ऐसी फीस प्रभारित की जायेगी जैसी कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है :–

सारणी

क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
(1)	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए –		66,76,82,83
	क– अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की –		
	(एक) मंजिली गाड़ी के लिये	5,800	
	(दो) माल वाहन के लिए	5,800	
	(तीन) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	7,200	
	(चार) निजी (प्राइवेट) सेवा यान के लिए	3,600	
	(पांच) बड़ी टैक्सी के लिये –		
	(क) एक सम्भाग के लिए	1,800	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	3,600	
	(छः) मोटर टैक्सी के लिए –		
	(क) एक संभाग के लिए	900	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	1,800	
	(ग) उत्तराखण्ड सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	1,800	
	(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	3,000	
	ख– अस्थायी परमिट की –		75,76,82
	(एक) प्रथम तीन दिनों के लिए	360	
	(दो) तीन दिन के पश्चात् सप्ताह के अन्त तक	360	
	(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	360	
(2)	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए आवेदन फीस	220	85
(3)	परमिट के अन्तरण के लिए–		88

	(एक) मंजिली गाड़ी के लिये	7200	
	(दो) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	7200	
	(तीन) माल वाहन की	600	
	(चार) बड़ी टैक्सी की	240	
	(पांच) मोटर टैक्सी की	240	
	(छः) परन्तु यह कि परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी को परमिट के अन्तरण के लिए फीस–	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।	
(4)	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	120	89
(5)	क– राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए–		92
	(एक) ऑटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	600	
	(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1200	
	ख– राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त किसी प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रु0 10/–	92
(6)	प्रतियां देने के लिए	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रु0 10/– प्रति दस्तावेज की प्रति।	92,94
(7)	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त रु0 10/– प्रतिघंटा	92, 96
(8)	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	60	107
(9)	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिऐ जाने या उसके नवीकरण के लिए		114,116,117
	(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए	1200	
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए	900	
	(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है –		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	1200	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	900	
	(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर न हो–		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	1440	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	960	
	(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी		

	करने के लिए –		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	120	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में	90	
(10)	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए	240	123
(11)	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 2/– रु0 प्रति पृष्ठ	124
(12)	(क) टिकटों की बिक्री के लिये/ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर के लिये अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन के लिए	120	125
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए या यथास्थिति/ट्रेवल एजेन्ट/टूर के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसका नवीकरण किए जाने आदि के लिए –	240	125
	(एक) अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए	240	
	(दो) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	240	
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	60	
	(ग) (एक) बैज जारी करने के लिए	120	
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	240	

अध्याय–छः

राज्य परिवहन उपक्रम से सम्बन्धित में विशेष उपबन्ध

प्रस्थापना में समाविष्ट किए जाने वाली विशिष्टियाँ स्कीम के प्रारूप

127 धारा 99 के अधीन तैयार की गई किसी स्कीम से सम्बन्धित प्रत्येक प्रस्थापना को यथासम्भव प्ररूप एस0आर0 44 में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

आपत्तियां दाखिल करने की रीति

128 (1) धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन आपत्तियां तीन प्रतियों में, ज्ञापन के रूप में, दााखिल की जायेंगी जिसमें प्रस्थापना पर आपत्तियों का संक्षिप्त आधार दिया जायेगा।

(2) आपत्तियों का ज्ञापन सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को सम्बोधित किया जाएगा।

(3) आपत्तियों के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचनाएं भी होंगी –

(क) आपत्तिकर्ता का पूरा नाम और पता, जिस पर इस नियमावली के अधीन नोटिस और आदेशों की तामील की जानी हो, ;

(ख) क्या ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी परमिट का

धारक है या नहीं;

(ग) ऐसी परमिट या परमिटों में विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों या क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण;

(घ) क्या आपत्तिकर्ता अपनी आपत्तियों के समर्थन में सुनवाई चाहता है, यदि ऐसा है तो क्या वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होगा।

(4) आपत्तिकर्ता, चाहे तो, आपत्तियों के समर्थन में, आपत्ति के ज्ञापन के साथ शपथ–पत्र के रूप में साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है।

आपत्तियों पर विचार और उनका निपटारा करने की रीति

129 (1) इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों पर विचार और उनका निपटारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 154 के खण्ड (1) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) के अनुसरण में बनाई गई नियमावली के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसे आपत्तिकर्ताओं को जो सुने जाने के इच्छुक हों और राज्य परिवहन उपक्रम को नोटिस जारी करेगा जिसमें उन्हें स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या वकील के माध्यम से उपस्थित होने को कहेगा और आपत्तियों की सुनवाई और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिए दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन नोटिसों की तामीली –

(एक) सुनवायी के लिये नियत दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व ऐसी प्रस्थापना से आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार–पत्र में साधारण नोटिस, जिसमें सुनवाई के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान दिया जाएगा, प्रकाशित करके।

(दो) डाक प्रमाण–पत्र द्वारा आपत्तियों के ज्ञापन में दिखाए गए पते पर आपत्तिकर्ता को और राज्य परिवहन उपक्रम को सूचना भेजकर, परन्तु यह कि जहां साधारण नोटिस प्रकाशित किया गया हो वहां खण्ड (दो) में किसी बात के होते हुए भी यह समझा जायेगा कि उसकी सम्यक् तामीली आपत्तिकर्ता और राज्य परिवहन उपक्रम पर हो गई है।

(4) कोई भी आपत्तिकर्ता सुनवाई के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार आपत्तियां नहीं की गई हों।

(5) (क) ऐसा अधिकारी, यदि सुनवाई के किसी चरण पर पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो वह, पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकता है और सुनवाई समय–समय पर स्थगित कर सकता है।

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा अधिकारी आपत्तियों की अग्रतर सुनवाई के लिए दिनांक नियत करेगा और ऐसे आदेश दे सकेगा जिसे वह स्थगन से उत्पन्न खर्चे के सम्बन्ध में उचित समझे;

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी उपनियम (2) के अधीन नोटिस जारी किए जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर आपत्ति को निस्तारित कर देगा।

(6) किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का खर्च उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) ऐसे पक्षकारों की, जो उपस्थित हों, सुनवाई के पश्चात् ऐसा अधिकारी निर्णय देगा जिसमें जैसा वह उचित समझे, प्रस्थापना को अनुमोदित या उपान्तरित करेगा।

अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन

130 धारा 100 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमोदित या उपान्तरित स्कीम को यथासमय सरकारी गजट में प्रपत्र संख्या एस0आर0 45 में प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे क्षेत्र या मार्ग में, जिसे अनुमोदित स्कीम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से परमिट जारी करने के लिए आवेदन

131 (1) राज्य परिवहन उपक्रम या उसके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में मंजिली गाड़ी परमिट या किसी माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए प्रपत्र एस0आर0 46 में 200 रुपये की फीस के साथ, यदि आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाये तो 100 रुपये की फीस के साथ यदि आवेदन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाये, आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य परिवहन उपक्रम को अनुज्ञा–पत्र जारी करेगा।

(3) जैसा ऊपर कहा गया है प्रत्येक परमिट प्रपत्र एस0 आर0–47 में जारी किया जायेगा।

(4) परमिट के किसी भाग के विकृत होने की दशा में उसकी दूसरी प्रति यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भाग ''क'' के लिये एक सौ बीस रुपये या भाग ''ख'' के लिए पचास रुपये की फीस का भुगतान करने पर जारी किया जायेगा।

परिवहन यानों में पाई गई वस्तुओं का निस्तारण

132 (1) जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाये जा रहे किसी परिवहन यान में कोई वस्तु पाई जाय और उसका दावा उसके स्वामी या परेषिती द्वारा न किया जाये तो उसे राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा यान के गन्तव्य बस स्टेशन पर पहुंचने के नाशवान वस्तु की दशा में चौबीस घण्टे के भीतर और अनाशवान वस्तु की दशा में साठ दिन के भीतर बेचा जा सकता है।

(2) अनाशवान वस्तु की बिक्री के मामले में उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त गन्तव्य बस स्टेशन स्थित हो, परिचालित क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में साधारण नोटिस द्वारा नीलामी के लिए नियत दिनांक के कम से कम दस दिन पूर्व सार्वजनिक नीलामी का प्रचार किया जाएगा। ऐसा साधारण नोटिस

ऐसी नीलामी के कम से कम दस दिन के भीतर गंतव्य बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाएगा।

(3) नाशवान वस्तु के मामले में, राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु का परिस्थिति की अपेक्षानुसार किसी भी समय निस्तारण कर सकता है लेकिन ऐसी वस्तु की बिक्री करने से पहले सार्वजनिक नीलामी के दिनांक और समय की घोषणा से उक्त बस स्टेशन के परिसर के भीतर लाउडस्पीकर से की जायेगी।

आदेश की तामील की रीति

133 (1) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट के निबन्धनों को रद्द करने या उनको उपान्तरित करने वाले प्रत्येक आदेश को गजट में प्रकाशित करायेगा।
(2) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसे आदेश को उस परमिट धारक पर जो उससे सम्बन्धित है, उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर या परमिट धारक को व्यक्तिगत रूप से देकर, तामील करोयगा। यदि ऐसा आदेश उपर्युक्त रीति से तामील न किया जा सकता हो तो उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को जो उसके साथ रहता हो, देकर या उसके निवास या उसके कारबार के स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर या ऐसी किसी अन्य रीति से जिसे, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण उचित समझे, तामील किया जा सकता है।

कार्यवाही और निरीक्षण की प्रमाणित प्रतियों का जारी किया जाना

134 (1) नियम 129 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां जिसमें सुनवाई के समय दाखिल किए गए दस्तावेज और अभिलिखित किए गए कथन भी ,यदि कोई हो, सम्मिलित है, राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जायेगी।
(2) प्रतियां देने के लिए प्रभार निम्नलिखित होगा –

(एक) साधारण प्रतियों के लिए दो रुपया प्रतिपृष्ठ
(दो) अत्यावश्यक प्रतियों के लिए पाँच रुपया प्रतिपृष्ठ
(3) प्रतियों का प्रभार न्यायिकेतर (नान–जूडिशियल) स्टाम्प के रूप में देय होगा।
(4) अत्यावश्यक प्रति यथासम्भव उसके लिए आवेदन की प्राप्ति के अड़तालीस घन्टे के भीतर दी जायेगी।
(5) अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल आपत्तियों की सुनवाई की कार्रवाई से सम्बन्धित दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दस रुपये के भुगतान पर दी जाएगी जो न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में देय होगी।
(6) निरीक्षण की अनुमति केवल सम्बन्धित आपत्तिकर्ता या उसके सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता एवं राज्य परिवहन उपक्रम को भी दी जायेगी।

अध्याय – सात

मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण

सामान्य

135 (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान और उसके समस्त भागों को, जिसमें रंगाई कार्य और वार्निश भी सम्मिलित है, दरवाजों, खिड़कियों, सीटों, छतों, कमानियों, पहियों, कुशन लाइनिंग पेनल्स और समस्त फर्नीचरों और आपार्टमेंटस को स्वच्छ और अच्छी दशा में रखा जायेगा और उसका इंजन और मशीनें और समस्त कार्य करने वाले भागों को विश्वसनीय चालू हालत में रखा जायेगा।

(2) राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक मोटरयान के निर्माता अथवा उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रपत्र एसआर 47–क में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ उपनियम (4) में विहित शुल्क भुगतान करने पर वाहन का निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट समिति द्वारा किया जायेगा। यथा स्थिति सक्षम प्राधिकारी या समिति द्वारा पर्वतीय मार्गों पर वाहनों के संचालन की अनुमन्यता, व्हीलबेस, ओवर हैंग, सीटों की बनावट, आकस्मिक निकास, कर अदायगी आदि पक्षों पर विचार करते हुये अपनी संस्तुति निरीक्षण के दिनों से एक सप्ताह के भीतर परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(3) ऐसी संस्तुतियों के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन को राज्य में पंजीयन किये जाने हेतु अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(4) उपनियम (2) के प्रयोजन हेतु वाहनों के निरीक्षण शुल्क निम्न प्रकार होगा–

दुपहिया वाहन के सम्बन्ध में	रूपये 2000.00
हल्का मोटर वाहन के सम्बन्ध में	रूपये 5000.00
मध्यम एवं भारी मोटर वाहन के सम्बन्ध में	रूपये 10000.00

स्थिरता

136 (1) दो मंजिला सार्वजनिक सेवा यान की स्थिरता के सम्बन्ध में यदि बैठने की व्यवस्था के अनुसार ड्राइवर और कन्डक्टर सहित तथा प्रथम तल (दूसरी मंजिल) पर भी बैठने की व्यवस्था के अनुसार पूरी सीटें यात्रियों से भरी हों, जिसमें प्रति सवारी भार 60 किग्रा0 रखा जाय, यदि धरातल को जिस पर यान स्थिर खड़ा है इस प्रकार किसी ओर झुकाया जाये कि भूतल के केन्द्र बिन्दु से 28 डिग्री तक यान पलटने की अवस्था नहीं प्राप्त करेगी।

(2) मोटर टैक्सी से भिन्न एक मंजिला सार्वजनिक सेवायान या एक मंजिली ट्राली बस की स्थिरता के सम्बन्ध में भार के किसी भी परिस्थिति में मय व्यक्तिगत सामान के प्रति यात्री 65 किग्रा0 रखा जाये और यान रजिस्ट्रीकृत क्षमतानुसार पूरी सवारियों से युक्त हो तो यदि उस धरातल को किसी भी ओर झुकाया जाय जिस पर यान स्थिर है, धरातल के केन्द्र बिन्दु से 35 डिग्री तक वाहन पलटने की अवस्था नहीं प्राप्त करेगा।

(3) स्थिरता के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी स्टाप की ऊंचाई जिसका प्रयोग यान के पहिये के अगल–बगल फिसलने से रोकने के लिये किया जाता है, ऐसी धरातल के जिस पर यान झुकने से पहले खड़ा हो और रिम के उस

हिस्से या उस पहिये के जो इस नियम की अपेक्षा के अनुसार पहिये पर पड़ने वाले भार के फलस्वरूप ऐसी धरातल के सबसे नजदीक हो, बीच की दूरी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

बैठने का स्थान

137 (1) मोटर टैक्सी और पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में प्रत्येक यात्री के लिए युक्तियुक्त आरामदायक गद्दीदार (कुशन) सीट की जो सीधी रेखा में और प्रत्येक सीट के सामने के समकोण में नापने पर 38×38 सेन्टीमीटर से कम की नहीं होगी, व्यवस्था होगी,, और
(एक) जब सीटों को यान के किनारे रखा जाय तो एक ओर की सीटों की पीठ

दूसरी सीट की पीठ से कम से कम 1.40 मीटर की दूरी पर होगी,,

(दो) जब सीटों को यान के आर–पार लगाया जाय और सबका मुख एक दिशा में हो तो हर स्थान पर सीटों के पीठ के बीच में 70 सेन्टीमीटर से कम का स्थान नहीं होगा, और
(तीन) जब सीटों को यान के आर–पार लगाया जाये और आपस में आमने–सामने हो, तो हर स्थान पर आमने–सामने वाली सीटों की पीठ के मध्य में 1.30 मीटर से कम की दूरी नहीं होगी।
(2) सभी सीटों की पीठ की ऊँचाई सीट के तल से 50 सेन्टीमीटर होगी।

138 नियम 137 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके अध्यधीन रहते हुए खड़े यात्रियों की सीमित संख्या को वाहन में ले जाए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

गैंगवे

139 (1) मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान के प्रत्येक कक्ष में, जिसमें प्रवेश आगे से या पीछे से हो, यान के आगे से पीछे तक एक गैंगवे होगा, और
(एक) जहां सीटों को यान के किनारों के साथ लगाया गया हो वहां सीटों के

सामने से उनके बीच मापा गया कम से कम 61 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान

गैंगवे के रूप में होगा;

(दो) जहां सीटों को यान के आर–पार रखा गया हो वहां पास की सीटों के किसी भाग या उनके अवलम्बनों के बीच मार्ग (गैंगवे) के रूप में कम से कम 31 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान होगा;
(तीन) जहां या तो पीछे या पीछे के निकट एक दरवाजा और यान के किनारे की पूरी लम्बाई में एक सीट के साथ यान के ढांचे की पूरी चौड़ाई में आर–पार सीट नहीं लगी हों, वहां सीटों के बीच मापे गए गैंगवे के रूप में कम से कम 46 सेन्टीमीटर का स्पष्ट स्थान होगा।
(2) जहां प्रत्येक सीट के लिए पृथक दरवाजों के साथ यान में उसके ढांचे के पूरी चौड़ाई में आर–पार सीटें हों वहां आगे से पीछे तक गैंगवे अपेक्षित नहीं होगा।

सीटों की क्षमता

140 इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर टैक्सी या

की सीमा किसी पर्यटक यान से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान यात्रियों की ऐसी संख्या के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा जो यान के सकल यान भार और लदान रहित भार के बीच के किलोग्राम में अन्तर में से नब्बे किलोग्राम घटाने और फलांक को एक मंजिला यान की दशा में 150 से और दो मंजिले यान की दशा में 130 से भाग देने पर प्राप्त संख्या से अधिक हो या यात्रियों की ऐसी संख्या के लिए जब यान सामान्य रीति से लादा गया हो तो किसी धुरी का धुरी भार उस धुरी के रजिस्ट्रीकृत भार से अधिक हो जाये।

प्राथमिक उपचार पेटी **141** नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र की मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाइन की पूर्ण उपस्कर युक्त प्राथमिक उपचार पेटी ले जायी जायेगी जिसके साथ उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किए गये प्राथमिक उपचार सामग्री के उपयोग के लिए निर्देश होंगे।

ड्राइवर के साथ सम्पर्क **142** यात्रियों के उपयोगार्थ प्रत्येक मोटर यान में, जिसमें ड्राइवर की सीट को किसी ऐसे स्थिर विभाजन द्वारा जो आसानी से नहीं खोला जा सकता हो, किसी यात्री कक्ष से पृथक किया गया हो, ऐसे कक्ष के यात्रियों और कण्डेक्टर द्वारा ड्राइवर को यान रोकने का संकेत देने के लिए कार्यक्षम साधन की व्यवस्था होगी।

आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था **143** मोटर, टैक्सी या पर्यटक यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में, जिसमें स्थायी छत हो, घुमाव को सम्मिलित करते हुए यात्रियों के कक्ष या कक्षों में यथोचित प्रकाश देने के लिए एक या अधिक विद्युत प्रकाश होंगे, किन्तु ऐसा प्रकाश या ऐसे प्रकाश ऐसी शक्ति के होंगे या इस प्रकार प्रत्याच्छादित होंगे, जिससे ड्राइवर को सामने देखने में कोई बाधा न हो सके।

विद्युत प्रकाश का अनिवार्य होना **144** किसी भी सार्वजनिक सेवायान में बिजली के प्रकाश से भिन्न किसी प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

अतिरिक्त पहिया और औजार **145** (1) नगरपालिका और छावनी क्षेत्रों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान हर समय कम से कम एक अतिरिक्त पहिया या न्यूमेटिक टायर लगा हुआ रिम जो हवा भरकर अच्छी और ठोस हालत में तैयार हो, इस प्रकार से लगा होगा कि उसे आसानी से निकाला जा सके और यान को सडक पर चलने वाले पहियो (रोड पहियों) में से किसी पहिए में लगाया जा सके।

(2) उपनियम (1) किसी ऐसी यात्रा के पूर्ण होने के दौरान जिसके दौरान

अतिरिक्त पहिया या रिम और टायर को प्रयोग में लाना आवश्यक हो गया हो,

सार्वजनिक सेवायान पर लागू नहीं होगा।

(3) प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में हर समय सुदृढ़ जैक, हवा भरने का पम्प और पहिया या रिम और टायर को बदलने के लिए आवश्यक औजार होंगे और पन्चर की मरम्मत करने के लिए आवश्यक उपस्कर होंगे। सामने के लैम्प के लिए एक अतिरिक्त बल्ब, एक बल्ब पीछे के लैम्प के लिए और टायरों के लिए

प्रयुक्त करने की स्थिति में एक अतिरिक्त आन्तरिक ट्यूब रखा जायेगा।
(4) जहां सार्वजनिक सेवायान के अगले पहियों का आकार पिछले पहियों से भिन्न हो, वहां दो पृथक रिमों पर हवा भरे हुए टायर अच्छी दशा में या पहियों को रखा जायेगा, जिसमें एक अगले पहिये के आकार का और दूसरा पिछले पहिये के आकार का होगा।
(5) जहां कहीं भी मार्ग की प्रकृति के कारण सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ऐसा निर्देश दे, पहिया या रिमों पर चढ़ाये गए हवा भरे हुए अतिरिक्त पृथक टायर रखे जायेंगे।

ईंधन टंकियाँ

146 (1) किसी सार्वजनिक सेवायान में एक मंजिला यान की दशा में किसी प्रवेश या निकास के साठ सेन्टीमीटर के भीतर या दो मंजिला यान की दशा में निचली मंजिल पर कोई ईंधन टंकी नहीं रखी जायेगी।
(2) प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान की ईंधन टंकियो को इस प्रकार रखा जाएगा कि उससे कोई रिसाव किसी काष्ठकर्म पर न गिरे या ऐसी जगह एकत्र न हो, जहां उस पर आसानी से आग लग सकती हो। प्रचालन के साधन को बन्द करने की स्थिति यान के बाहर स्पष्ट रूप से चिन्हित की जायेगी। सभी ईंधन टंकियों को भरने की व्यवस्था यान के बाहर से होगी और बन्द करने वाला ढक्कन इस आकार का बनाया जायेगा कि उसे सुरक्षापूर्वक लगाया जा सके।

कार्बोरेटर

147 प्रत्येक सार्वजनिक यान में कार्बोरेटर और उससे जुड़े उपकरण को इस प्रकार रखा और परिरक्षित किया जायेगा कि फिटिंग के किसी भाग पर ईंधन का रिसाव न हो, जहां से यह प्रज्वलित हो सके या किसी पात्र में न गिरे जहां वह एकत्रित हो सके।

अत्यधिक ऊष्मा

148 मोटर जनरेटर या एग्जास्ट पाइप और उसके जोड़ों को ऊष्मा से बचाने के लिए प्रभावी साधन अपनाये जाएंगे जिससे यान के किसी भाग की क्षति न हो या यात्रियों को असुविधा न हो।

ज्वलनशील फिटिंग

149 विद्युत बैटरियों के संग्राहकों के सिवाय कोई भी सेलोल्यूड या अन्य अति ज्वलनशील पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवायान के अन्दर या बाहर प्रयोग नहीं किया जायेगा।

विद्युत स्तर

150 सभी विद्युत तारों, सीसों, लीडों में पर्याप्त विद्युत रोधक लगाया जायेगा।

अग्नि शामक

151 मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में इस प्रकार के और इस क्षमता के एक या अधिक अग्नि शामक जैसा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, रखे जाएंगे और ऐसे अग्नि शामकों को हर समय चालू हालत में रखा जायेगा।

मडगार्ड

152 ट्रैक्टर टेलर को छोड़कर प्रत्येक मोटर यान में, जब तक कि मोटर यान के ढांचे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदत्त न हो, पहियों के घूमने से फेंके गए कीचड़ और पानी को जहां तक व्यवहार्य हो रोकने के लिए मडगार्ड या तत्समान अन्य फिटिंग्स की व्यवस्था की जाएगी।

खड़े होने का स्थान

153 मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में निम्नलिखित आंतरिक ऊँचाई या खड़े होने के लिए स्थान होगा। जो यान के केन्द्र में फ्लोर बोर्ड या तख्तों (बटन्स) से छत के निचले अवलम्ब तक नापी जायेगी।

(एक) एक मंजिला यान की दशा में 1.75 मीटर से कम और 2 मीटर से अधिक नहीं होगा, या

(दो) दो मंजिला यान की दशा में सम्बंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी खड़े होने का स्थान निश्चित करेंगे;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में, जो केवल किसी विशेष नगरपालिका या छावनी क्षेत्र और उनके आस–पास चलाया जाता हो, उपर्युक्त मापों में परिवर्तन कर सकता है।

ड्राइवर की सीट

154 (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में ड्राइवर की सीट के लिए इतना स्थान आरक्षित होगा जिससे वह यान पर पूर्ण और निर्बाध नियंत्रण रख सके और विशिष्टत :–

(एक) सीट का वह भाग जिस पर ड्राइवर की पीठ टिकती है, स्टेयरिंग व्हील

के निकटतम बिन्दु से 35 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा

(दो) यान के आर–पार चौडाई 70 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी और स्टेयरिंग कालम के केन्द्र के बायीं ओर उसका विस्तार किसी भी दशा में 25 सेन्टीमीटर. से कम नहीं होगा, ताकि किसी गियर लीवर, ब्रेक लीवर या अन्य युक्ति जिस पर बारम्बार ड्राइवर की पहुंच आवश्यक है, के केन्द्र से होती हुई यान की धुरी के समानान्तर खींची गई कोई रेखा ड्राइवर की सीट के लिए आरक्षित यान के अन्दर की चौड़ाई 6.5 सेन्टीमीटर से कम दूरी पर नहीं पड़ेगी।

(तीन) किसी मोटर टैक्सी या किसी पर्यटक यान से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवायान की दशा में उपरोक्त खण्ड (दो) के अनुसार आरक्षित स्थान को बांये हाथ की ओर अन्तिम भाग और सीट के सामने के हिस्से को यान के फर्श के ऊपर किसी कठोर लकड़ी के या अन्य उचित विभाजन से जो कम से कम सीट से ऊपर 31 सेन्टीमीटर ऊंचा होगा, घेर दिया जायेगा;

परन्तु यह कि इस निमित राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी इस नियम के उपबन्धों को शिथिल करने का आदेश दे सकता है।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट स्थान के भीतर ड्राइवर के लिए 10 सेन्टीमीटर से अनधिक चौड़ाई के हत्थे की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) किसी भी सार्वजनिक सेवायान का निर्माण इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति ड्राइवर के दाएं हाथ की तरफ बैठ सके या कोई सामान ले जाया जा सके।

(4) प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान का इस प्रकार निर्माण किया जाएगा कि ढांचे के सामने स्तम्भ के सिवाय ड्राइवर को सामने और दाएं हाथ से 90 अंश के कोण से स्पष्ट दिखाई दे। ढांचे का सामने का स्तम्भ इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि ड्राइवर की दृष्टि को कम से कम बाधित करे।

दरवाजों की चौड़ाई

155 मोटर टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न सार्वजनिक सेवायान का प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार कम से कम 55 सेन्टीमीटर. चौड़ा और पर्याप्त ऊँचाई का होगा।

ग्रैब रेल

156 मोटर टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार में आपातकालीन निकासी के सिवाय, यात्रियों को यान में चढ़ने या उससे उतरने में सहायता के लिए एक ग्रैब रेल लगाया जाएगा।

सीढ़ियाँ

157 (1) मोटर टैक्सी या पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में आपात निकास के भिन्न किसी प्रवेश या निकास द्वार की सबसे नीचे की सीढ़ी के पायदान का सिरा जब यान खाली हो, भू–तल से 45 सेन्टीमीटर से अधिक या 25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा। सभी सीढ़ियां ऐसी बनाई जाएंगी कि उसके पायदान में फिसलन न हो, सीढ़ियों की चौड़ाई 25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी और किसी भी प्रकार यान के ढांचे से बाहर न निकली हों, जब तक कि उन्हें फ्रन्ट विंग द्वारा (या अन्यथा) इस प्रकार सुरक्षित न कर दिया जाये कि उनसे पैदल चलने वालों को चोट लगने की संभावना न हो।

(2) दो मंजिला यान की दशा में –

(एक) नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल को ले जाने वाली सभी सीढ़ियों के खड़पट्ट घिरे होंगे और ऊपर पहुंचने के फलक पर कोई असुरक्षित छिद्र नहीं होगा।

(दो) नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल को ले जाने वाली सभी सीढ़ियों में ऐसे पायदान लगाये जाएंगे, जिनमें फिसलन न हो।

(तीन) सबसे ऊंची सीढ़ी के खड़पट्ट के निकटतम बिन्दु से, सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फलक (बोर्ड) के सम्मुख किसी ग्रैब रेल को जो सीट के पृष्ठ भाग से 8 सेन्टीमीटर से अधिक बाहर नहीं निकली (प्रक्षिप्त) हो, गुजरने वाली उर्ध्वगामी रेखा तक की क्षैतिज दूरी 65 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(चार) किसी बाहरी सीढ़ी का बाहरी फलक (बोर्ड) इस प्रकार निर्मित किया जायेगा या कोई फट्टा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह चढ़ने और उतरने वाले व्यक्तियों के बचाव का कार्य करे। बाहरी सीढ़ी के प्रत्येक पायदान के सामने के ऊपर जंगले (गार्ड रेल) की ऊंचाई एक मीटर से कम नहीं होगी।

सामान का ले जाया जाना

158 प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में युक्तियुक्त मात्रा में सामान ले जाने के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था की जाएगी और पर्याप्त संख्या में जंजीर, पट्टे या ऐसे सामान को सुरक्षित करने के अन्य साधन होंगे। यान की छत पर कोई सामान तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार का गार्ड रेल न लगा हो और बरसात के मौसम में सामान की सुरक्षा के लिए उचित जलरोधी आवरण की व्यवस्था न हो। आवरण को सुरक्षापूर्वक बांधा जाएगा जिससे फड़फड़ाहट न हो।

गद्दी

159 जहां किसी सार्वजनिक सेवायान की सीटों पर अचल या चल गद्दी लगी हो, तो गद्दी को उचित सामग्री से भरा जाएगा और अच्छी गुणवत्ता के चमड़े या कपड़े से या अन्य उचित सामग्री से, जो साफ सुथरी दशा में रखी जा सके, ढका जायेगा।

ढांचे का आयाम और गार्ड रेल

160 (1) किसी मोटर टैक्सी या किसी पर्यटन यान से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि उसके ढांचे के लम्बाई, चौडाई और जंगले (आयाम और गार्ड रेल) निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों : –

(एक) बंद ढांचे के साथ एक मंजिला यान की दशा में –

(क) यथास्थिति फर्श से ढांचे के किनारों की ऊंचाई या खिड़कियों के निचले हिस्से तक की ऊंचाई 70 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(ख) यदि यथास्थिति ढांचे के किनारों की या खिड़की के निचले हिस्से की ऊंचाई किसी सीट की अधिकतम ऊंचाई के ऊपर 45 सेन्टीमीटर से कम हो तो बगल से गुजरने वाले यानों द्वारा बैठे हुए यात्रियों की बाहों को दबने या चोट लगने से रोकने के लिए गार्ड रेल की या अन्यथा व्यवस्था की जाएगी या बगल की खिड़कियों या रोशनदानों को नीचे लाये जाने की सीमा इतनी हो सकती है कि जब उसको नीचे लाया जाय तो उनका ऊपरी किनारा किसी सीट के अधिकतम ऊंचाई के ऊपर 45 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

(दो) किनारों पर खुले एक मंजिला यान की दशा में यान के दाहिने हाथ की ओर ड्राइवर से भिन्न किसी व्यक्ति को उस ओर से यान पर चढ़ने और उससे उतरने से रोकने के लिए गार्ड रेल की व्यवस्था की जायेगी।

(तीन) अनावृत ऊपरी मंजिल वाले दो मंजिला यान की दशा में ऊपरी मंजिल में साइड और एण्ड रेलों की व्यवस्था की जायेगी, जिसका ऊपरी सिरा डेक बोर्डो से या फर्श पर लगी लकड़ी की पट्टियों से किनारों पर कम से कम 90 सेन्टीमीटर और सीट के अधिकतम ऊंचे भाग से 46 सेन्टीमीटर होगा और सामने के और पीछे की रेलों का ऊपरी सिरा डेक बोर्डों या फर्श पर लगी लकड़ी की पट्टियों के ऊपर कम से कम एक मीटर होगा और मंजिल के कक्ष के पीछे होगा।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए सीट के पीठ को सीट का कोई भाग नहीं समझा जायेगा।

यात्रियों को मौसम से बचाना

161 (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान को या तो स्थिर और जलरोधी छत सहित निर्मित किया जायेगा या जलरोधी छत्ती (हुड) से, जिसे अपेक्षानुसार ऊपर से नीचे किया जा सकता है, लैस होगा।

(2) अनावृत ऊपरी मंजिल से युक्त किसी दो मंजिला यान के मामले को छोड़कर प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान में उपयुक्त खिड़कियां, रोशनदान या पर्दे जो यान में पर्याप्त संवातन की व्यवस्था को बाधित किए बिना हर समय यात्रियों को मौसम से बचाने के लिए सक्षम हों। यदि पर्दे कपड़े से बने हों तो वे सम्पूर्ण रूप से यान से सुरक्षित रूप से हर समय बंधे रहेंगे।

(3) जब शीशे की खिड़कियां या रोशनदान प्रयोग किया जाए तो उन्हें खड़खड़ाने से बचाने के लिए प्रभावी साधनों की व्यवस्था होगी।

फलोर बोर्ड

162 (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान का फर्शी तख्ता (फ्लोरवोर्ड) मजबूत होगा और उसे ध्यानपूर्वक बैठाया जायेगा ताकि वह धूल और हवा के झोंकों को रोक

सके।
(2) फर्शी तख्ता में किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं अपितु केवल नाली के प्रयोजन के लिए ही छिद्र बनया जाएगा।

परिवहन यानों का रंगा जाना

163 (1) नियम 111 और उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटर यान यथा जीप और कमान्डर कार जो मूल रूप से सेना की रही हो, उन्हें निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग से पेंट किया जायेगा –
(क) सफेद (ख) काला (ग) हरा
(2) प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटरकार इस रंग संयोजन में नही रंगी जायेगी।
(3) सेना के किसी मोटर यान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिए सामान्यता प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए पर्यटन मोटर टैक्सी का तात्पर्य किसी ऐसी मोटर टैक्सी से है, जिसे मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ले जाने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ठेका गाड़ी परमिट जारी किया गया।

ध्वनि संकेत के उपयोग पर प्रतिबंध

164 (1) किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए अन्य युक्ति, जिससे मोटर यान सुसज्जित हो, को अनावश्यक या लगातार या ऐसी सीमा से बाहर जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त आवश्यक हो, नहीं बजायेगा।
(2) जिला मजिस्ट्रेट यथास्थित कथित शहर या जिले में एक या अधिक समाचार–पत्रों में अधिसूचना द्वारा और जैसा कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ''क'' में दिया गया है, अनिवार्य चिन्ह संख्या एम0–18 का उचित स्थान पर परिनिर्माण करके ऐसे शहर या जिले के भीतर किसी क्षेत्र में और ऐसे समय के दौरान जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, श्रवण चेतावनी देने के लिए मोटरयानों के ड्राइवरों द्वारा किसी हार्न, गाँग या अन्य युक्ति के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है;

परन्तु जब जिला मजिस्ट्रेट कतिपय विनिर्दिष्ट समय के दौरान श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी हार्न, गाँग या अन्य युक्ति के उपयोग को प्रतिषिद्ध करे तो वह उचित सूचना को अंग्रेजी में और उस नगर या जिले की लिपि में, ऐसे समय का उल्लेख करते हुए जिसके भीतर ऐसा उपयोग इस प्रकार प्रतिषिद्ध है, यातायात चिन्ह के नीचे चिपकवाएगा।

खतरनाक प्रक्षेप

165 (1) किसी सुभंकर या अन्य तत्समान फिटिंग या युक्ति को, जब तक कि ऐसे सुभंकर से उसके ऊपर के बाहर निकलें किसी भाग (प्रक्षेप) के कारण किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की सम्भावना न हो, अधिनियम के अधीन

रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान द्वारा किसी ऐसी स्थिति में जिसमें किसी व्यक्ति को, जिससे यान टकरा सकता है, आघात पहुंचने की सम्भावना हो, नहीं ले जाया जायेगा।

(2) किसी मोटर यान को, जो इस प्रकार निर्मित हो कि उसका कोई एक्सिल हब या हब कैप पार्श्विक रूप में पहिये के जिसमें वह जुड़ा हो, रिम से 10 सेन्टीमीटर से अधिक बाहर हो, जब तक कि हब या हब कैप या तो यान के ढांचे द्वारा या पार्श्व भाग द्वारा या पृथक रक्षक द्वारा भलीभांति रक्षित न हो, उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

ऑटो रिक्शा का निर्माण और उपस्कर

166 इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऑटो रिक्शा को निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निर्मित और सुसज्जित किया जायेगा –

(1) किसी स्कूटर पर प्रत्येक ऑटो रिक्शा का ढांचा नवीनतम नमूने के यान पर या ऐसे यान पर जो चार वर्ष से अधिक पहले रजिस्ट्रीकृत न हुआ हो, बनाया जाएगा।

(2) ढांचे का प्रकार और सामग्री –

(एक) प्रत्येक ऑटो रिक्शा का ढांचा या तो किसी स्टेशन वैगन या बॉक्स के प्रकार का या ऐसी किराए की (हैकनी) गाड़ी के प्रकार का होगा जैसा कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार सुदृढ़ बनाया गया हो और उसे यान के फ्रेम से सुरक्षित कसा गया हो। उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की होगी।

(दो) छत का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि वह यात्रियों को धूप और वर्षा से बचा सके और वह या तो धातु की शीट (चादर) या कैनवास या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री की होगी।

(तीन) प्रत्येक ऑटो रिक्शा में दांया भाग या तो बैठे हुए यात्रियों की कमर तक स्थित दरवाजे द्वारा निरुद्ध होना चाहिए या दो धातु की छड़ें इस प्रकार लगी होनी चाहिएं कि एक दूसरे में 15 सेन्टीमीटर की दूरी हो और नीचे वाली छड़ यात्री के नितम्ब के स्तर पर हो और दोनों छड़ों के दानों किनारों पर वेल्ड किया गया हो।

(3) **ओवरहैंग** – ढांचे का ओवरहैंग और जो अगले पहिये के केन्द्र और पिछली धुरी के मध्य बिन्दु से के बीच ऑटो रिक्शा के निकास के लम्बवत तल की दूरी के इक्तालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(4) **कुल चौड़ाई** – कुल चौड़ाई जो बाह्यतम बिन्दुओं को घेरते हुए तल की धुरी के समकोण पर मापी जाये, 1.42 मीटर से अधिक और 1.36 मीटर से कम नहीं होगी।

(5) **कुल ऊंचाई** – उस सतह से जिस पर ऑटो रिक्शा खड़ा हो, मापी गई कुल ऊंचाई 1.83 मीटर से अधिक नहीं होगी और फ्लोर बोर्ड और छत के बीच 1.22 मीटर का स्पष्ट अन्तर होगा।

(6) **सड़क निर्वाधन** – प्रत्येक ऑटो रिक्शा का सड़क निर्वाधन (रोड क्लीयरेन्स) 20.5 सेन्टीमीटर से अधिक और 10.2 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(7) **फर्श का निर्वाधन** – फर्श उस सतह से जिस पर ऑटो रिक्शा खड़ा होता है, 56 सेन्टीमीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होगा।

(8) **बत्ती** – ऑटो रिक्शा के सामने बाडी पर एक शीर्ष और दोनों ओर बगल में रंगहीन दो शीर्ष बत्तियां होंगी। ऑटो रिक्शा के सामने की बत्तियों के अतिरिक्त पीछे एक बत्ती लगी होगी जिसके पीछे ऐसी लाल रोशनी होगी जो 152.40 मीटर की दूरी से देखी जा सके और वह यान को प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को सफेद रोशनी इस प्रकार प्रकाशित करेगी कि उक्त चिन्ह 15.24 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके और साथ ही पिछले मडगार्डों पर अंधेरे में देखे जा सकने योग्य दो परावर्तक भी लगे हों जिससे कि पीछे से आने वाले यातायात को चेतावनी मिल सके कि आगे कोई ऑटो रिक्शा है। यदि मडगार्ड का उपयोग न किया जाये तो पीछे अंधेरे में देखे जा सकने योग्य परावर्तक लगाने का विकल्प होगा।

(9) **ड्राइवर की सीट** – ड्राइवर की सीट का पृष्ठ भाग बाडी के अगले पैनल से कम से कम 10 सेन्टीमीटर के अन्तर पर होना चाहिए। ड्राइवर के लिए वायुरोधक शीशे (विण्ड स्क्रीन) की व्यवस्था की जायेगी।

(10) **सीट** – (एक) उसमें एकल सीट की व्यवस्था होगी जिसकी लम्बाई 1. 15 मीटर से अधिक और 91.5 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी। सीट का अन्तर्विस्तार 40.5 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

(दो) सीट का पृष्ठ भाग तिरछा होगा और उसकी कुल ऊंचाई सीट से लगभग 48 सेन्टीमीटर होगी।

(तीन) सीट में आबद्ध या खिसकाई जा सकने वाली गद्दियां बनी होंगी। गद्दियों पर अच्छे किस्म का चमडा या इसी प्रकार की अन्य सामग्री चढ़ी होगी जिससे कि उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जा सके।

(चार) फर्श से सीटों की ऊँचाई जिसमें गद्दी भी सम्मिलित है 35.6 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(11) **पांव रखने के लिए स्थान** – तीन यात्रियों वाली ऑटो रिक्शा में कम से कम 38 सेन्टीमीटर के पाद स्थान की व्यवस्था होगी।

(12) **हार्न** – प्रत्येक ऑटो रिक्शा में एक बल्ब हार्न लगा होगा।

गति

167 कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑटो रिक्शा को जिसमें ड्राइवर की सीट छोड़कर तीन सीट हों, किसी सार्वजनिक स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक गति से न तो चलायेगा, न चलाने देगा और न चलाने देने की अनुज्ञा देगा।

मोटर यानों का निरीक्षण

168 (1) परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास का कारण हो कि यांत्रिक दोषों के कारण कोई यान ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान में उसके प्रयोग से जन साधारण को खतरा है या वह अधिनियम के अध्याय सात या तद्धीन बनाई गई नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल है तो वह ऐसे यान का अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से निरीक्षण करा सकता है और यान के स्वामी को धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित किसी प्रत्यावेदन को देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त धारा के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को सम्यक् मरम्मत के पश्चात् यान को निरीक्षण के लिए पेश करने की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसे निरीक्षण के लिए केन्द्रीय नियमावली के नियम 81 की क्रम

संख्या ''11'' पर यथाविहित फीस होगी और वह अधिनियम की धारा 41 की

उपधारा (8) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्र के साथ होगी।

(3) ऐसी फीस अग्रिम रूप मे देय होगी और वापस नहीं की जाएगी।

(4) धार्मिक यात्रा पर पर्वतीय मार्गों पर जाने वाली सवारियों के परिवहन में लगे सार्वजनिक सेवायान को उसके ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, मार्ग परमिट, कर जमा प्रमाण, बीमा प्रमाणपत्र, चालक लाईसेन्स की जॉच करने के पश्चात ''ग्रीन कार्ड'' जारी किया जायेगा। ''ग्रीन कार्ड'' एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें वाहन से सम्बन्धित उक्त अभिलेखों का विवरण अंकित होगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन ''ग्रीन कार्ड'' जारी करने से पूर्व केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 के परन्तुक में दी गयी सारणी में दी गयी मदों के अनुसार यान के निरीक्षण यथास्थिति ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक या उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले अन्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण में पर्वतीय मार्गों पर परिवहन यान से सम्बन्धित राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दिये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे निरीक्षण में उपयुक्त पाये गये यान को धार्मिक यात्रा पर पर्वतीय मार्गों पर सवारियों के परिवहन के लिये ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा, जिसकी वैधता दो माह होगी।

(6) उपनियम (5) के अन्तर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी परन्तु उसी यात्रा अवधि में अनुवर्ती निरीक्षण के समय कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत किया जाना

169 (1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे –

(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रु0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मा0 किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;

(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी/संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;

(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, भू–स्वामित्व/किरायानामा का प्रमाण, विद्युत संयोजन (कनैक्शन) का प्रमाण;

(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पाटर्नर शिप डीड) की प्रति;

(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची;

(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।

(2) प्राधिकार पत्र जारी और उसका नवीकरण करने की फीस–

(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000

(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000

(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानों के लिए रु0 4000

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तावित प्रदूषण जांच केन्द्र, उसमें स्थापित संयंत्रों व उपकरणों का निरीक्षण परिवहन विभाग के अधिकारी जो ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से कराया जायेगा। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुतियों के साथ परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।

(4) परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किये जाने पर अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र प्रपत्र एस0आर0–49 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किया जायेगा;

(एक) एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 में निर्धारित किये गये मानकों के स्तर की माप के लिए उस नियमावली के नियम 116 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रकार के उपकरणों की स्थापना की जायेगी तथा उन्हें समय–समय पर केन्द्रीय नियमावली में किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चीकृत किया जायेगा/बदला जायेगा।

(दो) प्राधिकार–पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या स्वैच्छिक संस्था के मामले में सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 में पंजीयन की अवधि तक या अनुमोदित गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनी, पेट्रोल पम्प के मामले में की डीलरशिप की वैधता की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।

(तीन) ''प्रदूषण नियन्त्रण में है'' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम 40 रुपया शुल्क लिया जा सकेगा।

(चार) 'प्रदूषण नियंत्रण में है' प्रमाण–पत्र का प्ररूप सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त, कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/उपसम्भागीय कार्यालय से 10 रुपया प्रति प्ररूप जमा कराने पर

उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः उसी प्ररुप पर 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करना होगा। इस प्रकार जारी किये गये प्रमाण–पत्रों की सूचना एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दी जायेगी।

(पांच) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि एवं निर्माता द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(छः) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा केन्द्र पर जांच किए गए वाहनों की मासिक सूचना ऐसे प्ररूप में जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाये, सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(सात) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ऐसी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(आठ) प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा स्थापित जांच केन्द्रों का समय–समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, निरीक्षण किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकृत एजेन्सी, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्थान में प्रदूषण नियन्त्रण में है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उतनी संख्या में सचल जांच केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितनी तद्नुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाय। ऐसे सचल जांच केन्द्रों पर वे सभी शर्ते लागू होंगी जो प्राधिकृत एजेन्सी पर लागू होती है। ऐसे सचल जांच केन्द्र के लिए प्राधिकृत एजेन्सी को अलग से उपकरण लगाना होगा और इस हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

(6) यदि प्राधिकृत एजेन्सी वैधता की अवधि से पूर्व कार्य बन्द करना चाहती है तो प्रतिभूति की राशि अधिकृत यान के स्वामी/प्रतिनिधि को समस्त साझेदारों की लिखित सहमति पर वापस की जा सकेगी।

दर्पण

170 परिवहन यान से भिन्न प्रत्येक मोटर यान या दो से अनधिक पहिये वाली किसी मोटर साइकिल में जिसमें साइड कार न लगी हो, अन्दर या बाहर से और प्रत्येक परिवहन यान में बाहर से दर्पण इस प्रकार लगाया जायेगा कि ड्राइवर को पीछे से आने वाले यान का स्पष्ट और साफ चित्र दिखाई दे।

मोटर साइकिलों और अशक्त गाड़ियों के साथ ट्रेलरों का निषेध

171 (1) दो से अनधिक पहियों की मोटर साइकिल जिसमें साइड कार लगी हो या न लगी हो, अनुयान (ट्रेलर) को नहीं खींचेगी।

(2) कोई अशक्त गाड़ी ट्रेलर को नहीं खींचेगी।

कतिपय यानों के साथ ट्रेलर जोड़ने का निषेध

172 (1) तीन से अधिक ट्रेलरों को जोड़कर कोई मोटर यान किसी स्थान पर नहीं चलाया जायेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा जिसमें उसके

कारण समाविष्ट हों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें उसमें

विनिर्दिष्ट किया जाये, ट्रेलरों को या किसी विशिष्ट प्रकार के ट्रेलर को,

सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र में किसी मोटर यान या मोटर यानों के

वर्ग से जोड़ने पर निषेध या रोक लगा सकता है।

(3) कोई मोटर यान जिसकी लम्बाई 7.95 मीटर से अधिक हो, ट्रेलर को नहीं खींचेगाः
परन्तु यह नियम किसी ऐसे अशक्त मोटर यान पर लागू नहीं होगा जो अशक्त होने के फलस्वरूप खींच कर ले जायी जा रही हो।
(4) कोई मोटर यान या एक या अधिक ट्रेलरों को जोड़कर किसी मोटर यान से बनाई गई कोई ट्रेन यदि ऐसा मोटर यान या ऐसी ट्रेन की लम्बाई 22.85 मीटर से अधिक हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाई जाएगी।
(5) किसी ऐसे ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान से नहीं जोड़ा जायेगा या उसके द्वारा नहीं खींचा जायेगा यदि ट्रेलर का लदान सहित भार नीचे दी गई सीमाओं से अधिक हो –
(एक) सभी पहियों पर न्यूमेटिक टायर लगे हुए ट्रेलर 8,982 किलोग्राम
(दो) सभी पहियों पर न्यूमेटिक टायर से भिन्न लगे हुए टायर से युक्त ट्रेलर 3,982 किलोग्राम.

ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर

173 कोई ट्रैक्टर किसी ऐसे ट्रेलर को किसी सार्वजनिक मार्ग पर नहीं खींचेगा जिसका लदान रहित भार आधा टन से अधिक हो और जिसमें साठ सेन्टीमीटर से कम व्यास की ठोस स्टील के पहिये लगे हो।

स्थानीय विनिर्मित ट्रेलर विनिर्दिष्टियां और बनावट (डिजाइन)

174 (1) भारत में निर्मित और परिवहन यान के रूप में प्रयोग करने के लिए आशयित किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी बनावट निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अनुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित न की गई हो :
परन्तु जहां परिवहन आयुक्त ने उपनियम (4) के अधीन ऐसे ट्रेलरों के लिये

मानक बनावट विनिर्दिष्ट कर दी हो, वहां ऐसा अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक

नहीं होगा, यदि ट्रेलर का निर्माण इन मानक बनावटों में से किसी एक के

अनुसार किया गया हो।

(2) (क) किसी ऐसे ट्रेलर की, जिसका विनिर्माण उपनियम (4) में निर्धारित मानक वनावटों में से किसी एक के अनुसार न किया गया हो, बनावट के अनुमोदन के लिए आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में, परिवहन आयुक्त को दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ नकद रूप में 5000 रुपये की फीस (जो वापस नहीं की जायेगी) और निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रतियां भेजी जायेंगी –
(एक) पूर्ण विनिर्दिष्टियां,
(दो) नक्शा (ड्राइंग) जिसमें समस्त आयाम और ब्यौरे दिए जायेंगे, और
(तीन) निम्नलिखित की बनावट की माप–जोख (डिजाइन केल्कुलेशन) का सेट –
धुरी (एक्सेल), स्प्रिंग, लॉग वियररर्स, क्रॉस वियररर्स, प्लेट फार्म टैंक, या जो कुछ भी क्रास बियरर्स पर ले जाया जाये, दो छड़ें, दो धुरी वाले ट्रेलरों की स्थिति में

अगली धुरी के लिए टर्न टेबिल या कोई अन्य स्क्राइबिंग युक्ति, ब्रेक व्यवस्था और कोई भी अन्य मद, जैसे शॉक एब्जौर्वर, यदि सम्मिलित हो, चेसिस आदि।

(ख) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त, उससे संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां सहित उसे ऐसे प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसे वह ट्रेलर के सम्बन्ध में अधिकतम लदान और धुरी भार के, जो युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप हो, सत्यापन और सिफारिश के लिए उचित समझे।

(ग) तत्पश्चात् खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी बनावट और नाप जोख को देखेगा और यदि वह बनावट को संतोषजनक पाये तो वह प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में ट्रेलर का अधिकतम लदान भार और धुरी भार क्या होगा जो यथोचित सुरक्षा के अनुरूप हो।

(घ) जब प्राधिकारी द्वारा कोई डिजायन संतोषजनक पाई जाये, तब वह अनुमोदित डिजायन, विनिर्दिष्टियों और नाप–जोख की दो प्रतियों को युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप अधिकतम लादे गए भार और धुरी भार के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों सहित परिवहन आयुक्त को लौटा देगा। तत्पश्चात् परिवहन आयुक्त बनावट (डिजायन) को अनुमोदित करेगा और अपने प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए भेजेगा।

(ङ) आवेदक अपने डिजायन का अनुमोदन हो जाने पर यदि वह ट्रेलर का विनिर्माण व्यापार के लिए करना चाहता हो, परिवहन आयुक्त को अनुमोदित प्रकार की बनावट, विनिर्दिष्टियों और नाप–जोख को उतनी अतिरिक्त प्रतियां भेजेगा जितनी उसे विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को उनके अभिलेख के लिए भेजने के लिए अपेक्षित हो।

(3) उपनियम (4) के अधीन प्रकाशित किसी मानक बनावट के अनुसार विनिर्मित न किए गए किसी ट्रेलर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र के साथ परिवहन आयुक्त के उस पत्र को, जिसमें उसने उपनियम (2) के अधीन उसकी बनावट का अनुमोदन किया हो, एक सत्यापित प्रति होगी।

(4) परिवहन आयुक्त सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके सभी या किसी विशिष्ट प्रकार के ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में मानक, बनावट, विनिर्दिष्टियां और नाप–जोख निर्धारित कर सकता है।

(5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकता है यदि उसकी बनावट उपनियम (2) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित न की गई हो या यदि उसकी राय में ट्रेलर उपनियम (4) में निर्धारित मानक विनिर्दिष्टियां, नक्शे और बनावट के अनुसार निर्मित न किया गया हो। यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इस उपनियम के अधीन किसी ट्रेलर का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करे तो वह इस प्रकार इन्कार किए जाने के कारण लिखित रूप में आवेदक को सूचित करेगा।

(6) पूर्ववर्ती, उपनियमों की कोई बात किसी ऐसे ट्रेलर पर लागू नहीं होगी जिसकी डिजायन किसी अन्य राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया हो;

परन्तु सम्बन्धित राज्य उत्तराखण्ड राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बनावट के विनिर्माता को उसी प्रकार की सुविधा दे और यह कि विनिर्माता या उसका प्राधिकृत संयोजक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज, दो प्रतियों में, और ऐसे अन्य राज्य में डिजायन के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र या अन्य साक्ष्य परिवहन आयुक्त को भेजेगा।

ट्रेलरों के

175 (1) जब किसी ट्रेलर या ट्रेलरों को मोटर यान द्वारा खींचा जा रहा हो, तो

परिचारक

यथास्थिति ट्रेलर या ट्रेलरों में या खींचने वाले मोटर यान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को ले जाया जाएगा जो बीस वर्ष की आयु से कम न हों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों, अर्थात् –

(क) यदि मोटर यान के ड्राइवर या उस यान पर चलने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रेलर या ट्रेलरों के ब्रेक को संचालित न किया जा सकता हो,तो –

(एक) प्रत्येक ट्रेलर पर एक व्यक्ति को,जो ब्रेक लगाने में सक्षम हो, और

(दो) आगे निकलने वाले यानों के ड्राइवरों को संकेत देने और खींचने वाले मोटर यान के ड्राइवर को संसूचित करने के लिए किसी ट्रेन के अन्तिम ट्रेलर पर या उसके पिछले हिस्से के निकट एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में रखा जायेगा कि वह ट्रेलर के पीछे की सड़क को स्पष्ट रूप से देख सके।

(ख) यदि ट्रेलर के ब्रेकों को खींचने वाले मोटर यान के चालक द्वारा या उस यान पर ले जाये जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता हो तो चालक के अतिरिक्त ऐसे अन्य व्यक्ति को उस वाहन पर ले जाया जाएगा और खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अनुसार यान के अन्तिम ट्रेलर में एक व्यक्ति को ले जाया जाएगा।

(ग) यदि ट्रेलर या ट्रेलरों को किसी वाष्प इंजन द्वारा खींचा जा रहा हो तो इस बात के होते हुए भी कि ट्रेलर या ट्रेलरों के ब्रेकों को ड्राइवर द्वारा या वाष्प इंजन पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। ट्रेन में प्रत्येक ट्रेलर पर कम से कम एक व्यक्ति और अन्तिम ट्रेलर पर कम से कम दो व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) की अपेक्षानुसार होगा।

(2) यह नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा–

(क) किसी ऐसे ट्रेलर पर जिसमें दो से अधिक पहिये न हों और लदान भार 770 किलोग्राम से अधिक न हो जब वह अकेला प्रयोग में लाया जाये और अन्य ट्रेलरों के साथ ट्रेन में न हो;

(ख) किसी संयुक्त यान के पीछे के अर्द्ध भाग पर;

(ग) ऐसे किसी ट्रेलर पर जो खींचने वाले यान के प्रयोजनों के लिए जल ले जाने के लिए अकेला प्रयुक्त किया जाये और अन्य ट्रेलरों के साथ ट्रेन में न हो;

(घ) किसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने वाले किसी कृषि सम्बन्धी या सड़क बनाने वाले या सड़क की मरम्मत करने वाले या सड़क की सफाई करने वाले उपकरण पर, या

(ङ) किसी ऐसे ट्रेलर पर जो किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित या अनुकूलित किया गया हो जिस पर किसी परिचारक को सुरक्षापूर्वक नहीं ले जाया जा सकता हो;

(च) किसी ऐसे बन्द ट्रेलर पर जिसे किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया हो और जिसे विशेष रूप से इस नियम के किसी या समस्त उपबन्धों से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी लिखित आदेश द्वारा इस प्रकार दी गई छूट की सीमा तक छूट दी गई हो।

ट्रेलरों और उनको खींचने वाले यानों के लिए सुभेदक चिन्ह

176 (1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे किसी मोटर यान को जिससे एक ट्रेलर या कई ट्रेलर जुड़े हों तब तक नहीं चलायेगा न चलाने की प्रस्थापना करेगा और न चलवायेगा जब तक कि ट्रेलर या ट्रेलरों की ट्रेन को खींचने वाले यान के अग्र भाग पर और यथास्थिति ट्रेलर से या ट्रेलरों से बनी ट्रेन में अन्तिम ट्रेलर के पीछे भी इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में निहित

रेखा चित्र में दिए गए रूप में काली पृष्ठ भूमि पर सफेद रंग में पहचान (सुभेदक) चिन्ह प्रदर्शित न किया गया हो।

(2) चिन्ह स्वच्छ और स्पष्ट रखे जाएंगे और उसे ट्रेलर या खींचने वाली यान पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि –

(क) चिन्ह का अक्षर सीधा हो और ट्रेलर के पीछे से और खींचने वाले यान के सामने से आसानी से दिखायी दे सके,

(ख) चिन्ह या तो ट्रेलर के पीछे केन्द्र में हो या दाहिनी ओर खींचने वाले यान के अग्रभाग के केन्द्र में या ड्राइवर के कैब के बाहर और वातरोध शीर्ष के ऊपर हो, और

(ग) ट्रेलर की स्थिति में, उसका कोई भाग भूमि से 1.22 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर न हो।

(3) यह नियम, नियम 175 के उपनियम (2) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट मामलों पर लागू नहीं होगा।

मालवाहन द्वारा ट्रेलर या अर्द्ध–ट्रेलर का खींचा जाना

177 मालवाहन परमिट धारक किसी ट्रेलर या अर्द्ध– ट्रेलर को, जो उसका न हो, खींचने के लिए वाहन का उपयोग ऐसी शर्तों के, अधीन रहते हुए कर सकता है, ऐसा माल वाहन और ट्रेलर या अर्द्ध– ट्रेलर इस नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

अध्याय – आठ

यातायात का नियंत्रण

प्रतियोगिता और प्रदर्शनी

178 कोई भी व्यक्ति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यानों के प्रदर्शन की किसी प्रतियोगिता में न तो भाग लेगा न उसे प्रोत्साहन देगा न उसका आयोजन करेगा, न प्रबन्ध करेगा, न शर्त लगायेगा।

मुख्य सड़कों को अभिहित करना

179 धारा 116 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के सन्दर्भ में और राज्य परिवहन प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी सड़क को मुख्य सड़क के रूप में अभिहित करने की शक्ति होगी।

मोटर यान के प्रयोग और गति पर निबंधन

180 (1) किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू होते हैं, सूचना पट्‌टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगेः

परन्तु यह कि पर्वतीय सड़कों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने उपनियम (1) के अधीन आदेश द्वारा एक मार्गीय यातायात के आधार पर मोटर यानों के चलाये जाने पर किसी पहाड़ी

सड़क पर किसी छोर से यानों के आवागमन के लिए गेट समय (गेट टाइमिंग्स) निर्दिष्ट करके निबन्धन आरोपित कर दिया हो, वहां सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, उसका समाधान हो जाने पर कि किसी विशिष्ट मोटर यान या मोटर यानों के उपर्युक्त गेट समय के बाहर चलाया जाना लोक हित में आवश्यक है और उससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे की सम्भावना नहीं है, वह ऐसे गेट समय के बाहर उसे चलाने की ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन जैसे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जिसमें प्रश्नगत यान को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से किसी भी दशा में न चलाए जाने का निबन्धन भी सम्मिलित है, अनुज्ञा दे सकता है।

यातायात चिन्हों का निर्माण

181 (1) जिला मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर, साइनबोर्ड या नोटिस बोर्डों को ऐसी लिपि में जो प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हो, सड़क की सतह पर चिन्ह बनवा सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्मित चिन्ह या नोटिस बोर्ड के अन्तर्गत अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए आकारों के चिन्ह भी सम्मिलित हैं।

(3) कोई भी व्यक्ति इस नियम के उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए या निर्मित किसी चिन्ह, संकेत या नोटिस को न तो परिवर्तित या विरूपित करेगा, न हटायेगा या न ही अन्यथा हस्तक्षेप करेगा।

सड़क पर परित्यक्त यान

182 यदि किसी मोटर यान को सम्यक विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान से भिन्न किसी स्थान पर खड़ा रखा जाए कि उससे यातायात में बाधा पड़ती हो या किसी व्यक्ति को खतरा हो तो उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी –

(एक) यान को उसकी स्वयं की शक्ति द्वारा तत्काल हटवा सकता है या अन्यथा यान को ऐसे निकटस्थ स्थान पर रखवा सकता है जहां उससे अनावश्यक बाधा या खतरा न हो।

(दो) जब तक उसे ऐसी स्थिति में न हटा दिया जाय, जहां उससे बाधा या खतरा पैदा न होता हो, यान की उपस्थिति को सूचित करने के लिए सभी युक्तियुक्त सावधानियां बरतेगा, और

(तीन) यदि यान एक स्थान पर चौबीस घंटे की अनवरत अवधि के लिए स्थिर खड़ा रहा है और यान के स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी मरम्मत कराने या उसे हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हों, तो यान और उसके सामान को सुरक्षित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर हटा देगा।

(2) यदि कोई मोटर यान सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान पर उस स्थान के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक के लिए खड़ा हो या यदि ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो छः घंटे से

अधिक की अवधि के लिए खड़ा रहे तो, उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी यान को सुरक्षित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर हटा सकता है।

(3) किसी अर्थदण्ड या शास्ति के होते हुए भी, जो किसी व्यक्ति पर धारा 122 के उपबन्धों के या सम्यक् विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी विनियम के उल्लंघन पर सिद्धदोष ठहराये जाने पर किसी व्यक्ति पर आरोपित की जाये, मोटर यान का स्वामी या उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिती उप–निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यान को हटाने, माल उतारने, देखभाल करने या हटाने या उपनियम (1) और (2) के अनुसार इसकी सामग्री के सम्बन्ध में उपगत व्यय को पूरा करने का दायी होगा, और कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वाहन को उप–निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी ने या नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी ने सौंपा हो, वह यान को तब तक रोके रखने का हकदार होगा जब तक उसे तद्नुसार भुगतान न मिल जाए और ऐसे भुगतान की प्राप्ति पर भुगतान करने वाले व्यक्ति को रसीद देगा।

तौलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग

183 (1) धारा 114 के प्रयोजनार्थ तौलने का यंत्र निम्नलिखित हो सकता है –

(एक) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आदेश से या उसके अधीन किसी भी स्थान पर लगाया गया और अनुरक्षित कांटा (वे–ब्रिज);

(दो) अधिनियम और इस नियमावली के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए और अनुरक्षित और तौल के यंत्र के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कांटा; या

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार का वहनीय पहियादार कांटा।

(2) किसी माल वाहन का ड्राइवर नियम 229 के उपनियम (1) के नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 के अन्तर्गत उल्लिखित परिवहन विभाग के किसी अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर वाहन को इस प्रकार चलायेगा और काम में लायेगा कि यथास्थिति, उसे या उसके पहिये या पहियों को किसी कांटे (वे–ब्रिज) या पहियेदार तोलक पर ऐसी रीति से रखा जाय कि वाहन का भार या किसी पहिये या पहियों द्वारा अंतरित भार कांटे या पहियेदार तोलक द्वारा प्रदर्शित किया जा सके।

(3) यदि किसी, मोटर यान का ड्राइवर युक्तियुक्त समय के भीतर उपनियम (2) के अधीन की गई अध्यपेक्षा का पालन करने में विफल रहे तो धारा 114 के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक हो जो उसे यान के चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो, चलाने या, अभिचालन के लिए कह सकता है।

(4) जब किसी मोटर यान का भार या धुरी–भार यान के किसी पहिये या पहियों द्वारा अंतरित भार द्वारा पृथक–पृथक और स्वतंत्र रूप से अवधारित किया जाये, तो यान के धुरी–भार और लदान भार को, यथास्थिति, किसी धुरी के पहियों या यान के समस्त पहियों द्वारा अंतरित–भार का योग समझा जायेगा।

(5) धारा 144 और इस नियम के अनुसार यान की तौल हो जाने पर, वह व्यक्ति जिसने तोल लेने की अपेक्षा की है या तौल यंत्र का प्रभारी व्यक्ति यान

के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को यान के और किसी धुरी के भार का विवरण जिसका भार पृथक रूप से अवधारित किया गया हो, लिखित रूप में देगा।

(6) इस प्रकार तौले गए यान का ड्राइवर, या प्रभारी व्यक्ति या स्वामी तौलने के यंत्र की शुद्धता पर लिखित विवरण देकर आपत्ति कर सकता है, जो –

(एक) उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्राप्त होने के एक घन्टे के भीतर उस व्यक्ति को जिसके द्वारा उसे विवरण प्राप्त हुआ हो, लिखित विवरण देकर तौल लेने के दिनांक के तीन दिन के भीतर सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में चालीस रुपये जमा करके दिया गया हो, किन्तु ऐसा न करने पर मशीन की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण ग्राह्य नहीं होगा, या

(दो) ऐसी नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी या न्यायालय को धारा 86 या धारा 113 के अधीन अपने विरुद्ध कार्यवाहियों का नोटिस तामील करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर दिया गया हो।

(7) उपनियम (6) के अधीन तौलने के यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी या न्यायालय जिनके द्वारा विवरण प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि चालीस रुपये जमा कर दिये गये हैं, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, तौलने के यंत्र की जांच किए जाने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे व्यक्ति का जो तौल के साधन की शुद्धता के सम्बन्ध में इस प्रकार नियुक्त किया जाए, प्रमाण–पत्र अंतिम होगा।

(8) यदि उपर्युक्त के अनुसार तौलने के यंत्र की जांच करने के पश्चात्, तौलने के यंत्र को ऐसे किसी भार से अधिक सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाये जितने से उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण में यान का लदान भार या लदान रहित भार या कोई धुरी भार यथा स्थिति रजिस्ट्रीकृत लदान भार या रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार या रजिस्ट्रीकृत धुरी भार से अधिक दर्शाया जाये तो किसी ऐसे लदान भार या लदान रहित भार या धुरी भार के सम्बन्ध में कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी और यदि वस्तुतः उक्त यंत्र से तौले गए प्रत्येक ऐसे लदान पर, लदान भार या धुरी भार के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाए तो उपनियम (6) में विहित जमा धन, वापस कर दिया जाएगा।

(9) कोई व्यक्ति उपनियम (6) के अधीन तौलने के किसी यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने के कारण धारा 113 के अधीन किसी लिखित आदेश का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा।

गतिमान यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने पर प्रतिषेध

184 (1) कोई भी व्यक्ति किसी चलती गाड़ी पर न तो चढ़ेगा, न चढ़ने की चेष्टा करेगा और न उससे उतरेगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी गतिमान मोटर यान को नहीं पकड़ेगा और न किसी मोटर यान का ड्राइवर किसी गतिमान यान को जो किसी अन्य पहियादार यान या अन्यथा खींचा जा रहा हो या खींचकर ले जाया जा रहा हो, किसी व्यक्ति से न तो पकड़वायेगा और न उसे पकड़ने की अनुमति देगा।

पगडंडी(फुटपाथ), साइकिल पथ और यातायात

185 जहां किसी सड़क या मार्ग में पगडंडी या साइकिल के लिए आरक्षित या अन्य विशेष प्रकार के यातायात के लिए विनिर्दिष्ट पथ की व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में पुलिस अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की संस्वीकृति के सिवाय किसी मोटर यान को ऐसी

पृथक्करण

पगडंडी या मार्ग पर न तो चलायेगा या चलवायेगा और न किसी मोटर यान को चलाए जाने की अनुमति देगा।

खतरनाक पदार्थों को ले जाने पर प्रतिबन्ध

186 (1) यान के उपयोग के लिए आवश्यक ईंधन और स्नेहक (लुब्रीकेन्ट) के सिवाय जिसे ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि उससे कोई खतरा न हो या वह आकस्मिक रूप से जलने न पाय, कोई विस्फोटक, अत्यधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान पर नहीं ले जाया जायेगा जब तक उसे इस प्रकार पैक न किया गया हो कि यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में भी उससे यान को या उस पर सवार व्यक्तियों को क्षति या चोट न पहुंचे।

(2) यदि नियम 229 के उपनियम (1) में उल्लिखित परिवहन विभाग का कोई अधिकारी या उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी की राय में कोई सार्वजनिक सेवा यान किसी समय इस नियम का उल्लंघन करके लदा हुआ है तो वह ड्राइवर को या यान के प्रभारी अन्य व्यक्ति को ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ को हटाने या पुनः पैक करने का आदेश दे सकता है।

ध्वनि संकेतों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

187 जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति सम्बन्धित शहर या जिले में एक या एकाधिक समाचार पत्रों में अधिसूचना द्वारा और यातायात चिन्ह संख्या एम0 18 जैसा कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर लगाा कर किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी अन्य युक्ति को शहर या जिले के भीतर किसी क्षेत्र में या ऐसे समय के दौरान जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा प्रयोग किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकता हैः

परन्तु यह कि जब जिला मजिस्ट्रेट किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी अन्य युक्ति के प्रयोग को कतिपय विनिर्दिष्ट घन्टों के दौरान प्रतिषिद्ध कर दे तो वह यातायात चिन्ह के नीचे हिन्दी में उपयुक्त नोटिस जिसमें ऐसे घन्टों को जिनमें ऐसे प्रयोग को इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया गया हो, दिया जायेगा।

सड़कों पर चिन्हों या विज्ञापनों के विनिर्माण या रखने पर प्रतिषेध

188 कोई व्यक्ति किसी सड़क पर किसी ऐसे चिन्ह या विज्ञापन को, जो पुलिस अधीक्षक की राय में यातायात चिन्ह के इतना तत्समान दिखाई देता हो कि वह गुमराह करने वाला हो, न तो रखेगा न निर्माण करेगा या रखवायेगा या निर्माण करवायेगा या न रखने या निर्मित करने की अनुमति देगा।

यानों का रात्रि में चालन

189 ऐसी पर्वतीय सड़कों को जिन्हें परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने रात्रि के दौरान प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त प्राधिकृत किया हो, छोड़कर कोई व्यक्ति, जब तक कि उसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न कर दिया जाय, किसी पर्वतीय सड़क पर रात्रि में किसी मोटर यान को नहीं चलाएगाः

परन्तु यह कि दुर्घटना, बीमारी या किसी तत्समान आत्यायिकता के कारण सहायता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या किसी तत्समान प्रयोजन के लिए किसी पर्वतीय सड़क पर किसी मोटर यान को रात्रि में चलाना आवश्यक हो जाने की दशा में ड्राइवर युक्तियुक्त यथासम्भव शीघ्र निकटतम पुलिस स्टेशन को अपना नाम और यान की संख्या और स्वामी का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसा कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की जाय, रिपोर्ट

करेगाः

परन्तु यह और कि, यदि कोई मोटर यान पर्वतीय सड़क पर बिगड़ जाय और चालक रात्रि होने से पहले अपनी यात्रा पूरी करने में असमर्थ हो जाए तो वह आवश्यक मरम्मत के लिए मोटर यान को सड़क के बायीं ओर ले जाएगा और मरम्मत के पश्चात् वह अपनी यात्रा सोलह किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक की गति से जारी कर सकता है और ऐसी स्थिति में वह पुलिस थाने पर, पुलिस चौकी पर, जिस पर वह रात्रि होने के पश्चात् पहुंच सके, अपना नाम और यान की संख्या और रात्रि होने के पश्चात् यात्रा करने के अपने कारणों की अग्रतर रिपोर्ट करेगाः

परन्तु यह भी कि किसी मामले में जैसा इस नियम के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित है, यदि उस स्थान के जहां पर मोटर यान बिगड़ गया हो और उस स्थान के मध्य जहां यान की मरम्मत के बाद उसकी यात्रा की समाप्ति होती हो, कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी नहीं हो तो ड्राइवर, अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर निकटतम पुलिस थाने में अपना नाम और यान की संख्या और रात्रि होने के पश्चात् यात्रा करने के लिए कारणों की रिपोर्ट देगाः

परन्तु अन्ततः यह कि, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ब्रिगेडियर की श्रेणी से अनिम्न किसी सेना के अधिकारी को किसी कमीशन प्राप्त सेना के अधिकारी को जब वह ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो, आत्यायिकता की दशा में किसी हल्के मोटर यान को पर्वतीय सड़क पर रात्रि में चलाने के लिए विशेष पास जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

टिप्पणी – इस नियम के उपबन्ध काठगोदाम–नैनीताल, ब्रेवरी से रानीखेत की पर्वतीय सड़कों पर लागू नहीं होंगे।

बिना गियर लगाये यान के चलाने पर प्रतिबन्ध

190 कोई व्यक्ति अधिनियम की प्रथम अनुसूची के यातायात संकेत संख्या सी–9 द्वारा चिन्हित किसी पर्वतीय सड़क पर किसी परिवहन यान के इंजन को अवाध रखकर अर्थात् गियर लीवर को निष्प्रभावी रखकर, क्लच, लीवर को दबाकर या किसी फ्रीव्हील या अन्य युक्ति को चालू रखकर, जो इंजन को पहियों से मुक्त रखता हो और जब यान किसी ढाल से उतर रहा हो, इंजन को ब्रेक के रूप में कार्य करने से रोकता हो, नहीं चलायेगा।

लकड़ी की चोक

191 (1) ढाल पर यान को पीछे जाने से रोकने के लिए या अन्यथा इसे अचल बनाने के लिए हलके मोटर यान से भिन्न प्रत्येक परिवहन यान का स्वामी अपने यान के साथ दो ठोस लकड़ी की फन्नी की चोक रखेगा, प्रत्येक चोक की लम्बाई 30–40 सेन्टीमीटर. चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर और ऊंचाई 25–40 सेन्टीमीटर होगी, उसका एक सिरा अन्त में 45 अंश का कोण बनाता हुआ ढालू होगा। प्रत्येक चोक के ढालू सिरे की सतह अवतल होगी ताकि वह यान के पिछले पहियों में लगाए गए टायरों की बाहरी परिधि में सामान्यतः ठीक बैठ सके।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसे यान में एक पिछला पहिया लगा हो, प्रत्येक ऐसे चोक की चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर से कम, किन्तु 15–25 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) ऐसे प्रत्येक चोक में एक कुन्दा लगा होगा और उसे –

(एक) यान के पिछले तख्ते (टेलबोर्ड) की बाहरी सतह पर लगे हुए ब्रेकेट में रखा जाएगा;

(दो) जहां यान में पिछले तख्ते (टेलबोर्ड) न हो वहां दोनों तरफ के पिछले पहियों के निकटस्थ ढांचे के निचले हिस्से में फ्रेम साइड मेम्बरों के बीच लगे

किसी मेटल कैरियर में रखा जाएगा।

यान का पिछला तख्ता (टेलबोर्ड) और जहां यान में कोई पिछला तख्ता (टेलबोर्ड) न हो तो फ्रेम साइड मेम्बरों के ऊपर लगे लकड़ी के तख्तों के केन्द्र में एक कुन्दा लगाया जाएगा।

(4) प्रत्येक ऐसा चोक पिछले तख्ते (टेलबोर्ड) से लगा रहेगा या जहां यान में कोई टेलबोर्ड न हो वहां फ्रेम साइड मेम्बरों के ऊपर लकड़ी के तख्ते से धातु की जंजीर से या पर्याप्त लम्बी और मजबूत स्टील के तार की रस्सी से चोक में लगे हुए हुक से और यथास्थिति पिछले तख्ते (टेलबोर्ड) या लकड़ी के तख्तों में लगे हुक से बंधा रहेगा।

(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी माल वाहन को या ऐसे श्रेणी के यानों को, जिनके उसकी राय में ढालों पर पीछे खिसकने की संभावना न हो, इस नियम के उपबन्धों से छूट दे सकती है।

टायर

192 केन्द्रीय नियमावली के नियम 94 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को पर्वतीय मार्ग पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक इसके सभी पहियों में वायवीय टायर न हों और छः मीटरिक टन भार से अधिक के यानों की स्थिति में चालन पहियों पर युग्म टायर न लगे हों।

यानों का निरीक्षण

193 यदि कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या इस निमित्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी की राय में कोई मोटर यान, जो पर्वतीय सड़क पर चलाया जा रहा है इस नियमावली के उपबन्धों के हर प्रकार से अनुरूप नहीं है तो वह यान को रोक सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसी स्थिति में ड्राइवर या यान का प्रभारी व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करेगा जैसा की रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,, मजिस्ट्रेट या इस प्रकार का प्राधिकृत पुलिस अधिकारी चाहे मोटर यान में हुई किसी खराबी को दूर करके या अन्यथा जनता को होने वाले खतरे और असुविधा को, रोकने के प्रयोजनार्थ, देना उचित समझता हो।

चढ़ने वाले यानों का अग्रताक्रम

194 (1) एक ही दिशा में यात्रा कर रहा कोई मोटर यान आगे निकल रहे दूसरे मोटर यान से किसी ऐसे स्थान के सिवाय आगे नहीं निकलेगा (ओवरटेक नहीं करेगा), जहां यान के ड्राइवर को कम से कम 185 मीटर आगे तक सड़क स्पष्ठ रूप से दिखाई देती हो।

(2) जहां किसी पर्वतीय सड़क पर दो मोटर यान विपरीत दिशाओं में एक—दूसरे के पास किसी पुल या पुलिया या संकरे स्थान पर पहुंचते हों, ढलान की दिशा में जा रहे मोटर यान का ड्राइवर चढ़ाई की दिशा में चलने वाले यान को रास्ता देगा। जब दोनों यान ऐसे स्थान पर पहुंच जांए जहां सड़क उतार—चढ़ाव वाली या समतल हो तो उस यान का ड्राइवर जो सड़क के उस तरफ हो जहां से पहाड़ी का ढलान ऊपर की ओर हो दूसरे यान को रास्ता देगा।

कतिपय अनुज्ञप्तियों का पर्वतीय सड़कों के लिए पृष्ठांकन

195 कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवा यान को या किसी माल वाहन को किसी पर्वतीय सड़क पर नहीं चलाएगा जब तक कि ऐसे सार्वजनिक सेवा यान या माल वाहन को चलाने की उसकी अनुज्ञप्ति को किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसी पर्वतीय सड़कों पर, जो ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर स्थित हो, या ऐसे सार्वजनिक सेवायानों के मामले में जो पर्यटकों द्वारा किराये पर ली जाती है, ऐसे राज्य के जिससे इस बिन्दु पर

पारस्परिक व्यवस्था की सहमति हो गई हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा चलाने की अनुज्ञा के साथ पृष्ठांकित न की गई हो।

ट्रेलर्स

196 कोई व्यक्ति पर्वतीय सड़क पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की विशेष लिखित अनुज्ञा के बिना ट्रेलर से जुड़े हुए माल वाहन या भारी वाहन को नहीं चलाएगा।

स्टैण्ड और विराम स्थल

197 (1) जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 117 के अधीन कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं और वे सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके नोटिसों के यातायात चिन्हों का सृजन कर सकते हैं –

(क) किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के या ऐसी अन्य सीमा के भीतर जिसे परिनिश्चित किया जाए, ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगा जहां एक मात्र सार्वजनिक सेवायान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सार्वजनिक सेवा यानों और/या माल वाहनों को अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाए, ठहर सकते हों या यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय के लिए सार्वजनिक सेवायान रूक सकता हो, या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट स्थान या विनिर्दिष्ट प्रकृति या श्रेणी के किसी स्थान का सशर्त या बिना शर्त के स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में प्रयोग किए जाने का प्रतिषेध कर सकता है:

परन्तु यह कि कोई ऐसा स्थान जिस पर किसी का निजी स्वामित्व हो, उसके स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

(2) यदि इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई स्थान यातायात चिन्ह या नोटिसों द्वारा स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया हो, तो इस बात के होते हुए भी कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उस स्थान को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिनियम के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक स्थान समझा जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की व्यवस्था या अनुरक्षण करने के लिए जिसमें भवन की व्यवस्था या उसके अनुरक्षण और आवश्यक निर्माण कार्य भी सम्मिलित है, किसी व्यक्ति के साथ इस शर्त पर करार कर सकता है या ऐसे स्थान का संचालन करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है कि उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करने पर उसे तत्काल समाप्त किया जा सकेगा। या ऐसे स्थान का संचालन करने के लिए या अन्यथा नियम बना सकता है या निर्देश दे सकता है, जिसमें निम्नलिखित नियम या निदेश सम्मिलित होंगे :–

(क) स्थान का प्रयोग करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के स्वामियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस विहित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और उसके निस्तारण की व्यवस्था करना;

(ख) ऐसे सार्वजनिक सेवा यानों या सार्वजनिक सेवा यानों के वर्ग या वर्गों को, विनिर्दिष्ट करना, जो इस स्थान का उपयोग करेंगे या जो स्थान का उपयोग नहीं करेंगे;

(ग) किसी व्यक्ति को स्थान का प्रबन्धक नियुक्त करना और प्रबन्धक की शक्तियों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करना;

(घ) यथास्थिति, भूमि के स्वामी या स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे आश्रय (शेल्टर), मूत्रालय और शौचालय का परिनिर्माण करने की और ऐसे

अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन करने की और उन्हें प्रयोज्य स्वच्छ और स्वच्छता की दशा में अनुरक्षण करने की जो नियम या निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जांए अपेक्षा करना।

(ङ) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा ऐसे स्थान के उपयोग को निषिद्ध करना।

(3) उपनियम (2) की किसी बात से ऐसी भूमि पर, जिसे स्टैण्ड या विराम–स्थल के रूप में नियत किया गया है, स्वामित्व रखने वाले किसी व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना कोई कार्य करने या उसके सम्बन्ध में कोई व्यय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो ऐसे कार्य को कार्यान्वयन करने या ऐसा व्यय करने से इन्कार करे या इस नियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे, सक्षम प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है।

पीछे की ओर यात्रा पर प्रतिबन्ध

198 रोड रोलर के मामले को छोड़कर किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर पहले स्वयं इस बात पर सन्तुष्ट हुए बिना कि उससे वह किसी व्यक्ति को खतरा या अनावश्यक असुविधा नहीं पहुचाएगा, यान को घुमाने के लिए युक्तियुक्त आवश्यकता से अधिक किसी दूरी या कालावधि के लिए यान को पीछे की ओर नहीं जाने देगा।

जब यान विश्राम पर हो, लैम्प का प्रयोग

199 (1) किसी नगरपालिका या छावनी की सीमा के भीतर कोई मोटर यान ऐसे समय में जिसके दौरान प्रकाश अपेक्षित हो किसी सड़क या मार्ग या कहीं भी किसी सम्यक् विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान पर बायीं ओर खडा हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः की गई अपेक्षा को छोड़कर मोटर यान को किसी प्रकाश के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यदि नगर पालिका या छावनी की सीमा के बाहर कोई मोटर यान ऐसे समय जिसके दौरान प्रकाश अपेक्षित हो, ऐसी स्थिति में खडा हो, जिसके कारण सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों को खतरा या असुविधा न होती हो तो मोटर यान के लिए किसी प्रकाश का प्रदर्शन आवश्यक नहीं होगा।

चकाचौंध करने वाले प्रकाश पर प्रतिबन्ध

200 (1) प्रकाश का प्रयोग करते समय के लिए हमेशा प्रकाश को किसी मोटर यान का ड्राइवर इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि किसी व्यक्ति को चकाचौंध करने वाले प्रकाश से खतरा या अनावश्यक् असुविधा न पहुंचे।

(2) जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेजी और स्थानीय लिपि में यथोचित नोटिसों का विनिर्माण करके ऐसे क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों में, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे लैम्पों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है जो शक्तिशाली और तेज प्रकाश वाले हों।

(3) विहित प्रकाश से भिन्न किसी सर्चलाइट या स्पॉट लाइट या अन्य सचल प्रकाश का किसी मोटर यान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जब वह किसी कस्बे या गांव से गुजर रहा हो या अन्य यानों के यातायात से मिल रहा हो।

लैम्पों और रजिस्ट्रीकरण चिन्हों की दृश्यमानता

201 (1) जब तक कि अधिनियम के उपबन्धो द्वारा या उनके अधीन चिन्ह या ढके हुए लैम्प या चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षित रीति से इस प्रकार ढके हुए या अन्यथा अस्पष्ट किसी दूसरे लैम्प या चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता है तब तक किसी मोटर यान पर कोई भार या अन्य वस्तु इस प्रकार नहीं रखी जाएगी कि उससे किसी लैम्प या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह या अधिनियम के

उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन किसी मोटर यान पर ले जाए जाने या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य चिन्ह का किसी समय धुंधला कर देती हो या अन्यथा बाधा डालती हो।

(2) अधिनियम के उपबन्धों के द्वारा या उनके अधीन किसी मोटर यान पर प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षित समस्त रजिस्ट्रीकरण या अन्य चिन्हों को हर समय युक्तियुक्त यथासम्भव स्वच्छ और सुपाठ्य दशा में बनाए रखा जाएगा।

ओवर टेक करने वाले यानों आदि के बारे में सावधानी

202 धारा 118 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त –

(क) किसी मोटर यान का कोई ड्राइवर पीछे से आने वाले किसी मोटर यान के ड्राइवर को यह संकेत देने के इरादे से कि ऐसा ड्राइवर उसे ओवर टेक कर सकता है, तब तक कोई संकेत नहीं देगा जब तक कि उसके सामने की सड़क इस प्रकार बाधा रहित न हो कि ऐसा दूसरा यान बिना खतरे के उससे आगे जा (ओवर टेक) सके।

(ख) किसी मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर उस स्थिति में यान को सड़क के बिल्कुल बांयी तरफ चलायेगा जब किसी पहाड़ या उक्त सड़क में कोई घुमाव होने के कारण या किसी अन्य कारण से उसके सामने की दृष्टि इतनी दूरी तक सीमित हो जाय कि प्रतिकूल दिशा से आती हुई दूसरी गाड़ी के सामने आ जाने पर टकरा जाने का खतरा हो।

(ग) किसी मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान की गति को धीमा कर देगा और तब तक के लिए धीमी गति से चलाएगा जब तक कि किसी आने वाले यान से उड़ने वाले गर्द या किसी अन्य कारण से उसके सामने की दृष्टि अस्पष्ट या सीमित हो जाएं।

सुरक्षा टोप का पहनना

203 (1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर नीचे उपनियम (2) में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।

(2) प्रत्येक सुरक्षा टोप –

(एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा,

(दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों की पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सामग्री यथा –

- (क) विनिर्माता का नाम और पहचान,
- (ख) आकार,
- (ग) विनिर्माण का मास और वर्ष, और
- (घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह,

को हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके।

(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियां जिनका आकार 2 सेन्टीमीटर गुणा 15 सेन्टीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो जो रात्रि के दौरान चमकेगी

परन्तु यह कि इस नियम का उपनियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –

(क) किसी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी,

(ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति, जो पगड़ी बांधे हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर × 82

सेन्टीमीटर के कपड़े से है जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों ओर बांध सकता है।

अग्निशमन यानों, एम्बुलेंस आदि को छूट

204 राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबन्धों से अग्निशमन यानों, अस्पताल गाड़ियों और ऐसे अन्य विशेष वर्गों या विवरणों के यानों को, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, छूट दे सकती है।

किसी दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण

205 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग का सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय परिवहन निरीक्षक किसी दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान का निरीक्षण कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां यान हो सकता है, प्रवेश कर सकता है और यान को परीक्षण के लिए हटा सकता है।

अध्याय – नौ
दावा अधिकरण

प्रतिकर के लिए आवेदन

206 (1) धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिए प्रत्येक आवेदन यथासम्भव यदि प्रतिकर का दावा, धारा 163 (क) के अधीन के अन्यथा किया जाता है तो प्ररूप एस0आर0 50 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा 163 (क) के अधीन दिया जाता है तो प्ररूप एस0आर0 51 में दिया जाएगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रुपये की फीस होगीः

परन्तु यह कि धारा 163 (क) के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अन्तिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिए कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन–पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन पत्रों पर पांच रुपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रुपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिए किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन आवेदन–पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से उसे निवारित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन–पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

किसी आवेदक का परीक्षण

207 नियम 206 के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर दावा अधिकरण, यदि आवेदक स्वयं उपस्थित हो, उससे शपथ दिला कर उसका परीक्षण कर सकता है, और ऐसे परीक्षण का सार, यदि कोई हो, लेखबद्ध किया जाएगा और यह अभिलेख का भाग होगा।

आवेदन का सरसरी तौर पर खारिज किया जाना

208 दावा अधिकरण नियम 207 के अधीन अभिलिखित आवेदन और कथन पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिसके कारण अभिलिखित किए जाऐंगे आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है, यदि उसके विचार से उस पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

सम्बन्धित पक्षकारों को

209 यदि आवेदन नियम 208 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो तो, दावा अधिकरण दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान के स्वामी और उसके बीमा कर्ता को आवेदन

नोटिस

की प्रति के साथ ऐसे दिनांक का नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवाई करेगा और पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहे, उस तारीख को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण

210 (1) मोटर यान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या उसके बाद ऐसे समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, आवेदन में उठाए गए दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख का भाग होगा।
(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाये, वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में के किसी विषय का स्पष्टीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्रवाई में ऐसा मौखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को, यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।

विवाद्यक विषय का तैयार किया जाना

211 पक्षकारों के आवेदन और लिखित कथन और मौखिक कथनों पर विचार करने के पश्चात् दावा अधिकरण ऐसे विवाद्यकों को तैयार करेगा जिन पर उसे प्रतीत होता कि, दावे का सही निर्णय निर्भर करता है।

साक्षियों को सम्मन जारी करना

212 जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिए कोई आवेदन दिया जाए, वहां दावा अधिकरण, यदि जब तक कि उसके विचार से उनका उपस्थित होना मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है, सम्बन्धित व्यय का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करेगा।

विवाद्यकों का निर्धारण

213 विवाद्यक विषयों को तैयार करने के पश्चात् दावा अधिकरण उस पर ऐसे साक्ष्य अभिलिखित करने की कार्रवाई करेगा जो प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत करना चाहता हों।

साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि

214 दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी द्वारा अदालत के सामने दिए गए बयान (अभिसाक्ष्य) के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनाएगा और ऐसे ज्ञापन को दावा अधिकरण द्वारा लेखबद्ध और हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग बनेगाः
परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्षों के साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जाएगा।
परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित कराएगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवाएगा।

स्थानीय निरीक्षण

215 (1) दावा अभिकरण, अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रक्रम पर, और पक्षकारों को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् उस स्थल पर, जहां दुर्घटना घटित हुई या कोई अन्य स्थान या वस्तु जिसे उसकी राय में वाद के उचित निर्णय के लिए देखना आवश्यक है, जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।
(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् दावा अधिकरण, यथासम्भव शीघ्र, ऐसे निरीक्षण में पाये गए किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच का भाग होगा।

यान का निरीक्षण

216 दावा अधिकरण, यदि वह उचित समझे, दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान को उसके द्वारा उल्लिखित किसी विशिष्ट समय और स्थान पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु मोटर यान के स्वामी से अपेक्षा कर सकता है।

परीक्षण करने की शक्ति

217 दावा अधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, किसी ऐसे व्यक्ति का, जो क्षति के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए समर्थ हो, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि ऐसा व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया या बुलाया जाएगा या नहीं, परीक्षण कर सकता है।

सुनवाई का स्थगन

218 दावा अधिकरण, किसी पक्षकार के आवेदन पर या अन्यथा, समय–समय पर सुनवाई को स्थगित कर सकता है, जिसके कारण अभिलिखित किए जाऐंगे। जब स्थगन आवेदन–पत्र स्वीकृत किया जाए तो दावा अधिकरण स्थगन के कारण हुए व्यय के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होना

219 दावा अधिकरण, अपने विवेक से, किसी पक्षकार को विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

जांच के दौरान व्यक्तियों का सहयोजन

220 (1) दावा अधिकरण, यदि वह उचित समझे, जांच से सुसंगत विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए सहयोजित कर सकता है।
(2) उपनियम (1) के अधीन सहयोजित व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण प्रत्येक मामले में दावा अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

डायरी

221 दावा अधिकरण प्रत्येक आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही की संक्षिप्त डायरी रखेगा।

निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय

222 (1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय निर्णय में तैयार किए गए प्रत्येक विवाद्यक के निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा और बीमाकर्ता द्वारा या धारा 146 की उपधारा (2) या (3) के अधीन छूट प्राप्त किसी यान की दशा में उसके स्वामी द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए कोई अधिनिर्णय देगा और वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिनको प्रतिकर का भुगतान किया जाना हो।
(2) जहां प्रतिकर दो या अधिक व्यक्तियों को दिए जाने का अधिनिर्णय दिया जाए वहां उपनियम (1) के अधीन दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक को देय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करेगा।
(3) दावा अधिकरण, प्रतिकर के दावे को निस्तारित करते समय कार्यवाही में उपगत लागत और व्ययों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश देगा, जैसा वह उचित समझे।

कतिपय मामलों में सिविल प्रक्रिया

223 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबन्ध, जहां तक हो सके, दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, अर्थात् –

संहिता का लागू होना

आदेश पांच के नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश नौ, आदेश तेरह के नियम 3 से 10 तक, आदेश सोलह के नियम 2 से 21 तक, आदेश सत्रह और आदेश तेईस के नियम 1 से 3 तक।

दावा अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों का प्ररूप और उनकी संख्या

224 (1) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत करने के आधारों को संक्षिप्त में अभिकथित करते हुए ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(2) इसके साथ निर्णय और अधिनिर्णय की, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाये एक–एक प्रतिलिपि लगाई जाएगी।

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

शास्ति वसूल करने के लिए प्राधिकारी

225 धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन शास्तियां उस क्षेत्र पर जहां निर्योग्य यान रखा गया हो अधिकारिता रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा वसूल की जायेगी –

(1) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का परिवहन विभाग का कोई अधिकारी,
(2) सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी का कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(3) पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी।

अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार और पांच और नियमों के अधीन कम फीस लेना

226 (1) यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी समय मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित फीस से कम फीस का उद्ग्रहण पाया जाए तो अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार और पांच या तद्धीन बनाए गए नियमों में विहित प्राधिकारी भुगतान की कमी पूरी करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा।

(2) ऐसा नोटिस उस व्यक्ति को डाक द्वारा भेजा जा सकता है या उसे या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तामील किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त रीति से नोटिस की तामील नहीं की जा सकती हो तो उसके निवास स्थान या कारबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपका कर उसे तामील किया जा सकता है या ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी कमी को वसूल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस के तामील किए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कमी का भुगतान करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विहित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाने वाली कमी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण–पत्र कलेक्टर को अग्रसारित करेगा और कलेक्टर ऐसे प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर ऐसी कमी की वसूली की कार्यवाही करेगा मानों वह मालगुजारी की बकाया धनराशि हो।

कतिपय दस्तावेजों के स्थान पर अस्थायी प्राधिकार

227 (1) जहां किसी परमिट का धारक परमिट को राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को परमिट के नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करे या कोई पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी, किसी परमिट को या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र या 'चालन अनुज्ञप्ति' या 'कण्डक्टर अनुज्ञप्ति' को जिसे आगे इस नियम में ''दस्तावेज'' कहा गया है किसी प्रयोजन के लिए उसके धारक से अस्थायी रूप से कब्जे में लेता है, वहाँ यथास्थिति राज्य या सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी धारक को तुरन्त दस्तावेज की प्राप्ति की रसीद और प्रपत्र एस0आर0–35 में एक अस्थायी प्राधिकार, ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान यान के प्रचालन के लिए देगा और उक्त अवधि के दौरान मांग पर अस्थायी प्राधिकार का प्रस्तुत करना दस्तावेज का प्रस्तुत करना, समझा जायेगाः

परन्तु यह कि अस्थायी प्राधिकार देने वाला प्राधिकारी अस्थायी प्राधिकार की अवधि को तब तक के लिए बढ़ायेगा जब तक कि दस्तावेज वापस नहीं कर दिया जाता। किन्तु ऐसी बढ़ाई गई अवधि दस्तावेज की विधिमान्यता की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(2) जब तक कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज उसके धारक को वापस न कर दिया जाए, सम्बन्धित यान यथास्थिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट अस्थायी प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट या उस उपनियम के परन्तुक के अधीन बढ़ायी गई अवधि के उपरान्त नहीं चलाया जायेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार के सम्बन्ध में कोई फीस देय नहीं होगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

228 (1) परिवहन विभाग के सभी अधिकारी अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं का प्रशासन करने और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसे कर्तव्यों का जो उन्हें इस नियमावली के अधीन सौंपे गए हैं या ऐसे अन्य कर्तव्य जो उन्हें सौंपे जाएं, पालन करेंगे।

(2) परिवहन विभाग के अधिकारी जन सामान्य के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपने–अपने प्रभार के भीतर यातायात और परिवहन के विनियमन और समुचित नियंत्रण के लिए और अड्डों, संग्रहण, अग्रेषण और या वितरण अभिकर्ताओं, ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों और प्राधिकृत जांच केन्द्रों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां

229 (1) निम्नलिखित स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ–2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्र0सं0	अधिकारी	धारा
1	परिवहन आयुक्त,	114 (1), 130(2), 130(3), 136, 203, 206, 207और 213(5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	परिवहन कर अधिकारी–1	114(1) और 130
9	परिवहन कर अधिकारी–2	114(1) 206
10	परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी जो परिवहन कर	114(1) 206

अधिकारी–2 से निम्न श्रेणी का न हो

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र एस0आर0–52 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।
(3) निम्नलिखित स्तम्भ–दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ–3 में उनके सामने उल्लिखित है –

क्र0सं0	अधिकारी		वर्दी
(1)	सहायक सम्भागीय–परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक)	उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी,
		(दो)	खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा,
		(तीन)	टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,
		(चार)	उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज,
		(पांच)	सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट,
		(छः)	कंधों की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार,
		(सात)	भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते,
		(आठ)	नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(2)	परिवहन कर अधिकारी–2 या परिवहन आयुक्त द्वारा इसे निमित्त प्राधिकृत परिवहन विभाग का कार्मिक	(एक)	उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी,
		(दो)	कोट (खुला कालर) पुलिस पैटर्न का पैजामा, के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे,
		(तीन)	हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी,
		(चार)	सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट,
		(पांच)	सिल्वर प्लेटेड बटन,
		(छः)	काले जूते
		(सात)	पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टारहल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे,
		(आठ)	नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(3)	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक)	उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी,
		(दो)	खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
		(तीन)	टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम
(पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(छः) कंधों की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड, आधा लाल और आधा काला,
सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य),
(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(4) मोटर यान निरीक्षक

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी,
(दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी,
(तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(छः) आधा काला, आधा लाल समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लेटेड दो स्टार,
(सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य),
(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

230 राज्य सरकार, समय–समय पर, लोकहित में, अधिसूचित आदेश द्वारा, धारा 68 में निर्दिष्ट परिवहन प्राधिकरण को अधिनियम के साथ संगत ऐसे निर्देश या दिशानिर्देश जैसा वह आवश्यक समझे, दे सकती है और अपने कृत्यों के निर्वहन में, प्राधिकरण ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

231 (1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिन से उत्तराखण्ड में प्रवृत्त उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) परन्तु यह कि निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :–
(क) इस प्रकार निरसन से पूर्व के नियमो का परिवर्तन या विधिपूर्वक किया या उससे व्यथित कोई कृत; या
(ख) उस नियमावली के अधीन प्राप्त, ग्राहय कोई अधिकार, विशेषाधिकार, अनुग्रह या देयता; या
(ग) इस प्रकार निरसित नियमावली के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड; या
(घ) किसी ऐसे उक्त अधिकार, विशेषाधिकार, अनुग्रह, दण्ड, जब्ती या शास्ति; के सम्बन्ध में कोई विवेचना, विधिक कार्यवाही या प्रतिकार, और कोई ऐसी विवेचना, विधिक कार्यवाही, प्रतिकार, प्रारम्भ, जारी या प्रवृत्त की जा सकती है और ऐसी शास्ति, जब्ती या दण्ड उसी प्रकार लगाये जा सकते मानो यह नियमावली निरसित नही की गई है।

प्रथम अनुसूची

{नियम 41(6) देखिए}

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आबंटित अक्षर

जिले का नाम	आवंटित अक्षर	जिले का नाम	आवंटित अक्षर
1	2	1	2
अल्मोड़ा	यू0के0ए0	नैनीताल	यू0के0डी0
बागेश्वर	यू0के0बी0	पिथौरागढ़	यू0के0ई0
चमोली	यू0के0के0	रूद्रप्रयाग	यू0के0एम0
चम्पावत	यू0के0सी0	टिहरी गढ़वाल	यू0के0आई0
देहरादून	यू0के0जी0	उत्तरकाशी	यू0के0जे0
गढ़वाल	यू0के0एल0	ऊधमसिंह नगर	यू0के0एफ0
हरिद्वार	यू0के0एच0	ऋषिकेश	यू0के0आर0
कोटद्वार	यू0के0एन0		

द्वितीय अनुसूची

{नियम 52 (2) (दो) देखिये}

आर्कषक रजिस्ट्रीकरण संख्याएं

क्र0सं0	रजिस्ट्रीकरण संख्या
1	0001 एवं 0786
2	0002 से 0009
3	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099
4	0100, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1001, 1010, 1111, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2000, 2020, 2121, 2222, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3000, 3030, 3131, 3232, 3333, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4000, 4040, 4141, 4242, 4343, 4444, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5000, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5555, 5656, 5678, 5757, 5858, 5959, 6000, 6060, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6666, 6767, 6789, 6868, 6969, 7000, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7777, 7878, 7979, 8000, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8888, 8989, 9000, 9090, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898, 9999
5	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य वांछित संख्या

तृतीय अनुसूची

{नियम 176(1) देखिए}

ट्रेलर और इसे खींचने वाली गाड़ी के लिए विभेद करने वाला चिह्न

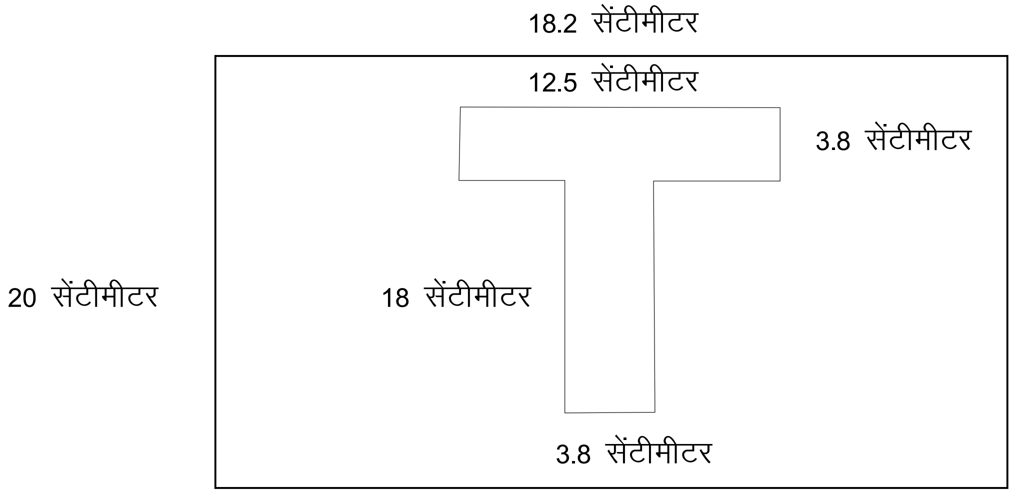

टिप्पणी – आयाम ऊपर दिखाए गए से कम नहीं होगा।

प्रपत्र एस0 आर0 – 1
{नियम 8(1) देखिए}

अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना, और दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,
अनुज्ञापन प्राधिकारी,
....
मैं ....
निवासी (स्थायी पता) ....
और (वर्तमान पता) ....
पुत्र .... (पिता का नाम) एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा
दिनांक .... को या उसके आस–पास जारी की गयी चालन अनुज्ञप्ति संख्या ....

1– निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई है/नष्ट हो गई है,...
2– मैं एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ,
3– मैंने विहित फीस .... रुपये रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा भुगतान कर दिया है।
4– मैं अपनी हाल की फोटो की तीन स्पष्ट प्रतियां संलग्न करता हूँ।

दिनांक : .... **आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान**

————————

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए

भाग – एक

(1) चालन अनुज्ञप्ति संख्या .... की, जो प्रथम बार .... को दी गई थी, दूसरी प्रति मेरे द्वारा आज ....के ....माह .... दिनांक को जारी की गई।
(2) आवेदक को कारण बताते हुए आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... पता .... को अस्वीकृत किया गया।

दिनांक : .... **अनुज्ञापन प्राधिकारी**
अनपेक्षित विकल्प को काट दें। के हस्ताक्षर और मुहर

भाग – दो

भाग दो, तीन और चार को भाग–एक से अलग पन्ने पर मुद्रित किया जायेगा और उसका प्रयोग तब किया जाएगा जब आवेदन–पत्र मूल अनुज्ञापन–प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी को दिया जाये।

भाग तीन को सत्यापित करने और पूरा करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी .... को अग्रसरित।

दिनांकः ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

भाग – तीन

अनुज्ञापन प्राधिकारी .... को वापस।

फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का मेरे अभिलेखों से मिलान किया गया है।

ऐसी कोई अनुज्ञप्ति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतीत नहीं होती।

या

मेरा समाधान नहीं हुआ है कि आवेदक वर्णित अनुज्ञप्ति का धारक था।

या

मेरा समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रूप में जारी की गई अनुज्ञप्ति का धारक था –

(1) जन्म तिथि ....
(2) शैक्षित अर्हता ....
(3) रक्त समूह (ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर सहित)..
(4) संख्या ....
(5) जारी करने का दिनांक ....
(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अंतिम बार नवीकृत..
(7) समाप्ति का दिनांक ....
(8) यानों का वर्ग ....
(9) अनुज्ञप्ति ....

(क) धारक को किसी परिवहन यान को चलाने के लिए दिनांक .... से हकदार बनाती है।

या

(ख) निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ है:–

....

दिनांकः.......................

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

भाग – चार

अनुज्ञापन प्राधिकारी ....
.... को अभिलेख के लिए वापस किया गया।

✶ मेरे द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति दिनांक .... को जारी की गई है और उस पर चिपकाये गए फोटो की एक प्रति संलग्न है।

अपने पत्र संख्या .... दिनांक .... में मैंने आवेदित अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने से इन्कार कर दिया है। उस पत्र की एक प्रति संलग्न है।

दिनांक : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

✶ अनपेक्षित विकल्प को काट दें।

———————

प्रपत्र एस0 आर0 – 2
{नियम 13(1) देखिए}
परिवहन यान के ड्राइवर का बैज

बैज का व्यास 7 सेन्टीमीटर होगा।

जिले का नाम जहां से प्राधिकार जारी किया गया है ....

परिवहन यान के ड्राइवर की संख्या ....

–––––

प्रपत्र एस0 आर0 – 3
{नियम 18(1)(छब्बीस) देखिए}
माल वाहनों में रखा जाने वाला अभिलेख

परमिट धारक का नाम और पता ....
....

यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या ....

परेषक का नाम ....

परेषिती का नाम ....

प्रारम्भ का दिनांक ....

प्रारम्भ का बिन्दु ....

गंतव्य बिन्दु ....

माल वाहन की प्रकृति और संख्या	भार किलोग्राम में	कुल भाड़ा प्रभार रुपये	भुगतान किया गया भाड़ा प्रभार रुपये

ड्राइवर का नाम और पता ....

चलन अनुज्ञप्ति की संख्या और उसकी विधिमान्यता ....

परेषक के हस्ताक्षर — परेषिती के हस्ताक्षर

वाहक के हस्ताक्षर

–––––

प्रपत्र एस0 आर0 – 4
{नियम 22(2)देखिए}
जब कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के बिना कोई कण्डक्टर के रूप में कार्य कर रहा हो अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देने का प्रपत्र।
भाग – क

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

....

मैं .... पुत्र श्री ....
.... जो .... का
स्थायी निवासी है और वर्तमान में ....
.... पर निवास कर रहा है मंजिली गाड़ी के जिसकी रजिस्ट्रीकरण
संख्या ....है, जो ....
.... मार्ग पर चल रही है .... से .... तक ....
.... दिनों की अवधि के लिए, कण्डक्टर के रूप में कार्य करना चाहता हूँ।
मैं अग्रेतर घोषणा करता हूँ कि ....

(क) आज मेरी आयु .... है,

(ख) मुझे पूर्व में कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने से अनर्ह नहीं किया गया है,

(ग) मैं किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पहले जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता हूँ,

(घ) मैं किसी रोग या अशक्तता से पीड़ित नहीं हूँ, और

(ङ) कण्डक्टर अनुज्ञप्ति कब्जे में न होने का कारण .... है।

(च) मैंने बिना अनुज्ञप्ति के कण्डक्टर के रूप में पूर्व .... से ....
तक की अवधि के लिए .... द्वारा चलाई गई सेवा पर ....
.... मार्ग या क्षेत्र पर पिछले अवसरों पर कार्य किया है और अनुज्ञापन प्राधिकारी को पत्र संख्या
....दिनांक................................. द्वारा सूचित कर दिया है।
(प्रतिलिपि संलग्न)

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

✶ अनपेक्षित विकल्प हो काट दें।

भाग – ख

(परमिट धारक द्वारा भरा जाए)

उपर्युक्त आवेदक को अस्थायी रूप से कण्डक्टर रूप में नियोजित किए जाने के कारण,

---

स्थान ....
दिनांक ....

परमिट संख्या,
यान संख्या और रजिस्ट्रीकरण
और मार्ग के नाम के साथ
परमिट धारक के हस्ताक्षर।

भाग – ग

(अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भरा जाए और आवेदक को वापस किया जाए)

श्री .... पुत्र श्री ....
को, जो वर्तमान में .... पर
निवास कर रहा है .... से .... तक मंजिली गाड़ी
संख्या .... के कण्डक्टर के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है। कण्डक्टर के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

दिनांकः ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

अनापेक्षित विकल्प को काट दें।

———————

प्रपत्र एस0 आर0 – 5
{नियम 23(1)देखिए}
उत्तराखण्ड सरकार
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति

संख्या ....

नाम श्री .... पुत्र श्री ....
.... को, जिसका वर्तमान पता ....
.... और स्थायी पता ....
.... है, जिनकी जन्म तिथि .... है,

फोटो	प्रपत्र छः से उद्धृत आवेदक के हस्ताक्षर की दूसरी प्रति

कण्डक्टर के रूप में अनुज्ञापित किया जाता है और उन्हें कण्डक्टर बैज संख्या .... जारी किया गया है। यह अनुज्ञप्ति .... से ....तक विधिमान्य है।

दिनांक : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुहर

नवीकरण

नवीकरण का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

पृष्ठांकन

दिनांक	अनर्हता के आदेशों का संक्षिप्त विवरण	अनर्हता के आदेश के लिए कारण संक्षेप में	पृष्ठांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1.			
2.			

3. ____
4. ____
5. ____

——————

प्रपत्र एस0 आर0 – 6
{नियम 23(4)देखिए}
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. वर्तमान पता ....
....
4. स्थायी पता ....
....
5. जन्म तिथि ....
(प्रमाण दिया जाएगा)
6. शैक्षिक अर्हताएं ....
(प्रमाण दिया जाएगा)
7. मैंने पूर्व में कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है/पूर्व में अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा जारी की गई .... से .... तक विधिमान्य कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण की है।
8. मैं कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए यहां निम्नलिखित कारणों से अनर्ह था:–
....
....
9. मैं कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अनर्ह नहीं हूं।
10. मैं अपनी हाल के फोटो की तीन प्रतियां, जैसी नियमावली द्वारा अपेक्षित हैं, संलग्न करता हूं।
11. मैं .... द्वारा .... जारी किया गया दिनांक .... का चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण–पत्र संलग्न करता हूं।
12. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण सही हैं।
13. मैंने रसीद, दिनांक .... द्वारा विहित फीस रु0.................जमा कर दी हैं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

आवेदक के हस्ताक्षर की दूसरी प्रति

प्रपत्र एस0 आर0 – 7
{नियम 23(6)देखिए}
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक के सम्बन्ध में
चिकित्सा प्रमाण–पत्र
भाग – क
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. स्थायी पता ....
....

4. वर्तमान पता ....
....
5. जन्म तिथि ....
6. पहचान चिन्ह (क)..
(ख)..

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

भाग – ख

नियमों के अधीन प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भरा जायेगा

1. परीक्षक किए गए व्यक्ति का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. वर्तमान पता ....
4. आयु ....
5. पहचान चिह्न (क) ....
(ख) ....
6. क्या आवेदक, आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपस्मार, भ्रमि या कसी ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित है जिससे उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो? ....
7. क्या आवेदक किसी हृदय या फेफड़े के विकार से पीड़ित है जो कन्डक्टर के रूप में उसके कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा डाल सकता है? ....
8. क्या उसमें अल्कोहल, तम्बाकू या औषधि के अत्यधिक प्रयोग का आदी होने का कोई संकेत दिखाई पड़ता है? ....
9. क्या वह आपकी राय में :
(एक) शारीरिक स्वास्थ्य,
(दो) नेत्र दृष्टि,
(तीन) मानसिक योग्यता, और
(चार) श्रवण योग्यता के सम्बन्ध में सामान्यतः ठीक है ....
10. उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसका परीक्षण किया गया है। ....

मैं प्रमाणित करता हूं कि उस व्यक्ति ने जिसका परीक्षण किया गया है मेरी उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर किया है या अंगूठे का निशान लगाया है और यह कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उक्त विवरण सही है और संलग्न फोटो वर्णित व्यक्ति के युक्तियुक्त रूप में समान है।

फोटो के लिए स्थान

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी
का नाम ....
....
....
रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
हस्ताक्षर ....

पद नाम ....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी)

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी भी फोटो पर हस्ताक्षर ऐसी रीति से करेगा कि उसके हस्ताक्षर का भाग प्रपत्र पर हो।)

प्रपत्र एस0 आर0 – 8
{नियम 25(1)देखिए}
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के अधीन कन्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या ... .के जो दिनांक .... को समाप्त होने वाली है/समाप्त हो गई है और जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा मुझे दिनांक .... को जारी किया गया था, नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मुझे कोई ऐसा रोग या ऐसी अशक्तता नहीं है जिससे कि मुझे मंजिली गाड़ी के कन्डक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा पड़े, मैं .... द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण–पत्र, दिनांक .... संलग्न करता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि .... मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेरा चालान नहीं किया गया है या मुझे दोषसिद्ध नहीं किया गया है और न ही मेरी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द किया गया है (दोषसिद्ध या चालान की दशा में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया जाएगा।)

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

प्रपत्र एस0 आर0 – 9
{नियम 25(2)देखिए}
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के नवीकरण की सूचना

प्रेषक,
अनुज्ञापन प्राधिकारी,
सेवा में,
अनुज्ञापन प्राधिकारी,
आप द्वारा .... नाम .... पिता का नाम .... स्थायी पता के पक्ष में जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... दिनांक .... को दिनांक ....से तीन वर्ष के लिए मेरे द्वारा नवीकृत कर दिया गया है।

दिनांक : **अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर**

प्रपत्र एस0 आर0 – 10
{नियम 28(1)देखिए}
कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिए आवेदन–पत्र
भाग 'क'
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

सेवा में,
अनुज्ञापन प्राधिकारी
....
मैं, ... पुत्र श्री .... जो .... का स्थायी निवासी हूं और जो वर्तमान में .... पर निवास कर रहा हूं, एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ....द्वारा मुझे जारी की गई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... दिनांक .... निम्नलिखित परिस्थितियों में ✶खो गई है/नष्ट हो गई है –

(इन्हें भरा जाएगा)

2. मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा जारी किया गया कन्डक्टर बैज संख्या .... धारण करता हूं।
3. मैं एतद्द्वारा कण्डक्टर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूं और .... रुपया नकद/कोषागार के चालान संख्या .... द्वारा देता हूं।
4. मैं स्वयं के हाल के फोटो की तीन स्पष्ट प्रतियां संलग्न करता हूं।
5. मैं अग्रतर घोषणा करता हूं कि मेरी कण्डक्टर अनुज्ञप्ति किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं की गई है, अनुज्ञप्ति को किसी प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहत नहीं किया गया है और यह कि अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समय बीत जाने के कारण समाप्त नहीं हुई है।
6. मैं एतद्द्वारा घोषण करता हूं कि ✶अंतिम नवीकरण/स्वीकृति के दिनांक से निम्नलिखित ✶पृष्ठांकन हुए हैं/कोई पृष्ठांकन नहीं हुआ है।

क्रसं0	पृष्ठांकन का दिनांक	पृष्ठांकन के आदेशों का विवरण	पृष्ठांकन के आदेशों के कारण	पृष्ठांकन करने वाले प्राधिकारी का नाम
क	ख	ग	घ	ङ
1.				
2.				

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

भाग 'ख'

✶ कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... की, जो प्रथमतः .... को दिया गया था, दूसरी प्रति आज दिनांक .... को मेरे द्वारा जारी की गई।

✶ आवेदक को कारण बताकर पत्र–संख्या .... दिनांक .... में आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया।

दिनांक : **अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

भाग – 'ग'

(भाग ग, घ और ङ भाग क और ख से अलग पन्ने पर मुद्रित किए जाएंगे और यदि मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी को आवेदन किया जाए तो उनका प्रयोग किया जाएगा।)

भाग 'घ' को सत्यापित और पूरा करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी .... को अग्रसारित।

दिनांक : **अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर**

भाग 'घ'

अनुज्ञापन प्राधिकारी .... को वापस

मैंने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपने अभिलेखों से मिला लिया है। इस कार्यालय द्वारा कोई ऐसी कन्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी की गई प्रतीत नहीं होती है।

✶ मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि आवेदक वर्णित कन्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक था।

✶ मेरा समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया, निम्नानुसार बैज और कन्डक्टर अनुज्ञप्ति का धारक था –

1. बैज संख्या ....
2. कन्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या ....
3. जारी करने का दिनांक ....
4. अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा .... तक .... अंतिम बार नवीकृत किया गया।

दिनांक : **अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर**

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

भाग 'ङ'

अभिलेख के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी .... को वापस।

दूसरी प्रति आज दिनांक .... को मेरे द्वारा जारी कर दी गई है और उस पर चिपकाई गई फोटो की प्रति संलग्न है।

✶ अपने पत्र संख्या .... दिनांक .... में मैंने आवेदित कन्डक्टर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने से इंकार कर दिया है और मैं उस पत्र की प्रति संलग्न कर रहा हूं।

दिनांक : **अनुज्ञापन प्राधिकारी**

के हस्ताक्षर और मुहर

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

प्रपत्र एस0 आर0 – 11
{नियम 32(1)देखिए}
मंजिली गाड़ी के कन्डक्टर का बैज

अनुज्ञापन प्राधिकारी का जिला .... मंजिली गाड़ी कन्डक्टर संख्या...............................

बैज 5×4 सेन्टीमीटर के आयताकार आकार में होगा।

———————

प्रपत्र एस0 आर0 – 12
{नियम 40(1)देखिए}
ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र देने/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र
भाग – क
(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ....

मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी/नवीकरण करने के लिए आवेदन करता हूं।

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....
स्वामी का नाम ....
स्थान जहां गाड़ी साधारणतया रखी जाती है ....
यान के विनिर्माता का नाम ....
विनिर्माता का माडल या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस ....
यान का प्रकार ....
चेसिस संख्या ....
इंजन संख्या ....
यान के संबंध में दिए गए किसी पूर्ववर्ती ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र का विवरण ....
प्राधिकारी जिसके द्वारा दिया गया/नवीकृत किया गया ....
दिनांक, जब ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता समाप्त हुई ....
विधिमान्यता की समाप्ति के कारण ....

मैं केन्द्रीय नियमावली के नियम 73 के अधीन अपेक्षित कर शोधन प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

या अंगूठे का निशान।

भाग – ख
(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परिवहन यान संख्या .... की निरीक्षण रिपोर्ट।
संभागीय/उप–संभागीय कार्यालय ....
निरीक्षण का स्थान ....
दिनांक ....
क्रम संख्या ....
यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ....
यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
ढांचे का प्रकार ....
यान के विनिर्माता का नाम ....
विनिर्माण का वर्ष ....
व्हील बेस ....
चेसिस संख्या ....
इंजन संख्या ....
अश्व शक्ति ....
यान का लदान रहित भार ....
सकल यान भार ....
टायरों की संख्या और आकार ....
अगली धुरी ....
पिछली धुरी ....
कोई अन्य धुरी ....
टैडम धुरी ....

1. यान का ढांचा –
(क) ढांचे की सामान्य दशा ....
(ख) रंगाई कार्य ....
(ग) साज–सामन (गद्दी आदि)...
(घ) यान की लम्बाई ....सेन्टीमीटर
(ङ) यान की चौड़ाई ....सेन्टीमीटर
(च) यान की ऊंचाई (भूमि से मापी गई) ....सेन्टीमीटर
(छ) खड़े होने का स्थान ....सेन्टीमीटर
(ज) गैंगवे ....सेन्टीमीटर
(झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी ....सेन्टीमीटर
(ञ) सीट की चौड़ाई ....सेन्टीमीटर
(ट) सीट की गहराई ....सेन्टीमीटर
(ठ) ओवर हैंग ....सेन्टीमीटर
(ड) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी ....सेन्टीमीटर
(ढ) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक ....सेन्टीमीटर
(ण) दरवाजा .... चौड़ाई ....सेन्टीमीटर
(त) ग्रैब रेल ....सेन्टीमीटर

2. अगली धुरी और स्टियरिंग –
(क) स्टियरिंग लॉक..
(ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन ....

(ग) स्टियरिंग कनेक्शन ....

(घ) स्टियरिंग टर्निंग सर्किल और बैकलैश...

(ङ) किंग पिन और बुश्ड ....

(च) सामने के पहिये की बियरिंग ....

(छ) सामने की पहिया का एलाइनमेंट ....

3. संप्रेषण –

(क) क्लच ....

(ख) गियर बॉक्स ....

(ग) युनिवर्सल ज्वाइन्ट...

(घ) प्रोपेलर शैफ्ट..

(ङ) डिफरिन्शियल ....

4. इन्जन –

(क) ईंधन प्रणाली ....

(ख) निष्कासन प्रणाली..

(ग) ज्वलन प्रणाली...

(घ) धुवां उत्सर्जन का घनत्व ....

5. लैम्प और बिजली प्रणाली –

(क) हेड लाइट ....

(ख) साइड लाइट ....

(ग) बैक लाइट ....

(घ) स्टॉप लाइट ....

(ङ) सिग्नल इन्डीकेटर ....

(च) डिपर ....

(छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली ....

(ज) हॉर्न ....

6. साइलेन्सर –

7. ब्रेक्स –

(क) पैर का ....

(ख) हाथ का ....

(ग) बूस्टर प्रणाली ....

8. स्प्रिंगिंग प्रणाली की दशा –

9. आवश्यक उपस्कर –

(क) बल्ब हॉर्न ....

(ख) विण्ड शील्ड वाइपर ....

(ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा ....

(घ) स्पीडोमीटर (चाल मापी) ....

(ङ) औजार ....

(च) अतिरिक्त पहिया ....

(छ) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ....

(ज) तिरपाल ....

(झ) परावर्तक ....

10. टायरों की दशा ....

11. चेसिस फ्रेस की दशा ....

12. सफाई ....

13. कोई अन्य अभ्युक्ति या खराबी ....
....
....
....

उपरिलिखित खराबी के कारण ठीक हालत में होने से इन्कार करने की संस्तुति की जाती है।

.... अवधि के लिए ठीक हालत में होने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षक का नाम और
हस्ताक्षर/
प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र

भाग – ग
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

यान संख्या ....
परमिट संख्या .... तक के लिए विधिमान्य
बीमा पॉलिसी ....
बीमा कम्पनी का नाम ....
.... तक के लिए बीमा विधिमान्य
....तक मार्ग कर जमा किया गया
.... तक अतिरिक्त कर जमा किया गया।
रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा
.... रु0 निरीक्षण फीस वसूल की गई।
यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र से इन्कार किया जाता है ....
.... से .... तक के लिए जारी किया जाता हैं।
यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक ....

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम
और हस्ताक्षर
प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र

✶ जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग – घ
(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और यान के स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा)

यान का रजिस्ट्रकरण चिन्ह ....
मेक और मॉडल..
यान का प्रकार ....
ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र .... द्वारा जारी किया गया .... द्वारा ....को अन्तिम बार नवीकरण किया गया।
निरीक्षण का दिनांक ....
यान के स्वामी का नाम और पता ....

उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का निम्नलिखित खराबियों के कारण अनुपालन करने में विफल है:
....
....

अतएव मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. .... पर

2. ....
यान को दिनांक .... को या उसके पूर्व मरम्मत के लिए .... की उसके पश्चात् .... को चलाकर ले जाया जा सकता है। यह .... किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलायी जाएगी और उसमें कोई यात्री या माल नहीं ले जाया जाएगा। ठीक हालत में होने की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक :

प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर.

---

1. यहां स्थान दर्ज करें ।
2. यहां दिनांक दर्ज करें।

―――――

प्रपत्र एस0 आर0 – 13
{नियम 40(3)देखिए}
निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन पत्र जब प्रपत्र एस0आर0 12 में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो
भाग – क
(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
....

मैं एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन अपेक्षित निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन करता हूं:

1. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....
2. दिनांक जब ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा ....
3. ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम ....

दिनांक : ....

आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर

भाग – ख

(रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा)
यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....
स्वामी का नाम और पता ....

चूंकि उपरिलिखित यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र दिनांक .... को समाप्त होने वाला है अतएव उसे .... (दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा) पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक : ....

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

―――――

प्रपत्र एस0 आर0 – 14
{नियम 40(6)देखिए}
यान के प्रयोग के लिए अस्थायी प्राधिकार देना जब ठीक हालत में होने का

प्रमाण–पत्र समाप्त हो गया हो।

✶✶ ....का जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .... है, ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जो .... द्वारा अन्तिम बार .... को नवीकृत किया गया था ....को समाप्त हो गया है।

मैं एतद्द्वारा, दिनांक .... तक यान के प्रयोग का प्राधिकार देता हूं परन्तु यह तत्काल ऐसे प्राधिकारी के क्षेत्र में जिसके द्वारा ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र नवीकृत किया जाना है युक्तियुक्त शीघ्रता से हटा लिया जाये,

परन्तु यह और कि इस प्रधिकार के अधीन प्रयोग किये जा रहे यान में –

✶ (क) ड्राइवर को छोड़कर .... यात्रियों से अधिक नहीं ले जाया जायेगा,

✶ (ख) कोई माल नहीं ले जाया जायेगा,

✶ (ग) को .... किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर नहीं चलाया जायेगा।

स्थान .... **रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के**
दिनांक .... **हस्ताक्षर, मुहर और पदनाम**

✶ ✶ यहां यान का संक्षिप्त विवरण दें।

✶ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

मैंने आज दिनांक .... को मोटर यान संख्या .... के अस्थायी रूप से प्रयोग को .... तक इसको हटाने के लिए प्राधिकृत किया/जारी किया गया प्राधिकार .... तक वैध है।

स्थान .... **रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के**
दिनांक .... **हस्ताक्षर और मुहर**

प्रपत्र एस0 आर0 – 15

{नियम 40(7)देखिए}

किसी क्षतिग्रस्त यान को हटाये जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार

यान का रजिस्ट्रकरण चिन्ह ....

मेक और मॉडल...

यान का प्रकार ....

ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र .... संख्या .... द्वारा जारी किया गया।

अन्तिम बार दिनांक .... को ....द्वारा नवीकृत।

स्वामी का नाम और पता ....

उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय सात और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन में निम्नलिखित खराबियों के कारण विफल हैः–

....

....

अतएवः मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को–

(1) .... स्थान पर .... बजे

(2) दिनांक .... को या (क) .... स्थान पर .... बजे

(ख) दिनांक .... को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक .... को या उसके पूर्व यान को मरम्मत के लिए .... को और .... को चलाकर ले जाया जा सकता है।
यह .... किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलाया जायेगा और (ग) .... यात्री और .... माल ले जाया जा सकता है।

दिनांक................ **प्राधिकारी का नाम**
हस्ताक्षर और मुहर

(क) यहां समय और स्थान दर्ज करें।
(ख) यहां दिनांक दर्ज करें।
(ग) यहां शब्द ''नहीं'' दर्ज करें जब तक किसी बहुत विशेष कारण से कुछ भार को अनुमति न दी जाए।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 16
{नियम 40(8)देखिए}
मोटर यान के हटाये जाने के लिए अस्थायी प्राधिकार जब ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया गया हो

1. यान का रजिस्ट्रकरण चिन्ह ....
2. मेक और मॉडल ....
3. यान का प्रकार ....
4. ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र ....
   (क) संख्या ....
   (ख) .... द्वारा जारी किया गया।
   (ग) अंतिम नवीकरण (एक) .... को
   (दो) .... द्वारा किया गया।
5. निरीक्षण का दिनांक ....
6. स्वामी का नाम और पता (दोनों स्थायी और वर्तमान) ....

मेरा समाधान हो गया है कि उपरिलिखित यान में निम्नलिखित की अपेक्षाओं का पूर्ति करना बन्द कर दिया है:–

मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियम
....
....
(यहां तथ्यों का उल्लेख किया जाए)

अतएव, मैने ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र को जब्त कर लिया है। यान को –
(1) .... स्थान पर
(2) दिनांक .... को या (क) .... स्थान पर .... बजे
(ख) दिनांक .... को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक .... को या उसके पूर्व यान को मरम्मत के लिए .... और तत्पश्चात् .... को चलाकर ले जाया जा सकता है।

यह .... किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलाया जायेगा और (ग) .... यात्री और .... माल ले जाया जा सकता है।

इस यान के सम्बन्ध में दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और किसी परमिट को भी तब तक निलम्बित समझा जायेगा जब तक कि ठीक हालत में होने का नया प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

स्थान–

दिनांक ....

प्राधिकारी का नाम
हस्ताक्षर और मुहर

(क) यहां समय और स्थान दर्ज करें।
(ख) यहां दिनांक दर्ज करें।
(ग) यहां शब्द ''नहीं'' दर्ज करें जब तक किसी बहुत विशेष कारण से कुछ भार को अनुमति न दी जाए।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 17
{नियम 42(2)देखिए}
मोटर यान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,
रजिस्ट्रीकर्ता / विहित प्राधिकारी ....

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम ....
पुत्र / पत्नी / पुत्री ....
2. आवेदक का स्थायी पता ....
(साक्ष्य प्रस्तुत किया गया) ....
3. स्थान जहां यान स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा ....
4. व्यवसायी या विनिर्माता का नाम
और पता जिससे यान को क्रय किया गया था ....
(विक्रय प्रमाण–पत्र और विनिर्माता द्वारा जारी किया गया
सड़क पर चलने योग्य प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए)
5. यान का वर्ग ....
(यदि मोटर साइकिल है तो गियर वाली है या बिना गियर की है)
6. मोटर यान –
(क) नया यान है ....
(ख) भूतपूर्व सेना यान है ....
(ग) आयातित यान है ....
7. यान का प्रकार ....
8. ढांचे का प्रकार ....
9. बनाने वाले का नाम ....
10. विनिर्माण का माह और वर्ष ....
11. अश्वशक्ति ....
12. घन क्षमता ....
13. बनाने वाले द्वारा किया गया वर्गीकरण या
यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस ....
14. चेसिस संख्या ....
(पेन्सिल का चिन्ह लगाएं)
15. इंजन संख्या ....
16. सीटों की क्षमता (ड्राइवर सहित) ....
17. इंजन में उपयोग किया गया ईंधन ....
18. लदान रहित भार ....
19. यान का सकल भार जैसा ....
(क) विनिर्माता द्वारा प्रमाणित किया गया ....
(ख) रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला ....

20. ढांचे का रंग, यदि कोई हो ....
21. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन ....
22. मैंने .... रुपये की विहित फीस जमा कर दी है।
(फीस वहीं होगी जैसा केन्द्रीय नियमावली के नियम 81 में आवेदित यान के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में विहित हो)
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि भारत में किसी भी राज्य में यान का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है।

यान के स्वामी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस0 आर0 – 18
{नियम 42(3)देखिए}
अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
यान के स्वामी का नाम और पता ....
पिता/पति के नाम के साथ ....
1. यान की चेसिस संख्या ....
2. बनाने वाले का नाम ....
3. इन्जन संख्या .... अश्व शक्ति ....
4. ढांचे का प्रकार ....
5. सीटों की क्षमता ....
6. रंग ....
7. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन ....
8. यह यान स्वामी द्वारा अवक्रय करार/पट्टे/आडमान के अधीन धारित है।
(उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता ....
....
.... जिसके साथ यान के स्वामी द्वारा ऐसा ....
करार किया गया है।)
मोटर यान अधिनियम,1988 के उपबन्धों के अधीन ऊपर वर्णित यान का मेरे द्वारा अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया है और रजिस्ट्रीकरण दिनांक .... तक विधिमान्य है।

यान के स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांकः

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और मुहर

———–

प्रपत्र एस0 आर0 – 19
{नियम 54(2)देखिए}
समग्र उत्तराखण्ड में कलेण्डर वर्ष मास...................... के दौरान चोरी हुए मोटर यानों और बरामद किए गए मोटर यानों का मासिक विवरण

क्रम सं0	जिले का नाम पुलिस थाना	चोरी हुए/बरामद किए गए यानों का विवरण	चोरी के बारे में प्रथम सूचना	यदि बरामद हुआ तो बरामद का दिनांक और	की गयी अनुवर्ती कार्यवाही

जिला (संक्षेप में)		पुलिस थाना	रजि0 संख्या	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	वर्ग/ श्रेणी	बनाने वाले का	स्वामी का नाम और पता	रिपोर्ट का दिनांक		स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

टिप्पणी – (क) यदि स्तम्भ 4 और 10 में बताए गए चोरी किया गया यान विवरणाधीन मास के दौरान बरामद नहीं किया गया हो तो स्तम्भ 11 में इसके सामने (×) बनाया जा सकता है।

(ख) यदि स्तम्भ 4 और 11 में बताए गए बरामद यान विवरणाधीन मास के दौरान चोरी नहीं किए गए थे, तो स्तम्भ 10 में इसके सामने (×) बनाया जा सकता है।

——————

प्रपत्र एस0 आर0 – 20

{नियम 65(एक)देखिए}

मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण ....

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 69, 70 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन मंजिली गाड़ी/मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में परमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है –

1. पूरा नाम ....
2. आवेदक की प्रास्थिति (क्या व्यष्टि, कम्पनी या भागीदारी फर्म, सहकारी समिति आदि है) ....
3. व्यष्टि के मामले में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी के मामले में यथास्थिति, प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम ....
4. पूरा पता ....

(एक) स्थायी ....

(दो) वर्तमान ....

(जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण, से जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करता हो और कम्पनी या फर्म के मामले में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से समर्थित होगा।)

5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट .... वांछित है।
6. (क) यान का प्रकार और रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई हो ....

(ख) प्रस्तावित फेरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ....

या

मंजिली गाड़ी की सेवा के मामले में ....

(एक) यानों की अधिकतम संख्या जो परमिट के निबंधनों के अधीन क्षेत्र में या किसी मार्ग पर किसी एक समय पर चलाए जाएंगे और दैनिक फेरों की अधिकतम संख्या ....

(दो) यानों की न्यूनतम संख्या जो परमिट के निबन्धनों के अधीन किसी एक समय पर चलाए जाएंगे और दैनिक फेरों की न्यूनतम संख्या ....

(तीन) सेवा पर प्रयोग होने वाले यानों के प्रकार और सीटों की लगभग क्षमता..............................यान .... सीटों से कम नहीं और .... सीटों से अधिक नहीं है। ....यान .... सीटों से कम नहीं और .... सीटों से अधिक नहीं। .... यान .... सीटो से कम नहीं और .... सीटो से अधिक नहीं।

7. प्रस्तावित समय सारणी/सारणियों का ब्यौरा संलग्न है ....

8. लिए जाने के लिए प्रस्तावित किराये की मानक दर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर ....है।

9. नियमित रूप से सेवा बनाए रखने के लिए और विशेष अवसरों के लिए भी आरक्षित रखे जाने वाले यानों की संख्या ....

10. यानों को रखे जाने, मरम्मत और अनुरक्षण के प्रबन्ध का ब्यौरा ....

11. यात्रियों के आराम और उन्हे सुविधा देने के लिए और सामान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा ....

12. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा धृत मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के विधिमान्य परमिट का ब्यौरा –
    (क) यह यान ....
    (ख) कोई अन्य यान ....

13. क्या ऊपर कथित परमिटों में से कोई परमिट पिछले चार वर्षों में निलम्बन या रद्‌दकरण आदेश के अधीन है, यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।

14. क्या ऊपर कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर अद्यतन जमा कर दिए गए हैं। यदि हाँ, तो सम्बंधित कराधान अधिकारी का बेबाकी (अदेयता) प्रमाण–पत्र संलग्न करें। यदि नहीं, तो बकाया का ब्यौरा दें (जो सम्बन्धित कराधान अधिकारी के प्रमाण–पत्रों से समर्थित हो)।

15. मैंने/हमने .... रूपए की विहित आवेदन फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में भुगतान कर दिया है।

16. यान मेरे/हमारे कब्जे में है/हैं। इसका/इनके रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण–पत्र संलग्न है।

17. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा नहीं पाया है और मैं/हम समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर दूँ/दें।

18. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त विवरण सही है और सहमत हूँ/हैं कि अन्य बातों के साथ वे मुझे/हमें जारी किए गऐ परमिट की शर्तें होगी।

दिनांक .... **आवदेक (कों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का/के निशान।**

टिप्पणी – जो लागू न हो उसे काट दें।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा।

1. प्राप्ति का दिनांक ....
2. आवेदन का दिनांक ....
3. .... को स्वीकृत/उपान्तरित रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया।
4. जारी किए गए परमिट की संख्या ....
5. जारी की गई परमिट/परमिटों की संख्या ....

(नाम)

सचिव,
.... परिवहन प्राधिकरण

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा और आवेदक को वापस किया जाएगा।

श्री ....
....

पुत्र श्री ....
.... के निवासी से ....
.... मार्ग/क्षेत्र के लिए मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त किया और उसे उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के नियम 62 के अधीन रखे गए रजिस्टर के क्रमांक .... पर दर्ज किया।

सचिव,
.... परिवहन प्राधिकरण

—————

प्रपत्र एस0 आर0 – 21
{नियम 65(दो) देखिए}
ठेकागाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण ....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है –

1. पूरा नाम ....
2. व्यष्टि की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथास्थिति प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम ....
3. आवेदक की प्रास्थिति,
(क्या व्यष्टि, कम्पनी या साझेदारी फर्म, सहकारी समिति आदि है) ....

4. पूरा पता –
(क) स्थायी ....
(ख) वर्तमान ....

(जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजीं प्रमाण, से जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म के मामले में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से, या भागीदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से समर्थित होगा।)

5. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है ....
6. यान का प्रकार, इसकी मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता ....

8 ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का ब्यौरा (मोटर टैक्सी की दशा में आवश्यक नहीं) और वह रीति जिसमें यह दावा किया गया है की उससे लोक सुविधा दी जाएगी ....

9 क्या उसमें टैक्सी मीटर लगा है। (केवल मीटर टैक्सी की दशा में) ....

10 आवेदक द्वारा धृत किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या किसी तत्समान प्राधिकार) का ब्यौरा –

(क) इस यान के सम्बन्ध में –

परमिट संख्या	द्वारा जारी किया गया	क्षेत्र	विधिमान्यता की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में –
(यथोक्त)

11. आवेदक द्वारा धृत किसी परिवहन यान के प्रयोग के सम्बंध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान परमिट का ब्यौरा, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किया गया हो, यदि हो,, तो ब्यौरा दें ....

12. क्या ऊपर कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर अद्यतन जमा कर दिए गए हैं। यदि हाँ, तो सम्बंधित कराधान अधिकारी का बेबाकी प्रमाण–पत्र संलग्न करें। यदि नहीं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी के प्रमाण–पत्रों से समर्थित होगा)।......................

13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिए और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा ....
....

14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण–पत्र एतद्द्वारा संलग्न है...

15. मैंने/हमने .... रुपये की विहित आवेदन पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है ....

16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट ....तब तक जारी नहीं होगी जब तक मैं/हम ....रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूं/कर देते है।

17. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ मुझे/हमें जारी किए गए परमिटों की शर्तें होंगी।

आवदेक (कों) के हस्ताक्षर
दिनांकः .... **या अंगूठे का निशान।**

टिप्पणी – जो लागू न हो उसे काट दें।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाए

1. प्राप्ति का दिनांक ....
2. आवेदन का दिनांक ....
3. सदस्यों को परिचालन ....
   बैठक में विचार का दिनांक ....
   अध्यक्ष द्वारा निर्णय ....
4. स्वीकृत ....
   उपान्तरिक रूप में स्वीकृत ....
   अस्वीकृत ....
5. परमिट की संख्या ....

सचिव,
.... परिवहन प्राधिकरण

––––––

प्रपत्र एस0 आर0 – 22
{नियम 65(तीन)देखिए}
माल वाहन के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण

....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 77 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन माल वाहन के सम्बन्ध में परमिट के लिए, जैसा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूँ/करते हैं –

1. पूरा नाम ....
2. आवेदक की प्रास्थिति ....
   (क्या व्यष्टि, कम्पनी या साझेदारी फर्म, सहकारी समिति आदि हैं) ....
3. पिता या पति का नाम ....
   (व्यष्टि की दशा में और फर्म या कम्पनी की दशा में, यथास्थिति, प्रबन्ध साझेदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम) ....
4. पूरा पता ....
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
   (जो किसी व्यष्टि की दशा में राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण से जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से, या भागीदारी दस्तावेज की प्रतिलिपि से समर्थित होगा।)
5. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है ....
6. ले जाने वाले माल की प्रकृति ....
   (इस बात का विशेष उल्लेख किया जायेगा कि क्या आवेदक का खतरनाक और जोखिम वाले माल को ले जाने का अभिप्राय है ....)
7. यान का प्रकार और उसकी क्षमता जिसके अन्तर्गत ट्रेलर और अनुकल्पी ट्रेलर भी है –

यानों की संख्या	प्रकार	यान का सकल भार	लदान रहित भार	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	समग्र लम्बाई	समग्र चौड़ाई
1	2	3	4	5	6	7

8. अग्रेषण और संग्रहण अभिकर्ता का, जिससे यान को सम्बद्ध किया जाने वाला हो, नाम, पता और अनुज्ञापन संख्या ....

आवेदक द्वारा धृत किसी विधिमान्य माल वाहन के परमिट (या किसी तत्समान प्राधिकार) का ब्यौरा –.
....

10. आवेदक द्वारा धृत किसी ऐसे परमिट का विवरण जो पूर्ववर्ती चार वर्ष के दौरान निलम्बन या रद्दकरण के किसी आदेश के अधीन रहा हो ....
11. माल ले जाने के लिए, लिए जाने वाले प्रस्तावित भाड़े की मानक दर .... रुपये प्रति कुन्तल, प्रति किलोमीटर
12. मैंने/हमने .... रुपये की विहित आवेदन पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है।
13. मैं/हम यान/यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/प्रमाण–पत्रों को संलग्न करता हूँ/करते हैं।

14. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ मुझे/हमें जारी किए गए परमिट की शर्तें होगी।

आवदेक (कों) के हस्ताक्षर

दिनांकः.................... **अंगूठे का निशान।**

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायगा

1. प्राप्ति का दिनांक ....
2. आवेदन का दिनांक ....
3. स्वीकृत ....
   उपान्तरिक रूप में स्वीकृत ....
   अस्वीकृत गया।
4. जारी किए गए परमिट की संख्या ....

सचिव,

.... परिवहन प्राधिकरण

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 23

{नियम 65(चार)देखिए}

निजी (प्राइवेट) सेवा यान की परमिट के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण ....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 76 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन निजी (प्राइवेट) सेवा यान परमिट के लिए जैसा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूँ/करते हैं –

1. पूरा नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यष्टि की स्थिति में)..
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है ....
5. प्रयोजन जिसके लिए परमिट वांछित है ....
6. वह रीति जिसमें किराये या पारिश्रमिक के लिए या आवेदक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारबार के सम्बन्ध से भिन्न व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन की पूर्ति यान द्वारा की जायेगी ....

....

7. यान का प्रकार और सीटों की क्षमता –

यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न	प्रकार	सीटों की क्षमता	यान का सकल भार
1	2	3	4

टिप्पणी – यदि यान आवेदक के कब्जे में नहीं है तो यह पर्याप्त होगा यदि स्तम्भ (3) और (4) के अंक भार के किसी प्रवृत्त परिसीमा के अधीन रहते हुए दस प्रतिशत में अधिक या कम हो, ठीक हो, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र परिवहन प्राधिकरण को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि रजिस्ट्रकरण चिह्न की प्रविष्टि परमिट जारी करने के पूर्व उसमें की जा सके।

8. आवेदक के व्यापार या कारबार की प्रकृति ....
9. कारबार का स्थान (डाक के पते सहित) ....

10. कारबार के स्थान को लाये जाने वाले/और वहां ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की विनिर्दिष्टियां ....

11. आवेदक के वित्तीय स्थायित्व का साक्ष्य अर्थात् ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय–कर और व्यापार कर की विवरणी जो समुचित प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई हो ....

....

12. मैं/हम एक परमिट जो .... वर्ष/माह के लिए विधिमान्य हो, चाहता हूँ/चाहते हैं और मैंने/हमने .... रुपए न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में विहित आवेदन–पत्र फीस जमा कर दी है।

13. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ के मुझे/हमें जारी किए गए परमिट की शर्तें होगी।

स्थान

दिनांक ....

आवदेक (कों) के हस्ताक्षर
अंगूठे का निशान।

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय मे भरा जायगा।

1. प्राप्ति का दिनांक ....
2. सदस्यों को परिचालित किए जाने/बैठक में विचार किए जाने/सभापति द्वारा विनिश्चय का दिनांक ....
3. दिनांक .... को स्वीकृत,/उपान्तरित रुप से स्वीक्त/अस्वीकृत किया गया ....
4. परमिट की संख्या ....

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण के हस्ताक्षर
और मुहर

प्रपत्र एस0 आर0 – 24
{नियम 65(पांच)देखिए}
अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र

सेवा में,

राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 87 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन अस्थायी परमिट के लिए जैसा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूँ/करते हैं –

1. पूरा नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यष्टि की दशा में)..........
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. परमिट की प्रकृति .... मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी/माल वाहन
5. प्रयोजन जिसके लिए परमिट अपेक्षित है ....
6. मार्ग/क्षेत्र ....

.

7. परमिट की अवधि .... से .... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए)
8. अस्थायी आवश्यकता का औचित्य ....
9. यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
.10. यान का प्रकार और लदान भार/सीटों की क्षमता जिसके लिए परमिट अपेक्षित है ....
11. मैंने/हमने .... रुपए की विहित आवेदन पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है।
12. मैं यान के सम्बन्ध में जिसके लिए परमिट अपेक्षित है सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न करता हूँ।
13. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ मुझे/हमें जारी किए गए परमिट की शर्तें होगी।

आवदेक (कों) के हस्ताक्षर

दिनांकः **अंगूठे का निशान।**

परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायगा

1 प्राप्ति का दिनांक ....
2 दिनांक .... को स्वीकृत/उपान्तरित रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत।
3 जारी किए गए परमिट की संख्या ....

दिनांक ....

सचिव, परिवहन प्राधिकरण

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 25
{नियम 65(छः)देखिए}
विशेष परमिट के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

परिवहन प्राधिकरण ....

चूंकि मेरा/हमारा यान ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण करने के लिए लगा है, अतः मैं/हम, एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन परमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं –

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यष्टि की दशा में) ....
3. पूरा पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
5. प्रयोजन जिसके लिए परमिट अपेक्षित है ....
6. परमिट की अवधि .... से .... तक
7. यान/यानों का प्रकार और सीट की क्षमता जिसके/जिनके लिए परमिट अपेक्षित है ....
8. मार्ग जिनसे होकर यात्रा की जायेगी ....
9. लगाये जाने वाले प्रस्तावित यान के साधारण परमिट का ब्यौरा संख्या ....मार्ग .... विधिमान्यता ....
10. मैंने/हमने .... रुपए की विहित आवेदन–पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में जमा कर दी है।

11. मैंने/हमने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से तैयार किया गया सम्बन्धित राज्यों के करों के बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर दिए हैं –

क्र0सं0	राज्य का नाम	धनराशि	कर की प्रकृति	बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक	प्राधिकारी जिसे भुगतान किया गया
1	2	3	4	5	6

12. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यान में दो ड्राइवर होंगे।
13. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य है और यह कि वे अन्य बातों के साथ–साथ मुझे/हमें स्वीकृत किए गए परमिट की शर्तें होंगी।
14. व्यक्तियों का विवरण –

क्र0सं0	पूरा नाम	पिता/पति का नाम	आयु	निवास स्थान

दिनांक ....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/ अंगूठे का/के निशान।

प्रपत्र एस0 आर0 – 26

{नियम 66(1)(एक)देखिए}

मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट

.... परिवहन प्राधिकरण,

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि की दशा में) ....
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
   (दो) माडल ....
   (तीन) चेसिस संख्या ....
   (चार) इंजन संख्या ....
   (पांच) फाइनेन्सर का नाम यदि कोई हो, जिसके साथ यान का अवक्रय करार है ....
5. यात्री सीट की संख्या, खड़े होने की अनुमति के साथ यदि कोई हो ....
6. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है ....
7. विधिमान्यता की अवधि ....
8. अनुमोदित किराये की दर .... प्रति यात्री प्रति किलोमीटर ....
9. अनुमोदित समय सारणी की विशिष्टियाँ ....
10. प्रतिदिन अनुमत एकल फेरों की संख्या ....
11. यात्रियों और उनके व्यक्तिगत सामान के अतिरिक्त माल निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले जाया जा सकता है ....
12. यान में किराया सारणी को प्रदर्शित किया जायेगा।
13. समय सारणी को यान पर और बस अड्डे पर प्रदर्शित किया जायेगा।
14. यात्रियों को टिकट जारी किया जायेगा।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित रीति से मासिक विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी।
16. यह परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन यथा उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन होगा।
17. अन्य शर्तें –

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल़ मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाए या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि उत्तरांचल़ मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं तद्धीन बनाये गये नियमो में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि परमिट के धारक ने जान–बूझकर ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सकेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गई संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाए और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न तो ढकेगा करेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यान में परमिट, परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

18. अन्य कोई शर्त ....
19. उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के नियम 76 के अधीन परमिट निम्नलिखित सम्भागों में और नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विधिमान्य होगा –

सम्भाग	मार्ग / मार्गों / क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक .... **सचिव, परिवहन प्राधिकरण**

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा .... से .... तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन नवीकृत किया जाता है –

(1)

(2)

(3)

(4)

किसी पूर्ववर्ती प्रति हस्ताक्षर के साथ सशक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में भी प्रभावी होगा –

(1)

(2)

(3)

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रति हस्ताक्षर

संख्या ....

.... परिवहन प्राधिकरण,

शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए ....

.... मार्ग/क्षेत्र के लिए प्रतिहस्ताक्षरितः –

(1)

(2)

(3)

(4)

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

प्रतिहस्ताक्षर एतद्द्वारा .... तक नवीकृत किया जाता है।

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

–––––

प्रपत्र एस0 आर0 – 27
{नियम 66(1)(दो) देखिए}
ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट

.............................परिवहन
प्राधिकरण

परमिट संख्या.............................

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि की दशा में) ....
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
   (दो) मॉडल ....
   (तीने) चेसिस संख्या ....
   (चार) इंजन संख्या ....

(पांच) यान का वर्ग ....
....

मोटर टैक्सी	बड़ी टैक्सी	बस

(छः) यान .... के साथ अवक्रय करार के अधीन है।

5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है ....
6. परमिट के अवसान का दिनांक ....
7. किराये की प्रति किलोमीटर दर ....
8. यह परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन यथा उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा।
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी –

   ....
10. अन्य शर्तें –

    (1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाए या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

    (2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे करों का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

    (3) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दिया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

    (4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

    (5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गई संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

    (6) विज्ञापन के केवल ऐसे विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाए और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय, प्रदर्शित किये जा सकते हैं :

    परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

    (7) यान में परमिट, परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।
11. अन्य कोई शर्त ....

    ....

    ....परमिट निम्नलिखित सम्भागों में और नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए भी विधिमान्य है –

सम्भाग	मार्ग / क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा दिनांक .... तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत किया जाता है –

(1)
(2)
(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रति हस्ताक्षर के साथ सशक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह निम्नलिखित राज्य / सम्भागों में भी प्रभावी होगा

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रति हस्ताक्षर

.... परिवहन प्राधिकरण, संख्या ....
....

शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए मार्ग / क्षेत्र .... के लिए प्रतिहस्ताक्षरितः –

(1)
(2)
(3)

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

ऊपर दिया गया प्रतिहस्ताक्षर एतद्द्वारा .... तक नवीकृत किया जाता है।

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0 आर0 – 28
{नियम 66(1)(तीन) देखिए}
माल वाहन परमिट

.... परिवहन प्राधिकरण

....

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि की दशा में) ....
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. (एक) गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
   (दो) माडल ....
   (तीन) चेसिस संख्या ....
   (चार) इंजन संख्या ....
5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है ....
6. परमिट के अवसान का दिनांक ....
7. यान की भार क्षमता ....
   (एक) सकल यान भार ....
   (दो) लदान रहित भार ....
   (तीन) संदत्त भार (पेलोड) ....
8. ले जाने वाले माल की प्रकृति ....
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी हो ....
10. परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा।
11. ऐसे संग्रहण, अग्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ता से जो बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किए हुए इस कारबार में लगा हुआ हो, न तो कोई माल संग्रह किया जायेगा और न उसको दिया जायेगा।
12. अन्य शर्तें –

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाए या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे करों का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दिया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गई संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) विज्ञापन के केवल ऐसे विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाए और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, गाड़ी पर बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यान में परमिट, परमिट धारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

13. अन्य कोई शर्तें –

(एक) ....

(दो) ....

(तीन) ....

(चार) ....

(पांच) ....

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा .... तक अग्रतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत किया जाता है –

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रति हस्ताक्षर

.... के अध्यधीन रहते हुए मार्ग/क्षेत्र के लिए प्रतिहस्ताक्षरित ....

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0 आर0 – 29
{नियम 66(1)(चार) देखिए}
प्राइवेट सेवा यान परमिट

.... परिवहन प्राधिकरण
....

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि की दशा में) ....
3. पता –

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान ....

4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ)
5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) ....
.............जिसके लिए परमिट विधिमान्य है।
6. यान का प्रकार और सीटों की क्षमता –

यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

7. कारबार की प्रकृति और कारबार के स्थान को ले जाए जाने वाले और वहां से ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ....
8. परमिट के अवसान का दिनांक ....
9. शर्तें –

(क) यान का उपयोग केवल परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।

(ख) यान में ले जाये जा रहे किसी व्यक्ति से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा और न यान के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत या उपगत किए जाने के लिए सम्भाव्य व्यय या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्ति से किसी भी रीति से वसूल नहीं किया जाएगा।

(ग) परमिट धारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाए गए पट्टे या प्लेट पर सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊंचाई के शब्द ''प्राइवेट सेवायान'' सुपाठ्य रूप में प्रदर्शित करेगा।

(घ) परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सकता है अधिकतम संख्या ....से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है, अधिकतम भार .... कुन्तल से अधिक नहीं होगा।

(ङ) यान की सुख–सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटर यान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाए गए नियमों में सार्वजनिक सेवा यान के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाए रखा जाएगा।

(च) यान में किसी विषय से सम्बन्धित कोई विज्ञापन साधारणतया प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। फिर भी परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया हो लिखित अनुज्ञा से और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से यान पर ऐसे विषयों से सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है जो उसके कारबार से, जिसके लिए परमिट प्राप्त किया गया है। सीधे सम्बन्धित हो।

(छ) कोई टेलीविजन सेट या वीडियो या रेडिया या टेपरिकार्डर के प्रकार का कोई यंत्र यान के डैश बोर्ड पर नहीं लगाया जाएगा और न उस पर या उसके निकट रखा जाएगा और न ड्राइवर की आंखों के सामने रखा जाएगा।

(ज) परमिट धारक परमिट को किसी चमकदार शीशे के फ्रेम में ले जाएगा या यान के मध्य में ले जाए जा रहे या लगाए गए अन्य उपयुक्त आधान (कन्टेनर) में ऐसे ढंग से ले जायेगा, जिससे कि वह स्वच्छ और पठनीय दशा में बना रहे और किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए शीघ्र उपलब्ध हो सके।

(झ) परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया है ऐसी नियतकालिक विवरणियां, सांख्यिकीय और अन्य सूचना जैसा राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(ञ) परमिट धारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा –

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहा तक वे परमिट धारक पर लागू होते हों;

(दो) ऐसी अन्य कोई शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ट) ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।

9. अन्य शर्तें –

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाए या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे करो का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दिया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गई संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विषय के विज्ञापन जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाए और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय गाड़ी पर प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न तो ढकेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) परमिट धारक द्वारा परमिट ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

10. परमिट सम्भागों में भी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, विधिमान्य है –

सम्भाग	क्षेत्र/मार्ग	शर्तें
1	2	3

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्रधिकरण

नवीकरण

.... के अध्यधीन रहते हुए ....

.... तक नवीकृत किया गया।

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रति हस्ताक्षर

परमिट संख्या ....

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए .... क्षेत्र के लिए प्रतिहस्ताक्षरित ....

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीनीकरण

उपर्युक्त प्रतिहस्ताक्षर को .... तक के लिए एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है –

दिनांक .... **सचिव,**
परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0 आर0 – 30
{नियम 66(1)(पांच) देखिए}
अस्थायी परमिट

.... परिवहन प्राधिकरण,
....

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (किसी व्यष्टि की दशा में) ....
3. पता –
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
4. यान का प्रकार – मंजिली गाड़ी/माल वाहन/ठेका गाड़ी ....
5. (एक) रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
   (दो) चेसिस संख्या ....
   (तीन) सीटों की संख्या ....
.... (चार) लदान भार ....
6. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है ....
7. यात्रा का प्रयोजन ....
8. माल का प्रकार यदि ले जाये जाने वाला हो ....
9. अवसान का दिनांक ....
10. पहले से धृत परमिट की संख्या और ब्यौरा ....
11. मार्ग क्षेत्र जिसके लिए पहले से धृत परमिट विधिमान्य है ....
12. उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन रसीद ....द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की धनराशि ....
13. यह परमिट इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है कि अवसान के चौबीस घंटे के भीतर इसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।
14. अन्य शर्तें –

(1) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाए या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) धारा 82 की उपधारा (2) में किए गए उपबन्धों को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दिया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दी गई संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाए और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन, विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय गाड़ी पर प्रदर्शित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि किसी विषय का विज्ञापन यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न तो ढकेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) परमिट धारक द्वारा परमिट ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके।

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0 आर0 – 31
{नियम 66(1)(छः) देखिए}
धारा 88 (8) के अधीन विशेष परमिट

.... परिवहन प्राधिकरण,
विशेष परमिट संख्या..................................
प्रमाणित किया जाता है कि यान को .... जिसका ....

(एक) रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
(दो) चेसिस संख्या ....
(तीन) इन्जन संख्या ....

है और जिसके स्वामी श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... हैं और जो राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण .... द्वारा जारी

किए गए नियमित परमिट संख्या ....से आच्छादित है ठेका गाड़ी के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं, लगाया गया है –

क्र0 सं0	पूरा नाम	पिता/पति का नाम	आयु	निवास स्थान
1	2	3	4	5

उक्त नाम के व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों को उनके विरुद्ध अंकित मार्गों से होकर निरीक्षण करेंगे–

....

यह परमिट .... तक विधिमान्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित यान के सम्बन्ध में इस राज्य में इस परमिट के अवसान होने के दिनांक तक देय समस्त करों और फीसों का भुगतान कर दिया गया है।

यह परमिट उपरिलिखित स्थानों के लिए बिना किसी अन्य राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर के विधिमान्य है।

दिनांक ....

सचिव,

परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0 आर0 – 32

{नियम 85 (1) देखिए}

परमिट के अन्तर्गत आने वाले यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

.... परिवहन प्राधिकरण

....

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी नीचे स्तम्भ–1 में वर्णित यान संख्या .... जो मार्ग/क्षेत्र .... के लिए परमिट संख्या .... से आच्छादित है, को स्तम्भ–2 में वर्णित यान से प्रतिस्थापित करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 83 के उपबन्धों के अनुसार आवेदन करता हूँ/करते हैं।

पुराना यान	प्रतिस्थापित किया जाने वाला यान
1. रजिस्ट्रीकरण चिह्न	1. रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
2. मॉडल	2. मॉडल .... से पहले का नहीं है।
3. सीटों की क्षमता	3. सीटों की क्षमता ....

2. मैं/हम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और बीमा प्रमाण–पत्र संलग्न करता हूँ/करते हैं।

   * यान अभी तक हमारे कब्जे में नहीं है लेकिन हम समझते हैं कि हमें प्रतिस्थापन के लिए अनुमत समय के भीतर प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा जब तक कि अग्रतर समय नहीं दिया जाता है, परमिट रद्द समझा जाएगा।
3. प्रतिस्थापन के चाहे जाने के कारण ....

   ....
4. प्रतिस्थापित किए गए यान के उपयोग का ब्यौरा ....

   ....
5. यान के जिसे प्रतिस्थापित किया जाना वांछित है, सम्बन्ध में देय समस्त करों का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6. मैंने/हमने रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा विहित फीस .... का भुगतान कर दिया है।
7. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं।

दिनांक ....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/अंगूठे का/के निशान।

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

―――――

प्रपत्र एस0 आर0 – 33
{नियम 88 (1) देखिए}
परमिट के अन्तरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,
.... परिवहन प्राधिकरण
....

उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के नियम 88 के उपनियम (1) के अनुसार मैं/हम परमिट के, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, अन्तरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं:

1. परमिट की संख्या ....
2. मार्ग/क्षेत्र ....
3. विधिमान्यता की अवधि ....
4. परमिट धारक का नाम ....
5. अन्तरिती का नाम ....
6. अन्तरिती का पता – ....
   (क) स्थायी ....
   (ख) वर्तमान ....
7. अन्तरण का कारण ....
8. मैं घोषणा करता हूँ कि उपरिलिखित परमिट के अन्तरण के लिए कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ है।

दिनांक .... **अन्तरकी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान।**

(दो)
अन्तरिती द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि –

(1) परमिट के अन्तरण के लिए मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है।
(2) मैं/हम अन्तरण के अधीन परमिट के संलग्न शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे।
(3) मैं/हम जब भी .... परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा, यान का रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण–पत्रों को पेश करूंगा/करेंगे।

दिनांक .... **अन्तरिती के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान।**

(परिवहन प्राधिकरण कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्ति का दिनांक ....
2. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का दिनांक ...
3. दिनांक ....को अन्तरण से इन्कार किया गया/.................................... को अनुमति दी गई।

4. .... को अन्तरण अभिलिखित किया गया।

दिनांक ....

सचिव,
परिवहन प्राधिकरण।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 34
{नियम 99 (1) देखिए}
शिकायत पुस्तक
(तीन प्रतियों में मंजिली गाड़ी में रखी जाये)

सेवा में,
प्रबन्धक, मंजिली गाड़ी सेवा
....

परिवादी का नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
टिकट संख्या ....
यान संख्या ....
परिवाद ....
....

दिनांक ....

परिवादी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 35
{नियम 110 (1) देखिए}
परमिट के बदले में अस्थायी प्राधिकार

निम्नलिखित के लिए रसीद –
(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ....
(2) सड़क परमिट ....
(3) बीमा प्रमाण–पत्र ....
(4) परिचालक (कण्डक्टर) अनुज्ञप्ति ....
यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
मंजिली गाड़ी/माल वाहन की इंजन सं0 ....
चेसिस सं0 .... रजिस्टर्ड लेडन वैड ....
सीटों की क्षमता ....
स्वामी का नाम ....
परमिट संख्या ....
अवसान का दिनांक ....
मार्ग ....
.... तक ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र
.... तक कर का भुगतान किया गया
.... तक का बीमा प्रमाण–पत्र
ड्राइवर/कण्डक्टर का नाम..
चालन अनुज्ञप्ति/कण्डक्टर अनुज्ञप्ति संख्या .... तक विधिमान्य।

परमिट की शर्तें ....
अन्य शर्ते यदि कोई हों...
दिनांक ....

अधिकारी के हस्ताक्षर
उसकी मुहर के साथ।

उपर्युक्त प्राधिकार .... तक विधिमान्य है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त प्राधिकार .... तक बढ़ाया जाता है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

———————

प्रपत्र एस0 आर0 – 36
{नियम 114 (1) देखिए}

माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कार्य में अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

.... सम्भाग।

1. पूरा नाम ....
.

2. पिता/पति का नाम (व्यष्टि की दशा में) ....
.

3. पता –

(क) स्थायी ....

(ख) वर्तमान ....

4. शैक्षिक अर्हता या परिवहन के कारबार के प्रबन्ध में अनुभव ....
.

5. (क) स्थान जहां आवेदक प्रमुख स्थापन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है ....
.

(ख) स्थान/स्थानों जहां वह अपना उप–अभिकरण/शाखा कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है ....
.

6. आवेदक के वित्तीय स्त्रोत का प्रकार और सीमा ....
.

7. माल वाहनों की विशिष्टियां या तो आवेदक की स्वयं की हों या उसके नियंत्रण में हों –

(क) कुल संख्या ....
.

(ख) मेक ....
.

(ग) मॉडल या विनिर्माण का वर्ष ....
.

(घ) रजिस्ट्रीकृत लदान भार ....
.

(ङ) रजिस्ट्रीकरण चिह्न ....
.

8. अतिरिक्त विशिष्टियां दी जाएं जहां आवेदन पत्र अग्रेषण अभिकर्ता या संग्रह और अग्रेषण अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के लिए हो :–

(क) स्थल और उसकी स्थिति की विशिष्टियां ....

(ख) परिसर का ब्यौरा (भवनों की प्रकृति, स्थल की सीमा आदि)..
.

(ग) माल वाहनों को खड़ा करने के लिए आवेदक द्वारा दी गई सुविधायें, यदि कोई हों ...
.

(घ) माल को चढ़ाने और उतारने के लिए उसके द्वारा दी गई सुविधायें ....
.

(ङ) उपरिलिखित स्थानों पर उपबन्धित तुलाई मशीन की विशिष्टियां ....

9. मैं/हम माल वाहन परमिटों की शर्तों और मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों से, जहां तक वे मार्गों, भारों, माल को चढ़ाने और उतारने के निबन्धनों और अभिकर्ता के कर्तव्यों और कृत्यों से सम्बन्धित है, पूरी तरह परिचित हूं/हैं।

10. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/हैं कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त विशिष्टियां सही हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस0 आर0 – 37
{नियम 114 (4) देखिए}
अभिकर्ता अनुज्ञप्ति

दिनांक .... को जारी की गई।
अनुज्ञप्ति संख्या .... के द्वारा नाम ....
पुत्र / पुत्री / पत्नी .... पता ....
.... को भाड़े पर चलाए जा रहे माल वाहनों द्वारा संग्रह, अग्रेषण या वितरण के लिए ले जाये जाने वाले माल के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया जाता है।

स्थान ....
..................................(प्रमुख स्थान)

निम्नलिखित स्थानों पर अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए भी उसे अनुज्ञापित किया जाता हैः
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(यदि अधिक स्थान हों तो पृथक पन्ना संलग्न किया जायेगा) अनुज्ञप्ति ....
.............से .... तक विधिमान्य है।

जब तक यह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति अनुमोदित भू–गृहादि के लिए विधिमान्य है और समय–समय पर नवीकृत किया जाता है और जिनको नियम 120 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है, तब तक धारक भाड़े पर चलने वाली माल वाहनों द्वारा माल के संग्रह, अग्रेषण या वितरण के लिए अभिकर्ता के रूप में स्वयं कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी –

(एक) अनुज्ञप्तिधारी नियम 120 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए माल को चढ़ाने और उतारने के प्रयोजन हेतु यान को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी परिदान या सम्प्रेषण या दोनों के लिए प्रतीक्षारत माल के संग्रहण के लिए समुचित प्रबन्ध करने के लिए उत्तदायी होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी –

(क) परेषिती को माल के यथोचित परिदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

(ख) माल को जब वह उसके कब्जे में हो, हुई किसी हानि या क्षति के लिए परेषक या परेषिती के खर्च पर बीमा करके, जहां उपबन्ध हो, क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा;

(ग) परेषक/परेषिती को संप्रेषण के लिए माल की प्राप्ति के पश्चात् ही कोई टिप्पणी जारी करेगा, जिसमें माल का वजन, माल की प्रकृति, गन्तव्य स्थान, लगभग दूरी जिस पर से माल ले जाया जायेगा, भाड़ा, प्रभार, सेवा प्रभार, यदि कोई हो, जैसे स्थानीय परिवहन बीमा के लिए जब उसकी अभिरक्षा में हो, चढ़ाने और उतारने के लिए मजदूरी उल्लिखित की जायेगी परन्तु सेवा प्रभार युक्ति युक्त होगा और उसकी अधिष्ठापित युक्तियुक्तता का प्रमाण होगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) पेरेषिती की टिप्पणी या उस कार्यालय द्वारा जिसने माल संप्रेषण के लिए प्राप्त किया हो, जारी की गई कोई ऐसी टिप्पणी प्राप्त किए बिना या यदि टिप्पणी खो जाये या गलत जगह रख दी जाये और माल के मूल्य को आच्छादित करने वाला क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र प्राप्त किए बिना माल परेषिती को नहीं देगा;

(ङ) परेषक या परेषिती को जारी की गई प्रत्येक टिप्पणी की एक प्रति माल को परिवहन करने वाले माल वाहन के ड्राइवर को देगा और किसी पारेषण की उसके सम्बन्ध में टिप्पणी की प्रति ड्राइवर को दिए बिना लादे जाने की अनुमति नहीं देगा;

(च) माल के यथास्थिति, संग्रह संप्रेषण या परिदान का और उस यान के जिसमें माल परिवहन के लिए ले जाया जाये, रजिस्ट्रीकरण चिह्न का यथोचित अभिलेख रखेगा और उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करेगा;

(छ) अपने द्वारा लगाए गए माल वाहन के प्रत्येक परिचालक से लिए गए कमीशन का समुचित लेखा रखेगा;

(ज) तोलन यंत्र को अच्छी दशा में रखेगा और वह एक समय में कम से कम 250 किलोग्राम तक तौलने में समर्थ होगा;

(झ) बिना विधिमान्य कारणों के परिवहन के लिए माल को स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगा;

(ञ) नियम 118 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 115 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने का आदेश दे सकता है;

परन्तु यह कि कोई ऐसा सम्पहरण नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

(पांच) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जमा प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने की दशा में यदि अनुज्ञप्तिधारी समपहृत किए जाने के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उसके द्वारा

दी गई प्रतिभूति को उसके मूल मूल्य में लाने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जाएगी।

दिनांक ....   अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर

नवीकरण

1. दिनांक .... को .... से .... तक के लिए नवीकृत किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

2. दिनांक .... को .... से .... तक के लिए नवीकृत किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस0 आर0 – 38

{नियम 114 (4) देखिए}

अभिकर्ता की अनुपूरक अनुज्ञप्ति

प्रमुख अनुज्ञप्ति संख्या ....

दिनांक .... को जारी की गई।

अनुपूरक अनुज्ञप्ति संख्या .... नाम ....

.... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... पता ....

.......................को .... (पूरा पता) और उन स्थानों पर जिनका अनुरक्षण नियम 120 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। भाड़े पर चलाये जा रहे माल वाहनों द्वारा संग्रह, अग्रेषण या वितरण करने के लिए ले जाये जाने वाले माल के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया जाता है –

अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी –

(एक) अनुज्ञप्तिधारी नियम 120 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए माल को चढ़ाने और उतारने के प्रयोजन हेतु यान को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी परिदान या सम्प्रेषण के लिए प्रतीक्षारत माल के संग्रहण के लिए समुचित प्रबन्ध करने के लिए दायी होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी –

(क) परेषिती को माल के यथोचित परिदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

(ख) माल को जब वह उसके कब्जे में हो, हुई किसी हानि या क्षति के लिए परेषक या परेषती के खर्च पर पर्याप्त बीमा आच्छादन लेकर, जहां उपलब्ध हो, क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा;

(ग) परेषिती/परेषिती को सम्प्रेषण के लिए माल की प्राप्ति के पश्चात् ही कोई टिप्पणी जारी करेगा जिसमें माल का भार, माल की प्रकृति, गन्तव्य स्थान, लगभग दूरी जिस पर से माल ले जाया जायेगा, भाड़ा, प्रभार, सेवा प्रभार, यदि कोई हो, जैसे स्थानीय परिवहन बीमा के लिए जब उसकी अभिरक्षा में हो, चढ़ाने और उतारने के लिए मजदूरी उल्लिखित किया जायेगा परन्तु सेवा प्रभार युक्ति युक्त होगा और उसकी युक्तियुक्तता का प्रमाण अधिष्ठापित किया जायेगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) परेषिती की टिप्पणी या उस कार्यालय द्वारा जिसने माल सम्प्रेषण के लिए प्राप्त किया हो, जारी की गई कोई ऐसी टिप्पणी प्राप्त किए बिना या यदि टिप्पणी खो जाये या गलत जगह रख दी जाये या माल के मूल्य को आच्छादित करने वाला क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्राप्त किए बिना माल परेषिती को नहीं देगा;

(ङ) परेषक/परेषिती को जारी की गई प्रत्येक टिप्पणी की एक प्रति माल को परिवहन करने वाले माल वाहन के ड्राइवर को देगा और किसी पारेषण की उसके सम्बन्ध में टिप्पणी की प्रति ड्राइवर को दिए बिना लादे जाने की अनुमति नहीं देगा;

(च) माल के यथास्थिति, संग्रह सम्प्रेषण या परिदान का और उस यान के जिसमें माल परिवहन के लिए ले जाया जाये, रजिस्ट्रीकरण चिह्न का यथोचित अभिलेख रखेगा और उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेग।

(छ) अपने द्वारा लगाए गए माल वाहन के प्रत्येक परिचालक से प्रमारित कमीशन का समुचित लेख रखेगा;

(ज) एक तोलन यंत्र को, जो एक बार में कम से कम 250 किलोग्राम तक तौलने में समर्थ हो, अच्छी हालत में रखेगा;

(झ) बिना किसी विधिमान्य कारण के परिवहन के लिए माल को स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगा;

(ञ) नियम 118 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 115 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने का आदेश दे सकता है;

परन्तु यह कि कोई ऐसा समपहरण नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी की सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

(पांच) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जमा प्रतिभूति या उसके भाग को समपहृत करने की दशा में यदि अनुज्ञप्तिधारी समपहृत किए जाने के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति को उसके मूल मूल्य में लाने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जाएगी।

दिनांक .... अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नवीकरण

(1) दिनांक .... को .... से .... तक के लिए नवीकृत किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(2) दिनांक .... को .... से .... तक के लिए नवीकृत किया गया।

....

.

जो लागू न हो उसे काट दें...

.

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एस0 आर0 – 39

{नियम 116 (1) देखिए}

माल वाहनों द्वारा लाये गए माल का संग्रह, अग्रेषण और वितरण करने के कारबार में लगे अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

....

महोदय,

मैं/हम अपनी अनुज्ञप्ति को जो संलग्न है और जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं, नवीकृत किए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं –

(क) अनुज्ञप्ति संख्या ....

.

(ख) जारी करने का दिनांक ....

.

(ग) अनुज्ञप्ति का प्रकार ....

.

(घ) अनुज्ञप्तिधारी का नाम ....(बड़े अक्षरों में)

(क) स्थायी ....

.

....

.

(ख) वर्तमान ....

.

....

.

....

.

यदि अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नहीं है तो उसे संलग्न न करने का कारण ....

....

..

यदि नवीकरण के लिए आवेदन पत्र अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक के 30 दिन के पूर्व नहीं दिया जाता है तो विलम्ब के कारण ....

रूपए............. की विहित फीस रसीद संख्या .... दिनांक ....द्वारा जमा कर दी गई है।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उन परिस्थितियों में जिनसे अनुज्ञप्ति मुझे/हमें जारी की गई थी, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो इस अनुज्ञप्ति को धारण करते रहने से मुझे/हमें अनर्ह करता हो।

स्थान ....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

दिनांक ....

————

प्रपत्र एस0 आर0 – 40

{नियम 118 (पांच) देखिए}

1 अप्रैल .... से 31 मार्च .... तक की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी

सेवा में,

सचिव,

संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

..

1. **अनुज्ञप्ति संख्या** ....
2. **उसको दिए जाने या उसके अन्तिम नवीकरण का दिनांक** ....
3. **अभिकर्ता के स्वामित्व में माल वाहनों की कुल संख्या** ....
4. **अभिकर्ता के नियंत्रण में माल वाहनों की कुल संख्या** ....
5. **माल वाहनों की कुल संख्या जिनका वर्ष के दौरान वास्तविक प्रयोग किया गया है** ....
   (क) वर्ष में 6 मास से अधिक के लिए ....
   (ख) वर्ष में 9 मास से अधिक के लिए ....
   (ग) वर्ष में 10 मास से अधिक के लिए ....
6. **संग्रहीत, परिदत्त और अग्रसारित माल का टन भार** ....

   टिप्पणी – **यदि मद 6 के अधीन दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक पृथक् पन्ना संलग्न करें।**
7. **अभिकर्ता द्वारा संग्रहीत, परिदत्त, अग्रसारित माल का कुल टन भार** ....
8. **न्यूनतम और अधिकतम दूरी जिसके लिए माल अग्रसारित बिन्दु से परिदान बिन्दु तक अग्रसारित किया गया** ....

दूरी	**कुल टन भार**
(क) 80 किलोमीटर से अनधिक दूरी	
(ख) 80 किलोमीटर से अधिक किन्तु 160 किलोमीटर से अनधिक दूरी	
(ग) 160 किलोमीटर से अधिक किन्तु 240 किलोमीटर से अनधिक दूरी	
(घ) 240 किलोमीटर से अधिक किन्तु 320 किलोमीटर	

से अनधिक दूरी

(ङ) 320 किलोमीटर से अधिक किन्तु 400 किलोमीटर से अनधिक दूरी

(च) 400 किलोमीटर से अधिक किन्तु 480 किलोमीटर से अनधिक दूरी

(छ) 480 किलोमीटर से अधिक दूरी

9. उपर्युक्त मद संख्या 8(छ) में की गई प्रविष्टि के सम्बन्ध में, माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें। (जैसे फल, शीशा, घरेलू सामान, अनाज, कोयला आदि)

10. उपर्युक्त मद संख्या (3) और (4) में उल्लिखित माल वाहनों द्वारा की गई यात्रा की कुल लम्बाई किलोमीटर में।

11. पारेषण की बुकिंग के दिनांक से पारेषण के परिदान में लिया गया अधिकतम समय ....

समय	पारेषण (टनों में)	अग्रसारण बिन्दु से परिदान बिन्दु तक दूरी
1	2	3

12. प्राप्त और निपटाये गए दावे –

पूर्ववर्ती वर्ष से लम्बित दावों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	वर्ष के दौरान दावा किया गया प्रतिकर	वर्ष के दौरान निपटाये गए दावों की संख्या	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रतिकर	वर्ष के अन्त में लम्बित दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6

भाड़ा और कमीशन –

उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित यानों के समबन्ध में वसूल किया गया कुल भाड़ा	उपर्युक्त मद संख्या(4) में उल्लिखित यानों के सम्बन्ध में वसूल किया गया कुल भाड़ा	वसूल किया गया और अन्य परिचालकों को भुगतान किया गया कुल भाड़ा	वसूल किये गए कमीशन का योग
1	2	3	4

13. माल के बीमा के लिए बीमा कम्पनियों को भुगतान किए गए प्रीमियम की कुल धनराशि ....

14. माल की हानि या क्षति के लिए दावों के सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों से वसूल की गई कुल धनराशि ....

दिनांक ....

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 41

{नियम 125 (2) देखिए}

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए/ट्रेवल एजेन्ट/टूर आपरेटर के लिये अभिकर्ता अनुज्ञप्ति

अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या ....

फोटो के लिए स्थान

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. वर्तमान पता ....

4. स्थायी पता ....

5. .... (स्थान और मार्ग) पर .... (सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा की टिकटों की बिक्री के लिए/ट्रेवल एजेन्ट/टूर आपरेटर) (सेवा का नाम) के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञापित किया गया और उसे अभिकर्ता बैज संख्या .... दिया गया।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक .... को जारी की गई और ....

.तक विधिमान्य है।

सचिव,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

..

नवीकरण

... से .... तक नवीकृत।

सचिव,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

..

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 42

{नियम 125 (5) देखिए}

सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए/ ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर के लिये

अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

.... सम्भाग।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक सेवा यानों के यात्रियों को टिकटों की बिक्री करने के लिए/ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर के लिये अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

1. नाम (पूरा) ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आयु ....
4. वर्तमान पता ....
5. स्थायी पता ....
6. शैक्षिक अर्हताएं ....
7. मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति को धृत नहीं किया है

मैंने पूर्व में अभिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या ....जिसे.................................... के द्वारा जारी किया गया था और यह कि वह निलम्बित, रद्द/नवीकृत नहीं की गई थी, को धृत किया है।

8. मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हू और यह कि उपर्युक्त विवरण सही है। मैं स्वयं की हाल के फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करता हूँ।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र एस0 आर0 – 43

{नियम 125 (13) देखिए}

अभिकर्ता का बैज

नाम ....

अनुज्ञप्ति संख्या ....

टिकट की बिक्री के लिए अभिकर्ता......................................

स्थान ....

बैज आकार में (6.5 सेन्टीमीटर × 4.0 सेन्टीमीटर) आयताकार हो।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 44

{नियम 127 देखिए}

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि दक्ष; यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से लोक हित में यह आवश्यक है कि संलग्न प्रस्ताव के खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र या मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में सड़क परिवहन सेवा अन्य व्यक्तियों अथवा अन्यथा का पूर्णतया या आंशिक रूप से अपवर्जन करके उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा चलायी जानी चाहिए;

अतएव, अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्, 1988) की धारा 99 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार की है जो इससे संलग्न है और वह उसे उसके सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करती है;

कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के नियम 128 के उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार सुनवायी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां, यदि कोई हों, दाखिल कर सकता है।

सड़क परिवहन सेवा के लिए स्कीम से सम्बन्धित प्रस्थापना –

(क) उत्तराखण्ड परिवहन निगम सड़क परिवहन सेवा को .... से और उसके आगे चलाना प्रारम्भ करेगा।

(ख) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा सड़क परिवहन सेवा को .... सम्भाग के ....(मार्ग/क्षेत्र/मार्ग के भाग) पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग या उसके भाग पर उपलब्ध कराई जाने वाली सड़क परिवहन सेवा की प्रकृति और सीमा निम्नलिखित होगी ....

(घ) स्कीम के अधीन से भिन्न अन्यथा परिवहन सेवा की व्यवस्था प्रतिषिद्ध/प्रतिबन्धित है।

(ङ) उत्तराखण्ड परिवहन निगम से भिन्न किसी व्यक्ति को उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित मार्ग या उसके भाग पर सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(च) पश्चात्वर्ती खण्डों में किए गए उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम द्वारा सड़क परिवहन सेवाओं को अनन्यतः या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) परिवहन यान जिनका उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग/ उसके भाग में प्रयोग किया जाएगा .... प्रकार के होंगे और उनकी यात्री ले जाने की क्षमता .... होगी।

(ज) परमिट संख्या/संख्याएं .... जो अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन .... को दी गई है/हैं, ... सीमा तक रद्द/उपान्तरित कर दी जाऐगी/जाऐंगी। अनुज्ञप्ति जो इस खण्ड में विनिर्दिष्ट करने से छूट गई है, रद्द कर दी जाएगी।

(झ) उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित क्षेत्र/मार्ग/उसके भाग पर वर्तमान में चलने वाली निजी प्रचालकों के परिवहन यानों की संख्या घटाकर .... कर दी जाएगी।

(ञ) यात्रियों के लिए निम्नलिखित सुविधा और सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी/ ....
....
.

मैं ....यहां पर स्कीम के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन परिमाणिक या आनुषांगिक सामग्री दे रहा हूँ।

सचिव,
परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन ।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 45

{नियम 130 देखिए}

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्, 1988) की धारा 99 के अनुसरण में अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... के अधीन सरकारी गजट में उत्तराखण्ड परिवहन उपक्रम का सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था;

और चूंकि उसके सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है और पक्षकारों को सुन लिया गया है;

और चूंकि आपत्तियां दाखिल करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त हो गई है और कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से सम्यक् रूप से अनुमोदित/उपान्तरित योजना को प्रकाशित करती है –

उत्तराखण्ड परिवहन उपक्रम की परिवहन सेवा के लिए स्कीम

आज्ञा से,

सचिव

परिवहन विभाग उत्तराखण्ड

शासन।

प्रपत्र एस0 आर0 – 46

{नियम 131(1) देखिए}

धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन मंजिली गाड़ी परमिट या माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

.... सम्भाग/राज्य परिवहन प्राधिकरण,

1. क्षेत्र/मार्ग या उसका भाग जिससे सम्बन्ध में परमिट मांगा गया/गए हैं ....
2. स्कीम जिसके अनुसरण में परमिट मांगा गया/गए है/हैं ....(अधिसूचना संख्या और दिनांक के साथ सरकारी गजट में स्कीम के प्रकाशन का दिनांक उल्लिखित करें)।
3. इच्छित परमिट का प्रकार अर्थात् मंजिली गाड़ी परमिट/माल वाहन परमिट या ठेका गाड़ी परमिट।
4. प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित यानों का ब्यौरा ....

5. उक्त यान की सीटों की क्षमता और प्राधिकृत भार ....
.
एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऊपर उल्लिखित विशिष्टियां सही हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर और पदनाम।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 47

{नियम 131 (3) देखिए}

उत्तरांखण्ड परिवहन उपक्रम के यानों के सम्बन्ध में परमिट

भाग ''क''

परमिट संख्या ....

1. **उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसको परमिट जारी किया गया है ....**
2. **जारी करने का दिनांक ....**
3. **यानों की संख्या ....**

व्यष्टि यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या	सीटों की क्षमता प्राधिकृत भार (पे लोड)	इस परमिट से आच्छादित अधिसूचित मार्ग या क्षेत्र की विशिष्टियां और अनुज्ञप्ति का ब्यौरा और रजिस्ट्रीकरण संख्या
1	2	3

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और सरकारी मोहर

भाग ''ख''

(यान के साथ रखा जायेगा)

परमिट संख्या ....

1. उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसको परमिट जारी किया गया है ....

....

.

2. जारी करने का दिनांक ....

.

3. इस परमिट से आच्छादित मार्ग या क्षेत्र ....

जारी करने वाले प्राधिकारी का

पदनाम और सरकारी मोहर

———

प्रपत्र एस0आर0–47क
नियम 135(2) देखिये

मोटरयान पंजीयन अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।
महोदय,

मैसर्स..द्वारा निर्मित अपने नये बेसिक/वैरियन्ट मॉडल वाहन.............. ....का उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिये मोटरयान निर्माता कम्पनी या उसके प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर रहा हूँ।

1. आवेदक का नाम, पता व स्थिति–
   (निर्माता कम्पनी/प्रतिनिधि)
2. वाहन निर्माता कम्पनी का नाम–
3. वाहन का मेक/मॉडल–
4. वाहन की श्रेणी–
5. प्रदूषक मानक–
6. प्रोटोटाइप एजेन्सी का नाम और उसके द्वारा जारी
   कम्पलाइन्स प्रमाण पत्र का विवरण–
   (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाय)
7. उत्पादन अनुरूपता–
   (Conformity of Production)
8. वाहन का व्रासर–

(संलग्न किया जाय)

9. वाहन का तकनीकी विशिष्टियॉ

(1) इंजन–

(2) वोर एवं स्ट्रोक–

(3) सिलेण्डरों की संख्या–

(4) डिस्प्लेमेन्ट–

(5) कम्प्रेशन रेशियों–

(6) वाहन में गियरों की संख्या–

(7) क्लच–

(8) ईंधन–

(9) फ्यूलटेंक–

(10) व्हील बेस–

चौडाई–

लम्बाई–

ऊँचाई–

ग्राउन्ड क्लियरेन्स–

(11) वाहन का जी0वी0डब्ल्यू0–

यू0एल0डब्ल्यू0

(12) वाहन में सीटों की संख्या–

(13) वाहन यदि आयातित हो तो उसका विवरण–

(14) अन्य विवरण यदि कोई हो–

वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
दिनांक–

प्रपत्र–एस0आर0–48

(नियम–169(1) देखिये)

प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में मान्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

केन्द्रीय नियमावली के नियम–115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण मे है, प्रमाणपत्र' जारी करने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये मैं आवेदन कर रहा हूँ।

(1) प्रतिष्ठान का नाम...

(2) प्रतिष्ठान स्वामी/स्वामियों का नाम :...

(3) प्रतिष्ठान की श्रेणी :...
(मान्यता प्राप्त गेराज/कार्यशाला) पेट्रोल पम्प,
पेट्रोलियम कम्पनी/स्वैच्छिक संस्था)

(4) भवन का नक्शा :...

(5) भू–स्वामित्व/किराय के करार का प्रमाण पत्र :...

(6) साझेदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति :...

(यदि फर्म पार्टनरशिप में हो तो साझेदार के नाम व पते पृथक–पृथक दिये जांय तथा पार्टनरशिप डीड कि छायाप्रति संलग्न की जाय)

(7) प्रतिष्ठान स्थापना की तिथि :...

(8) किस प्रकार के वाहनों की जांच हेतु मान्यता वांछित है :.. (पेट्रोल या डीजल या दोनों)

(9) विद्युत संयोजन (कनेक्शन) :..

(10) आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण :–

(i) धनराशि :...

(ii) रसीद संख्या व दिनांक :...

.

(11) प्रतिष्ठान में उपलब्ध उपकरण का, जिसका प्रोटोटाइप सक्षम एजेन्सी द्वारा अनुमोदित हो बीजक (इनवाइस) अनुदेश प्रपत्र एवं उपलब्ध उपकरणों की सूची। :...

....

(12) वाहनों के इंजन की जांच और मरम्मत के लिये उपकरणों की सूची :...

(13) प्रतिष्ठान के अनुमोदित होने का प्रमाण–पत्र : ....

(14) विर्निदिष्ट क्षेत्र (केवल सचल केन्द्र की मान्यता हेतु)..

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

घोषणा पत्र

मैं/हम..........................प्रतिष्ठान स्वामी यह घोषित करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनायें वास्तविक हैं तथा प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हेतु प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं। मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और मैंने/हमने 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में दिये गये निर्देशों एवं प्रतिष्ठान को प्रदूषण जांच केन्द्र की मान्यता से सम्बन्धित मापदण्ड/शर्तों/कार्यप्रणाली/नियमावली में दिये गये निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और मुझे/हमें सभी शर्तें स्वेच्छा से स्वीकार व मान्य हैं तथा मैं/हम परिवहन आयुक्त के निर्णय व समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों एवं निर्देशों का सदैव पालन करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर..............................
(प्रतिष्ठान स्वामी)

———

प्रपत्र–एस0आर0–49
(नियम–169 (4) देखिये)

केन्द्रीय नियमावली के नियम–115 के उप नियम (7) के अधीन प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकार–पत्र

सर्व श्री...
....को केन्द्रीय नियमावली के नियम–115 के उप नियम (7) के अधीन 'प्रदूषण

नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र (Pollution under control certificate) देने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

राज्य सरकार की ओर से
परिवहन आयुक्त या उनके
द्वारा नामित अधिकारी

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 50

{नियम 206(1) देखिए}

प्रतिकर के लिए आवेदन–पत्र

(धारा 163 क के अधीन से अन्यथा)

सेवा में,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

....

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी ....

एक मोटर यान दुर्घटना में क्षति और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाये जाने के सम्बन्ध में क्षतिग्रस्त होने और/या नुकसान उठाने के लिए प्रतिकर दिए जाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करती हूं। क्षति, सम्पत्ति, यान इत्यादि के नुकसान का आवश्यक ब्यौरा नीचे दिए जाते है।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... एतद्द्वारा विधिक प्रतिनिधि/अभिकर्ता के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... श्री/श्रीमती .... जो एक मोटर यान दुर्घटना में दिवंगत हुए थे/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे/ या नुकसान उठाया था, उनकी मृत्यु/हुयी शारीरिक क्षति और या उनके द्वारा उठाये गए

नुकसान के कारण प्रतिकर दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करती हूं। मृत/क्षतिग्रस्त और/या सम्पत्ति को नुकसान उठाने वाले व्यक्ति और दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि यानों का ब्यौरा निम्न है–

1. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का नाम पिता/पति के नाम सहित ....
2. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का पूरा पता ....
3. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु ....
4. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय ....
5. मृतक के सेवायोजक का नाम और पता, यदि कोई हो..
....
6. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय ....
7. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का नाम और आयु और उससे सम्बन्ध और मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्त्रोत उपदर्शित करते हुए ....
....
8. नुकसान हुई सम्पत्ति का ब्यौरा और नुकसान की सीमा ....
9. क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर देता है (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा)।
10. दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय ....
11. पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटी या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी ....
12. क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है दुर्घटनाग्रस्त यान द्वारा यात्रा कर रहा था; यदि ऐसा है तो यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान का नाम और उसके गन्तव्य स्थान का नाम दिया जाये।
13. हुई शारीरिक क्षति की प्रकृति ....
14. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी।
15. उपचार की अवधि और उस पर किया गया व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) ....
16. दुर्घटनाग्रस्त यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार ....
17. यान के स्वामी का नाम और पता ....
18. यान के बीमाकर्ता का नाम और पता ....

19. क्या स्वामी/बीमाकर्ता को कोई दावा प्रस्तुत किया गया है। यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ? ....

20. मृतक से सम्बन्ध ....

21. मृतक की सम्पत्ति पर हक ....

22. प्रतिकर के दावे की धनराशि ....

23. कोई अन्य सूचना जो दावे के निस्तारण में आवश्यक या सहायक हो ....

मैं .... निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और ठीक है।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

प्रपत्र एस0 आर0 – 51

{नियम 206 (1) देखिए}

धारा 163 क के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ....

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ....निवासी .... मोटर यान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने और/या सम्पत्ति का नुकसान उठाये जाने पर मैं क्षतिग्रस्त होने और/या नुकसान उठाने के लिए प्रतिकर दिए जाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करती हूं। क्षति, सम्पत्ति, यान इत्यादि के नुकसान का आवश्यक ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ....निवासी ....एतद्द्वारा विधिक प्रतिनिधि/अभिकर्ता के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... श्री/श्रीमती .... जो एक मोटर यान दुर्घटना में दिवंगत हुए थे,/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और या नुकसान उठाया था उनकी मृत्यु/शारिरिक क्षति और उनके द्वारा उठाये गए नुकसान के कारण प्रतिकर

दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करती हूं। मृत/क्षतिग्रस्त और या सम्पत्ति को नुकसान उठाने वाले व्यक्ति और दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि में यानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

1. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का नाम पिता/पति के नाम सहित ....
2. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त और या सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति का पूरा पता ....
3. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु ....
4. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय ....
5. मृतक के सेवायोजक का नाम और पता,यदि कोई हो ....
6. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय ....
7. मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का नाम और आयु और उससे सम्बन्ध और मृत/शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति का मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्त्रोत उपदर्शित करते हुए ....
8. नुकसान हुई सम्पत्ति का ब्यौरा और नुकसान की सीमा ....
9. क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर देता है (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा)।
10. दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय ....
11. पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटी या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी ....
12. क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है दुर्घटनाग्रस्त यान द्वारा यात्रा कर रहा था; यदि ऐसा है तो यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान का नाम और उसके गन्तव्य स्थान का नाम दिया जाये।
13. हुई शारीरिक क्षति की प्रकृति ....
14. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी।
15. उपचार की अवधि और उस पर किया गया व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) ....
16. दुर्घटनाग्रस्त यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार ....
17. यान के स्वामी का नाम और पता ....

18. यान के बीमाकर्ता का नाम और पता ....
19. क्या स्वामी/बीमाकर्ता को कोई दावा प्रस्तुत किया गया है। यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम हुआ? ....
.
20. मृतक से सम्बन्ध ....
.
21. मृतक की सम्पत्ति पर हक ....
.
22. प्रतिकर के दावे की धनराशि ....
23. कोई अन्य सूचना जो दावे के निस्तारण में आवश्यक या सहायक हो ....

मैंने प्रतिकर के लिए कोई अन्य आवेदन–पत्र दाखिल नहीं किया है।

अतएव, मैं .... प्रार्थना करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि, मोटर यान अधिनियम, 1988 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार अवधारित की जाए और स्वामी/बीमाकर्ता को निर्देशित किया जाए कि वे इस प्रकार अवधारित की गई धनराशि का, जो उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्ण और अन्तिम प्रतिकर होगा, भुगतान मुझे कर दें।

मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 क के अधीन और धारा 140 के अधीन इसके सम्बन्ध में कोई अन्य दावा दाखिल नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान।

———

प्रपत्र एस0 आर0 – 52

{नियम 229(2) देखिए}

परिवहन विभाग

पहचान पत्र

क्रम संख्या ....

नाम ....

पदनाम ....

फोटो

इस कार्ड के जारी करने के समय आयु

....

धारक का नमूना हस्ताक्षर ....

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम ....

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
अधिसूचना
12 जून, 2013 ई0

संख्या 486/ix-1/302/07/2013- राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59 सन् 1988) की धारा 111 एवं 211 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0–10 सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं0–140/ix-1/302/07/2013 दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2013 है। (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 168 का संशोधन	2	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 168 के उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अथात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) प्रत्येक ऐसे निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी।	(6) उपनियम (5) के अन्तर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी परन्तु उसी यात्रा अवधि में अनुवर्ती निरीक्षण के समय कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून,शुक्रवार,20 नवम्बर,2015 ई0
कार्तिक 29, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या 945/IX–1/2015
देहरादून, 20 नवम्बर, 2015
दिनांक
अधिसूचना

प0 आ0– 164

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 74 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा–212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अधिसूचना संख्या 323/ix –1/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 71 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 71 में नीचे स्तम्भ I मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ II में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ I
वर्तमान नियम

71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी–

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखत प्रपत्र में तैयार करायेगा–

यात्रियों की सूची

मोटरयान की संख्या..................... दिनांक.....................प्रस्थान का समय...... ....से.............तक

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा एकसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों

स्तम्भ II
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी–

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखत प्रपत्र में तैयार करायेगा–

यात्रियों की सूची

मोटरयान की संख्या..................... दिनांक.....................प्रस्थान का समय....... ....से.............तक

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

सूची यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी।

(दो) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाडे के भुगतान की भाडेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया

द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी।	जायेगा।
(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाडे के भुगतान की भाडेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।	**(तीन)** परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाडेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।
(चार) परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाडेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।	**(चार)** उक्त लाग बुक एक वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाद पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।
(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उपर्युक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लाग बुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लाग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाद पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।	

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)

प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–320 / IX–1 / 95(2015) / 2016
देहरादून दिनांक 20 मई, 2016
अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, वर्ष 1988) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम, की धारा 212 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ जारी सरकारी अधिसूचना संख्या–214 / ix / 95(2015) / 2016 दिनांक 31 मार्च 2016 के क्रम में प्राप्त आपत्तियॉ और सुझावों पर विचार करने के पश्चात उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–203 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा जायेगा, के नियम 203 (1) एवं 203 (2) (तीन) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थातः–

सुरक्षा टोप का पहनना	203	(1)	प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर नीचे उपनियम (2) में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।	203	(1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवारी कर रहा हो नीचे उपनियम (2) में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।
	(2)		(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियों जिनका आकार 2 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो, जो रात्रि के दौरान चमकेगी। परन्तु यह की इस नियम का उपनियम (1) निम्नलिखित	(2)	(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियों जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो, जो रात्रि के दौरान चमकेगी।

पर लागू नहीं होगा–	परन्तु यह कि सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला या उसमें पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति, जो पगड़ी बांधे हो, पर उपनियम (1) लागू नहीं होगा।
(क) किसी मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी,	
(ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति, जो पगड़ी बांधे हो।	
स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर x 82 सेंटीमीटर के कपड़े से है, जिसे कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों और बाध सकता है।	**स्पष्टीकरण–** इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर x 82 सेंटीमीटर के कपड़े से है, जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड़ चला रहा हो, या बैठा हो, अपने सिर के चारो ओर बांध सकता है।

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून,शुक्रवार,16 दिसम्बर,2016 ई0
अग्रहायण 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 1397/IX–1/302(2007)/2016

देहरादून, 16 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 28, 65, 96, 111, 138 एवं धारा 176 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये उसकी धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 270/IX–1/302(2007)/2016 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परन्तु नियम 52 उस तिथि से प्रभावी होगा, जो राज्य

सरकार द्वारा पृथक से राजपत्र में अधिसूचित की जाय।

नियम 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है के नियम 2 में–

(क) खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढा दिये जायेंगे अर्थात–

(क1) ''दुर्घटना'' से सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटरयान के प्रयोग से हुयी दुर्घटना अभिप्रेत है।

(क2) ''अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी'' से किसी पुलिस थाना के थानाध्यक्ष या उसके अधीनस्थ या उससे वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी, जिसे दुर्घटना से सम्बन्धित अन्वेषण सौंपा गया है, अभिप्रेत है।

(क3) ''अपर सचिव'' से राज्य परिवहन प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) खण्ड (त) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

(त1) ''रेडियो टैक्सी'' से आवश्यक विशिष्टियों से युक्त मोटर कैब अभिप्रेत है।

(त2) ''स्कूल कैब'' से किसी विद्यालय या कालेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अविभावक शिक्षक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है जिसका उपयोग विद्यार्थियों को विधालय/कालेज लाने–ले जाने के लिये होता है।

नियम 4 का संशोधन 3 मूल नियमावली के नियम 4 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 **चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस–** धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस बीस रूपये होगी। यदि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कोई सम्यक	**4 चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस– धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये देय फीस और यदि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कोई सम्यक सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिये राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये**

	सशक्त डाक्टर किसी विशेषज्ञ से इस प्रयोजन के लिये राय की अपेक्षा करता है और ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिये फीस प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये बीस रूपये अतिरिक्त होगी।	**सशक्त किसी अन्य डाक्टर से राय लेता है तो ऐसे विशेषज्ञ की राय के लिये देय फीस परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित कर अधिसूचित की जायेगी।**

नियम 12 4 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 12 के उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) किसी परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में से किसी में दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनुक्रम के अधीन रहना होगा और अन्य औपचारिकताओं के साथ उक्त पुनश्चर्या अनुक्रम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विभिन्न जनपदों के आवेदकों के लिये अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे। विभिन्न चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण एवं	**(6) किसी परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व आवेदक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में से किसी में हल्के मोटरयान के मामलें में एक दिवस और मध्यम या भारी मोटरयान के मामलें में दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनुक्रम के अधीन रहना होगा और अन्य औपचारिकताओं के साथ उक्त पुनश्चर्या अनुक्रम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विभिन्न जनपदों के आवेदकों के लिये अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे। विभिन्न चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये जा रहे**

पुनःश्चर्या के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।	**प्रशिक्षण एवं पुनःश्चर्या के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।**

नियम 12ख एवं नियम 12ग का बढाया जाना 5

मूल नियमावली के नियम 12क के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

12ख **पता एवं आयु के साक्ष्य हेतु अन्य अभिलेख– केन्द्रीय नियमावली के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के अतिरिक्त मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति तथा मोटरयान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदक के (1) मतदाता पहचान पत्र, (2) आधार कार्ड, (3) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाणपत्र को भी आयु एवं पता के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।**

12ग **चालन अनुज्ञप्ति का वितरण– केन्द्रीय नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत जारी चालन अनुज्ञप्ति आवेदक को केन्द्रीय नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत उसके द्वारा दिये गये आवास के पते पर जिस दिन अनुज्ञप्ति तैयार हो जाय अथवा उसके अगले कार्यदिवस को पंजीकृत डाक से भेजी जायेगी। जिसकी रसीद अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। इसके लिये आवेदक को अपना पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगे हो चालन अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।''**

नियम 19क एवं नियम 19ख का बढाया जाना 6

मूल नियमावली के नियम 19 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेगें, अर्थात–

19क शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति के लिये पूर्व परीक्षा–शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी केन्द्रीय नियमावली के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित विषयों की समुचित जानकारी एवं समझ होने के सम्बन्ध में प्रत्येक आवेदक की परीक्षा लेगा। यह परीक्षा मैनुअल अथवा कम्प्यूटराईजड अथवा आनलाईन वेब आधारित होगी।

19ख चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिये अतिरिक्त शर्तें– केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 से 31क के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य में प्रत्येक चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(एक)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) में उल्लिखित समुचित स्थान के अनुरूप 1000 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र होगा। जिसमें कार्यालय, व्याख्यान हाल एवं नमूना प्रदर्शन का कमरा, शौचालय व स्नानगृह होगा। इसके अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त क्षेत्र

होगा।

(दो)– संस्थान के अनुज्ञापी द्वारा कम से कम 1,00,000 रूपये की बैंक गारण्टी देनी होगी। जिसे संस्थान की मान्यता की अवधि तक बनाये रखना होगा।

(तीन)– संस्थान के अनुज्ञापी के पास उसके नाम से पंजीकृत एक या उससे अधिक दोहरी नियंत्रण सुविधायुक्त वाहन होंगे, जो केवल प्रशिक्षण हेतु ही प्रयुक्त होंगे।

(चार)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त यथास्थिति हल्के मोटर वाहन चालकों और/या भारी मोटर वाहन चालकों के प्रशिक्षण हेतु समुचित सेमुलेटर होगा।

(पांच)– संस्थान द्वारा एक वाहन में औसतन प्रतिमाह, प्रति प्रशिक्षक 24 प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(छः)– संस्थान में केन्द्रीय नियमावली के नियम 24 के उपनियम (3) के खण्ड (आठ) में विनिर्दिष्ट योग्यताधारी प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिये अधिकृत करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जायेगा।

(सात)– केन्द्रीय नियमावली के नियम 27 के खण्ड (क) एवं खण्ड (ज) के अधीन विहित प्रपत्र 14 व प्रपत्र 15 में संस्थान में धारित रजिस्टरों का निरीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी जो सहायक सम्भागीय निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा किया जायेगा।

(आठ)– संस्थान द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के विषय में एक पाठय सामग्री जिसमें वाहन के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गयी हो तथा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिये गये सभी संकेत हो, प्रशिक्षणार्थियों को देना होगा जिन्हे शिक्षण चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा देखा जा सकेगा।

(नौं)– संस्थान द्वारा केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र 5 पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नमूने के हस्ताक्षर अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची उपसम्भागीय, सम्भागीय परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्तर पर रखी जायेगी।

(दस)– संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अवकाश, प्रशिक्षण व व्याख्यान की सूचना पूर्व में निर्धारित कर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ग्यारह)– संस्थान का निरीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार, सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा वर्ष में चार बार किया जायेगा तथा इसकी निरीक्षण आख्या की प्रति

अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(बारह)– संस्थान द्वारा प्रतिमाह प्रतिवाहन प्रशिक्षणार्थियों की सूची उसके ठीक अगले माह की 15वीं तारीख तक परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके क्षेत्रान्तर्गत संस्थान अवस्थित है, भेजी जायेगी। सूची में प्रशिक्षणार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, प्रशिक्षण अवधि तथा उसको दिये गये प्रमाणपत्र की संख्या अंकित होगी।

(तेरह)– संस्थान द्वारा परिवहन आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

नियम 21 का संशोधन **7**

मूल नियमावली के नियम 21 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ** 2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
21 कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता– कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी, परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इन नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो।	**21 कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता–** कण्डक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होगी, साथ ही आवेदक को केन्द्रीय नियमावली के नियम 31 के भाग 'ट' में उल्लिखित विषयों पर रेड़ क्रास सोसाइटी या अधिकृत चिकित्सक का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु यह नियम ऐसे व्यक्ति पर प्रवृत्त नहीं होगा जिसने इन नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व कण्डक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो।

नियम 40 का संशोधन **8**

मूल नियमावली के नियम 40 के उपनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

(9) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 62 के परन्तुक में

उल्लिखित निरीक्षणकर्ता अधिकारी अधिनियम की धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित योग्यताधारक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक या मोटरयान निरीक्षक होगा।

नियम 51 का संशोधन 9 मूल नियमावली के नियम 51 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
51 रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट– निम्नलिखित विवरणों के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई फीस नहीं ली जायेगी– (1) कृषि प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव; (2) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों को ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेंस; (3) ऐसे मोटरयान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो या तत्समय सरकार की सेवा में हो।	**51 रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट– निम्नलिखित विवरणों के मोटरयानों को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट सीमा तक छूट होगी– (1) कृषि प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव– पचास प्रतिशत (2) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों को ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेंस– पचास प्रतिशत (3) ऐसे मोटरयान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो– पूर्ण छूट**

नियम 52 का संशोधन 10 मूल नियमावली के नियम 52 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
52 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना (1) मोटर यानों को रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय	**52 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना** (1) मोटरयानों को रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की

सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।

(2) केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप –20 में आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो दी गयी अन्तिम संख्या के क्रमशः बाद में पड़ती हो और निम्नलिखित उपबन्धो के अधीन होः–

(एक) परिवहन आयुक्त ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरक्षित कर सकता है जिसे राज्य सरकार के वाहनों को दिये जाने के लिये आवश्यक समझा जाय;

(दो) परिवहन आयुक्त समय–समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में इस नियमावली की ''द्वितीय अनुसूची'' में दी गयी संख्या अधिसूचित कर सकता है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिये आरक्षित किये जाने के लिये आकर्षक समझा जाय जिसने उसके लिये आवेदन किया हो और खण्ड (तीन) में यथा विहित शुल्क भुगतान कर दिया हो;

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये शुल्क की दरें निम्नलिखित होगीः–

(क) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या –1 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए– रु0 1,00000

(ख) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–2 की रजिस्ट्रीकरण

गयी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।

(2) केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो दी गयी अन्तिम संख्या के क्रमशः बाद पडती हो और निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन हो–

(एक) परिवहन आयुक्त राज्य सरकार के वाहनों को और परिवहन यानों को श्रेणी के आधार पर दिये जाने के लिए ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसे उनकी पहचान के लिए आवश्यक समझा जाय, आरक्षित कर सकता है।

(दो) परिवहन आयुक्त समय समय पर इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्याओं को उनकी उपलब्धता को देखते हुये अधिनियम की धारा 41 की उपधार (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त उनके लिये 10,000 रूपये शुल्क को न्यूनतम आरक्षित मूल्य मानते हुये आनलाईन नीलामी हेतु वेबसाइट पर अधिसूचित कर सकता है। आनलाईन नीलामी की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(तीन) परिवहन आयुक्त समय–समय पर आनलाईन बुकिंग हेतु उपनियम (2) के खण्ड (दो) में विहित संख्याओं से भिन्न आर्कषक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें अधिसूचित कर सकता है। किसी व्यक्ति से आनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित अतिमहत्वपूर्ण

संख्या के लिए रु0 60,000

(ग) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–3 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 50,000

(घ) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–4 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 20,000

(ड) द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या–5 की रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए रु0 5000

परन्तु यह कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से इस नियम के अधीन कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(चार) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार खण्ड (दो) में अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये लिखित आवेदन करने पर रजिट्रीकर्ता प्राधिकारी इस नियम में यथा विहित शुल्क, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, का अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धान्त के आधार पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करेगा और ऐसी संख्या आरक्षित हो जाने के बाद अन्तरणीय नहीं होगी;

परन्तु यह कि द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या–5 के अधीन इच्छित रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदन की तारीख से

रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 10,000 रूपये, आर्कषक रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 5,000 रूपये और महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए 2,000 रूपये का अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धान्त के आधार पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करेगा और ऐसी संख्या आरक्षित हो जाने के बाद अन्तरणीय नहीं होगी। आनलाईन बुकिंग की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(चार) आरक्षित संख्या केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान प्रस्तुत करने पर आबंटित की जायेगी। यदि आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार निरस्त की गयी संख्या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है जिसने इस नियम के अधीन विहित शुल्क के साथ उसके लिये आवेदन किया हो;

परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने संख्या आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया हो आवेदन करने पर यथा स्थिति रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए बोली गयी अधिकतम धनराशि या आनलाईन बुकिंग हेतु खण्ड (3) में विहित शुल्क के 25 प्रतिशत की धनराशि के बराबर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर इस अवधि

अधिसूचित संख्या से भिन्न क्रमानुसार दी गयी अन्तिम रजिस्ट्रीकरण संख्या से एक हजार के अन्दर होगी;

(पांच) आरक्षण शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से किया जायेगा तथा एक बार जमा हो जाने पर किसी भी दशा में वापस नहीं होगा;

(छः) आरक्षित संख्या केन्द्रीय नियमावली के प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान प्रस्तुत करने पर आबंटित की जायेगी। यदि आरक्षित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार निरस्त की गयी संख्या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है जिसने इस नियम के अधीन विहित शुल्क के साथ उसके लिये आवेदन किया हो;

(सात) इस नियम के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिये आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उन्हें किसी वाहन को आबंटित नहीं किया जायेगा;

(3) मोटर यानों को एक बार दी गई कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायेगी और न ही रद्द की गई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उस मोटर

को 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

(पांच) इस नियम के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिये आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उन्हें किसी वाहन को आबंटित नहीं किया जायेगा;

(3) मोटर यानों को एक बार दी गई कोई संख्या किसी अन्य मोटर यान को नहीं दी जायेगी और न ही रद्द की गई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण की संख्या किसी अन्य मोटर यान को दी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उस मोटर यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गई है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

यान से, जिसे इस नियमावली के अधीन संख्या दी गई है, भिन्न किसी यान पर रजिस्ट्रीकृत संख्या को प्रदर्शित या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

नियम 53 का बढाया जाना 11

मूल नियमावली में नियम 53 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

''53क– रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का वितरण– केन्द्रीय नियमावली के नियम 48 के अन्तर्गत परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के लिये जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मोटरयान स्वामी को केन्द्रीय नियमावली के नियम 47 के अन्तर्गत उसके द्वारा दिये गये पते पर जिस दिन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तैयार हो जाय अथवा उसके अगले कार्यदिवस को पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा जिसकी रसीद अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। इसके लिये मोटरयान स्वामी को अपना पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट लगे हो रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।''

नियम 56 का संशोधन 12

मूल नियमावली के नियम 56 के उपनियम (7) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(7) परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा।	(7) राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को, जो उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव और किसी ऐसे अधिकारी को जो सहायक परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो, अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया जायेगा। अपर सचिव द्वारा सचिव की अनुपस्थिति में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य किया जायेगा।

नियम 65 का 13

उक्त नियमावली के नियम 65 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,

संशोधन

अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
65 परमिट के लिये आवेदन प्रपत्र परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिये आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में किसी एक में होगा, अर्थात– (1) मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर 20 में; (2) ठेका गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–21 में; (3) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–22 में; (4) निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–23 में; (5) अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–24 में; (6) विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–25 में;	**65 परमिट के लिये आवेदन प्रपत्र और फीस** परिवहन यान के सम्बन्ध में परमिट के लिये आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों में किसी एक में होगा और उसके साथ नियम 126 में विनिर्दिष्ट फीस होगी– (1) मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर 20 में; (2) ठेका गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–21 में; (3) माल वाहन के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–22 में; (4) निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–23 में; (5) अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–24 में; (6) विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–25 में।

नियम 125क से नियम 125ड तक का बढाया जाना 15

उक्त नियमावली में नियम 125 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

125क **रेडियो टैक्सी का प्रचालन** कोई भी व्यक्ति तब तक रेडियो टैक्सी सेवा प्रदाता, रेडियो टैक्सी सर्विस एग्रीगेटर अथवा आई0टी0 सर्विस प्रोवाईडर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ली गयी हो साथ ही वह बिना वैध परमिट के रेडियो टैक्सी का व्यवसाय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण– नियम 125क से नियम 125ड के प्रयोजनार्थ परमिट का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और राज्य सरकार द्वारा विहित किराये पर रेडियो टैक्सी परिचालित करने से सम्बन्धित नियम 125च के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत परमिट से है।

125ख **आवेदन करने के लिये पात्रता, मानदण्ड–**

आवेदक को अनिवार्यतः–

(एक) कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कोई पंजीकृत सोसाइटी

होना चाहिए;

(दो) रेडियो टैक्सी का प्रबन्ध करने या उनका प्रचालन करने हेतु वित्तीय रूप से समर्थ होना चाहिए तथा आशय पत्र जारी होने के दिनांक को या उसके पूर्व **आवेदक को अनुज्ञप्ति के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय में पचास हजार रूपया शुल्क नकद जमा कराना होगा साथ ही** प्रपत्र एसआर–43क पर निष्पादन प्रत्याभूति के लिये दो लाख रूपये बैंक प्रत्याभूति जमा करना होगा

(तीन) यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास सभी टैक्सियों के लिये पर्याप्त पार्किंग स्थान, रेडियो संचार की सुविधायुक्त नियंत्रण कक्ष हेतु कार्यालय स्थान (न्यूनतम एक सौ वर्ग फिट) तथा दिन और रात सभी समय पर काल करने हेतु दो टेलीफोन लाइन है;

(चार) निम्नलिखित प्रकार की न्यूनतम दस रेडियो टैक्सियां रखना होगा–

(क)लाये जाने के समय ऐसा प्रत्येक वाहन बिल्कुल नया होगा;

(ख)यान की इंजन क्षमता 750 सी0सी0 या अधिक होना चाहिए, जीप सदृश यान यथा जिप्सी आदि प्रतिबन्धित है;

(ग)यान में तापमान नियंत्रक यंत्र तथा वातानुकूलन ताप यंत्र आदि हर समय सही दशा में अनुरक्षित होगा;

(घ)यान में सामने के पैनल (डैशबोर्ड) पर इलेक्ट्रोनिक फेयर मीटर लगा होगा और उसे ठीक दशा में रखा जायेगा;

(ङ)यान के छत पर लाइट इमिटिंग डायोड(एलईडी)/लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) लगा होना चाहिए जिस पर यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वाहन रेडियो टैक्सी है। एलइडी/एलसीडी प्रदर्शित करने वाला पैनल का परिमाप राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुसार होगा;

(च) यान पर केवल इसी प्रकार के विज्ञापन अनुमन्य किये जायेगे जिससे सडक के उपयोग करने वाले को कोई असुविधा न हो और केवल सडक के किनारे खडे लोगों के लिये दृश्यमान हो। ऐसी अनुज्ञा भी तब दी जायेगी जब यह सुनिश्चित हो जाय कि सडक सुरक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी;

(छ) यान को समय समय पर निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा;

(ज) यान में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम/जनरल पाकेट रेडियो स्विचिंग पर आधारित ट्रैकिंग उपकरण लगा होगा जो यान के ड्यूटी में रहने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क में बना रहेगा;

(झ) यान में फ्रण्ट पैनल पर मोबाईल रेडियो लगा होगा जिससे चालक एवं प्रचालक के नियंत्रण कक्ष के मध्य संचार बना रहे;

(ण) यान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाइन की पूर्ण उपस्कर युक्त उपचार पेटिका होगी;

(ट)यान के नौ वर्ष पुराने होने के पश्चात निर्धारित उत्सर्जन मानक पूर्ण करने वाले यान से उसे प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा;

(ठ) यान के डैशबोर्ड पर चालक और प्रचालक का फोटो, चालक एवं प्रचालक का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा;

(ड) रेडियो टैक्सी सफेद रंग की होगी और प्रत्येक प्रचालक को अलग अलग करने के लिये पृथक पृथक कार के पैनलों के दोनो ओर एक फुट चौडी भिन्न भिन्न रंग की पटटी होगी;

(ढ) परिवहन हेल्प लाइन संख्या को प्रमुख रूप से रेडियो टैक्सी के अन्दर एवं बाहर अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जायेगा; और

(पांच) प्रचालक द्वारा रेडियो टैक्सी के लिये नियम 125ग में विहित प्रोफाइल वाले चालक को नियोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— नियम 125क से नियम 125ड के प्रयोजनार्थ प्रचालक का तात्पर्य धारा 74 की उपधारा (1) के अनुसरण में स्वीकृत और प्रत्येक यान के सम्बन्ध में नियम 125च के निबन्धनों के अनुसार जारी किये गये ऐसे परमिट धारक से है जिसके पास दस से कम रेडियो टैक्सियां न हो।

125ग रेडियों टैक्सी के परिचालक का प्रोफाईल—

(क) इस नियमावली के अधीन रेडियो टैक्सी चलाने हेतु नियोजित किये जाने के दिनांक से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से चालक यथास्थिति भारी या हल्के मोटरयान का लाइसेंसधारी हो;

(ख)चालक मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 10 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ग)राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब भी विशेष चालन परीक्षा आयोजित/विहित की जाय तो चालकों से अपेक्षा की जायेगी कि वह उसे सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर लें;

(घ)चालक इस नियमावली के अधीन निर्धारित या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित वर्दी धारण करेगा;

(ड.)चालको का आचरण अच्छा होगा और उसका चरित्र बिना किसी अपराधिक रिकार्ड का होगा। चालक के व्यवहार के लिये प्रचालक उत्तरदायी होगा;

(च)चालक पूर्णतः विश्वसनीय एवं विश्वासपात्र होगा जिसे पुलिस द्वारा सत्यापन के पश्चात ही रोजगार में रखा जायेगा;

125घ प्रचालन क्षेत्र किसी रेडियो टैक्सी जिसे परमिट निर्गत किया गया हो को परमिट के अधीन किसी भी नगर निगम क्षेत्र की सीमा के भीतर प्रचालन की अनुमति होगी और यात्री की मांग पर **नगर निगम सीमा से बाहर** राज्य में स्थित किसी भी दर्शनीय स्थान की यात्रा किये जाने के लिये वैध होगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ नगर निगम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन नगर निगम से है।

125ङ परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन–

(1) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन नगर निगम की क्षेत्रीय सीमा में प्रचालन के लिये परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन प्रपत्र एसआर 43ख पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जायेगा और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित फीस आवेदन के साथ दी जायेगी। यदि आवेदन के समय प्रचालक के पास वाहन न हो तो वह उक्त आवेदन पर ही क्रय करने का उल्लेख करते हुये राज्य परिवहन प्राधिकरण से आशय पत्र निर्गत करने का आवेदन कर सकता है।

(2) इस नियमावली के अधीन परमिट की स्वीकृति या नवीकरण के लिये आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के अंदर निस्तारित किया जायेगा।

125च परमिट जारी करने तथा नवीकरण करने की प्रक्रिया–

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण नियम 125 ड. के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने नियम 125 ख की अपेक्षाओं का पालन कर लिया है। नियम 125 झ के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अंतिम प्रवेश समय सारणी के अनुसार विहित श्रेणी की कम से कम दस वाहनों को क्रय करने के लिये प्रपत्र एसआर 43 ग पर आशय पत्र जारी कर सकेगा। प्रवेश समय सारणी के अधीन आशय पत्र जारी करने के दिनांक से आवेदक द्वारा चार माह के अन्दर निर्धारित वाहन प्राप्त किये जा सकते है परन्तु प्रचालन को प्रारम्भ करने के लिये प्रारम्भ में वाहनवार पांच वाहनों को अस्थायी परमिट स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अस्थायी परमिट कम से कम पांच वाहनों पर प्रचालक को चार माह के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा जिससे आशय पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह की अवधि के भीतर पूरी सुविधायुक्त रेडियो नेटवर्क तथा जीपीएस/जीपीआरएस ट्रेकिंग प्रणाली को स्थापित किया जा सके।

(3) यदि चार माह में प्रचालक इन शर्तों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुये परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में देय पांच हजार रूपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट शास्ति के रूप में आवेदन के साथ कारणों को उल्लिखित करते हुये लगायेगा। स्पष्ट किये गये कारणों से राज्य परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाने पर अवसंरचना को स्थापित करने के लिये उसके द्वारा अग्रतर दो माह का समय प्रदान किया जा सकेगा।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियम 125झ के अधीन अनुमोदित प्रवेश समय सारणी के अनुसार जब तक कि कम से कम दस वाहन प्राप्त न कर लिये जाय तब तक वाहनवार अस्थायी

परमिट प्रचालक को जारी किये जायेंगे। आशय पत्र में विहित समस्त शर्तों के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र एसआर 43घ पर वाहनवार पांच वर्ष की अवधि के लिये वैध नियमित परमिट जारी किये जायेंगे।

(5) प्रचालक द्वारा विहित अवधि के अंदर पूर्ववर्ती मदों में वर्णित निबन्धनों का अनुपालन न करने की दशा में, उसका अस्थायी परमिट स्वतः निरस्त समझा जायेगा और दो लाख रूपये की निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त कर लिया जायेगा।

(6) प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत परमिट को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विहित अन्य किसी वाहनवार शर्तों को पूर्ण करने और प्रचालक के संतोषजनक निष्पादन के अध्याधीन पांच वर्षों की अग्रतर अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा परमिट चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात परन्तु परमिट समाप्त होने के न्यूनतम तीन माह पूर्व नवीकृत/नये दो लाख रूपये के या यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंहगाई तथा रेडियो टैक्सी के मूल्य के दृष्टिगत बढायी गयी राशि निष्पादन प्रत्याभूति के साथ वाहनवार आवेदन प्रपत्र एसआर 43ख पर किया जा सकेगा।

(7) परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रचालक के कारोबार करने के परिसर का निरीक्षण किया जायेगा तथा इस नियमावली के निर्बन्धनों और शर्तों के अनुसार प्रचालक के निष्पादन का मूल्यांकन किया जायेगा। परमिट का नवीकरण स्वीकृत करने के समय राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को भी ध्यान में रखेगा। इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्रचालक द्वारा सेवाओं की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, अपना समाधान कर लेने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रपत्र एसआर 43घ पर परमिट का नवीकरण करेगा।

125छ प्रचालक के पालन करने हेतु विशेष शर्तें–

(1) प्रचालक या परमिट धारक **(क)** राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परमिट में उल्लिखित कारोबार के मुख्य स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा;

(ख)राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कराधान अधिकारी या वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक स्तर से अन्यून व्यक्ति के लिये अपने कारोबार के स्थान तथा समस्त सम्बन्धित अभिलेख तथा रजिस्टर एवं रेडियो टैक्सी को उचित समय पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रखेगा;

(ग)राज्य परिवहन प्राधिकरण को समय समय पर वांछित सूचनायें एवं विवरण उपलब्ध करायेगा;

(घ)रेडियो टैक्सी के अन्दर तथा कारोबार के अपने मुख्य कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों, जो सहजदृश्य स्थानों पर प्रपत्र एसआर 43ड. में कमबद्ध रूप से कमांकित पृष्ठों वाले तीन प्रतियों में ''शिकायत

पुस्तिका'' रखेगा। प्रचालक प्राप्त शिकायत, यदि कोई हो, की द्वितीय प्रति को विलम्बतम तीन दिन के अंदर राज्य परिवहन प्राधिकरण को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगा; और

(ड.)मुख्य और शाखा कार्यालय में सुझाव पुस्तिका भी रखेगा और प्राप्त सुझाव, यदि कोई हो, टिप्पणी के साथ माह में एक बार राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रचालक द्वारा किसी को परमिट हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

125ज किराया और रोके रखने का प्रभार किराया, यान को रोके रखने का प्रभार तथा अन्य प्रभार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा किया जायेगा।

125झ प्रवेश समय सारणी–

(1) आशय पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के समय आवेदक को न्यूनतम दस वाहनों के बारे में प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करनी होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रस्तुत की गयी समय सारणी को न्यूनतम पांच गाडियों को प्रथम चरण में आशय पत्र जारी होने के बाद युक्ति–युक्त समय के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता उल्लिखित करते हुये सारणी को अनुमन्य कर सकेगा और आगे प्रस्तुत समय सारणी को उसी रूप में संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के अनुमन्य कर सकेगा या आशय पत्र जारी करने से पूर्व उपान्तरित प्रवेश समय सारणी प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्रचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को अनुमोदित समय सारणी के प्रत्येक चरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि प्रचालक अनुमोदित समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सी को प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकेगा तथा अस्थायी परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

125ञ परमिट को निलम्बित या निरस्त करने की राज्य परिवहन प्राधिकरण की शक्ति–

(1) प्रचालक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि–

(क)वह इस नियमावली के किसी प्राविधानों या परमिट की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है; या

(ख)वह अधिनियम तथा इस नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप रेडियो टैक्सी का रख रखाव करने में विफल रहा है; या

(ग)उसका कोई कर्मचारी किसी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार का दोषी रहा है; या

(घ)किसी व्यक्ति द्वारा परमिट धारक के विरूद्ध की गयी शिकायत

सिद्ध है;

तो वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परमिट को निलम्बित या निरस्त करेगा।

(2) जहां कोई परमिट निलम्बित या रदद किये जाने के योग्य है और राज्य परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामलें में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये परमिट को निलम्बित या रदद किया जाना आवश्यक या उपयुक्त नहीं होगा, यदि प्रचालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित धनराशि देने के लिये सहमत हो जाता है, तब उपनियम (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी राज्य परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट निलम्बित या रदद करने के बजाय प्रचालक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुयी है।

(3) उपनियम (1) के अधीन परमिट को निलम्बित या निरस्त कर दिये जाने पर प्रचालक परमिट को राज्य परिवहन प्राधिकरण को समर्पित कर देगा।

(4) यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है राज्य परिवहन प्राधिकरण नियम 125ख और नियम 125च की किन्ही शर्तों में संशोधन कर सकता है या परमिट पर अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

125ट **अपील** नियम 125च के उपनियम **(1)** या नियम 125**ञ** के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के यहां अपील कर सकेगा।

125ठ **अपील की प्रक्रिया–**

(1) नियम 125ट के अधीन अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के रूप में की जायेगी जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश के बाबत आक्षेपों के आधारों का उल्लेख किया जायेगा और उसके साथ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

125ड **सभी रेडियो टैक्सी परमिटों के लिये सामान्य शर्तें–**

(1) ऐसे प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(एक) चालकों के कार्य के घण्टे परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अनुसार सीमित होंगे।

(दो) सामान्य जनता के लिये रेडियो टैक्सी निम्नलिखित तीन प्रकार से उपलब्ध रहेगी–

(क)सम्बन्धित दूरभाष संख्या पर डायल द्वारा काल पर;

(ख)अभिहित स्थान से टैक्सी किराये पर लेकर;

(ग)टैक्सी को सडक पर रोक करके।

उक्त के सिवाय रेडियो टैक्सी की ई बुकिंग नेट से या मोबाइल से नहीं होगी।

(तीन) सभी महत्वपूर्ण बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट एवं उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान के समीप रेडियो टैक्सी की पार्किंग/उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(चार) यदि रेडियो टैक्सी का प्रचालक किसी यान का प्रयोग ऐसी रीति से करता है या करवाता है या प्रयोग किये जाने की अनुमति देता है जो परमिट या इस नियमावली के उपबन्धों द्वारा प्राधिकृत न हो तो प्रचालक/चालक ऐसे अपराध या जुर्म जो उक्त यान का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो के लिये संयुक्त रूप से या पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

(पांच) कोई प्रचालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उसको जारी किये गये परमिट को किसी भी समय समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण पर राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट को निरस्त करेगा। प्रचालक परमिट समर्पित करने और बैंक प्रत्याभूति को अवमुक्त करने की मांग करने से पूर्व समस्त देयों का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में उपनियम (1) में उल्लिखित किन्ही या समस्त निबंधनों एवं शर्तों में जनहित में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

नियम 126 का संशोधन 16

मूल नियमावली के नियम 126 की सारणी में वर्तमान क्रम संख्या (1) के पश्चात क्रम संख्या (1क) को निम्नानुसार बढा दिया जायेगा, अर्थात–

(1क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसका प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये आवेदन फीस– 500 रूपये

नियम 163 का संशोधन 17

मूल नियमावली के नियम 163 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
163 परिवहन यानों को रंगा जाना (1) नियम 111 और उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार, जो मूल रूप में सेना की रही हो, उन्हे निम्नलिखित रंगों में से किसी	**163 परिवहन यानों को रंगा जाना (1)** नियम 111 और उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार, जो मूल रूप में सेना की रही हो, उन्हे निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग से पेन्ट किया जायेगा–

रंग से पेन्ट किया जायेगा— (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा (2) मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी। (3) सेना के किसी मोटरयान से भिन्न किसी मोटरयान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिये सामान्यतया प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो। <u>**स्पष्टीकरण**—</u> इस नियम के प्रयोजनों के लिये पर्यटन मोटर टैक्सी का तात्पर्य किसी ऐसी मोटर टैक्सी से है, जिसे मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ले जाने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ठेका गाडी परमिट जारी किया गया।	(क) सफेद (ख) काला (ग) हरा (2) अनन्य रूप से नगर क्षेत्र के अन्तर्गत प्रचालन हेतु अनुमन्य प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी। ___परन्तु यह कि यह उपनियम केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 85क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सी पर लागू नहीं होगा। (3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य ठेका गाडी को बादामी लाल रंग (उंतववद) या काला या लाल रंग के सिवाय किसी भी रंग में पेन्ट किया जायेगा और मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी के दोनो ओर 60 सेन्टीमीटर व्यास के वृत्त में और मोटर टैक्सी के दोनो ओर 20 सेन्टीमीटर व्यास के वृत्त में ''ठेका गाडी'' उल्लिखित होगा। (4) सेना के किसी मोटरयान से भिन्न किसी मोटरयान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटर यानों के लिये सामान्यतया प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो। **(5) शिक्षण संस्था बस और स्कूल कैब को पीला रंग में रंगा जायेगा। (6) एम्बुलेंस सफेद रंग में रंगी होगी और उसमें शब्द 'Ambulance' उल्टे अक्षरों में लिखा होगा।**

नियम 169 का संशोधन 18 (क) उक्त नियमावली के नियम 169 में नीचे स्तम्भ 1में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ— 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

169 (1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज / कार्यशालाओं,पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे –

(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रु0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मा0 किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;

(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी / संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;

(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, भू–स्वामित्व / किरायानामा का

प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत किया जाना–169 (1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज / कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए अपर परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे –

(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रु0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मान्य किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;

(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी / संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;

(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, भू–स्वामित्व / किरायानामा का प्रमाण, विद्युत संयोजन (कनैक्शन)

प्रमाण, विद्युत संयोजन (कनैक्शन) का प्रमाण;
(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पाटर्नर शिप डीड) की प्रति;
(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची;
(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।
(2) प्राधिकार पत्र जारी और उसका नवीकरण करने की फीस–
(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000
(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 2000
(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानों के लिए रु0 4000
(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तावित प्रदूषण जांच केन्द्र, उसमें स्थापित संयंत्रों व उपकरणों का निरीक्षण परिवहन विभाग के अधिकारी जो ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से कराया जायेगा। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुतियों के साथ परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।

का प्रमाण;
(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पाटर्नर शिप डीड) की प्रति;
(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची;
(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।
(2) प्राधिकार पत्र जारी और उसका नवीकरण करने की फीस–
(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 4000
(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रु0 4000
(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानो के लिए रु0 8000
(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तावित प्रदूषण जांच केन्द्र, उसमें स्थापित संयंत्रों व उपकरणों का निरीक्षण परिवहन विभाग के अधिकारी जो ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से कराया जायेगा। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुतियों के साथ अपर परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।
(4) **अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र प्रपत्र एस0आर0–49 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किया जायेगा**;
(एक) एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 में निर्धारित किये गये मानकों के स्तर

(4) परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किये जाने पर अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र प्रपत्र एस0आर0–49 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किया जायेगा;

(एक) एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 में निर्धारित किये गये मानकों के स्तर की माप के लिए उस नियमावली के नियम 116 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रकार के उपकरणों की स्थापना की जायेगी तथा उन्हें समय–समय पर केन्द्रीय नियमावली में किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चीकृत किया जायेगा /बदला जायेगा।

(दो) प्राधिकार–पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या स्वैच्छिक संस्था के मामले में सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 में पंजीयन की अवधि तक या अनुमोदित गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनी, पेट्रोल पम्प के मामले में की डीलरशिप की वैधता की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।

(तीन) ''प्रदूषण नियन्त्रण में है'' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम 40 रुपया शुल्क लिया जा सकेगा।

(चार) 'प्रदूषण नियंत्रण में है' प्रमाण–पत्र का प्ररूप सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त, कार्यालय अथवा की माप के लिये उस नियमावली के नियम 116 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रकार के उपकरणों की स्थापना की जायेगी तथा उन्हे समय समय पर केन्द्रीय नियमावली में किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चीकृत किया जायेगा/बदला जायेगा।

(दो) प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि और उसका नवीकरण 05 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ कि स्वैच्छिक संस्था के मामलें में सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 में पंजीयन की अवधि तक या अनुमोदित गैराज/ कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनी, पैट्रोल पम्प के मामलें में उसकी डीलरशिप की वैधता की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। प्राधिकार पत्र का नवीकरण उसमें पृष्ठांकन द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व सादे कागज पर नवीकरण फीस सहित अपर परिवहन आयुक्त को आवेदन किया जायेगा।

(तीन) ''प्रदूषण नियंत्रण में है'' प्रमाण पत्र जारी करने के लिये एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम **70 रूपया** शुल्क लिया जायेगा।

(चार) ''प्रदूषण नियंत्रण में है'' प्रमाण पत्र का **फार्म** सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से **20 रूपया** प्रति **फार्म** जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से 10 रुपया प्रति प्ररूप जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः उसी प्ररुप पर 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करना होगा। इस प्रकार जारी किये गये प्रमाण–पत्रों की सूचना एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दी जायेगी।	एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः **इस प्रकार प्राप्त किये फार्म पर** ''प्रदूषण नियंत्रण में है'' प्रमाण पत्र जारी करना होगा। **उस पर प्राधिकृत आपरेटर के हस्ताक्षर के सिवाय कोई भी प्रविष्टि हाथ से नहीं की जायेगी। प्रदूषण नियन्त्रण में है की जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वेब आधारित व्यवस्था प्रभावी होने पर एजेन्सी द्वारा वेब साफ्टवेयर के माध्यम से ''प्रदूषण नियन्त्रण में है'' प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। इस हेतु एजेन्सी ''ब्राड बैंड'' या ''डाटा कार्ड'' के माध्यम से इन्टरनेट संयोजन की व्यवस्था करेगी जो परिवहन विभाग के केन्द्रीय सर्वर से अनवरत जुडा रहेगा और वेब साफ्टवेयर के माध्यम से ''प्रदूषण नियन्त्रण में है'' प्रमाण पत्र का फार्म डाउनलोड़ करने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा 20 रूपया प्रति प्रमाण पत्र की दर से परिवहन आयुक्त कार्यालय में अग्रिम में नकद जमा करना होगा।**
(पांच) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि एवं निर्माता द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।	**(पांच) एजेन्सी द्वारा प्रदूषण की जांच हेतु उपकरण निर्माता/आपूर्तिकर्ता/व्यवसायी द्वारा प्रशिक्षित किये गये आपरेटर ही रखे जायेंगे। जो सम्बन्धित एजेन्सी के नियमित कर्मी होंगे। प्रदूषण जांच का कार्य उसके द्वारा ही किया जायेगा तथा 'प्रदूषण नियंत्रण में है प्रमाण पत्र' उसी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। एजेन्सी द्वारा नियुक्त ऐसे आपरेटर के प्रमाणित हस्ताक्षर प्रपत्र 49क पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध**

	कराये जायेंगे। एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि एवं इस प्रकार प्रशिक्षित आपरेटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
(छः) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा केन्द्र पर जांच किए गए वाहनों की मासिक सूचना ऐसे प्ररूप में जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाये, सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।	**(छः)** एजेन्सी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूचना **इन्टरनेट के माध्यम से** सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं **परिवहन आयुक्त कार्यालय** को दी जायेगी।
(सात) प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ऐसी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।	**(सात)** प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा स्थापित जांच केन्द्रों का समय समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, निरीक्षण किया जा सकेगा।
(आठ) प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा स्थापित जांच केन्द्रों का समय–समय पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, निरीक्षण किया जा सकेगा। (5) प्राधिकृत एजेन्सी, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्थान में प्रदूषण नियन्त्रण में है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उतनी संख्या में सचल जांच केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितनी तद्नुसार परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाय। ऐसे सचल जांच केन्द्रों पर वे सभी शर्ते लागू होंगी जो प्राधिकृत एजेन्सी पर लागू होती है। ऐसे सचल जांच	(5) प्राधिकृत एजेन्सी, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्थान में प्रदूषण नियन्त्रण में है प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उतनी संख्या में सचल जांच केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितनी तद्नुसार अपर परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाय। ऐसे सचल जांच केन्द्रों पर वे सभी शर्ते लागू होंगी जो प्राधिकृत एजेन्सी पर लागू होती है। ऐसे सचल जांच केन्द्र के लिए प्राधिकृत एजेन्सी को अलग से उपकरण लगाना होगा और इस हेतु अलग से शुल्क देय होगा। (6) यदि प्राधिकृत एजेन्सी वैधता की अवधि से पूर्व कार्य बन्द करना चाहती है तो प्रतिभूति की राशि अधिकृत यान के स्वामी/प्रतिनिधि को समस्त साझेदारों की लिखित

		केन्द्र के लिए प्राधिकृत एजेन्सी को अलग से उपकरण लगाना होगा और इस हेतु अलग से शुल्क देय होगा। (6) यदि प्राधिकृत एजेन्सी वैधता की अवधि से पूर्व कार्य बन्द करना चाहती है तो प्रतिभूति की राशि अधिकृत यान के स्वामी/प्रतिनिधि को समस्त साझेदारों की लिखित सहमति पर वापस की जा सकेगी।	सहमति पर वापस की जा सकेगी। (7) प्राधिकार पत्र के लिये किसी सक्षम आवेदक को तब तक इंकार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसा इंकार करने के लिये लिखित रूप में कारण न दे दिये गये हो।

नियम 169क से नियम 169घ तक का बढाया जाना

19 मूल नियमावली में नियम 169 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

169क **प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी करना–(1)** यदि किसी समय नियम 169 के उपनियम (4) के अधीन जारी किया गया प्राधिकार पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकृत एजेन्सी उसकी सूचना तुरन्त अपर परिवहन आयुक्त को देगा और उसकी दूसरी प्रति के लिये प्रारूप एस0आर0 49ख में प्राधिकार पत्र जारी करने की फीस की आधी फीस के साथ आवेदन करेगा। उसके उपरान्त प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी जिस पर लाल स्याही से ''दूसरी प्रति'' चिन्हित होगा।

(2) प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के पश्चात यदि मूल प्रति मिल जाती है तो वह तत्काल अपर परिवहन आयुक्त को अभ्यर्पित कर दी जायेगी।

169ख **प्राधिकार पत्र शास्ति, निलम्बित या रद्द करना– (1)** प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, यदि अपर परिवहन आयुक्त का समाधान हो जाता है कि धारक नियम 169 के उपनियम (1) और उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहा है तो कारणों को अभिलिखित करते हुये वह लिखित आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति को या उसके भाग को समपहरण कर सकता है या प्राधिकार पत्र को ऐसी अवधि के लिये निलम्बित कर सकता है या रद्द कर सकता है, जैसी वह उचित समझे।

(2) जहां इस नियम के अधीन कोई प्राधिकार पत्र रदद या निलम्बित किया जाने वाला हो और प्राधिकार पत्र देने वाले अधिकारी का यह विचार हो कि मामलें की परिस्थितियों पर विचार करते हुये प्राधिकार पत्र को रदद या निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा यदि प्राधिकार पत्र धारक एक निश्चित धनराशि

का भुगतान करने के लिये राजी हो तो उपनियम (1) में किसी बात के होते हुये भी प्राधिकार पत्र जारी करने वाला अधिकारी यथास्थिति प्राधिकार पत्र को रदद करने या निलम्बित करने के बजाय प्राधिकार पत्र धारक से सहमत धनराशि वसूल कर सकता है।

(3) जहां प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः समपहरण कर ली गयी हो वहां प्राधिकार पत्र धारक आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर इस प्रकार समपहरण धनराशि को जमा करेगा जिससे प्रतिभूति की पूर्ण राशि पूरी हो जाय, ऐसा करने में विफल होने पर प्राधिकार पत्र धनराशि के जमा कर दिये जाने तक निलम्बित रहेगा।

(4) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुये भी, प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यदि समाधान हो जाय कि प्राधिकार पत्र धारक युक्तियुक्त कारणों से पूर्वोक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धनराशि जमा नहीं कर सका, तो वह धनराशि जमा करने की अवधि को बढा सकता है।

(5) जहां प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उपनियम (4) के खण्ड (चार) में विहित फार्म शुल्क की अपवंचना की जाती है तो उस दशा में अपवंचना की गयी धनराशि के दोगुनी धनराशि शास्ति के रूप में देय होगी।

(6) जहां इस नियम के अधीन कोई प्राधिकार पत्र निलम्बित या रद्द हो जाता है तो उस दशा में प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा उपनियम (4) के खण्ड (एक) के अनुसार स्थापित उसकी मशीनों को सील कर दिया जायेगा।

169ग **अपील** नियम 169 के उपनियम (4) एवं नियम 169ख के अधीन जारी आदेश से व्यथित कोई प्राधिकृत एजेन्सी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परिवहन आयुक्त को अपील कर सकेगा। अपील की फीस 1000 रूपये होगी।

169घ **अपील के लिये प्रक्रिया (1)** नियम 169ग के अधीन कोई अपील उसमें उल्लिखित किसी आदेश के सम्बन्ध में आक्षेपों के आधार उपदर्शित करते हुये ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में की जायेगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, प्रमाणित प्रतिलिपि और विहित फीस होगी।

(2) परिवहन आयुक्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

नियम 20 उक्त नियमावली में नियम 177 के पश्चात शयन यान एवं अर्द्ध

177क से नियम 177घ तक का बढाया जाना

शयनयान के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

177क **शयनयान की विशिष्टियां –** **(1)** शयनयान डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अन्तर्गत वातानुकूलित होगा और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय नियमावली के नियम 93 के साथ पठित नियम 128 के उपनियम (2), (3), (4), (5), (6), (9)(एक), (12) एवं (13) के प्रावधान शयनयान पर लागू होंगे।

(3) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है को दिया गया परमिट 10 वर्ष की आयु के उपरान्त अवैध हो जायेगा।

(4) परमिट जारी करते समय या यान के प्रतिस्थापन के समय शयनयान की आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) शयन बर्थ की व्यवस्था–

(एक) शयनयान में शयन बर्थ की व्यवस्था वाहन की लम्बाई में केवल दो तलीय शयन आधार पर उपलब्ध की जायेगी। प्रत्येक शयन बर्थ की लम्बाई न्यूनतम 1750 मिलीमीटर तथा चौडाई 760 मिलीमीटर से कम एवं अधिकतम 900 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(दो) आने जाने के रास्ते (गेंगवे) की चौडाई 450 मिलीमीटर से कम की नहीं होगी।

(तीन) दो शयन बर्थ के मध्य संरचना विभाजक की चौडाई न्यूनतम 25 मिलीमीटर से कम की नहीं होगी।

(चार) वाहन के फर्श से निचला शयन बर्थ न्यूनतम 150 मिलीमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जायेगा।

(पांच) निचला शयन बर्थ में बैठे यात्री के लिये स्पष्ट शीर्ष कक्ष (हेड रूम) 800 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(छः) छत के बगल में घुमाव को छोडकर ऊपर के शयन बर्थ का स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड रूम) 650 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(सात) ऊपर के शयन बर्थ को ठोस प्रकार से विभाजक या कील युक्त या ढलाईदार अथवा रिपिट युक्त मजबूती से पकड वाला बनाया जायेगा और शयन बर्थ पर लटकते हुये दो चमकदार इस्पात की जंजीर से मजबूती से पकड किये होंगे। यह इस्पात जंजीर छत के निर्माण भुजाओं पर कीलयुक्त या ढलाईदार किये होंगे। जंजीर की लम्बाई ऐसी होगी कि यात्री शयन बर्थों पर सुविधापूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सके।

(आठ) ऊपर की शयन बर्थ के यात्री के लिये शयन बर्थ पर ऊपर जा सकने और नीचे आ सकने के लिये उचित व्यवस्था की

जायेगी।

(नौ) ऊपर के शयन बर्थ तक सुविधापूर्वक पंहुचने के लिये एक सहायक हत्था और पायदान सुविधाजनक ऊंचाई में उपलब्ध किया जायेगा।

(दस) परिसहायक/व्यवस्थापक के लिये सीट को छोडकर आने जाने के रास्ते में कोई सीट या शयन बर्थ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग्यारह) प्रत्येक शयन बर्थ वस्त्र आवरण से सज्जित होगी जो स्वच्छ एवं रोग मुक्त स्थिति में रखे जाने योग्य रहेगी।

(बारह) प्रत्येक यात्री को एक तकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जायेगी (एक ओढने के लिये और दूसरी बिछाने के लिये) इन्हे हमेशा अच्छी और रोगमुक्त स्थिति में रखा जायेगा।

(तेरह) ऊपर की शयन बर्थ के दोनो ओर नरम सामग्री युक्त का सुरक्षा कवच उपलब्ध किया जायेगा।

(6)– अन्य विवरण

(एक) शीर्षकक्ष–यान के आंतरिक कक्ष की ऊंचाई 1850 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(दो) बॉडी संरचना– परिदृढ चेसिस की दशा में ऐसे लोक सेवा यान की बॉडी चेसिस पर हाईटेनसाइल एवं इस्पात बोल्ट जो 16 मिलीमीटर की परिधि से कम नहीं बनायी जायेगी जहां ऐसे छिद्र करने की जैसा कि निर्माता द्वारा तकनीकी रूप से मान्यता दी गयी है को छोडकर चेसिस के पार्श्व (दिशान्तरीय) भाग पर कोई छेद ड्रील मशीन से नहीं किया जायेगा। बॉडी संरचना और चेसिस फ्रेम के बीच में रबर की पैकिंग या माउंटिग समुचित मोटाई की होगी।

(तीन) फर्श–ऐसे लोक सेवा यान के फर्श की सामग्री ध्वनि मुक्त एन्टीस्किड और धोने योग्य होगी। यात्रियों के लिये फर्श सुरक्षित होगा और रबर या सेन्थेटिक गददा या गलीचे से ढका होगा। उचित पैकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड धूल मुक्त रहेंगे।

(चार) छत– ऐसे लोक सेवा यान की सीलिग की छत मुलायम सामग्री या तद्समान सामग्री जैसे ए0बी0एस0 प्लास्टिक से दबाव समाप्त करने के लिये उपलब्ध किया जायेगा।

(पांच) प्रकाश– सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शयन बर्थ के लिये सुविधाजनक स्थान पर व्यक्तिगत रीडिंग लाईट उपलब्ध की जायेगी।

(छः) रंग रोगन सजावट– ऐसे लोक सेवा यान को ''नेट्रो सेल्यूलेस'' या ''सेन्थेटिक इनेमल'' या जो अन्य उचित रंग से अनुज्ञात रंग योजना का रंग हो रंग किया जायेगा।

(7) वातानुकूलित यंत्र कक्ष–

(क) ऐसे लोक सेवा यान में समुचित मानक के वातानुकूलित यूनिट

लगायी जा सकेगी।

(ख) वातानुकूलित इंजन कक्ष ध्वनि रोधक सामग्री से युक्त होगा ताकि इंजन के शोर को युक्तियुक्त डी0बी0 लेबल तक और कंपन या माउंटिंग के कंपन सलून कक्ष से कम कर सके।

(8) शिथिलीकरण देने की शक्ति– राज्य सरकार शयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को ठंडा करने की क्षमता या ऊपर दर्शायी गयी किसी भी शर्त में लिखित कारण दर्शाते हुये आदेश द्वारा शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है।

(9) खिडकियां–

(क) खिडकियां दोहरी स्लाडिंग युक्त स्लाईडर जो चैनल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना खडखड की आवाज के और जो समग्र/सुरक्षा या लेमिनेटेड सेफ्टी कांच जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो उपलब्ध करायी जायेगी खिडकियों में खिसकने वाले पर्दे उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ख) जहां स्थिर कांच उपलब्ध किये गये हो उसमें छत के ऊपर समुचित रूप से वायु परिचालन के लिये कम से कम एक दरार उपलब्ध की जायेगी।

(ग) खिसकने वाली खिडकियां चालक विभाजक में चालक के ठीक पीछे उपलब्ध की जायेगी।

(10) विविध–

(क) ऐसे लोक सेवा यान में कोई हेट रेक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसा लोक सेवा यान वेबलर संसपेंशन या न्यूमेटिक संसपेंशन से युक्त होगा।

(ग) केनरी के प्रतिबिंबित पटटा पीले रंग में 50 मिलीमीटर चौडाई के आगे और पीछे की ओर बम्पर के साथ लेबल पर उपलब्ध किये जायेंगे।

(घ) ऐसे लोक सेवा यान में परिसहायक/व्यवस्थापक यात्रियों की सेवा के लिये चालक/चालकों/परिचालक के अतिरिक्त उपलब्ध किया जायेगा।

177ख अर्द्धशयनयान की विशिष्टियां– (1) अर्द्धशयनयान ऐसा लोक सेवा यान है जिसमें फर्श पर यात्री सीटे और ऊपर की ओर शयन बर्थ हो और ऐसे वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

(2) अर्द्धशयनयान में शयन बर्थ यान की लम्बाई में उपलब्ध की जायेगी। कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनो ओर एकल शयन बर्थ कतार में होंगे, को छोडकर डीलक्स शयनयान के प्रावधान अर्द्धशयनयान पर, जहां तक लागू हो सकेंगे, लागू किये जायेंगे। प्रत्येक शयन बर्थ की लम्बाई न्यूनतम 1750 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और चौडाई 450 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। प्रत्येक शयन बर्थ की मोटाई न्यूनतम 75 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) प्रथम पंजीयन के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी अर्द्धशयनयान को परमिट नहीं दिया जायेगा। परमिट की वैधता के दौरान यान यदि दस वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसे दिनांक से परमिट अवैध हो जायेगा।

(4) अर्द्धशयनयान परमिट के अन्तर्गत आने वाला यान, परमिट जारी करते समय अथवा यान के प्रतिस्थापन के समय प्रथम पंजीयन के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी।

(5) यान में दोनो ओर दो दो सीटें होगी। सभी सीटे आगे की ओर मुख किये होंगी। बीच का मार्ग स्पष्टतः कम से कम 355 मिलीमीटर का होगा। प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्रफल 447मिलीमीटरग457मिलीमीटर का होगा और एक आर्मरेस्ट दोनो ओर होगा और सीट पार्श्व पूरी ऊंचाई का होगा।

177ग **शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति–** राज्य सरकार डीलक्स शयनयान या अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊपर दर्शायी गयी किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित कारण दर्शातें हुये शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है।

177घ **पंजीयन प्रमाण पत्र और परमिट में प्रविष्टि–** डीलक्स शयनयान या अर्द्ध शयनयान, जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाणपत्र और परमिट में सीट क्षमता शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त सम्बन्धी विवरण दर्ज किये जायेंगे।

नियम 205क से नियम 205ग तक का बढाया जाना

21 मूल नियमावली में नियम 205 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

205क **अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी का कर्तव्य** (1) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी मापमान पर बनायी गयी एक स्थल योजना तैयार करेगा जिससे कि यथास्थिति मार्ग/मार्गों या स्थान का अभिन्यास और चौडाई आदि सम्मिलित यान/यानों या व्यक्तियों और ऐसे अन्य तथ्यों, जैसा कि स्थिति के अनुसार सुसंगत हो तथा साक्षीगण द्वारा अभिप्रमाणित हो, की स्थिति इंगित हो सके और यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो तो वही अभिलिखित हो जायेंगे, जिससे कि दुर्घटना से सम्बन्धित साक्ष्य को संरक्षित रखा जा सके। वह अन्य बातों के साथ–साथ दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ दुर्घटना स्थल की सभी कोणों से फोटोग्राफी करवायेगा, जिससे कि उपर्युक्त घटना का स्पष्ट रूप से चित्रण हो सके।

(2) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के सम्बन्ध में बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी की पूर्ण विशिष्टियों को प्राप्त करेगा और धारा 158 की उपधारा (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उस पर उन्हे या तो प्राप्ति के सापेक्ष अपने पास रख लेगा या उन्हे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणन के बाद उनकी छायाप्रतियां रख

लेगा।

(3) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दस्तावेज जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित प्राधिकारी से लिखित रूप में पुष्टि करने के पश्चात उपनियम (2) के अधीन एकत्रित दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित कर सकता है।

(4) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दुर्घटना के सम्बन्ध में दावा अधिकरण को उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी स्थल योजना और छायाचित्रों, उपनियम (2) और (3) के अधीन संग्रहित और सत्यापित दस्तावेजों अथवा जाली पाये गये दस्तावेजों के मामलें में की गयी कार्यवाही, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रतियां, चिकित्सा विधि रिपोर्टों और शव परीक्षण रिपोर्ट (मृत्यु के मामलें में) तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट दावा अभिकरण द्वारा जारी किये गये आदेश/अध्यपेक्षा की प्राप्ति से अनधिक 15 दिवसों में प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि ऐसी सूचना बीमा कम्पनी को भी उपलब्ध करायी जा सकती है यदि इसका अनुरोध उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता के माध्यम में या आहत/उपहत व्यक्ति द्वारा अथवा दुर्घटना के मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन प्रपत्र एसआर 49ग में दावा अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) उपनियम (1) से (3) में प्रमाणित अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को इस रूप में मान लिया जायेगा मानो कि वे उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम, 1861 यथा उत्तराखण्ड में लागू की धारा 23 में सम्मिलित हो और तत्सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लंघन के परिणाम वहीं होंगे जो उक्त विधि में परिकल्पित है।

205ख **यान की निर्मुक्ति के विरूद्ध प्रतिषेध (1)** किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी या उससे वरिष्ठ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि कोई निर्मुक्ति आदेश अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है।

(2) किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा नियम 205क के उपनियम (1) से (3) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है और यथास्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, मार्ग परमिट, उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से सत्यापित प्रतियों और दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले चालक की चालन अनुज्ञप्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

(3) कोई भी न्यायालय दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण बनी किसी भी यान को अवमुक्त नहीं करेगा यदि ऐसे यान के पास तीसरे पक्ष की जोखिम उठाने की बीमा पालिसी नहीं है जब तक कि प्रतिकर के भुगतान के लिये न्यायालय के समाधान के अनुसार यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी पर्याप्त प्रतिभूति जमा न कर दें जिससे ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दावे के मामलें में भुगतान किया जा सके।

(4) जहां यान से सम्बन्धित बीमा पालिसी में तीसरे पक्ष के लिये जोखिम समावेशित नहीं है या जब यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी उपनियम (3) के अधीन पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहा है या स्वामी द्वारा प्रस्तुत बीमा पालिसी जाली/नकली पाया जाता है तो यान अधिकारिता विषयक वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में और अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान जब्त किये जाने से छः मास की समाप्ति पर बेचा जायेगा और उसके आगम को प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता वाले दावा अधिकरण में दावे के मामलें में दिये जाने वाले प्रतिकर का समाधान करने के लिये जमा किया जायेगा।

205ग रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकरी का कर्तव्य (1) मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, चालन अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकरण का सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र और पूर्ण ब्यौरो के साथ अन्य दस्तावेजों और दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुये यान के चालक का चालन अनुज्ञप्ति का रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जब अधिकरण द्वारा निर्देशित हो या बीमा कम्पनी द्वारा कहा गया हो।

(2) मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना से जो प्रतिकर के लिये याचिका दाखिल किया है या दाखिल करना चाहता है या यथास्थिति मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुये हो उपलब्ध करायेगा।

नियम 206 का संशोधन 22 मूल नियमावली के नियम 206 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ** 2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
206 प्रतिकर के लिये आवेदन (1) धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन यथासम्भव यदि	**206 प्रतिकर के लिये आवेदन (1)** धारा 166 के अधीन दिया गया प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन यथासम्भव यदि प्रतिकर का दावा, धारा 163क के अधीन के

प्रतिकर का दावा, धारा 163क के अधीन अन्यथा किया जाता है तो प्रारूप एसआर 50 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा 163क के अधीन दिया जाता है तो प्रारूप एसआर 51 में दिया जायेगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रूपये की फीस होगी; परन्तु यह कि धारा 163क के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिये कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।	अन्यथा किया जाता है तो प्रारूप एसआर 50 में और यदि प्रतिकर का दावा धारा 163क के अधीन किया जाता है तो प्रारूप एसआर 51 में दिया जायेगा और उसके साथ न्यायालय स्टाम्प फीस के रूप में दस रूपये की फीस होगी। परन्तु यह कि धारा 163क के अधीन प्रतिकर के दावे का पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण होगा और दावेदार अधिनियम के अधीन दावे के लिये कोई अन्य आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन पत्रों पर पांच रूपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रूपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिये किया जायेगा।	(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1) में उल्लिखित सभी आवेदन पत्रों से भिन्न, सभी आवेदन पत्रों पर पांच रूपये का न्यायालय स्टाम्प शुल्क लगाया जायेगा। दस रूपये की आदेशिका फीस न्यायालय स्टाम्प शुल्क के रूप में होगी जिसका भुगतान प्रत्येक साक्ष्य या सम्बन्धित पक्ष के लिये किया जायेगा।
(3) इस नियम के अधीन आवेदन पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से निवारित	(3) इस नियम के अधीन आवेदन पत्र दावा अधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि पर्याप्त कारण से स्वयं उपस्थित होने से उसे निवारित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से

न किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र को या तो रजिस्टर्ड डाक से दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

दावा अधिकरण को भेजा जा सकता है या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) सबूत के लिये समस्त दस्तावेजों और शपथपत्रों एवं सभी तथ्यों जिस पर आवेदक अपने दावे के सन्दर्भ में निर्भर करता है, के समर्थन में शपथपत्रों, दस्तावेजों की एक सूची में प्रविष्ट करने के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु यह कि दावा अधिकरण किसी आवेदक को उसके दावे के समर्थन में किसी ऐसे दस्तावेज या शपथपत्रों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दे सकता है जो आवेदन के साथ दाखिल न किया गया हो, जब तक कि यह समाधान न हो जाय कि सद्भाव या पर्याप्त कारण से उसे ऐसे दस्तावेजों या शपथपत्रों को पूर्व में प्रस्तुत करने से रोका गया था।

(5) आवेदक चिकित्सा विधि परीक्षण रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में), बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी और नियम 205ग के अधीन अभिप्राप्त चालन अनुज्ञप्ति और नियम 205क के उपनियम (4) के अधीन अभिप्राप्त रिपोर्ट/सूचना की प्रतियां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के साथ दाखिल करेगा।

(6) आवेदक अपने काउंसेल द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अपना छायाचित्र प्रतिकर के लिये आवेदन पर चिपकायेगा और दावा अधिकरण

के समाधान के लिये उनके पहचान का सबूत भी दाखिल करेगा जब तक कि लिखित रूप में अभिलिखित कारणों के लिये ऐसा करने से छूट प्राप्त न हो।

(7) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का ड्राइवर अधिनियम की धारा 166 के अधीन दाखिल प्रतिकर के लिये आवेदन में आवश्यक पक्षकार होगा।

नियम 206क और नियम 206ख का बढाया जाना

23 मूल नियमावली में नियम 206 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

206क धारा 158 (6) के अधीन प्रस्तुत की गयी पुलिस रिपोर्ट

(1) नियम 205क के उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण उसका परिशीलन करेगा और धारा 166 की उपधारा (4) के अनुसार उचित और प्रभावी कार्यवाही के लिये आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अग्रतर सूचना या सामग्री मांग सकता है।

(2) दावा अधिकरण रिपोर्ट और अग्रतर सूचना/सामग्री यदि मांगी गयी हो, का परीक्षण करने के पश्चात उस पर दावा वाद पंजीकृत करेगा और तब सभी सम्बन्धित पक्षकारों को उपसंजाति होने के लिये ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें, यथास्थिति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का ड्राइवर, स्वामी और बीमाकर्ता सम्मिलित होंगे।

(3)सूचना की प्राप्ति पर, उपनियम (2) में उल्लिखित पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से उपसंजाति होने और घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी, यदि उसी वाद हेतुक के सम्बन्ध में कोई दावा वाद किया जा चुका हो या किया जा रहा हो और यदि ऐसा हो तो दावा वाद के रूप में मानी गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा ऐसे दावा वाद को संलग्न किया जायेगा।

(4)यदि घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उपनियम (3) में उपदर्शित की गयी रीति से उपनियम (2) के अधीन जारी की गयी सूचना की अनुक्रिया में उपस्थित नहीं होते है/होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसे कार्यवाहियों में किसी प्रतिकर के लिये उसका पालन करने में हितबद्ध नहीं थे और ऐसी उपधारणा पर वाद को बंद कर दिया जायेगा।

(5)जब तक दावा वाद के रूप में मानी गयी पुलिस रिपोर्ट स्वयं पक्षकारों द्वारा किये गये स्वतन्त्र दावा वाद से सम्बद्ध नहीं कर दी जाती है तब तक दावा अधिकरण यथास्थिति घायल व्यक्ति या

मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों और ऐसे व्यक्तियों, जो सूचना की अनुक्रिया में उपस्थित हुये हो, से प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन यदि उनके द्वारा दावा किया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(6) यदि दावा किये गये प्रतिकर के बारे में तथ्यो और उनके आधार का कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उसी रीति से अग्रतर आगे बढाया जायेगा जैसा कि दावा अधिकरण के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रतिकर के लिये सीधे दिये गये आवेदनों को निपटाने के लिये अपेक्षित होता है।

(7)यदि दावा किये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हो और तत्पश्चात प्रकट रूप से त्रुटि करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश नौ के उपबन्ध लागू होंगे।

206ख **बीमा कम्पनी के कर्तव्य** (1) बीमा कम्पनी, जिसने दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का बीमा किया है, यान के बीमा और बीमा पालिसी के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करेगी और अधिकरण के समक्ष दावा याचिका में लिखित कथन/आपत्ति के साथ बीमा पालिसी की अपेक्षित प्रतियों को भी दाखिल करेगी।

(2)बीमा कम्पनी ऐसे वादों में अधिनियम की धारा 140 के अधीन किसी त्रुटि दायित्व के सिद्धान्त पर अधिनिर्णय प्रतिकर के बराबर धनराशि अधिकरण में लिखित कथन के साथ जमा करेगी जहां बीमा पालिसी से आच्छादित मोटरयान वाद के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुयी हो।

(3)उपनियम (2) के अधीन जमा की गयी प्रतिकर की धनराशि का भुगतान अधिकरण द्वारा युक्तियुक्तपूर्वक अधिरोपित निबंधन और शर्तों पर दावेदार को अंतरिम प्रतिकर के रूप में मामले में अंतिम अधिनिर्णय के साथ समायोजन के अध्यधीन आंशिक या पूर्ण रूप में किया जा सकता है।

नियम 209 का संशोधन **24** मूल नियमावली के नियम 209 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ** 2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
209 सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस यदि आवेदन नियम 208 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो, तो दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के स्वामी और उसके	**209 सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस** (1) यदि आवेदन नियम 208 के अधीन खारिज न कर दिया गया हो तो, दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के स्वामी और उसके बीमाकर्ता को आवेदन की प्रति और प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के

बीमाकर्ता को आवेदन की प्रति के साथ ऐसे दिनांक को नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवायी करेगा और पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहें, प्रस्तुत करने के लिये कहेगा।	साथ ऐसे दिनांक को नोटिस भेजेगा जब वह आवेदन की सुनवायी करेगा। विरोधी पक्षकारों को किसी ऐसे साक्ष्य को जो वे प्रस्तुत करना चाहे, उस दिनांक को प्रस्तुत करने के लिये कहेगा।
	(2) प्रत्येक बीमा कम्पनी किसी प्राधिकारी सहित अपना एक काउंसेल नामनिर्दिष्ट करेगी जो जिला जज/अधिकरण को लिखित सूचना सहित बीमा कम्पनी की ओर से अधिकरण द्वारा दावा–याचिकाओं में जारी किये गये नोटिस को प्राप्त करेगा।
	परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त नामनिर्दिष्ट काउंसेल सम्बन्धित बीमा कम्पनी की ओर से दावा याचिका में अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को प्राप्त करेगा और उसके द्वारा नोटिस की अस्वीकृति को सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा नोटिस की अस्वीकृति के रूप में माना जायेगा।

नियम 209क का बढाया जाना **25** मूल नियमावली में नियम 209 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

209क बीमा कम्पनियों द्वारा बेबसाइटों का सृजन सभी बीमा कम्पनियां पूर्ण विवरण सहित अपने समस्त लम्बित दावा वादों की बेबसाइट सृजित करेगी। बेबसाइट में राज्य के जिलेवार पृथक–पृथक वाद अन्तर्दिष्ट होंगे, ताकि वादों की अनुकृति आदि की पहचान की जा सके।

नियम 210 का संशोधन **26** मूल नियमावली के नियम 210 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ** 2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
210 पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण	**210 पक्षकारों की उपस्थिति और उनका मौखिक परीक्षण** (1) मोटरयान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम

(1) मोटरयान का स्वामी और बीमाकर्ता, प्रथम सुनवायी पर या उसके पूर्व या उसके बाद ऐसे समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, आवेदन में उठाये गये दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख, का भाग होगा।	सुनवायी पर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, आवेदन में उठाये गये दावों के सम्बन्ध में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा कोई लिखित कथन अभिलेख का भाग होगा।
(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाय वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में के किसी विषय का स्पष्टीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्यवाही में ऐसा मैखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को, यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।	(2) जहां दावे का प्रतिवाद किया जाय वहां दावा अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद में से किसी विषय का विशदीकरण की दृष्टि से ऐसे पक्षकारों का दावे की कार्यवाही में ऐसा मौखिक परीक्षण कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो और परीक्षण के सार को यदि कोई हो, लेखबद्ध करेगा।
	(3) उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन को प्रस्तुत करने के लिये प्रथम सुनवाई का दिनांक मोटरयान के स्वामी/ड्राइवर और उसके बीमाकर्ता को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से एक माह से अधिक नहीं होगा और उसके लिये एक माह से अधिक का कोई अग्रतर समय नहीं दिया जायेगा। (4) विरोधी पक्षकार लिखित कथन, समस्त दस्तावेजों और उनके सबूत के लिये तथा ऐसे समस्त तथ्यों, जिनके आधार पर विरोधी पक्षकार दस्तावेजों की किसी सूची में सम्यक रूप से दर्ज अपनी प्रतिरक्षा के संदर्भ में निर्भर हो, के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत

करेंगे और वे इस प्रकार प्रस्तुत किये गये लिखित कथन, दस्तावेजों और शपथपत्रों की प्रतियां आवेदक को प्रदान करेंगे।

परन्तु यह कि अधिकरण प्रतिरक्षा के समर्थन में लिखित कथन के साथ प्रस्तुत न किये गये किसी दस्तावेज या शपथ पत्र पर विरोधी पक्षकार को निर्भर रहने की तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि समुचित या पर्याप्त कारणों से उसे ऐसे दस्तावेजों या शपथपत्र को पूर्व में प्रस्तुत करने से रोका गया था।

(5) प्रतिकर के लिये आवेदन का विनिश्चय जब दावे को किन्ही विरोधी पक्षकारों द्वारा अस्वीकृत न किया जाय/विरोध न किया जाय तब प्रतिकर के लिये आवेदन का विनिश्चय लिखित कथन प्रस्तुत करने के दिनांक को किया जायेगा।

नियम 210क का बढाया जाना **27**

मूल नियमावली में, नियम 210 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

210क लोक अदालत में परिनिर्धारण के लिये निर्देश (1) विरोधी पक्षकारों द्वारा उपस्थित होने और लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात दावा अधिकरण पारस्परिक परिनिर्धारण या प्रशमन के माध्यम से दावा याचिका के निस्तारण के लिये प्रयास करेगा और मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से परिनिर्धारण के लिये लोक अदालत को निर्दिष्ट कर सकता है;

परन्तु यह कि याचिका के पक्षकारों और उनके अभिकर्ताओं को दावा अधिकरण द्वारा किसी नियत दिनांक को लोक अदालत में उपस्थित होने और उसमें सहभागिता करने के लिये कहा जा सकता है।

(2) यदि परिनिर्धारण नहीं होता है तो उपनियम (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट वाद को लोक अदालत में दो माह से अधिक समय तक प्रतिधारित नहीं किया जायेगा और उसमें उपसंजत होने के दिनांक को नियत करने के पश्चात अधिकरण को वापस भेजा जा सकता है।

नियम **28**

मूल नियमावली के नियम 212 में नीचे स्तम्भ **1** में दिये गये

212 का संशोधन — वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
212 साक्षियों को सम्मन जारी करना (1) जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिये कोई आवेदन दिया जाय, वहां दावा अधिकरण, यदि वह इस विचार का न हो कि उसका उपस्थित होना मामलें के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक नहीं है, अन्तर्ग्रस्त व्ययों के, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी करेगा।	**212 साक्षियों को सम्मन जारी करना** (1) जहां किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही में साक्षियों को आहूत करने के लिये कोई आवेदन दिया जाय, वहां दावा अधिकरण, यदि वह इस विचार का न हो, कि उसका उपस्थित होना वाद के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक नहीं है, सम्बन्धित व्यय का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर ऐसे साक्षियों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी करेगा।
	(2) यदि दावा अधिकरण की राय में पक्षकार वित्तीय रूप से निर्धन हो तो वह साक्षियों को शमन करने में हुये व्ययों के भुगतान के लिये उस पर जोर नहीं दे सकता है और उसका वहन सरकार द्वारा किया जायेगा; परन्तु यह कि यदि पक्षकार दावा वाद में पूर्णतया या आंशिक रूप से सफल होता है तो इस प्रकार का उपगत व्ययों का भुगतान विरोधी पक्षकार द्वारा सरकार को करने के लिये निर्देश दिया जायेगा।

नया नियम 213क का बढाया जाना — 29 — मूल नियमावली में नियम 213 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

213क पत्रजातों के सम्बन्ध में उपधारणा नियम 205क, 205ख और 205ग के अधीन प्रस्तुत किये गये, और जारी किये गये रिपोर्टों, प्रमाणपत्रों और पत्रजातों को सही माना जायेगा और उनका वाचन तब तक साक्ष्य में बिना औपचारिक प्रमाण के किया जायेगा, जब तक वे अन्यथा साबित नहीं हो जाते है।

नियम 214 का संशोधन **30** उक्त नियमावली के नियम 214 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
214 साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि (1) दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी द्वारा अदालत के सामने दिये गये बयान (अभिसाक्ष्य) के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा और ऐसे ज्ञापन को दावा अधिकरण द्वारा लेखबद्ध और हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग बनेगा; परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जायेगा। परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करायेगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवायेगा।	**214 साक्ष्य अभिलिखित करने की विधि (1)** दावा अधिकरण किसी पक्षकार के परीक्षण या किसी साक्षी द्वारा अदालत के सामने दिये गये बयान (अभिसाक्ष्य) के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा और ऐसे ज्ञापन को दावा अधिकरण द्वारा लेखबद्ध और हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह अभिलेख का भाग बनेगा; परन्तु यह कि किसी चिकित्सा साक्ष्य को यथासम्भव शब्दशः लिखा जायेगा। परन्तु यह और कि जहां दावा अधिकरण कोई ज्ञापन बनाने में असमर्थ हो तो वह ऐसी असमर्थता के कारण को अभिलिखित करायेगा और अपने श्रुतिलेख से ज्ञापन बनवाये।
	(2) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा विधि रिपोर्टों, शव–परीक्षण रिपोर्टों और रिपोर्टों से सम्बन्धित पत्रजात जिन्हे दावा अधिकरण उचित समझे, तत्सम्बन्धी औपचारिक सबूत के बिना साक्ष्य में ग्राहय होंगे तथापि इन दस्तावेजों और पत्रजातों से सम्बन्धित साक्ष्य का परीक्षण शपथ पूर्वक किया जा सकता है यदि उक्त वाद की परिस्थितियों में आवश्यक रूप में अपेक्षित हो।

नियम 215 का संशोधन **31** मूल नियमावली नियम 215 में नीचे स्तम्भ **1** में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर, स्तम्भ **2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
215 स्थानीय निरीक्षण (1) दावा अधिकरण, अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस देने के पश्चात उस स्थल पर जहां दुर्घटना हुयी या कोई अन्य स्थान या वस्तु जो उसकी राय में वाद के उचित निर्णय के लिये देखना आवश्यक है, जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।	**215 स्थानीय निरीक्षण** (1) दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जांच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस देने के पश्चात उस स्थल पर जहां दुर्घटना घटित हुयी या कोई अन्य स्थान या वस्तु जो उसकी राय में वाद के उचित निर्णय के लिये देखना आवश्यक है जा सकता है और निरीक्षण कर सकता है।
(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।	(2) दावा अधिकरण द्वारा स्थानीय निरीक्षण के समय कार्यवाही का कोई पक्षकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात दावा अधिकरण यथाशक्य शीघ्र ऐसे निरीक्षण में पाये गये किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच का भाग होगा।	(3) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात दावा अधिकरण यथाशक्य शीघ्र ऐसे निरीक्षण में पाये गये किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अभिलिखित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा।
	(4) दावा अधिकरण इस नियम के अधीन या अपने समक्ष लम्बित वाद के किसी अन्य प्रक्रम में स्थानीय निरीक्षण के दौरान ऐसे वाद से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने में सम्भावित रूप से समर्थ किसी व्यक्ति से संक्षिप्त रूप से पूछताछ कर सकता है। चाहे उक्त वाद में ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया गया हो अथवा नहीं और चाहे कोई पक्ष का उपस्थित हो अथवा नहीं।

नियम 222क और नियम 222ख का बढाया जाना	**32**	मूल नियमावली में नियम 222 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

222क प्रतिकर का अवधारण (1) समस्त दावा वादों में प्रतिकर स्वरूप संदेय आय की क्षति के अवधारण के लिये गुणक का उपयोग अधिनियम, में उपबंधित द्वितीय अनुसूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) किसी मृतक के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों की कटौती निम्नानुसार होगी–

(एक) किसी अविवाहित मृतक के वैयक्तिक व्ययों के निमित्त कटौती 50 प्रतिशत होगी, जहां किसी अविवाहित का परिवार बडा हो और मृतक की आय पर निर्भर हो, वहां कटौती 1/3 (33.33 प्रतिशत) होगी।

(दो) किसी विवाहित मृतक व्यक्ति के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों के निमित्त कटौती एक तिहाई होगी, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या दो से तीन तक हो, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार से छः तक हो, वहां 1/4 होगी और जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छः से अधिक हो, वहां 1/5 होगी।

(तीन) खण्ड (दो) में परिवार के सदस्यों की संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ अवयस्क आश्रित की गणना अर्द्ध व्यक्ति के रूप में की जायेगी।

(3) किसी मृतक की संभावित प्रत्याशाओं को, मृतक की वास्तविक वेतन या न्यूनतम मजदूरी में निम्नानुसार जोड दिया जायेगा–

(एक) 40 वर्ष की आयु से कम; वेतन का 50 प्रतिशत

(दो) 40–50 वर्ष की आयु के मध्य; वेतन का 30 प्रतिशत

(तीन) 50 वर्ष की आयु से अधिक; वेतन का 20 प्रतिशत

(चार) जब मजदूरी पर्याप्त रूप में प्रमाणित न हो; मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक के साथ पचास प्रतिशत

(4) गैर आर्थिक नुकसान प्रतिकर में निम्नानुसार संदेय होंगे–

(एक) सम्पदा की क्षति के लिये प्रतिकर;	रू0 5000 से रू0 10,000 तक
(दो) संगठन की क्षति के लिये प्रतिकर	रू0 5000 से रू0 10000 तक
(तीन) प्रेम और स्नेह की क्षति के लिये प्रतिकर	रू0 5000 से रू0 15000 तक
(चार) अंत्येष्टि व्यय, शव परिवहन लागत	रू0 5000 या वास्तविक व्यय जो कम हो।
(पांच) चिकित्सा व्यय	दावा अधिकरण के समाधान हेतु प्रमाणित वास्तविक

व्यय।

(5) चोटों, आंशिक अथवा स्थायी निःशक्तता के वादों में प्रतिकर के निर्धारण के लिये अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

परन्तु यह कि निःशक्त दावेदारों के भविष्य पर निःशक्तता की प्रकृति, सीमा और उसके प्रभाव पर आधारित स्थायी निःशक्तता की स्थिति में दावा अधिकरण उपनियम (3) के अनुसार भावी प्रत्याशाओं के लिये प्रतिकर भी अधिनिर्णीत कर सकता है।

(6) भविष्य तक ब्याज दर का वास्तविक भुगतान किये जाने तक 7 प्रतिशत विचाराधीन रहेगा।

222ख दावेदारों का ब्याज सुनिश्चित करना (1) जहां दावा अधिकरण में जमा की गयी कोई एकमुश्त प्रतिकर की धनराशि विधिक रूप से निःशक्त किसी महिला या किसी व्यक्ति की संदेय हो, वहां ऐसी महिला की प्रसुविधा के लिये या निःशक्तता के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से जैसा कि दावा अधिकरण, घायल के या मृतक के उत्तराधिकारी की भलाई का प्राविधान करने के लिये सर्वोत्तम रूप से उचित समझे, ऐसी धनराशि का विनिधान एवं उपयोग किया जा सकता है या उसे अन्यथा इसे व्यवहरित किया जा सकता है।

(2) जहां इस निमित्त या अन्यथा दावा अधिकरण को किये गये आवेदन पर दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि माता पिता की ओर से बालकों की उपेक्षा के कारण या किसी आश्रित की परिस्थितियों की भिन्नता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में या उस रीति के सम्बन्ध में जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय किसी धनराशि का विनिधान एवं उपयोग किया जाना हो, या उसे अन्यथा व्यवहरित किया जाना हो, दावा अधिकरण के किसी आदेश में भिन्नता की जानी हो, वहां दावा अधिकरण पूर्ववर्ती आदेश की भिन्नता के लिये ऐसे अग्रतर आदेश कर सकता है जैसा कि वह वाद की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

(3) दावा अधिकरण अवयस्क के मामलें में यह आदेश दे सकता है कि ऐसे अवयस्क को अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि का विनिधान ऐसे अवयस्क के वयस्क होने तक सावधि जमा में किया जायेगा संरक्षक या उसके अगले मित्र द्वारा उपगत व्ययों का प्रत्याहरण ऐसे संरक्षक या उसके अगले मित्र द्वारा ऐसे जमा से उसे जमा किये जाने के पूर्व करने की अनुमति दी जा सकती है;

परन्तु यह कि अवयस्क की शिक्षा, भरण पोषण और उसके विकास के लिये दावा अधिकरण की अनुज्ञा से ऐसी जमा पर संदेय ब्याज का उपयोग करने की अनुमति की जा सकती है।

(4) दावा अधिकरण, निरक्षर दावेदारों के मामलों में यह आदेश देगा कि अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि का विनिधान न्यूनतम तीन वर्ष

की अवधि तक के लिये सावधि जमा में किया जाय, किन्तु यदि दावेदार की आय में वृद्धि करने के लिये कोई धनराशि किसी चल या अचल सम्पत्ति के क्रय को प्रभावी करने के लिये अपेक्षित हो तो दावा अधिकरण इस बात के संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि उक्त धनराशि वस्तुतः उक्त प्रयोजनार्थ व्यय की जायेगी और उक्त मांग धनराशि को प्रत्याहरित करने की चाल न हो, ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा।

(5) दावा अधिकरण अर्द्ध साक्षर व्यक्ति के मामलें में उपनियम (4) में दी गयी अधिनिर्णीत धनराशि को जमा करने की प्रक्रिया को तब तक अपनायेगा जब तक लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि धनराशि की पूर्ण या आंशिक धनराशि किसी विद्यमान कारबार के विस्तार के लिये या उपनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट और उल्लिखित किसी सम्पत्ति के क्रय के लिये अपेक्षित हो, ऐसे वाद में दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त धनराशि का विनिधान इस प्रयोजन के लिये किया जाय जिसके लिये इसका अनुरोध और संदाय किया गया हो।

(6) यदि आयु, आर्थिक पृष्ठभूमि और सोसाइटी, जिससे दावेदार सम्बन्धित हो, की स्थिति और ऐसे अन्य प्रतिफल को दृष्टिगत रखते हुये दावा अधिकरण दावेदार के वृहत्तर हित में और अधिनिर्णीत प्रतिकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आदेश देना आवश्यक समझता है तो दावा अधिकरण, साक्षर व्यक्तियों के मामलें में उपनियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णीत धनराशि को जमा करने की प्रक्रिया को भी अपनायेगा।

(7) दावा अधिकरण, वैयक्तिक क्षति के मामलों में यदि अग्रतर उपचार आवश्यक हो तो इस बात से संतुष्ट हो जाने पर जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी धनराशि जैसा कि ऐसे उपचार के व्ययों के लिये आवश्यक हो, के प्रत्याहरण की अनुज्ञा दे सकता है।

(8) दावा अधिकरण, धनराशि के विनिधान के मामलें में दावेदार को नियतकालिक आय स्वरूप अधिकतम प्रत्यावर्तन को दृष्टिगत रखते हुये राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो उच्चतर ब्याज दर प्रदान करता हो, को जमा कर सकता है।

(9) दावा अधिकरण, धनराशि का विनिधान करने में यह निदेश देगा कि जमा पर ब्याज का भुगतान दावा अधिकरण को प्रज्ञापित करके जमाधारक संस्था द्वारा सीधे दावेदारों या अवयस्क दावेदारों के संरक्षक को किया जाय।

नियम 229 का संशोधन 33 उक्त नियमावली के नियम 229 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

229— **परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां—** (1) निम्नलिखित स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ—2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्र0 सं0	अधिकारी	धारा
1	परिवहन आयुक्त,	114 (1), 130(2), 130(3), 136, 203, 206, 207और 213(5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	परिवहन कर अधिकारी—1	114(1) और 130
9	परिवहन कर अधिकारी—2	114(1) 206
10	परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी जो परिवहन कर अधिकारी—2 से निम्न श्रेणी का न हो	114(1) 206

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र एस0आर0—52 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

(3) निम्नलिखित स्तम्भ—दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

229— **परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां—** (1) निम्नलिखित स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ—2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगेः—

क्र0 सं0	अधिकारी	धारा
1	परिवहन आयुक्त,	114 (1), 130(2), 130(3), 136, 203, 206, 207 और 213(5)।
2	अपर परिवहन आयुक्त	तदैव
3	उप परिवहन आयुक्त	तदैव
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,	तदैव
5	सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	तदैव
8	परिवहन कर अधिकारी—1	तदैव
9	परिवहन कर अधिकारी—2	114(1), 130(2), 130(3), 206 और 207
10	परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी जो परिवहन कर अधिकारी—2 से निम्न श्रेणी का न हो	तदैव

(2) उपनियम (1) के स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अपने साथ प्रपत्र एस0आर0—52 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

(3) निम्नलिखित स्तम्भ—दो में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ—3 में उनके सामने

उल्लिखित है –

स्तम्भ–3 में उनके सामने उल्लिखित है –

क्र0 सं0	अधिकारी	वर्दी
(1)	सहायक सम्भागीय–परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(2)	परिवहन कर अधिकारी–1 या परिवहन आयुक्त द्वारा इसे निमित्त प्राधिकृत परिवहन विभाग का कार्मिक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला कालर) पुलिस पैटर्न का पैजामा, के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच) सिल्वर प्लेटेड बटन, (छः) काले जूते (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टारहल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

क्र0 सं0	अधिकारी	वर्दी
(1)	सहायक सम्भागीय–परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर 2.5 से0मी0 व्यास का सिल्वर प्लेटेड अशोक चक्र, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(2)	परिवहन कर अधिकारी–1	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) उत्तराखण्ड. परिवहन मोनोग्राम के साथ कंधे पर बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ की पुलिस पैटर्न की गहरे भूरे रंग की क्रॉस बेल्ट, (छः) कंधों की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(3)	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड, आधा लाल और आधा काला, सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(3)	परिवहन कर अधिकारी–2 या परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत परिवहन विभाग का कार्मिक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला कालर) पुलिस पैटर्न का पैजामा, के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच) सिल्वर प्लेटेड बटन, (छः) काले जूते (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टारहल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे, (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
(4)	मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकीकमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) आधा काला, आधा लाल समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लेटेड दो स्टार, (सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(4)	ज्येष्ठ मोटर यान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड, आधा लाल और आधा काला, सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
			(5)	मोटरयान निरीक्षक	(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज या बैरेट टोपी, (दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (तीन) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(छः) आधा काला, आधा लाल समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लेटेड दो स्टार,
(सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य),
(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(6) प्रवर्तन चालक

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।
(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,
(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।
(छः) काले जूते
(सात) काले मोजे
(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,
(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।
(दो) काले ऊनी मोजे।
(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(7) **प्रवर्तन पर्यवेक्षक**

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।
(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,
(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,
(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,
(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।
(छः) काले जूते
(सात) काले मोजे
(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(दस) दांयी बांह पर वी सेप में तीन सफेद पट्टियां।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।

(दो) काले ऊनी मोजे।

(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

(8) **प्रवर्तन सिपाही**

क– ग्रीष्मकालीन वर्दी

(एक) उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम के साथ गहरे नीले रंग की वी टोपी जो सामने की ओर लाल रंग की होगी।

(दो) नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी होगी,

(तीन) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पैजामा,

(चार) कंधों पर उत्तराखण्ड परिवहन मोनोग्राम का बैज,

(पांच) कंधे पर नीले रंग की पट्टी।

(छः) काले जूते

(सात) काले मोजे

(आठ) मोनोग्राम सहित सिल्वर फिटिंग के साथ काले रंग की पुलिस पैटर्न की पेटी,

(नौ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

ख– शीतकालीन वर्दी

(एक) पूरी बांह की अंगोला कमीज।

(दो) काले ऊनी मोजे।

(तीन) खाकी जैकेट।

टिप्पणी–टोपी, सीटी, कंधे का बैज, पेटी, नाम व पदनाम का बैज ग्रीष्मकालीन वर्दी के अनुसार होगा।

प्रथम अनुसूची का संशोधन **34** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी वर्तमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान अनुसूची** **खनियम 41(6) देखिये,** **अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर**		**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची** **खनियम 42(6) देखिये,** **अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवंटित अक्षर**	
जिले का नाम	**आवंटित अक्षर**	**जिला/क्षेत्र का नाम**	**आवंटित अक्षर**
अल्मोडा	यू0के0ए0	अल्मोडा	यू0के0ए0

नैनीताल	यू0के0डी0	नैनीताल	यू0के0डी0
बागेश्वर	यू0के0बी0	बागेश्वर	यू0के0बी0
पिथौरागढ	यू0के0ई0	पिथौरागढ	यू0के0ई0
चमोली	यू0के0के	चमोली	यू0के0के
रूद्रप्रयाग	यू0के0एम0	रूद्रप्रयाग	यू0के0एम0
चम्पावत	यू0के0सी0	चम्पावत	यू0के0सी0
टिहरी गढवाल	यू0के0आई0	टिहरी गढवाल	यू0के0आई0
देहरादून	यू0के0जी0	देहरादून	यू0के0जी0
उत्तरकाशी	यू0के0जे0	उत्तरकाशी	यू0के0जे0
गढवाल	यू0के0एल0	गढवाल	यू0के0एल0
उधमसिंहनगर	यू0के0एफ0	उधमसिंहनगर	यू0के0एफ0
हरिद्वार	यू0के0एच0	हरिद्वार	यू0के0एच0
ऋषिकेश	यू0के0आर0	ऋषिकेश	यू0के0आर0
कोटद्वार	यू0के0एन0	कोटद्वार	यू0के0एन0
		विकासनगर	यू0के0ओ0
		रूडकी	यू0के0पी0
		काशीपुर	यू0के0क्यू0

द्वितीय अनुसूची का संशोधन **35** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी वर्तमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात–

स्तम्भ 1 **वर्तमान अनुसूची** **खनियम 52(2)(दो) देखिये,** **आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें**		**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची** **खनियम 52(2)(दो) देखिये,** **आनलाईन नीलामी हेतु अति आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्यायें**
क्र0 सं0	**रजिस्ट्रीकरण संख्या**	**रजिस्ट्रीकरण संख्या**
1	**0001 एवं 0786**	**0001 से 0009 तक, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0101, 0777, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7000, 7777, 8888, 9000, 9999**
2	**0002 से 0009**	
3	**0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099**	
4	**0100, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900,**	

0909, 0999, 1000, 1001,
1010, 1111, 1212, 1234,
1313, 1414, 1515, 1616,
1717, 1818, 1919, 2000,
2020, 2121, 2222, 2323,
2345, 2424, 2525, 2626,
2727, 2828, 2929, 3000,
3030, 3131, 3232, 3333,
3434, 3456, 3535, 3636,
3737, 3838, 3939, 4000,
4040, 4141, 4242, 4343,
4444, 4545, 4567, 4646,
4747, 4848, 4949, 5000,
5050, 5151, 5252, 5353,
5454, 5555, 5656, 5678,
5757, 5858, 5959, 6000,
6060, 6161, 6262, 6363,
6464, 6565, 6666, 6767,
6789, 6868, 6969, 7000,
7070, 7171, 7272, 7373,
7474, 7575, 7676, 7777,
7878, 7979, 8000, 8181,
8282, 8383, 8484, 8585,
8686, 8787, 8888, 8989,
9000, 9090, 9191, 9292,
9393, 9494, 9595, 9696,
9797, 9898, 9999

5 उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य वांछित संख्या

प्रपत्र एसआर 43क से एसआर 43ड. तक बढाया जाना	**36**	मूल नियमावली में प्रपत्र एसआर 43 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र एसआर 43क

[नियम 125ख(दो) देखिये]

निष्पादन प्रत्याभूति के लिये बैंक प्रत्याभूति

(आसंजक स्टाम्प युक्त बैंक के लेटर हेड पर)

सेवा में

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

सभी व्यक्तियों को विदित हो कि इस लेख द्वारा .... (बैंक का नाम और पता), जिसका पंजीकृत कार्यालय..............................पर स्थित है, (जिसे एतद्पश्चात ''बैंक'' कहा गया है, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड जिसे एतद्पश्चात ''नियामक'' कहा गया है, को रू0..................के) (रू0.. लाख मात्र) की रकम के लिये आबद्ध है, जिसका भुगतान उक्त नियामक को वास्तविक रूप में किया जायेगा। इस लेख द्वारा बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों और अभ्यार्पितियों को आबद्ध करता है।

चूंकि रेडियो टैक्सी परमिट के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा......... ....(प्रचालक का नाम) (जिसे एतद्पश्चात ''प्रचालक'' कहा गया है) को आशय पत्र संख्या..............................दिनांक.........................जारी किया जा चुका है और चूंकि प्रचालक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में रूपये.. ....लाख (रूपये...........................लाख मात्र) की धनराशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और चूंकि............................(बैंक का नाम) ने प्रचालक के अनुरोध पर इस प्रत्याभूति, जो एतद्पश्चात अन्तर्विष्ट है, को बिना आपत्ति के देने के लिये सहमति दे दी है।

2— हम और भी निम्न प्रकार सहमत है—

(क) यह कि एतदपूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति पर हमारे बैंक के गठन में या प्रचालक के गठन में किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) यह कि नियामक और प्रचालक के मध्य परिनिर्धारित कोई लेखा इसके अधीन हमारे विरूद्ध देय धनराशि का निर्णायक साक्ष्य होगा और उस सम्बन्ध में हमारे द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा।

(ग) यह कि यह प्रत्याभूति यहां पर पूर्व में दी गयी दिनांक से प्रारम्भ होती है और पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी जो पांच वर्ष तक और बढायी जा सकती है।

(घ) यह कि इसमें प्रयुक्त शब्द ''प्रचालक'' और ''बैंक'' के अन्तर्गत जब तक कि ऐसा निर्वचन विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती भी होंगे।

3— इस बन्धन की शर्तें निम्नवत है—

(एक) यदि प्रचालक मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रेडियो टैक्सी लाने में विफल रहता है या उससे इन्कार करता है।

(दो) यदि प्रचालक रेडियो टैक्सी योजना के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है।

हम वचन देते है नियामक, देहरादून, उत्तराखण्ड को उनके प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर उपर्युक्त धनराशि तत्काल प्रदान करेंगे, जिसमें नियामक अपनी मांग सिद्ध नहीं करेगा परन्तु यह कि नियामक अपनी मांग में घटित

शर्त या शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुये यह उल्लिखित करेगा कि उसके द्वारा दावाकृत धनराशि ऊपर (एक) एवं (दो) में उल्लिखित किसी एक या अधिक शर्तों के घटित होने के कारण उसे देय है।

साक्षी के हस्ताक्षर.......................... बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर
साक्षी का नाम................................. बैंक के पदाधिकारी का नाम....................
.
साक्षी का पता................................. पदनाम..
.

बैंक की स्टाम्प/मुहर

प्रपत्र एसआर 43ख

[नियम 125ड.(1) देखिये]

रेडियो टैक्सी के लिये आशय पत्र /परमिट की स्वीकृति या निर्गमन या नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, रेडियो टैक्सी के परमिट के लिये एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते है।

1	पूरा नाम–	....
2	पिता/पति का नाम किसी व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में यथास्थिति सचिव या प्रबन्ध निदेशक का नाम–	....
3	आवेदक की प्रास्थिति, (चाहे व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समिति हो या कम्पनी आदि हो)	....
4	पूरा पता	
	(एक) स्थायी	....
	(दो) वर्तमान	....
	(व्यक्ति की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण की संतोषानुसार राशन कार्ड, विधुत बिल या	....

	किसी अन्य वैध दस्तावेजी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति सबूत के रूप में संलग्न करें)	
5	(एक) वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (दो) माडल (तीन) चेसिस संख्या (चार) इंजन संख्या (पांच) वाहन का वर्ग (छः) ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या (सात) वित्तपोषक का नाम यदि कोई हो जिसके साथ वाहन किराया क्रय करार के अधीन है।	....
6	मार्ग / क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है	....
7	क्या विनिर्दिष्टियां रेडियो टैक्सी के अनुसार पूर्ण है	....
8	क्या किराया मीटर में जीपीएस / जीपीएसआर लगा है	....
9	(क) परिवहन व्यवसाय के प्रबन्ध का अनुभव (ख) आवेदक के नाम से उपलब्ध रेडियो टैक्सी की संख्या(सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की	 ....

	प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित)	
10	परमिट का विवरण यदि पहले से धारित है	....
11	(क) स्थान जहां आवेदक का मुख्य कार्यालय है तथा उसका विस्तृत पता	....
	(ख) स्थान जहां आवेदक की शाखा कार्यालय है और उसका विस्तृत पता	....
	(ग) प्रत्येक शाखा कार्यालय में रखे जाने वाले रेडियो टैक्सी की संख्या	....
12	आवेदक के वित्तीय संसाधन की प्रकृति एवं सीमा	....
13	क्या आवेदक ने निष्पादन प्रत्याभूति के लिये बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है (यदि हां तो उसका विवरण दें)	....
14	क्या रेडियो टैक्सी योजना के अधीन व्यवसाय करने से सम्बन्धित शर्तें प्रचालक को ज्ञात है?	....
15	क्या आशय पत्र निर्गत होने के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर लाये जाने वाले रेडियो टैक्सी से सम्बन्धित प्रवेश समय सारणी को प्रचालक ने प्रस्तुत कर दिया है? (यदि हां तो प्रपत्र संलग्न करें)	....

16 विहित फीस जमा ....
करने का विवरण

17 मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिये गये विवरण सत्य एवं सही है।

अतएव मैं/हम वाहन प्रवेश समय सारणी के अनुसार आशय पत्र निर्गत करने का अनुरोध करता हूं/करते है ताकि परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन के लिये वाहनों का प्रबन्ध किया जा सके।

नोट जो लागू न हो काट दें

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एसआर 43ग
[नियम 125च(1) देखिये]
परिवहन विभाग उत्तराखण्ड
आशय पत्र

संख्या..दिनांक...
..सेवा में,

श्री/श्रीमती.....................................

....

....

रेडियो टैक्सी क्रय करने/इनकी व्यवस्था करने हेतु आशय पत्र प्रदान करने से सम्बन्धित आपके आवेदन पत्र, दिनांक.............................के संदर्भ में निम्न प्रवेश समय सारणी के अनुसार वाहन लाये जाने के लिये आशय पत्र निर्गत किया जा रहा है–

....
....
....

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अनुमोदित प्रवेश समय सारणी के अनुसार रेडियो टैक्सियां लाने में असफल रहने की दशा में निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में दिये गये बैंक प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकता है।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

प्रपत्र एसआर 43घ
[नियम 125च (4) देखिये]
रेडियो टैक्सी के लिये परमिट

परमिट संख्या

1–	प्रचालक का नाम	....
2–	पिता/पति का नाम	....
	व्यक्ति की दशा में और सहकारी समिति या कम्पनी की दशा में यथास्थिति उसके सचिव या प्रबन्ध निदेशक का नाम–	....
3	पता	....
4	व्यवसाय का मुख्य स्थान	....
5	(एक) वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	....
	(दो) माडल.	....
	(तीन) चेसिस संख्या	....
	(चार) इंजन संख्या	....
	(पांच) वाहन का वर्ग	....
	(छः) ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या	....
	(सात) वित्तपोषक का नाम यदि कोई हो जिसके साथ वाहन किराया क्रय करार के अधीन है।	
6	मार्ग/क्षेत्र जिसके लिये परमिट वैध है	....
7	परमिट निर्गत करने का दिनांक	....
8	परमिट के अवसान का दिनांक	....
9	यान के प्रतिस्थापन का दिनांक	....
10	रेडियो टैक्सी के रूप में विशिष्टतायें पूर्ण है	....
11	ले जाये जाने वाले माल की प्रकृति	....
12	परमिट की शर्तें संलग्न है	....

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

नवीकरण

दिनांक..............................से.....................................तक नवीकरण किया गया।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

प्रपत्र एसआर 43ङ.
[नियम 125छ(1)(घ) देखिये]
शिकायत–पुस्तिका
(क्रमांकित पृष्ठों के साथ तीन प्रतियों में)

1	शिकायतकर्ता का नाम	....
2	पूरा पता	....
3	प्रचालक का नाम एवं पता	....
4	परमिट संख्या एवं परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकारी	....
5	वाहन को किराये पर लेने का दिनांक एवं समय और दिनांक और समय जब वाहन वापस आयी	....
6	वाहन संख्या	....
7	शिकायत संक्षेप में	....

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि

1– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को रजिस्टर्ड डाक से.....(द्वितीय प्रति)

2– शिकायतकर्ता...(तृतीय प्रति)

प्रपत्र एसआर 49क से एसआर 49ग तक बढाया जाना **38** मूल नियमावली में प्रपत्र एसआर 49 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र एसआर 49क

(नियम 169(4) (पांच) देखिये)

प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र में नियुक्त आपरेटर का ब्यौरा/नमूना हस्ताक्षर

दिनांक...........................

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
(प्राविधिक अनुभाग)
परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

यहां पर प्रस्तावित आपरेटर का पासपोर्ट साइज फोटो जो प्राधिकृत जांच एजेन्सी के स्वामी द्वारा प्रमाणित हो चिपकायें

महोदय,

श्री...(नाम) पुत्र श्री.................................. (नाम/पता) हमारे प्राधिकृत एजेन्सी..(नाम) में दिनांक..............................से सेवायोजित है। अनुरोध है हमारी प्राधिकृत एजेन्सी में प्रदूषण जांच करने और ''प्रदूषण नियंत्रण में है

प्रमाणपत्र'' जारी करने हेतु उसे प्राधिकृत आपरेटर के रूप में अनुमोदन प्रदान करें। इस प्रसंग (ब्वदजमगज) में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है–

1– प्राधिकृत एजेन्सी का प्राधिकार पत्र संख्या व दिनांक...
2– प्रस्तावित आपरेटर का नाम..
3– प्रस्तावित आपरेटर की तकनीकी योग्यतायें...
4– प्रस्तावित आपरेटर के नमूना हस्ताक्षर...
5– प्राधिकृत एजेन्सी स्वामी द्वारा नमूना हस्ताक्षर प्रमाणित...
6– प्राधिकृत एजेन्सी में कार्यरत अन्य आपरेटर के नाम–
7– यदि पहले के किसी आपरेटर ने नौकरी छोड दी हो तो उसका ब्यौरा दें–
(एक) पहले के आपरेटर का नाम..
(दो) नौकरी छोडने का दिनांक...
8– (एक) प्रदूषण जांच संयंत्र का प्रकार...
(दो) निर्माता/व्यवसायी के साथ ए0एम0सी0 दिनांक.............................. तक वैध है।
(तीन) संयंत्र की योग्यता दिनांक..............................तक वैध है।

....
....

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

भवदीय

प्राधिकृत एजेन्सी के
स्वामी का हस्ताक्षर

<u>संलग्नक</u>

1– स्वामी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित आपरेटर की तकनीकी योग्यतायें।
2– सम्बन्धित जांच संयंत्र के लिये निर्माता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मूल रूप में।
3– प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाणित आपरेटर की दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

प्रपत्र एसआर 49ख

[नियम 169क(1) देखिये]

(प्राधिकार पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और दूसरी प्रति के लिये आवेदन पत्र)

सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मैं/हम प्रतिष्ठान का नाम/पता................................स्वामी/स्वामियों के नाम.............
....................एतदद्वारा सूचित करता हूं/करते है कि मुझे/हमें परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक......................को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये जारी प्राधिकार पत्र संख्या. ....निम्नलिखित परिस्थितियों में दिनांक.................को खो गया है/नष्ट हो गया है–

....

....

2– मैं/हम एतदद्वारा प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति के लिये आवेदन करता हूं/करते है।

3– मैने/हमने विहित फीस......................रूपये रसीद संख्या....................दिनांक............. द्वारा भुगतान कर दिया है।

भवदीय,

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर
पता..............................

प्रपत्र एसआर 49ग
[नियम 205(क)(4) देखिये]
अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

सेवा में,

....

....

महोदय,

दुर्घटना के सम्बन्ध में अपेक्षित रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की जाती है–

1– पुलिस थाना का नामः..
2– वाद अपराध संख्या/यातायात दुर्घटना रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)
3– दुर्घटना का दिनांक, समय और स्थानः..
4– घायल/मृतक का नाम और पूर्ण पताः...
5– उस चिकित्सालय का नाम जहां से वह अपसारित किया था/की गयी थीः (एक्स रे रिपोर्ट, चिकित्सा विधि रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जाय)...
6– यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या और यान का प्रकारः.. (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)
7– ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न की जाय):.
   (क) ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और समाप्ति का दिनांकः.................................
   (ख) ड्राइवर का नाम और पताः...
   (ग) जारीकर्ता प्राधिकारी का पताः...
   (घ) बैच संख्या (सार्वजनिक सेवायान के मामलें में):..

8– दुर्घटना के समय यान के स्वामी का नाम और पताः...

9– ऐसे बीमा कम्पनी का नाम और पता जिसमें यान का बीमा किया था और उक्त बीमा कम्पनी के मंडल कार्यालय का विवरणः...
(आवरण टिप्पणी की प्रतिलिपि/बीमा पालिसी का प्रमाण पत्र/रसीद संलग्न की जाय)..

10– बीमा पालिसी/बीमा प्रमाण पत्र की संख्या और बीमा पालिसी/बीमा प्रमाण पत्र की विधिमान्यता का दिनांकः...
..

11– यान के रजिस्ट्रीकरण का विवरण (यान का प्रकार):
(क) रजिस्ट्रीकरण संख्याः..
(ख) इंजन संख्याः...
(ग) चेसिस संख्याः...

12– मार्ग परमिट का विवरणः..
(प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

13– ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पालिसी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और परमिट आदि के सत्यापन के सम्बन्ध में रिपोर्टः..
..
(दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

14– दुर्घटना के समय पर पाये गये या उपस्थित साक्षीगण के नाम और पतेः..................
..

15– की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, और उसका परिणाम (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाय):...

संलग्नः (विवरण दीजिए)

दिनांक .... थानाध्यक्ष/अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी
पुलिस थाना..

यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट की विषयवस्तु पुलिस थाना द्वारा की गयी जांच के अनुसार सत्य है।

थानाध्यक्ष...
पुलिस थाना.......................................

आज्ञा से

सी0एस0 नपलच्याल
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

मैनुअल संख्या–5

******

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।

खण्ड–1

मोटरयान अधिनियम, 1988

खण्ड–2

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989

खण्ड–3

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें

खण्ड–4

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011

(मई, 2018 तक संशोधित)

खण्ड–5

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम/नियमावली, 2003, उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 एवं सेवा नियमावलियाँ।

[1]उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003

(2उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12, वर्ष 2003)

राज्य में मोटरयानों पर आरोपित करों में सुधार करने के लियेः–

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अधिनियम

संक्षप्ति नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम [3]उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में :–

(क) [4] [निकाल दिया गया]

(ख) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, [5]उत्तराखण्ड या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र'' का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र से है कि मोटरयान को मोटरयान अधिनियम 1988, या मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबंधो के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

(घ) ''माल वाहन'' का तात्पर्य किसी ऐसे मोटरयान से है जो माल ढोने के लिये पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिय निर्मित या अनुकूलित हों या ऐसे किसी मोटरयान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो कि वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ–साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाये और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नही है जब ऐसी ठेका गाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में ढोने के लिये प्राधिकृत हो;

(ङ) ''परिसीमित मात्रा का भार'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, [6]उत्तराखण्ड द्वारा अवधारित सीमा से अनाधिक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट करे;

(च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबंधो के अधीन 5 फरवरी 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;

(छ) " किसी परिवहन यान के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट मे या पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्राधिकार प्रमाण पत्र में हो, और जब ऐसा न हो, वहां उसका तात्पर्य

1, 2, 3, 5, 6– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित
4– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 2(1) द्वारा निकाल दिया गया है। दिनांक 01–12–2012 से

ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन कब्जा हो, वहॉ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहॉ ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(ज) किसी मोटरयान के संबंध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवायान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान मे यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से ससक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले
सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नही आता है;

(ञ) [1][तिमाही' से किसी कैलेन्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेन्डर मास की अवधि अभिप्रेत है;]

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी [2][मोटर वाहन कर] से है;

[3] [**(ठ–1)** "विशेष कर" से धारा 4क के अधीन अधिरोपित कर अभिप्रेत है;]

[4][**(ठ–2)** "उपकर" से धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित ग्रीन उपकर अभिप्रेत है;**]**

[5][**(ठ–3)** "स्कूल कैब" से किसी विद्यालय या कॉलेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अविभावक शिक्षण संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विधार्थियों को विद्यालय/कॉलेज लाने–ले जाने के लिये होता है।**]**

(ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से

है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाये;

[1]– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 2(2) द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 01–12–2012 से

[2]–उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 2(2) द्वारा संशोधित दिनांक 01–12–2012 से

[3, 4, 5] उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 2(4) द्वारा बढाया गया है। दिनांक 01–12–2012 से

[1](ढ) [निकाल दिया गया]

(ण) इस अधिनियम मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दो और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये है।

छूट देने की शक्ति 3. (1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाये किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या मोटरयानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती हैः–

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

कर का आरोपण 4. (1) इस अधनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग [2]उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नही किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर एक बार देय कर का, [3][जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय], भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु जहां किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (यथा [4]उत्तराखण्ड में लागू) के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है, और धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे कर की वापसी नही की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन काई कर देय नही होगा;

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटरयान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, [5][जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय] भुगतान किया जा सकता है।

[6][(1–क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नही किया जायेगा जब

1 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 2(5) द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

2, 3, 4, 5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 01–12–2012 से

6– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढया गया दिनांक 01–12–2012 से

तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।]

1 [परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी तीन पहिया मोटरकैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर तिमाही कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।]

2 (2) [निकाल दिया गया]
3 (3) [निकाल दिया गया]

4 [(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1–क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी मालवाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नही किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।]

5 [परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर कैब और मैक्सी कैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर मासिक कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।]

6 [(2–क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1–क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार

1 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–35 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है
2, 3 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–35 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है
4, 6 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जा सकेगा।]

1 [(2–ख) जहॉ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहॉ उपधारा (1–क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उदग्रहण उक्त उपधाराओं में से किसी बात के होते हुये भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार होगा;

परन्तु इस प्रकार उदग्रहित कर उस कर से अधिक नही होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहित होता।]

2 (4) [निकाल दिया गया]

[3][(3) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों का संचालन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उनके सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान न कर दिया गया हो।]

[4][(4) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य में ''डीलर'' के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान देय होगा।]

[5][(5) इस अधिनियम के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के विविध उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिये, राज्य में सड़क पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, अधिरोपित एवं एकत्र किया जायेगा।]

[6][कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उदग्रहण]

[4क—इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों, जिन्हे किसी भी नाम से पुकारा जाय, को ले जाने के लिये जारी अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तराखण्ड में प्रचालन, धारा 4 के अधीन कर के साथ—साथ, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर, तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।]

2 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
1, 3, 4, 5, 6 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

[1]5 [निकाल दिया गया]

[2]6 [निकाल दिया गया]

[3]7 [निकाल दिया गया]

दुर्घटना राहत निधि

8. [4][(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार ''उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि'' ज्ञात नाम से एक निधि स्थापित करेगी तथा धारा 4 की उपधारा (1), (1—क), (2), (2—क) एवं (2—ख) के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाये।

[5][राज्य शहरी परिवहन निधि]

8क [(1) शहरी क्षेत्र में परिवहन का ढांचागत विकास, सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये राज्य सरकार राज्य स्तरीय शहरी परिवहन निधि स्थापित करेगी। धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन उदग्रहीत उपकर की धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी।

(2) उप—धारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।]

कर और शास्ति

9. (1) धारा 11 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए

का भुगतान

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगाः

परन्तु किसी पुराने मोटरयान के संबंध में कर प्रत्येक वर्श जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

[6][**(दो)** धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय, तीन पहिया मोटर कैब के लिये एक तिमाही के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा;]

[7][**(तीन)** धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिये कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के

1, 2, 3 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

4, उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है दिनांक 01–12–2012 से

5, उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

6, 7, उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–35 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।

पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा।]

(चार) [1][**(क)** धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा]

(ख) मेला और धार्मिक सभाओ जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के संबंध में [2][धारा 4क के अधीन देय विशेष कर] का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा;

[3][**(पॉच)**''(क) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन संदेय कर मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के समय 30 दिन के लिये अग्रिम में देय होगा;]

[4][**(ख)** धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन संदेय कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवे दिन को या उसके पूर्व अग्रिम में देय होगा;]

[5][**(ग)** धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन संदेय उपकर यथा स्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, यान के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय या यान के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय देय होगा।]

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस संबंध मे अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटरयान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटरयान के संबंध में देय कर[6][निकाल दिया गया]और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिये ऐसा कर,[7][निकाल दिया गया]या शास्ति देय हो,उक्त मोटरयान का स्वामी था;

(3) जहां किसी मोटरयान के संबंध मे कर [8][निकाल दिया गया] का भुगतान उपधारा **(1)** मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर [9][निकाल दिया गया] के अतिरिक्त [10][देय धनराशि से अनधिक] शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देनदार होंगे।''

(4) इस अधिनियम के अधीन कर,[11][निकाल दिया गया]या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में,

धनराशि को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात एक रूपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

कर भुगतान किये बिना [12]उत्तराखण्ड में यानों का उपयोग नहीं किया जायेगा

10. (1) धारा 9 में किसी बात के होते हुये भी–

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता [13] उत्तराखण्ड से बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी/स्थायी परमिट के अधीन

3, 4, 5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
6, 7, 8, 9, 11 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
1, 2, 10, 12 13 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

कोई परिवहन यान [1]उत्तराखण्ड मे नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में–

[2](एक) [किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये स्थायी या अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तराखण्ड में उसके उपयोग व ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो;]

(दो) [3][निकाल दिया गया]

(तीन) [4][निकाल दिया गया]

[5][(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो;]

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता [6]उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटर व्हीकिल्स (ऑल इंडिया परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993, के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई सार्वजनिक सेवायान [7]उत्तराखण्ड राज्य मे नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में [8][धारा 4 के अधीन कर] का भुगतान विहित रीति से [9][राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट] दर से न कर दिया गया हो:

[10] [**परन्तुक** निकाल दिया गया]

[11] (2) [**परन्तुक** निकाल दिया गया]

(3) अन्य राज्यों से प्राप्त अस्थायी/स्थायी परमिटों से आच्छादित वाहनों को [12]उत्तराखण्ड राज्य में बिना देय कर [13][निकाल दिया गया] के संचालित पाये जाने की दशा में प्रत्येक [14][देय कर के पॉच गुने के बराबर] शस्ति देय होगी;

[15] (4) [निकाल दिया गया]

[16] [(5) जहॉ किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय होगा।]

प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि

11. [17] [इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर मास के प्रारम्भ के

1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
3, 4, 10, 11, 13, 15 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–16 वर्ष 2011 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 08–05–2010 से

पश्चात प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवॉ भाग होगा।]

यान का अनुपयोग और कर वापस करना [1][निकाल दिया गया]

12. (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटरयान का, जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी अवधि के प्रत्येक (तीस दिन) के लिए जिसके लिये भुगतान किया गया हो, देय [2][यथा स्थिति तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवे भाग] के बराबर हो:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिये ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अभ्यर्पित न कर दें।

[3][परन्तु अग्रतर यह कि जहॉ धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है वहॉ ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 0.008 भाग के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।]

(2) जहां किसी मोटरयान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर [4][निकाल दिया गया]के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर [5][निकाल दिया गया]का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटरयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यार्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के सम्बन्ध मे प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की उस अवधि के लिये जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, इस अधिनियम के अधीन कोई कर [6][निकाल दिया गया]देय नहीं होगाः

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में, यथाउल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक [7][कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर के पॉच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा]

(3) जहां [8][मोटरयान] जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित

1, 4, 5, 6 – उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
2, 3, 7 – उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
8– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा संषोधित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान का एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि मे उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये [1][ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय]

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उसके स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यार्पित न कर दिया जायेः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की गणना करने मे, उस अवधि के किसी भाग को जो एक कलैण्डर मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा;

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी [2][राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट] दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस अधार पर हकदार होगा कि उनसे ऐसे कर के भुगतान के पश्चात ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटरयानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटरयान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है;

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटरयान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक कैलेण्डर मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसे वापसी का दावा किया जाये, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

[3]**(7)** [निकाल दिया गया]

(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने मे असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, टोकन, यदि कोई हो, और
परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के

1, 2– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
3– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 स

दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कराधान अधिकारी को अभ्यार्पित कर दिये जाते है, तो वह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा;

[1][(9) किसी मोटर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध किये जाने की दशा में उपयोग न होने पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ नियत समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कैलेण्डर माह की अवधि के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा तथा सम्यक् जॉचोंपरान्त निम्नलिखित सीमा तक कर का परिहार किया जा सकेगाः–

(एक)	रू0 5000.00 तक	परिवहन कर अधिकारी–1
(दो)	रू0 5000.00 से 15000.00 तक	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(तीन)	रू0 15000.00 से 30,000.00 तक	सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(चार)	रू0 30000.00 से अधिक राशि हेतु–	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त (कर)

परन्तु यह कि राज्य कर्मियों की हड़ताल या ऐसे अन्य अपरिहार्य कारणों, जिसमें वाहन स्वामियों की कोई त्रुटि न हो, के कारण वाहन स्वामी द्वारा नियत समयावधि के भीतर कर जमा न करने पर उसके लिये देय शास्ति का परिहार करने के लिये परिवहन आयुक्त सक्षम होंगे।]

यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

13. (1) प्रत्येक मोटरयान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन [2][मोटर वाहन कर] जिसका वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा;

(2) जहां किसी मोटरयान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुये [3][मोटर वाहन कर] का देनदार हो जाये, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुये एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय [4][मोटर वाहन कर] में अन्तर का भुगतान करेगा।

1, 2, 3, 4 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

कर में अन्तर का भुगतान

14. जहां किसी मोटरयान में, जिसके संबंध में [1][मोटर वाहन कर] का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध मे अपेक्षाकृत ऊंची दर से [2] [मोटर वाहन कर] देय हो वहां उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देय [3] [मोटर वाहन कर] की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और [4][निकाल दिया गया] प्रमाण पत्र का दिया जाना

15. (1) कराधान अधिकारी मोटरयान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मे कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले मे विहित प्रपत्र मे [5][प्रमाण पत्र] भी जारी करेगा;

[6] (2) [निकाल दिया गया]

यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति

16. कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटरयान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

समय सारणी का दिया जाना

17. (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में की गई एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करें;

(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण मे किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।

[7][(3) यथा स्थिति प्रत्येक मंजिली गाडी का संचालक प्रत्येक वाहन के संचालन की लाग बुक रखेगा, जिसमें ऐसी सूचनायें, जैसी कि विहित की जाय, रखेगा। वाहन

स्वामी या चालक अथवा संचालक लाग बुक कराधान अधिकारी को मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।]

अपील **18.** **(1)** [8] **[धारा' 4 एवं धारा 12 के अधीन]** कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है;

4, 6 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
1, 2, 3, 5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
7, 8 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे;

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

अपराधों का दण्ड **19.** जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो [1][दो हजार रूपये] तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तद्सदृश अपराध के लिये जुर्माने से, जो [2][पॉच हजार रूपये] तक हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये [3][दो हजार रूपये] से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

कर की वसूली **20.** **(1)** इस अधिनियम के अधीन देय किसी [4][मोटर वाहन कर] या शास्ति का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा;

(2) इस अधिनियिम के अधीन देय [5] [मोटर वाहन कर] और शास्ति मोटरयान जिसमें उसके उप साधन भी है, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।

[6][**(3)**– कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।]

साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत्त करने की शक्ति **21.** अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना; और,

(ग) पूर्ववर्ती खंडो में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

कर का भुगतान न करने की दशा में [7][मोटर यान] को निरूद्ध करना। **22.** **(1)** जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा [8][मोटर वाहन कर] या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी [9][मोटरयान] का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी [10] [मोटरयान] को अभिग्रहित और निरूद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह [11][मोटरयान] के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा

1, 2, 3, 4, 5 ,7, 8 9, 10, 11 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
6 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा बढा दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

विनिर्दिष्ट अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है, जहां पुलिस अभिरक्षा में वाहन को लिया जाना अनिवार्य होगा तथा पुलिस तब तक अपनी अभिरक्षा में रखेगी जब तक सक्षम अधिकारी का वाहन मुक्त करने का आदेश पारित न हो जायेः

परन्तु यान को अभिग्रहित करने वाला अधिकारी ऐसे अधिग्रहण के अड़तालीस घण्टे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहित या निरूद्ध किसी [1] [मोटरयान] को, [2][मोटर वाहन कर] शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहित या निरूद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा;

(3) जहां [3][मोटर वाहन कर] शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी [4] [मोटरयान] को इस धारा के अधीन अभिग्रहित या निरूद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरूद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा–(2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के संबंध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और इतिशेष को यदि कोई हो, यान के स्वामी/संचालक को वापस कर दिया जायेगा।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

23. इस अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निर्देश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अपराधों का प्रशमन

24. (1) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन–

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाये, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाये, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोष मुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरूद्ध उसी अपराध के

1, 2, 3, 4 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपराध का संज्ञान

25. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

26. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगाः

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) मे किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनो के लिये–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

27. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण मे सद्भावपूर्ण की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्व कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

28. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात–

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर [1][निकाल दिया गया] के भुगतान के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

1 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

(ख) किसी प्रमाण–पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण–पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने के संबंध में या उसमें आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ड.) कर[1][निकाल दिया गया]और शास्ति के भुगतान और उसकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर[2][निकाल दिया गया]से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमत करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय–सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

[3] **(ञ)** [निकाल दिया गया]

(ट) वह रीति विहित करना जिसमें [4]उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनो के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगाः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा [5]उत्तराखण्ड मे लागू) की धारा–23 क की उपधारा (1) के उपबंध जैसे वे किसी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते थे, लागू होंगे;

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नही किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नही थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

1, 2, 3 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
4, 5 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

निरसन और अपवाद

30. (1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनिमय, 1997 (यथा [1]उत्तराखण्ड मे लागू) को एततद्वारा [2] उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के भीतर निरसित किया जाता है;

(2) [3]उत्तराखण्ड गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनिमय, 1904 (यथा [4] उत्तराखण्ड मे लागू) की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितयों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दाायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

[5]प्रथम अनुसूची **31** [निकाल दिया गया]

[6]द्वितीय अनुसूची [निकाल दिया गया]

[7]तृतीय अनुसूची [निकाल दिया गया]

[8]चतुर्थ अनुसूची [निकाल दिया गया]

[9]पांचवी अनुसूची [निकाल दिया गया]

[10]छठी अनुसूची [निकाल दिया गया]

1, 2, 3, 4 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से
5, 6, 7, 8, 9, 10 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08 वर्ष 2013 द्वारा निकाल दिया गया है दिनांक 01–12–2012 से

अधिसूचनायें

परिवहन यान से भिन्न मोटरयान पर एक बार देय कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें–

क0 सं0	यान का विवरण	एक बार देय कर की दरें (रूपये में)
1	2	3
1.	यान जिसका मूल्य 10 लाख रूपये तक हो	यान के मूल्य का 4 प्रतिशत
2.	यान, जिसका मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक हो	यान के मूल्य का 5 प्रतिशत
3.	यानों द्वारा खीचें जाने वाला ट्रेलर	ट्रेलर के मूल्य का 4 प्रतिशत

<u>स्पष्टीकरण–</u>

1. यान के मूल्य का अभिप्राय यान के एक्स शो रूम मूल्य से है, जिसमें उत्पादन लागत एवं वैट सहित सभी कर सम्मिलित है;
2. विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चलित यानों पर कर से छूट होगी और एथेनाल मिश्रित ईंधन से चलित यानों पर देय कर के एक प्रतिशत के बराबर छूट होगी;
3. पहले से पंजीकृत यानों पर एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में पॉच प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नही होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा;
4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण यान के स्वामित्व का उसके उत्तराधिकारी को अन्तरण के सिवाय, स्वामित्व अन्तरण पर [2][यान द्वारा भुगतान किये गये] एक बार देय कर की धनराशि का 10 प्रतिशत भाग संदेय होगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1012/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–137/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा जारी शुद्धि पत्र द्वारा संशोधित।

परिवहन यान से भिन्न पुराने मोटरयान पर एक बार देय कर से भिन्न कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

<u>सारणी–</u>

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक बार देय कर से भिन्न कर की दरें–

क0 सं0	यान का विवरण	पुराने यानों पर वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	मोटर साइकिल	200
2.	यान, जिसका लदान रहित भार 1000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो,	1000
3.	यान, जिसका लदान रहित भार 1000 कि0ग्रा0 से अधिक, किन्तु 5000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो,	2000
4.	यान, जिसका लदान रहित भार 5000 कि0ग्रा0 से अधिक हो,	4000
5.	यानों द्वारा खीचें जाने वाला ट्रेलर,	200

स्पष्टीकरण– विधुत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चलित वाहनों पर कर से छूट होगी और एथेनाल मिश्रित ईंधन से चलित वाहनों पर देय कर के एक प्रतिशत के बराबर छूट होगी।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1013/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर वार्षिक कर एवं एक बार देय कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

<u>सारणी–</u>

धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर कर की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रूपये में)	एक बार देय कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वालें दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	[2][730]	10,000
2.	[3][(क) ड्राइवर को छोडकर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिये]	[4][845]	10,000
	[5](ख) [निकाल दिया गया]		
3.	मालयान जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये	1000	10,000

स्पष्टीकरण–

1. क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो पहले से पंजीकृत है, पर एक बार देय कर जमा करने के विकल्प की स्थिति में एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड दिया जायेगा;

2. क्रम संख्या 3 के सम्मुख यथा विनिर्दिष्ट कोई माल यान जब जब किराये या पारिश्रमिक पर सवारियां ढोते हुये पाया जाय तो यथा स्थिति उसके सम्मुख स्तम्भ 3 या 4 में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा।

[6]3. [निकाल दिया गया]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1014/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–134/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी।

4 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–07/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें

5, 6 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–134/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा बढाया गया एवं अधिसूचना सं0–07/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा हटा दिया गया है।

3000 किलोग्राम से अधिक भार वाले माल वाहन, निर्माण उपस्कर यान, विशेष रूप से डिजाइन किये गये यान, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिये कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (रूपये में)	वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	[2][(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये]	[3][430]	[4][1700]
	[5][(ख) मैक्सी कैब, के प्रत्येक सीट के लिये]	[6][510]	[7][1900]
2.	माल यान, जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	230	850
3.	कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
4.	सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष		

	उद्‌देश्य से निर्मित यान, जो व्यवसायिक उददेश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाय, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
5.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल यानों को, जिसके साथ सड़क परिवहन मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हो और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	130	500
6.	ड्राईविंग स्कूल के स्वामित्व वाले मोटरयान जो चालकों के प्रशिक्षण देने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
7.	शिक्षा संस्था बस या निजी सेवा यान या स्कूल कैब के प्रत्येक सीट के लिये	90	320

स्पष्टीकरण–

1. कृषि उपज का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले मालवाहनों के सम्बन्ध में कर की दर क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयानों के सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर की, दो तिहाई होगी;

2. [8][निकाल दिया गया], और [9][क्रम संख्या 7] के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो वातानुकूलित हो, के लिये प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी;

3. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विधार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, पर कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

4. इस भाग के क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ''विशेष प्रकार के या विशेष उददेश्य से निर्मित यान'' का तात्पर्य मोबाइल वर्क शॉप, मोबाइल कैन्टिन, कैम्पर वैन या ट्रैलर, कैश वैन, फायर टेन्डरर्स, स्नोर्कड लैडर, आक्जिलरी ट्रैलर व फायर फायटिंग यान, फोर्क लिफ्ट, रिग, जनरेटर व कम्प्रेशर जैसे उपस्करों से युक्त यान या ट्रैलर क्रैनयुक्त यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान, प्रचार यान इत्यादि से है।

5. इस भाग के क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 7 के प्रयोजन के लिये सीट की गणना में ड्राइवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।]

[10]6. [इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मालयान जिनकी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से आयु 20 वर्ष से अधिक हो तथा माल वाहन के ऐसे माडल जिनका पहाड पर संचालन सम्भव नहीं है के लिये त्रैमासिक कर की दर में रूपये 30.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये एवं वार्षिक कर की दर में रूपये 100 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये, छूट होगी।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1015/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3, 4, उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

5, 6, 7 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित कर बढाया गया है।

8 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा हटा दिया गया है।

9 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित किया गया है।

10 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा बढा दिया गया है।

सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दरें–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

<u>सारणी–</u>

धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (रूपये में) मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
1.	ठेका गाड़ी 12 सीट से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोडकर)	100	300	1100
2.	(1) मंजिली गाड़ी द्वारा एक माह में तय की गयी [1500 कि0मी0 तक की] दूरी के लिये–			
	2क [मैदानी मार्ग पर]–	3[85]		
	4ख [पर्वतीय मार्गों पर]–	5[75]		
	6(2) [1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये]–	7[रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा]	8[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	9[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
103.	[मंजिली गाड़ियां जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचालित हों]	11[85]	12[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	13[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
144.	[मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाड़ियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 कि0मी0 की दूरी के लिये]	15[75]		
	16[(2) 1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये]–	17[रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा]	18[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	19[स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
5.	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते है, जिसके उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न भारत के राज्य में उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अंतिम बिन्दु दोनों स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग			

उत्तराखण्ड राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई 16 कि0मी0 से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट के लिये	60	180	650

स्पष्टीकरण–

20 1. [निकाल दिया गया]

2. वातानुकूलित यानों पर प्रति सीट कर की दर इस भाग के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटर यानों के लिये स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।

3. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के अधीन किसी मंजिली गाड़ी द्वारा एक मास में तय की गयी दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय, ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

4. इस भाग के अधीन कर मोटर यान अधिनियम,1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या पर देय है। इस प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा, तथा जहॉ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहॉ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा। सीट की गणना में मंजिली गाडी के सम्बन्ध में ड्राइवर की सीट एवं कन्डक्टर की सीट तथा ठेका गाडी के सम्बन्ध में ड्राईवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. ऐसे समय तक जब तक कि यथा स्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नही कर दिया जाता है। कोई संचालक राज्य परिवहन उपक्रम सहित इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त मासिक तय की गयी दूरी पर कर का भुगतान करेगा।

6. पर्वतीय मार्ग का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढवाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मण झूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पडता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

21 7. [जहॉ किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है, जिससे कि वह एक से अधिक श्रेणी के लिये कर योग्य हो जाय, वहॉ देय कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी। परन्तु मंजिली गाडी जिसका संचालन पर्वतीय मार्गों एवं मैदानी मार्गों दोनो में होता है के द्वारा प्रतिमाह तय की गयी दूरी का 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर्वतीय मार्गों पर पडता है से इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के 1क में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के लिये स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।]

8. इस भाग में उल्लिखत ''नगर निगम'' और ''नगर पालिका'' का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 यथा उत्तराखण्ड में लागू, में उनके लिये दिया गया है।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1016/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–136/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित

20 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–136/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा हटा दिया गया है।

21 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–08/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा संशोधित किया गया है।

अस्थायी पंजीकृत यानों हेतु कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में अस्थायी रूप से पंजीकृत यानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

<u>**सारणी–**</u>

धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अस्थायी पंजीकृत यानों हेतु कर की दर–

क0 सं0	यान का प्रकार	कर की दर प्रत्येक तीस दिन के लिये (रूपये में)
1	2	3
1.	सभी प्रकार के दुपहिया वाहन	50
2.	छः सीट तक की क्षमता वाली सभी प्रकार की निजी वाहन	100
3.	हल्का मोटर यान	100
4.	मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान	200
5.	भारी माल यान या भारी यात्री यान	300]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1017/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

डीलर के कब्जे में रखी गयी वाहनों पर कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में उत्तराखण्ड राज्य में डीलर के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

<u>सारणी–</u>

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन डीलर के कब्जे में रखी गयी वाहनों पर कर की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	कर की वार्षिक दर प्रतिवाहन (रूपये में)
1	2	3
1.	दुपहिया वाहन एवं हल्का मोटरयान	50
2.	मध्यम एवं भारी मोटर यान	100

<u>स्पष्टीकरण</u>– कर का निर्धारण एवं भुगतान गत कैलेण्डर वर्ष में विक्रय की गयी वाहनों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि में और चालू कैलेण्डर वर्ष में डीलर के कब्जे में रही वाहनों की संख्या में अन्तर होने की दशा में यथा स्थिति कम या अधिक भुगतान किये गये कर का समायोजन/भुगतान अगले कैलेण्डर वर्ष में कर जमा करते समय किया जायेगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1018/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

मोटर यानों पर ग्रीन उपकर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में सडक पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण करने और शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिये नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट उपकर की दरें नियत करते है–

<u>सारणी–</u>

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन उपकर–

क0 सं0	यान का प्रकार	उपकर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण के समय–	
	(क) मोटर साइकिल	400
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200
2.	रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके	

परिवहन यान से भिन्न यान के मोटर यान अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय–	
(क) मोटर साइकिल	400 प्रति पॉच वर्ष
(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200 प्रति पॉच वर्ष
3. रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 07 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय	400 प्रति वर्ष]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1019/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

सार्वजनिक सेवा यानों पर ''विशेष कर'' की दर–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–

धारा 4क के अधीन सार्वजनिक सेवा यान पर ''विशेष कर'' की दर–

यान का विवरण	प्रतिदिन कर की दर (रूपये में)
1	2
विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहॉ ले जाने और वहॉ से लाने और बारात, पर्यटक यात्रियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मंजिली गाडियों पर, ड्राइवर को छोडकर प्रत्येक सीट के लिये–	08

स्पष्टीकरण–

1. विशेष कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नही की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाडियां उत्तराखण्ड से बाहर संचालित की गयी हो;
2. [2][ऐसी किसी मोटर यान के सम्बन्ध में किसी माह की अवधि में विशेष कर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा अस्थायी परमिट प्राप्त करते समय किया जायेगा।]]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1020/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी
2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–138/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित ।

उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के प्राधिकारी द्वारा दिये गये अस्थायी परमिट पर संचालित माल यान एवं सार्वजनिक सेवा यान पर कर की दर–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) और (2क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–1

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन माल यान पर देय ''कर'' की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
	मालयानों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन के लिये–	
	(क) 3000 कि0ग्रा0 से कम सकल यान भार वाले वाहन, प्रत्येक सात दिन या उसके भाग के लिये	150
	(ख) हल्का मालयान प्रतिदिन	50
	(ग) मध्यम मालयान प्रतिदिन	75
	(घ) भारी मालयान प्रतिदिन	100

स्पष्टीकरण– उत्तराखण्ड से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत माल यान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से छः गुने के बराबर कर की राशि देय होगी।

<u>सारणी–2</u>

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ग) के साथ पठित धारा 4 के उपधारा (2) और (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर देय ''कर'' की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	कर की दर रूपये में
1	2	3
1.	उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी अस्थायी परमिट तथा धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवायान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन पर प्रति दिन प्रत्येक सीट के लिये–	
	(क) सामान्य	
	(ख) वातानुकूलित	20
		30
2.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालन के दिनों के सिवाय वाहन के राज्य में खडे (असंचालित) रहने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिये	200

स्पष्टीकरण–

1. भारत के किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन को जिनके सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट प्रदान किये गये हों, उक्त कर के भुगतान से छूट होगी, बशर्तें उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी परमिट से आच्छादित पर्यटक वाहनों को भी कर, अतिरिक्त कर, स्पेशल कर, जिस नाम से भी जाना जाय, की देयता से ऐसे अन्य राज्य में छूट प्रदान की गयी हो और जिसके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान किये गये है;
2. उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायान जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान पर नीचे दी गयी दर पर कर देय होगा–

   (क) सामान्य सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 100 रूपये

   (ख) वातानुकूलित सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 150 रूपये
3. सारणी–2 के क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित संचालन व खडे रहने के दिनों की संख्या परमिट के साथ प्रस्तुत भ्रमण कार्यक्रम के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि खड़े रहने के दिवसों में संचालन पाये जाने पर पूरी अवधि में देय कर का पॉच गुना देय होगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1021/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

एक बार देय कर की वापसी की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–

धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन एक बार देय कर की वापसी की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	कर वापसी की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	मोटरयान जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान किया गया हो और मोटरयान की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विहित एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग न किया गया हो।	प्रत्येक मास के अनुप्रयोग के लिये वापसी की धनराशि जमा धनराशि का 0.005वा भाग होगा।
2.	परिवहन यान से भिन्न मोटर यान जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान किया गया हो और धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत विहित ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो, या उसे परिवहन यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया हो।	जमा कर की धनराशि में से यान के उत्तराखण्ड राज्य में गैर परिवहन यान के रूप में प्रयोग अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच प्रतिशत कटौती के पश्चात शेष धनराशि वापस की जायेगी, किन्तु वापसी की अधिकतम सीमा पचहत्तर प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण–

इस हेतु वर्ष की गणना उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1022/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

गैर परिवहन यान जो परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय के लिये कर की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0– 12 सन 2003) की धारा 10 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे गैर परिवहन यान जो परिवहन यान के रूप में जब भी चलते पाये जाये के लिये चालक को छोडकर 2200/ रूपया प्रति सीट की दर से कर नियत करते है।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1023/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

*1उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

परिभाषाएं 2 (1) इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो–

(क) ''अधिनिमय'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 से है;

[2](ख) [निकाल दिया गया]

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

[3][(घ) स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, कैंट बोर्ड, नगर क्षेत्र समिति और अधिसूचित क्षेत्र समिति से है;]

[4][(ङ) भुगतान प्रमाण पत्र' का तात्पर्य धारा–4 के अधीन कराधान अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले कर भुगतान विवरण के किसी प्रमाण पत्र से है;]

[5] [(च) धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;]

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित, अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और पदों के अर्थ वहीं होंगे जो उनके लिए अधिनियम मे दिये गये है।

कराधान अधिकारी 3 [6][उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट एवं उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, या परिवहन कर अधिकारी–1 अपने–अपने उप सम्भाग या परिवहन चैक पोस्ट की स्थानीय सीमाओं के भीतर कराधान अधिकारी होंगे।]

4 [7] [निकाल दिया गया]

5 [8] [निकाल दिया गया]

प्रपत्रों की पूति 6 [9][इस नियमावली द्वारा विहित प्रपत्रों की प्रतियॉ किसी कराधान अधिकारी को प्रत्येक प्रति दस रूपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग की बेबसाइट पर उपलब्धता की दशा में फार्म को आवेदनकर्ता डाउनलोड कर स्वयं प्राप्त कर सकता है या निर्धारित प्रारूप को टंकित करवा सकता है।]

* उत्तराखण्ड शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–403/परि0/2003 दिनांक 29–07–2003 द्वारा प्रख्यापित
1 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा प्रतिस्थापित
2, 7, 8 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है। दिनांक 01–12–2012 से
3, 4, 5, 6, 9 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

घोषणा का प्रस्तुतिकरण 7 (1) प्रत्येक व्यक्ति जो, या तो अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात ऐसे किसी यान, जो कर के लिये दायी हो जाता है, या अधिकृत हो जाता है, उस यान के इस प्रकार दायी होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रपत्र ''क'' में घोषणा पूर्ण करेगा, हस्ताक्षर करेगा और कराधान अधिकारी को देगा।

(2) प्रत्येक मोटरयान के संबंध मे एक पृथक घोषणा की जायेगी।

अतिरिक्त घोषणा 8 [1](1) [प्रत्येक व्यक्ति जो धारा–14 के अधीन बढे हुये कर के भुगतान का दायी हो जाता है, इस प्रकार दायी होने के 15 दिन के भीतर प्रपत्र ''ख'' में एक अतिरिक्त घोषणा पूर्ण करेगा, हस्ताक्षर करेगा और कराधान अधिकारी को देगा।

(2) प्रत्येक अतिरिक्त घोषणा के साथ मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किया गया मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।]

कर के भुगतान की रीति 9 [2](1) [कर का भुगतान या तो कराधान अधिकारी को नकद किया जायेगा या सम्बन्धित जिले के किसी कोषागार में ट्रेजरी चालान के माध्यम से 0041–वाहन कर–102 राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां–01 सकल प्राप्तियां शीर्षक के अधीन मोटर यान स्वामी या संचालक द्वारा जमा किया जायेगा और ऐसे भुगतान को प्रकट करने वाले यथास्थिति रसीद या ट्रेजरी चालान कराधान

अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर या अन्य शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में ई–पेमेन्ट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आनलाईन भी किया जा सकता हैं।
(2) ऑन लाईन कर या अन्य शुल्क के भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक कोषागार, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित अधिकृत बैंक से विचार विमर्श के उपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
(3) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से कोई ऐसी तिथि निर्धारित कर सकती है। जिसके पश्चात राज्य में पंजीकृत अथवा राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से कर या अन्य शुल्क का भुगतान केवल ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।
(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे नियम 7 के अधीन घोषणा या नियम 8 के अधीन अतिरिक्त घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी घोषणा प्रस्तुत करते समय मोटरयान पर देय कर का भुगतान करेगा और उसके पश्चात् समय–समय पर निर्धारित आवर्ती के अनुसार भुगतान करेगा। **]**

9–क जहां धारा 22 के अधीन अभिग्रहीत और निरूद्ध किसी यान की बिक्री नीलामी द्वारा की जानी है वहां उसकी नीलामी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी–

1, 2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

1[**(क)**यान को अभिग्रहीत और निरूद्ध करने वाला अधिकारी जो इस नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत प्राधिकृत है, परिवहन आयुक्त के पास नीलामी के लिये निर्देश हेतु अध्यपेक्षा भेजेगा, जिसमें यान का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित यान के सभी आयामों से लिये गये फोटोग्राफ अथवा वीडियोग्राफी की प्रति यान के प्रति देय धनराशि एवं यान का न्यूनतम अवधारित मूल्य सहित यान के अभिग्रहण की तिथि और स्थान का भी उल्लेख होगा। अध्यपेक्षा भेजने से पूर्व यान के स्वामी को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस प्रारूप–'ग' में भेजी जायेगी, जिसकी एक प्रति वित्तपोषक, यदि कोई हो, को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी। तत्पश्चात परिवहन आयुक्त खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति के अध्यक्ष को खण्ड (ग) से (ङ) में विहित रीति से नीलामी की कार्यवाहियॉ प्रारम्भ और पूर्ण करने के लिये निर्देश देगा।]

2**[(ख)**यान की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–
(एक) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी................................ अध्यक्ष
(दो) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी ....सदस्य
(तीन) यान को अभिग्रहीत या निरूद्ध करने वाला अधिकारी...........सदस्य]

3[(ग) नीलामी के लिये कम से कम इक्कीस दिन की सूचना दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा नीलामी का विज्ञापन सम्बन्धी क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में नीलामी की सूचना को प्रकाशित करके किया जायेगा। नीलामी की सूचना नीलामी स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जायेगी।]

(घ) समिति नीलाम किये जाने वाले यान का न्यूनतम मूल्य अवधारित कर परिवहन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(ङ) नीलामी की शर्तें निम्नानुसार होगीः–

4[**(एक)** ऐसे व्यक्ति जिन्होने निम्नानुसार अग्रिम धन जमा कर दिया हो, नीलामी में बोली लगाने के हकदार होंगे–
(अ) हल्के मोटरयान के लिये रू0 2,000/–
(ब) मध्यम मोटरयान के लिये रू0 5,000/–
(स) भारी मोटरयान के लिये रू0 10,000/–]

(दो) यान की नीलामी' 'जैसा है, जहां है'' के सिद्धान्त पर की जायेगी।

(तीन) समिति को किसी बोली को अनन्तिम रूप से स्वीकार करने या स्वीकार न करने का अधिकार होगा। किसी बोली की अन्तिम स्वीकृति परिवहन आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(चार) सबसे ऊँची बोली लगाने वाले नीलाम क्रेता को, समिति द्वारा बोली को अनन्तिम रूप से स्वीकार करने के ठीक पश्चात नीलामी बोली की अनुमोदित धनराशि का बीस प्रतिशत जमा करना होगा। बोली की शेष धनराशि बोली की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात जमा की जायेगी और तत्पश्चात ही यान को स्वीकृत नीलाम क्रेता को हस्तगत किया जाएगा।

1, 2, 3, 4 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

(पांच) सबसे ऊँची बोली लगाने वाला नीलाम क्रेता यदि समिति द्वारा बोली को अनन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के ठीक पश्चात, बोली की अनुमोदित धनराशि का 20 प्रतिशत जमा करने में विफल रहता है, तो बोली स्वतः विधि रद्द हो जायेगी और सबसे ऊँची बोली लगाने वाले ऐसे क्रेता द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगा।

(छः) यदि बोली परिवहन आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं की जाती है तो बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गयी धनराशि, जिसके अन्तर्गत अग्रिम धन भी है, बिना किसी प्रकार के ब्याज के, उक्त बोली लगाने वाले को वापस कर दी जायेगी।

(सात) यदि नीलाम क्रेता बोली की अन्तिम स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर यान का परिदान प्राप्त करने में विफल रहता है, तो बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी। ऐसी स्थिति में नीलाम क्रेता द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगा। नीलामी में उपगत हुए व्यय की, नीलाम में क्रेता द्वारा जमा किये गये 20 प्रतिशत धन में से कटौती कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना किसी प्रकार के ब्याज के, यदि कोई हो, को अन्तिम अनुमोदन के दिनांक से एक माह के भीतर नीलाम क्रेता को वापस कर दी जायेगी।

(आठ) अन्य बोली लगाने वालों द्वारा जमा किये गये अग्रिम धन को नीलामी के दिनांक से तीन कार्य दिवसों के अन्दर उन्हें बिना किसी प्रकार के ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।

[1][**(नौ)** नीलाम क्रेता को बोली धन के अतिरिक्त कीमत पर मूल्य संवर्धित कर जमा करना होगा। **]**

(दस) नीलामी पर उपगत व्ययों की कटौती के पश्चात शेष धनराशि का समायोजन निर्धारित या अधिरोपित किसी कर एवं शास्ति से किया जायेगा। करों एवं शास्तियों के पूर्णतया समायोजन के पश्चात शेष धनराशि यदि कोई हो, का भुगतान यान के स्वामी को किया जायेगा जिससे यान निरूद्ध किया गया था।

(ग्यारह) यदि देय करों एवं सम्पत्तियों की धनराशि जिसके अन्तर्गत नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपगत व्यय भी भीतर है, वाहन के नीलामी मूल्य से पूरी तरह वसूल नही हो पाती है, तो शेष धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से भूराजस्व के बकाया के रूप मे की जायेगी।

[2][**(बारह)** किसी कर या शास्ति में समायोजित धनराशि को कोषागार में यथास्थिति, यान के स्वामी के नाम से, या उस व्यक्ति के नाम से, जिससे यान का अभिग्रहण किया गया है, जमा किया जायेगा और निक्षेप
प्रमाणपत्र सम्बन्धित कराधान अधिकारी के पास भेजा जायेगा।**]**

(तेरह) यदि परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोली इसलिए निरस्त कर दी जाती है कि सफल बोली लगाने वाला बोली की स्वीकृत धनराशि विहित समय मे से जमा करने मे विफल रहता है तो यान की पुनः नीलामी इस नियमावली में निहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

1, 2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

(चौदह) **(अ)** यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन के अभिग्रहण या निरूद्ध किये जाने के आदेश को, इस कारण निरस्त कर दिया जाता है कि नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने के पश्चात, किन्तु

पूर्ण न होने के पूर्व, वाहन के स्वामी द्वारा देय समस्त कर [1][निकाल दिया गया] एवं शास्तियो को जमा कर दिया गया है, तो यान स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे यान का अधिग्रहण किया गया है, वापस कर दिया जायेगा।

(ब) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन के अभिग्रहण या निरूद्ध किये जाने के आदेश को, इस कारण निरस्त कर दिया जाता है कि नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ और पूर्ण हो जाने के पश्चात, वाहन स्वामी द्वारा देय समस्त कर, [2][निकाल दिया गया] एवं शास्तियो को जमा कर दिया गया है, तो नीलामी से प्राप्त धनराशि का भुगतान वाहन स्वामी को नीलामी पर उपगत हुए व्यय की कटौती करने के पश्चात बिना किसी प्रकार के ब्याज के किया जायेगा।

(पन्द्रह) यदि अभिग्रहित यान का स्वामी या संचालक सम्पूर्ण देय धनराशि जिसके अन्तर्गत नीलामी प्रक्रिया के संबंध में उपगत व्यय भी है, का भुगतान नीलामी प्रारम्भ करने के पूर्व देता है, तो नीलामी समिति नीलामी की प्रक्रिया को निलम्बित कर देगी तथा परिवहन आयुक्त का अनुमोदन लेकर उसे निरस्त कर देगी।

(सोलह) यदि कोई वाहन करो का भुगतान न करने के कारण धारा 22 के अधीन निरूद्व किया जाता है और विभिन्न नियमों के अधीन निहित आयु सीमा भी पूर्ण कर चुका है तो,

(क) ऐसे वाहन की नीलामी इस शर्त पर की जायेगी कि नीलामी क्रेता ऐसा वाहन का उत्तराखण्ड के बाहर संचालन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यदि भविष्य में ऐसा वाहन उत्तराखण्ड में संचालित होता पाया जाता है तो सम्यक प्रक्रिया के अनुसार उसकी पंजीकरण संख्या निरस्त कर दी जाएगी।

(ख) यदि इस प्रकार आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहन की बिक्री नीलामी द्वारा संभव नही हो पाती है तो ऐसी स्थिति में वाहन की पंजीकरण संख्या निरस्त करने के पश्चात उस की नीलामी रद्दी (स्क्रेप) के रूप में की जायेगी।

निवास या कारोबार के स्थान का परिवर्तन

10 यदि मोटर यान का स्वामी कराधान अधिकारी के पास अभिलिखित पते पर निवास करने या कारोबार करने के अपने स्थान को छोड़ देता है, तो वह ऐसा करने के तीस दिन के अन्दर अपना नया पता कराधान अधिकारी को सूचित करेगा, या यदि नया पता उस कराधान अधिकारी की अधिकारिता के बाहर हो तो उस कराधान अधिकारी को जहां वह बाद मे चला गया है नया पता सूचित करेगा और उसी समय संबंधित कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अग्रसारित करेगा जिससे कि नये पते की उसमे प्रविष्टि की जा सके। ऐसा कराधान अधिकारी परिवर्तित पता उस स्थान के कराधान अधिकारी को भी संसूचित करेगा जहां मोटरयान का स्वामी इससे पहले निवास करता था।

कराधान अधिकारी के समक्ष मोटर यान को प्रस्तुत करना

11 कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए, कराधान अधिकारी मोटर यान के स्वामी से निरीक्षण के लिये मोटरयान अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

[1, 2] उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 दिनांक 01–12–2012 द्वारा हटाया गया है।

कर का भुगतान एवं भुगतान प्रमाण–पत्र का जारी किया जाना

12 [1][(1) कर के भुगतान तथा भुगतान प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कराधान अधिकारी के समक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र 'घ' प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) कराधान अधिकारी कर के भुगतान को अभिलिखित करते हुये वाहन स्वामी को यथास्थिति प्रारूप ''घ–1'' या प्रारूप ''घ–2'' या प्रारूप ''घ–3'' या प्रारूप ''घ–4'' में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) कराधान अधिकारी द्वारा जारी इन प्रमाण पत्रों को परिवहन यान में जब वह चलाया जा रहा हो, रखा जायेगा और यथा स्थिति परिवहन यान के स्वामी या ड्राइवर का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा प्रमाण पत्र मांगें जाने पर ऐसा करने के लिये

सशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

(4) नियम 9 के अधीन ई–पेमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन किए गये भुगतान की रसीद को कर भुगतान प्रमाण–पत्र समझा जायेगा।]

13 [2] [निकाल दिया गया]

14 [3] [निकाल दिया गया]

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किया जाना–

15 [4][(1)यदि नियम 12 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है या अपठनीय हो जाता है, तो परिवहन यान का स्वामी इस तथ्य की सूचना तथा दूसरी प्रति के लिये आवेदन उस कराधान अधिकारी को करेगा जिसके द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया हो।

(2) ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कराधान अधिकारी आवेदक द्वारा पचास रूपये का शुल्क भुगतान किये जाने पर एक दूसरी प्रति जारी करेगा। ऐसी दूसरी प्रति पर स्याही से शब्द 'दूसरी प्रति' चिन्हित करेगा।]

16 [5] [निकाल दिया गया]

समय सारिणी का दिया जाना

17 [6] (1) [प्रत्येक मंजिली गाडी का संचालक यान के कब्जा होने के सात दिन के भीतर कराधान अधिकारी को प्रपत्र 'ञ' में अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनिमयमित करने वाली एक सारणी के साथ एक कैलेण्डर माह में की गयी एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारोबार से सम्बन्धित ऐसे अन्य विवरण देगा जिनकी कराधान अधिकारी आदेश द्वारा समय समय पर अपेक्षा करें।

1, 4, 6 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित
2, 3, 5 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है।

(2) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि यथास्थिति, सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी या राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान और यात्रा की संख्या के सम्बन्ध में समय सारणी नियत कर दी जाय।

(3) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुनिश्चत करेगा कि किसी मंजिली गाड़ी द्वारा, जिसके सम्बन्ध में किसी विद्यमान मार्ग पर अथवा नव सृजित मार्ग पर परमिट स्वीकृत किया जाता है, संचालित किये जाने वाले दैनिक फेरों की संख्या, यथा स्थिति, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करते समय नियत कर दी जाय। समय सारणी में परिवर्तन की प्रभावी तिथि सम्भागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन की तिथि से मानी जाय तथा जिस तिथि को अनुमोदन किया गया हो उस माह की प्रथम तिथि से कर जमा किया जायेगा।

(4) जहॉ परिवहन कर अधिकारी–1 तैनात है, वहॉ समय सारणी में परिवहन कर अधिकारी–1 की आख्या अनिवार्य रूप से अंकित हो, जहॉ परिवहन कर अधिकारी–1 तैनात नहीं है वहॉ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की आख्या अंकित हो।

(5) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन मंजिली गाड़ी की लॉग–बुक प्रपत्र 'ञ–1' में रखी जायेगी।

(6) यदि कराधान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी वाहन द्वारा किसी माह में निर्धारित समय सारणी से अधिक दूरी तय की गयी है, तो वह उस

अतिरिक्त संचालन के लिए कर निर्धारण करेगा और नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार उसकी वसूली की कार्यवाही करेगा।]

मोटरयान के स्वामियों और संचालको को नोटिस दिया जाना 18

(1) कराधान अधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर कि कोई व्यक्ति किसी मोटरयान को रखे हुए है या उसे चला रहा है, उसके संबंध में उससे प्रपत्र ''क'' में घोषणा को पूर्ण करने, हस्ताक्षरित करने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, और उस पर तुरन्त प्रपत्र ड़ में एक विशेष नोटिस तामील कर सकता है। ऐसा नोटिस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है या उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया जा सकता है या यदि उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है तो उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर जो उसके साथ रहता हो तामील किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त रीति से नोटिस तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उसके निवास या कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपका कर या ऐसी अन्य रीति से, जैसा कराधान अधिकारी उचित समझता हो, तामील किया जा सकता है।

(2) इस नियम में किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उससे कोई मोटरयान रखने या चलाने वाला व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (1) और नियम 7 द्वारा उस पर अधिरोपित की गई बाध्यता से मुक्त हो गया है।

[1][(3)कराधान अधिकारी धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन किसी यान के सम्बन्ध में कर के बकाया और शास्ति हेतु यथा स्थिति वाहन स्वामी अथवा संचालक को प्रपत्र ''ङ–1'' में नोटिस भेजेगा। नोटिस की तामीली उपनियम (1) में विहित रीति से करायी जायेगी।

(4) यदि वाहन स्वामी नोटिस में दी गयी समयावधि/तिथि के अंदर देय कर जमा नहीं करता है, तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जाय तथा उसमें देय धनराशि के बराबर शास्ति सम्मिलित की जाय।]

[2]वाहन के परिवर्तन के कारण बढ़ाये गये कर का भुगतान– 19

[(1) जहॉ किसी मोटर यान को, जिसके सम्बन्ध में कर का भुगतान किया जा चुका है, ऐसी रीति से परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि मोटर यान ऐसा हो जाता है, जिसके सम्बन्ध में कर की उच्चतर दर देय हो जाय, तो उसका स्वामी या संचालक ऐसा परिवर्तन करने के सात दिन के भीतर उसके परिवर्तन की प्रकृति और ब्यौरा दर्शाते हुये कराधान अधिकारी के समक्ष एक घोषणा करेगा।

(2) ऐसे यान के सम्बन्ध में जिसे इस प्रकार परिवर्तित किया गया हो कि वह भुगतान किये गये कर से उच्चतर दर पर कर का दायी हो गया हो, धारा 14 के अधीन संदेय कर की संगणना निम्न प्रकार की जायेगी:–

''कराधान अधिकारी इस प्रकार परिवर्तित किये गये यान पर उस अवधि के लिये जो यान के परिवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होकर उस अवधि के अंतिम दिन को समाप्त होती है, जिसके लिये परिवर्तन के पूर्व कर का भुगतान किया जा चुका हो, देय कर की धनराशि का निर्धारण धारा 4 के अनुसार इस प्रकार करेगा मानों कर परिवर्तन के दिनांक को प्रथम बार देय हुआ हो। वह ऐसे परिवर्तन के कारण प्रोद्भूत ऐसे परिवर्तन की तिथि से कर के भुगतान का दायी होगा।]

यान का परिवर्तन करके इसे निम्नतर दर के कर 20

जहां कोई परिवहन यान, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी के सम्यक अनुमोदन के साथ इस प्रकार परिवर्तित किया गया हो जिससे कि वह भुगतान किये जा चुके कर [4][निकाल दिया गया] की अपेक्षा निम्नतर दर पर कर [5][निकाल दिया गया] का दायी

3[निकाल दिया गया] का दायी बनाना– होता है तो उसका स्वामी प्रपत्र 'ख' में घोषणा कर सकता है और ऐसे वाहन पर कर 6[निकाल दिया गया] के पुनर्निर्धारण के लिये आवेदन कर सकता है। यदि कराधान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे वाहन का इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि यह भुगतान किये जा चुके कर 7[निकाल दिया गया] की अपेक्षा निम्नतर

1, 2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित
3, 4, 5, 6, 7 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा हटाया गया है। दिनांक 01–12–2012

दर पर कर 1[निकाल दिया गया] का दायी है तो कराधान अधिकारी उस तिमाही की समाप्ति के दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से जिसमें उक्त वाहन का परिवर्तन किया गया था उक्त वाहन का समुचित निम्नतर दर पर निर्धारण करेगा और उसका स्वामी उस पर ऐसे दिनांक से इस प्रकार घटाये गये कर 2[निकाल दिया गया] का भुगतान करेगा।

कर 3[निकाल दिया गया] वापस करना– 21 कर 4[निकाल दिया गया] को वापस करने या समायोजित करने की अनुमति धारा 12 की उपधारा (1), (3), (5) और (6) के उपबंधों के अनुसार दी जायेगी। यदि परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान जिसके संबंध मे एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, भारत मे किसी अन्य राज्य को स्थायी रूप से अन्तरित किया जाता है, तो उसके स्वामी का कर्तव्य होगा कि अन्य प्रदेश के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से इस प्रभाव का कि प्रश्नगत यान पर सम्यक् रूप से उस अन्य प्रदेश में कर लगाया जा चुका है, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे। वाहन स्वामी कर वापस करने के लिए आवेदन करते समय अन्य प्रदेश में भुगतान किये गये कर को साक्षीकृत करते हुये वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा। किसी संदेह की स्थिति मे कराधान अधिकारी, वाहन स्वामी से उस प्रभाव के शपथ पत्र के रूप में एक घोषणा पत्र भी मांग सकता है।

5 [किसी यान के अनुपयोग की दशा मे प्रक्रिया– 22 (1) जब किसी मोटर यान के स्वामी को एक मास या अधिक की अवधि के लिये अपने मोटर यान का उपयोग करने से प्रत्याहत करने का अवसर आता है, तो परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र तथा परिवहन यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र, परमिट यदि कोई हो, कराधान अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 'च' में अवश्य अभ्यर्पित किया जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि मोटरयान उपयोग में रहा है। अभ्यर्पण की अवधि में यान को अपवादित परिस्थितियों में कराधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय, कराधान अधिकारी की क्षेत्रीय सीमा के बाहर नहीं खड़ा रखा जायेगा।

(2) अनुपयोग की सूचना के साथ 6 [सौ रूपये] हल्के मोटर यान और 7[सौ रूपये] हल्के मोटर यान से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में कराधान अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, नकद रसीद स्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कराधान अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कराधान अधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रपत्र 'च' पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उप नियम (1) में यथा उल्लिखित दस्तावेज संलग्न है, तथा उपनियम (2) में विहित शुल्क जमा है, यान के दस्तावेजों के अभ्यर्पण को स्वीकार करेगा। कराधान अधिकारी प्रपत्र 'च' के भाग दो को पूरा करेगा और इसे प्रपत्र 'च' के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में अभ्यर्पण का दिनांक अंकित करने के

1, 2, 3, 4 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा हटाया गया है। दिनांक 01–12–2012
5 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित
6, 7 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा संशोधित तथा अधिसूचना सं0–139/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 06–02–2013 द्वारा पुनःसंशोधित

पश्चात दावेदार को वापस करेगा।

1(4) [कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कैलेण्डर

वर्ष में एक समय में तीन कैलेण्डर माह से अधिक समय के लिये स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी एक सौ रूपये शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी द्वारा पुनः तीन कैलेन्डर माह की अवधि के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में यान एक कैलेण्डर माह में छः माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढाये बिना एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक समय के लिये अभ्यर्पित रहता है तो इसे प्रतिसंहृत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।]

(5) कराधान अधिकारी उपनियम (3) के अधीन यान के अनुपयोग के दस्तावेजों के अभ्यर्पण की स्वीकृति के क्रम में प्रपत्र ''च–1'' में अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक कैलेण्डर मास के अंतिम दिन ऐसे रजिस्टर की जॉच करेगा और उसमें की गयी अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

(6) प्रत्येक माह की समाप्ति पर कराधान अधिकारी द्वारा ऐसे यानों की जिनके सम्बन्ध में उपयोग न किये जाने के निमित्त दस्तावेजों के अभ्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गयी है और कैलेण्डर मास के दौरान उक्त रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी है, एक सूची तैयार की जायेगी और उसे उप सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) कराधान अधिकारी अभ्यर्पणाधीन किसी मोटर यान का निरीक्षण स्वयं/या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से कर सकता है और जब कभी यान का निरीक्षण किया जाय तो संक्षेप में उसके रिपोर्ट की प्रविष्टि उपनियम (5) में निर्दिष्ट रजिस्टर में की जायेगी।

(8) किसी अभ्यर्पित यान का स्वामी कराधान अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अभ्यर्पण की अवधि में विनिर्दिष्ट स्थान से यान को नहीं हटायेगा। यान के स्वामी द्वारा एक सौ रूपये के शुल्क के साथ आवेदन करने पर संतुष्ट होने के पश्चात कराधान अधिकारी किसी नियत स्थान से यान को हटाने के लिये वाहन स्वामी को अनुमति दे सकता है तथापि किसी यान का स्वामी अप्रत्याशित परिस्थितियों यथा बाढ, आगजनी या इसी प्रकार के मामलें में यान को हटा सकता है किन्तु वह इस प्रकार हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना कराधान अधिकारी को चौबीस घण्टे के भीतर देगा।

1 अधिसूचना सं0–06/ix–1/2014/323/2006 दिनांक 03–01–2014 द्वारा प्रतिस्थापित

(9) उपनियम (4) के उपबन्ध के अध्यधीन किसी अभ्यर्पित यान, जिसके सम्बन्ध में उपयोग न किये जाने की सूचना की स्वीकृति पहले ही दे दी गयी है, का स्वामी किसी कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिये कर का भुगतान करने का दायी होगा, चाहे अभ्यर्पित किये गये दस्तावेजों का कब्जा कराधान अधिकारी से प्राप्त कर लिया गया हो, या नहीं।

(10) जब मोटर यान का स्वामी अपने मोटर यान को पुनः उपयोग में लाना चाहता है, वह प्रपत्र ''च–2'' में एक आवेदन करेगा और एक सौ रूपये के शुल्क के साथ इसे कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्पित यान के स्वामी ने उपनियम (1) के अधीन उसे वापस किये गये प्रपत्र 'च' के भाग दो को खो दिया हो, तो वह इस आशय की घोषणा के साथ सूचित करेगा। यदि ऐसी अवधि जिसके लिये कर का भुगतान किया गया हो, ऐसे आवेदन के दिनांक को समाप्त न हुयी हो, तो दस्तावेजों और अभ्यर्पण पंजी में वापसी के दिनांक की प्रविष्टि करने के

पश्चात अभ्यर्पित किये गये समस्त दस्तावेजों को दावेदार को वापस कर दिया जायेगा। अन्य मामलों में प्रपत्र ''च–2'' में दस्तावेजों की वापसी हेतु किसी आवेदन पत्र के साथ देय कर यदि कोई हो, के भुगतान हेतु प्रपत्र 'घ' में कोई आवेदन अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए। कराधान अधिकारी उक्त रीति से कर के भुगतान के पश्चात दस्तावेजों को वापस कर देगा। किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में अभ्यर्पित दस्तावेजों को वापस करने से पूर्व कराधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यान की दुरूस्तता और परमिट यदि कोई हो, विधिमान्य है और यदि ऐसा नहीं है तो वह दस्तावेजों को विधिमान्य करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वामी को लिखित अनुदेश देगा।]

22क **(1)** धारा–12 (9) के प्रयोजनों के अन्तर्गत वाहन की दुर्घटना हो जाने अथवा अभिग्रहण किए जाने और थाने में किसी अपराध में निरूद्ध कर दिये जाने के कारण वाहन के मार्ग पर संचालित न रह जाने की स्थिति में, वाहन स्वामी को कराधान अधिकारी को वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा अभिग्रहण किए जाने और थाने में किसी अपराध में निरूद्ध कर दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर अधिप्रमाणित प्रमाणों सहित आवेदन करना होगा और सम्बन्धित तिमाही/कलैण्डर मास, जो भी लागू हो, तक के देय करं [1][निकाल दिया गया] जमा करने के पश्चात वाहन स्वामी को वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या अभिग्रहण के प्रमाणों के साथ वाहन सें संबंधित दस्तावेज अभ्यर्पित करने होगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र पर, परिवहन आयुक्त द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार की गयी जांच के आधार पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि सम्बन्धित वाहन किसी कैलेण्डर मास में तीस दिवस से अधिक संचालित नहीं किया जा सका है, तो सक्षम कराधान अधिकारी धारा–12(9) अधिनियम की सीमाओं के

[3] उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा हटाया गया है। दिनांक 01–12–2012

अन्तर्गत परिवहन वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी संस्तुति प्रेषित करेगा तथा जिसकी सूचना परिवहन आयुक्त को भी दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी सुनवाई हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों पर लिये गये निर्णय के विषय में परिवहन आयुक्त और सम्बन्धित कराधान अधिकारी व आवेदक को सूचित करेगा। वाहन के दुर्घटना मे पूर्णतः नष्ट हो जाने पर ऐसे वाहन के दस्तावेज कार्यालय मे समर्पित करते ही पंजीयन अधिकारी की उपस्थिति में कराधान अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन की पंजीकरण संख्या निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जोयगी तथा अन्य दुर्घटनाग्रस्त परिवहन वाहनों के मामले में सम्यक प्रक्रिया के अनुसार स्वस्थता प्रमाणपत्र निरस्त किया जायेगा और ऐसे वाहन के दस्तावेज मुक्त किये जाने के पश्चात ही दोबारा स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार किया जायेगाः–

क– वाहन स्वामी द्वारा वाहन के अनुपयोग की स्थिति का शपथपत्र।

ख– दुर्घटना के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट।

ग– पुलिस रिपोर्ट जिससे वाहन के अनुपयोग की पुष्टि हो तथा पुलिस अथवा परिवहन विभाग से संबंधित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तकनीकी निरीक्षण,

घ– बीमा कम्पनी द्वारा वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में जारी रिपोर्ट एवं मुआवजा आदेश की प्रति।

ड.–वाहन के थाने मे निरूद्ध होने की स्थिति में उस आदेश की प्रति जिसके द्वारा वाहन थाने में निरूद्ध किया गया है। निरूद्ध किए गए वाहन के मुक्त कियें जाने सम्बन्धी आदेशों की प्रति, जिनके अन्तर्गत वाहन मुक्त किया गया।

(3) (क)–उपरोक्तानुसार दुर्घटनाग्रस्त अथवा थाने मे निरूद्ध किसी वाहन के मूल दस्तावेज समर्पित किये जाने के पश्चात कर की वसूली की कार्यवाही आस्थगित रखी जायेगी।

(ख)– धारा–12(9) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, जिसके समक्ष कराधान अधिकारी द्वारा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त अथवा वाहन के थाने में निरूद्ध होने के कारण अनुपयोग का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, कराधान अधिकारी द्वारा प्रेषित समस्त साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये वाहन के अनुपयोग को स्वीकार कर सकता है तथा संबंधित अवधि की बकाया राशि अथवा उसके भाग को अदेय घोषित करते हुये परिहार किया जायेगा।

(4) तथापि, यदि यह स्थापित हो जाता है, कि आवेदन पत्र मे घोषित अनुपयोग की अवधि में वाहन चलता हुआ देखा गया तो छूट निरस्त कर दी जाएगी और सम्बन्धित अवधि के कर [1][निकाल दिया गया] पुनः देय होंगे और इस आशय से कराधान अधिकारी वाहन स्वामी को नोटिस जारी करेगा तथा विधि अनुसार राजस्व वसूली की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

[अस्तित्व विहीन यानों के सम्बन्ध में कर का परिहार करने की प्रकिया

22ख [2][जब किसी यान का स्वामी कराधान अधिकारी को सूचित करें कि उसके यान की चोरी हो गयी है, नष्ट हो गया है, स्थायी रूप से उपयोग के

1 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा हटाया गया है। दिनांक 01–12–2012

2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढाया गया है।

योग्य नहीं रह गया है या स्थायी रूप से राज्य से बाहर अन्तरित हो गया है या कराधान अधिकारी अन्य किसी कारण से यान के अस्तित्व में न होने के सम्बन्ध में संतुष्ट है तो वह ऐसी जॉच पड़ताल करने एवं ऐसी प्रक्रिया, जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश में निर्धारित किया जाय, अपनाने के पश्चात, अभिलेखों में विद्यमान कर जब से यान की चोरी हो गयी है, नष्ट हो गया है, स्थायी रूप से उपयोग के योग्य नहीं रह गया है या स्थायी रूप से राज्य से बाहर अन्तरित हो गया है, के बकाये के भुगतान से या शास्ति से यान के स्वामी को मुक्त कर सकता है या उसका परिहार कर सकता है:

परन्तु यदि यान, जिसके सम्बन्ध में कर का परिहार किया गया हो, अस्तित्व में पाया जाय तो यथास्थिति बकाया कर, एवं शास्ति को उक्त यान स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकता है जिस प्रकार छूट प्राप्ति या परिहार न किये जाने की स्थिति में वसूल किये जाने योग्य होता।]

कर वापस या समायोजन का दावा करने की रीति–

23 (1) धारा 12 के अधीन कर [1][निकाल दिया गया] को वापस करने या समयोजन करने के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि कराधान अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि इस राज्य में मोटरयान का उपयोग लगातार एक मास से अन्यून अवधि के लिये नहीं किया गया है।

(2) वापस करने या समायोजन करने का दावा करने वाला व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से प्रपत्र छः के भाग एक में कराधान अधिकारी को एक आवेदन पत्र देगा। वह या तो आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र, इसके अभ्यर्पण और वापस करने का दिनांक दर्शित करते हुये, संलग्न करेगा या कराधान अधिकारी का अन्य साक्ष्य द्वारा समाधान करेगा कि उस अवधि के दौरान जिसके सम्बन्ध में कर [2][निकाल दिया गया] वापस करने या समायोजन करने का दावा किया गया है उत्तराखण्ड में मोटरयान का उपयोग नहीं किया गया था या नहीं किया जा सका है।

(3) जब नियम 21 के अधीन कर वापस करने का दावा यान का अन्य राज्य को अतंरण के आधार पर किया जाता है तो कर वापस करने का दावा करने वाला व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ कराधान अधिकारी का समाधान करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उस अवधि के दौरान जिसके संबंध में वापस करने का दावा किया गया है उत्तराखण्ड प्रदेश मे मोटरयान का उपयोग नहीं किया गया था या नहीं किया जा सका है।

(4) कराधान अधिकारी इसका स्वयं समाधान करा लेने के पश्चात कि दावा अनुमन्य है, दावेदार को देय धनराशि के वापस करने या समायोजन करने के लिये आवेदक को एक लिखित आदेश जारी करेगा और धनराशि वापस करने या समायोजन करने के आदेश के दिनांक और ऐसी अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो, जैसी कि परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, वापस करने या समायोजन करने के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

1, 2 उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–08/2013 द्वारा हटाया गया है। दिनांक 01–12–2012

(5) कर वापस करने का प्रत्येक आदेश केवल जिले के उस कोषागार में जहां से यह जारी किया गया है भुनाने योग्य होगा।

(6) कर वापसी या समायोजन का कोई आवेदन पत्र तब तक ग्राहय नहीं होगा, जब तक कि इसे, यथास्थिति वापसी अथवा समायेाजन देय होनें के तीन मास के अन्दर प्रस्तुत न कर दिया जाये।

(7) इस नियम के अधीन जारी किया गया कर वापस करने का प्रत्येक आदेश उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन निरस्त हुआ समझा जायेगा जब तक कि वह इसके जारी होने के दिनांक के तीस दिन के अन्दर भुनाने के लिये प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

(8) कराधान अधिकारी उप नियम (4) के अधीन कर वापस करने का आदेश जारी होने के दिनांक से किसी समय जो तीन मास से अधिक न हो, इसका नवीनीकरण कर सकता है और तब उपनियम (7) के उपबंध वापस करने के आदेश के लिये ऐसे लागू होंगे जैसे कि नवीनीकरण का दिनांक जारी करने का दिनांक था।

(9) यदि उपनियम (4) के अधीन जारी किया गया या उपनियम (8) के अधीन नवीकृत कर वापस करने का आदेश अभिवहन मे या अन्यथा खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो व्यक्ति जिसके पक्ष मे ऐसा वापस करने का आदेश जारी किया गया था, यथाशीघ्र किन्तु ऐसी हानि या नष्ट होने की जानकारी के दिनांक से तीस दिन के बाद नहीं, मामले की रिपोर्ट कराधान अधिकारी, जिसके द्वारा यह जारी किया गया था, को करेगा और उसको कोषागार से, जहां वापस करने का आदेश भुनाने योग्य था, भुगतान न दिए जाने के प्रमाणपत्र के साथ वापस करने के आदेश की दूसरी प्रति के लिये आवेदन कर सकता है।

(10) कराधान अधिकारी अपने द्वारा मूल रूप से जारी किए गये वापस करने के आदेश के खोने अथवा नष्ट होने तथा संबंधित कोषागार द्वारा इसके भुगतान न होने के संबध मे स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात वापस करने के आदेश की एक दूसरी प्रति जारी करेगा और ऐसे वापस करने के आदेश पर उपनियम (7) के उपबंध लागू होंगे।

[कर के विलम्ब से भुगतान के लिये शास्ति

24 [1][जहॉ धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहॉ प्रति माह देय कर के पॉच प्रतिशत की दर से शास्ति या उसका आंशिक भाग संदेय होगा;

परन्तु जहॉ स्वामी या संचालक किसी प्राकृतिक आपदा, दंगा, अग्निकाण्ड, दुर्घटना, बीमारी या ऐसे अन्य कारणों से समय से कर जमा न कर सका हो, वहॉ कराधान अधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुये धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित शास्ति के पचहत्तर प्रतिशत तक शास्ति को छोड़ या कम कर सकेगा।

[2][(2) उप नियम (1) में वर्णित स्थिति के रहते हुये भी जहॉ उत्तराखण्ड

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा संशोधित एवं पुनः अधिसूचना सं0 06/ix–1/2014/323/2006 दिनांक 03–01–2014 द्वारा संशोधित ।

में अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परमिटों पर आच्छादित यदि किसी वाहन का चालान परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कर जमा न करने के अपराध में किया जाता है तो उस दशा में देय कर की धनराशि के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी देय होगी।]

(3) उत्तराखण्ड से बाहर की अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी/स्थायी परमिट पर वाहनों के उत्तराखण्ड राज्य में बिना कर दिये संचालित पाये जाने पर या बिना परमिट उत्तराखण्ड में प्रवेश कर संचालित पाये जाने पर या उत्तराखण्ड

राज्य के अथवा बाहर के किसी भी निजी वाहन/प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित होना पाये जाने पर ऐसे वाहन अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत प्रावधानित कर, एवं शास्ति के दायी होंगे।]

धारा 16, 22 और 24 के प्रयोजनो के लिये प्राधिकृत अधिकारी–

25 धारा 16, धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 क अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकृत है, अर्थात–

(एक) परिवहन आयुक्त ,
(दो) अपर परिवहन आयुक्त,
(तीन) उप परिवहन आयुक्त,
(चार) सहायक परिवहन आयुक्त ,
(पांच) नियम 3 में परिभाषित कराधान अधिकारी।

अपराधों का प्रशमन–

26 धारा 24 के उपबंधों के अधीन कराधान अधिकारी या धारा 25 में उल्लिखित कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तो के अधीन किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है:–

(1) जहां वाहन स्वामी या संचालक परिस्थितिवश ऐसी स्थिति में था कि उसके लिये अधिनियम या इस नियमावली की अपेक्षाओ का अनुपालन करना, युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं था।

(2) जहां किसी प्राकृतिक आपदा, दंगा, अग्निकांड, दुर्घटना, बीमारी के कारण या ऐसे अन्य बाध्यकारी कारण से वाहन स्वामी या संचालक ऐसी सीमा तक रोका गया था कि उसके लिये अधिनियम या इस नियमावली की अपेक्षाओ का पालन करना युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं था।

अपीलें–

27 (1) धारा 18 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश सें व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के अन्दर ऐसे आदेश के विरूद्ध उप परिवहन आयुक्त को अपील कर सकता है। अपील दायर करते समय कराधान अधिकारी के द्वारा जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही है। आरोपित कर की धनराशि का पचास प्रतिशत जमा करते हुये कराधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित रसीद की प्रति जमा करनी होगी। अपील लिखित होगी और उसमें उन आधारों का कथन किया जायेगा, जिन पर अपीलार्थी आदेश का विरोध करता हो। अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी की सुनवाई करने और कराधान अधिकारी से ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश की पुष्टि या उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकता है।

(2) अपील के लिये शुल्क रूपये–पांच सौ होगा जो अपीलीय अधिकारी के कार्यालय मे जमा किया जायेगा।

(3) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा और इसके साथ आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो और उपनियम (2) के अधीन भुगतान की गई शुल्क की रसीद देगा।

कर के भुगतान से छूट–

28 निम्नलिखित वर्गो के मोटरयानों को अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से पूर्णतया छूट दी गई है:–

(एक) मोटरयान (भाडे पर सामान तथा यात्रियो को ले जाने वाले से भिन्न), जो भारत सरकार या भारत के किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में हो, और उनके द्वारा या उनकी ओर से अनन्य रूप से उपयोग मे लाये जाते हो,

(दो) मोटरयान (भाडे पर सामान तथा यात्रियो को ले जाने वाले से भिन्न), जो उत्तराखण्ड में स्थित किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हो और उनके द्वारा या उनकी ओर से (अनन्य रूप से) उपयोग मे लाये जाते हो,

(तीन) मोटरयान जिनका उपयोग आग बुझाने के लिए आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग मे लाये जा रहे हो।

(चार) एम्बुलेंस नामक मोटरयान जिनका उपयोग रोगी को अस्पताल लाने ले जाने के लिये आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग में लाये जा रहे हो;

(पॉच) पशुओं पर निर्दयता को रोकने के लिये और एक मात्र बीमार पशुओं के प्रवहण के लिये

उपयोग मे लाये जा रहे समिति के स्वामित्व वाले मोटरयान,

(छः) ऑवजीलरी फोर्स एक्ट, 1920, इंडियन टेरीटोरियल फोर्सेज ऐक्ट, 1920 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कराधान से दी गयी छूट वाले मोटरयान,

[1]**(सात)** [निकाल दिया गया]

(आठ) ''ट्रिप–टायकयू'' या कारनेट–डि–पैसेज के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आयातित या आने के पश्चात तीस दिन से अनधिक अवधि के लिये आ रहे मोटरयान।

[2] **(नौ)** [कृषि प्रयोजनों हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं फार्म से बाजार या बाजार या कारखाने तक जाने वाली सड़क पर मात्र कृषि उत्पाद के परिवहन के लिये प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रेलर,]

(दस) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उपयोग के लिये निर्मित या विशेष रूप से अंगीकृत परिवहन यान से भिन्न यान, जहां ऐसे यान ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हो और उनके द्वारा निजी एवं वैयक्तिक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाते हो, और

[3] **(ग्यारह)** [निकाल दिया गया]

[4] **(बारह)** [अनन्य रूप से शोकाकुल व्यक्तियों सहित शवों को ले जाने वाले मोटरयान।]

1, 3 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है।
2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है
4 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढाया गया है

29 [1] [निकाल दिया गया]

30 [2] [निकाल दिया गया]

निधि के प्रशासन और उपयोग की रीति

31 **(1)** उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता मे दुर्घटना हुई हो, [3][निकाल दिया गया] राहत के लिये व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो और राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त को अपनी संस्तुतियॉ करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि संबंधित जिला मजिस्ट्रेंट के निस्तारण पर आवंटित करेगा जो ऐसा होने पर इसे स्वीकृत, आहरित और ऐसे राहत के हकदार व्यक्तियों में वितरित करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट पूर्ववर्ती मास मे उसकी अधिकारिता में हुई दुर्घटनाओ का विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन परिवहन आयुक्त को भेजेगा और परिवहन आयुक्त दुर्घटनाओं का समेकित मासिक विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन शासन को भेजेगा।

1, 2, 3 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है।

[1] **[प्रपत्र–क**

(नियम–7 देखिये)

धारा 13 के अधीन मोटरयान के स्वामी द्वारा घोषणा

भाग–एक

(मोटरयान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

मैं................................निवासी.....................एतद्द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 13 के अधीन नीचे वर्णित मोटरयान के सम्बन्ध में भुगतान प्रमाण पत्र जारी करने के लिये और मोटरयान अधिनियम के अधीन उक्त मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ–

1– स्वामी का पूरा नाम...

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति..

2–स्थायी पता...
3–अस्थायी पता (यदि कोई हो)..
4–निर्माण का वर्ष...
5–इंजन संख्या या बैटरी चालित यान के सम्बन्ध में मोटर संख्या......................................
6–चेसिस संख्या...
7–यान की श्रेणी..
(यदि मोटरसाइकिल है तो गियर सहित या रहित)
8–यान का प्रकार–

(क) गैर परिवहन यान (मोटर साइकिल/मोटरकार/ओमनी बस/ट्रैक्टर ट्रेलर/शैक्षणिक संस्थान की बस/निजी सेवायान/निर्माण उपस्कर यान/विशेष रूप से निर्मित यान आदि).....................
....

9–लदान रहित भार...
10–लदान सहित भार...
11–सीट क्षमता (चालक सहित)..
12–इंजन क्षमता (सी0सी0)..
13–प्रयुक्त ईंधन..
14–बॉडी की किस्म और रंग....................
15–केवल परिवहन मोटरयान के सम्बन्ध में–

(क) अगली धुरी...
(ख) पिछली धुरी...
(ग) कोई अन्य धुरी...
(घ) टेंडेम धुरी...
(ड) प्रत्येक धुरी पर लगे टायर की संख्या वर्णन और आकार..................................

16–मोटर वाहन है–

(क) नया वाहन...
(ख) पूर्व में सेना का वाहन...
(ग) आयातित वाहन...
(घ) दूसरे राज्य से आब्रजनिक वाहन...

17–यान के बीमा की वैधता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
18–कर में यदि छूट प्राप्त है तो उल्लेख करें..

(प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न करें)

19–परमिट यदि कोई हो, की वैधता..

(प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न करें)

मैं नियम.........................के अधीन कर के भुगतान से छूट का दावा करता हूँ और अपने दावे का सबूत भी संलग्न कर रहा हूँ।

एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि ऊपर वर्णित नाम और पता तथा अन्य विवरण सत्य है।

दिनांक......................   आवेदक के हस्ताक्षर

(जो लागू न हो काट दें)

भाग–दो

(कराधान अधिकार द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित मोटरयान नियम.................के अधीन कर से मुक्त है और यह कि कर जमा प्रमाण पत्र..........................दिनांक.....................को जारी किया गया है।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा के अनुसार उसमें वर्णित मोटरयान पर कर रू0.........संदेय है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त यान के सम्बन्ध में समाप्त हो रही अवधि.................के लिये रू0................की धनराशि का भुगतान कर के रूप में किया जा चुका है और यह कि उपरोक्त घोषणा की शुद्धता के अध्याधीन आवेदक को कर जमा प्रमाण पत्र....................दिनांक...............को जारी किया जा चुका है।

दिनांक................... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
सम्भाग/उपसम्भाग

भाग–तीन

(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें वर्णित मोटरयान को मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं उसके अधीन जारी नियमों के अध्याधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है और कि........................तक एक वैध रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है और यह कि यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या की प्रविष्टि कर जमा प्रमाण पत्र में की जा चुकी हैं।

यान का रजिस्ट्रीकृत संख्या..

दिनांक................... रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
का हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग....]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

[1] [प्रपत्र ख

(नियम 8(1) और 20 देखिये)

धारा 13 के अधीन अतिरिक्त घोषणा

भाग–एक

(आवेदक द्वारा पूरा किया जायेगा और परिवहन यान की दशा में दो प्रतियों में भरा जायेगा)

मैं.........................एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने इसके साथ संलग्न किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं कर भुगतान प्रमाण पत्र से आच्छादित अपने मोटर यान संख्या.........में*............को निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया है–

परिवर्तनों का विवरण.........................

दिनांक... हस्ताक्षर..

*यहॉ परिवर्तन का दिनांक रख दिया जाय।

भाग–दो

(कराधान अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

अधिसूचना.....................जिसके अधीन यान के परिवर्तन के पूर्व कर.................अवधि.....से............तक जमा किया गया था।

अधिसूचना...............जिसके अधीन कर की धनराशि...........रूपये यान पर परिवर्तित रूप में कर संदेय है।

परिवर्तित रूप में देय कर की धनराशि.........से.........तक............रूपये...........प्रति मास की दर से............ पूर्ण महीनों के लिये कटौती..........रूपये.............को समाप्त होने वाले अवधि के लिये देय कर की कुल धनराशि...........रूपये..............को समाप्त होने वाले अवधि के लिये कर के अन्तर के रूप में देय धनराशि..........रूपये रसीद संख्या..............द्वारा दिनांक..............को प्राप्त किये।

आवेदक को जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कर भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र को शुद्ध और पूरा किया गया।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

दिनांक................... कराधान अधिकारी
संभाग/उपसंभाग..]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित

[1] [प्रपत्र–ग
(नियम 9–क(क) देखिये)
अभिग्रहीत वाहन की नीलामी से पूर्व वाहन स्वामी को नोटिस

1. यान के स्वामी का नाम..............................
2. पता..

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक........को थाना............में अभिग्रहीत वाहन संख्या............के सम्बन्ध में..........से..........अवधि तक देय कर रू0.........शास्ति रू0........कुल रूपया.........आपके द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन यदि देय पूर्वोक्त कर और शास्ति का भुगतान यान के अभिग्रहण के दिनांक से 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसे मोटर यान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्रीत किया जा सकता है।

अतः एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उक्त देय धनराशि जमा कर दें/भुगतान प्रमाण पत्र यदि पहले जमा हो, प्रस्तुत कर दें। यदि उक्त विहित अवधि में देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है/भुगतान प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऊपर उल्लिखित अभिग्रहीत यान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है।

दिनांक.......... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

सम्भाग/उप सम्भाग

वित्त पोषक, (यदि कोई हो) को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति

1– वित्त पोषक का नाम...........................

2– पता.............. दिनांक............ कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

सम्भाग/उप सम्भाग......]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [प्रपत्र–घ
(नियम 12 देखिये)
कर के भुगतान हेतु आवेदन–पत्र

भाग–एक
(मोटरयान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

1. मैं............एतद्द्वारा अपने रजिस्ट्रीकृत मोटरयान संख्या.........के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी..........से...........तक कर का भुगतान करने हेतु आवेदन करता हूँ।
2. मैं इसके साथ उक्त मोटरयान हेतु जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं कर प्रमाण पत्र परिशीलन करने और मुझे वापस करने के लिये संलग्न करता हूँ।

दिनांक................. आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–दो
(कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि......................रूपये की राशि देय है और मोटरयान संख्या..................के सम्बन्ध में कर की किस्त के रूप में उसका भुगतान किया गया है।

दिनांक.............. कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

सम्भाग/उप सम्भाग।

भाग–तीन
(संभाग/उप संभाग, जिसमें उपर्युक्त कर का भुगतान किया गया है से भिन्न संभाग/उप संभाग में रजिस्ट्रीकृत यान की स्थिति में कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

कार्यालय संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी.......संभाग/उपसंभाग...........पत्र संख्या......... .दिनांक................

प्रतिलिपि– संभागीय परिवहन अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी...........संभाग/उप संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

दिनांक.......................................   कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [प्रपत्र घ–1

(नियम 12 देखिये)

कर भुगतान प्रमाण–पत्र (धारा 4 के अधीन)

(मासिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या..माडल..
2. पंजीयन की तिथि..
3. स्वामी का नाम..
4. पता...
5. मार्ग..
6. मार्ग की लम्बाई (कि0मी में)..
7. कैलेण्डर माह में फेरों की संख्या...
8. एक माह में आच्छादित दूरी (कि0मी0 में)...
9. बैठने की क्षमता (चालक को छोडकर)...
10. एक कैलेण्डर माह के कर की धनराशि...
11. मासिक किश्त की धनराशि...
12. देय धनराशि यदि हो..
13. भुगतान का विवरण वर्ष..

कमांक	कैलेण्डर माह का नाम	भुगतान की गयी राशि	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	जनवरी				
2	फरवरी				
3	मार्च				
4	अप्रैल				
5	मई				
6	जून				
7	जुलाई				
8	अगस्त				
9	सितम्बर				
10	अक्टूबर				
11	नवम्बर				
12	दिसम्बर				

दिनांक...   कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग....................]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढा दिया गया है।

[1] [प्रपत्र–घ–2

(नियम 12 देखिये)

कर भुगतान प्रमाण–पत्र (धारा 4 के अधीन)

(त्रैमासिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या......................................माडल..

2. पंजीयन की तिथि...
3. स्वामी का नाम..
4. पता...
5. सकल यान भार..
6. लदान रहित भार...
7. बैठने की क्षमता (चालक सहित)..
8. प्रति त्रैमास कर की दर रूपये में..
वर्ष........................

कमांक	त्रैमास	भुगतान की गयी राशि (रूपये में)	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम त्रैमास माह...... ......से ....तक				
2	द्वितीय त्रैमास माह... .....से.......तक				
3	तृतीय त्रैमास माह..... ...से.......तक				
4	चतुर्थ त्रैमास माह..... ..से........तक				

दिनांक........................ कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर

संभाग / उप संभाग.......................]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढा दिया गया है।

[1] [प्रपत्र–घ–3

(नियम 12 देखिये)

कर भुगतान प्रमाण पत्र (धारा 4 के अधीन)

(वार्षिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या...................................माडल.......................................
2. पंजीयन की तिथि...
3. स्वामी का नाम..
4. पता...
5. सकल यान भार..
6. लदान रहित भार...
7. बैठने की क्षमता (चालक सहित)..
8. कर की प्रति वर्ष दर रूपये में..
वर्ष........................

कमांक	वर्ष	भुगतान की गयी राशि	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष........माह........से........... ...तक				
2	वर्ष.........माह....से.............. तक				
3	वर्ष........माह........से........... ..तक				
4	वर्ष............माह.....से.......... ...तक				

दिनांक................................ कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

संभाग / उप संभाग....................]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढा दिया गया है।

[1] [प्रपत्र–घ–4

(नियम 12 देखिये)

कर भुगतान प्रमाण पत्र (धारा 4 के अधीन)

(एक बार देय कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.......................................माडल..

2. पंजीयन की तिथि...

3. स्वामी का नाम...

4. पता..

5. सकल यान भार..

6. लदान रहित भार...

7. बैठने की क्षमता (चालक सहित)..

8. एक बारीय कर की दर रूपये में...

9. भुगतान की गयी राशि रूपये में...

रसीद संख्या...दिनांक...

दिनांक.................................. कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

संभाग / उप संभाग..................]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढा दिया गया है।

प्रपत्र –ङ

(नियम 18 देखिये)

मोटरयान के स्वामी को नोटिस

सेवा मे,

....

पता...

....

एतत्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके द्वारा उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान के संबंध में संलग्न घोषणा प्रपत्र भरें, हस्ताक्षर करे और अधोहस्ताक्षरी को दे, इस नोटिस की तामील के दिनांक से 15 दिन की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्रत्येक वाहन पर देय कर का भुगतान करें।

घोषणा देने या कर देने में विफल रहना उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के अधीन अपराध है।

दिनांक..................20.................. कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर

[1] [प्रपत्र–ङ 1

(नियम 18(3) देखिये)

यान के देयों के सम्बन्ध में नोटिस

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम..

पूरा पता...

यान संख्या........................का देय कर..................के पश्चात जमा नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अधीन कर के रूप में.............. रूपये की धनराशि देय है और उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियमावली 2003 के नियम 24 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति के रूप में................... रूपये की धनराशि देय है।

अतः एतद्द्वारा आपको नाटिस दी जाती है कि देय धनराशि का भुगतान इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत कर दें / भुगतान प्रमाण पत्र (यदि पहले ही संदत्त हो) प्रस्तुत कर दें। यदि उक्त विहित समय के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता

है/भुगतान प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

दिनांक................................ कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

संभाग/उप संभाग.........................

प्रतिलिपि– वित्तपोषक (यदि कोई हो) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

वित्त पोषक का नाम.....................................

पता...

दिनांक... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

सम्भाग/उपसम्भाग...............]

1 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढाया गया है।

[1] [प्रपत्र च

(नियम 22(1) देखिये)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अभ्यर्पण के लिये आवेदन पत्र

भाग एक

(मोटर यान स्वामी द्वारा अभ्यर्पण के समय पूर्ण किया जायेगा)

सेवा में,

कराधान अधिकारी,

....

(1) रजिस्ट्रीकरण स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)...

(2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का डाक का पता...

(3) अभ्यर्पित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या...

(4) वह दिनांक जब तक कर जमा है..

(5) उपयोग न किये जाने की संभावित अवधि, दिनांक....................से........................तक

(6) उस स्थान का डाक का पता जहॉ अभ्यर्पण अवधि के दौरान मोटरयान रखा जायेगा.........................
....

(7) मोटर यान का उपयोग न किये जाने के कारण (विस्तार में)..

मैं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 22 के उपनियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ–

(1) यथा स्थिति [2] [सौ रूपये] की रसीद का क्रमांक.......................दिनांक.....................

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(3) कर भुगतान प्रमाण पत्र

(4) स्वस्थता प्रमाण पत्र

(5) परमिट (यदि कोई हो)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूॅ कि किसी अकल्पित घटना यथा बाढ, आगजनी या इसी प्रकार के अन्य कारण के सिवाय और जिस मामलें में उसके सम्बन्ध में सूचना कराधान अधिकारी को इस प्रकार हटाये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर भेजी जायेगी, कराधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उक्त यान को उपरोक्त उल्लिखित स्थान से नहीं हटाऊंगा। मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूॅ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान..

दिनांक........................ स्वामी का हस्ताक्षर

भाग दो

अभ्यर्पण की स्वीकृति

अभ्यर्पण रजिस्टर का क्रमांक..............दिनांक................

श्री.......................से यान जिसकी संख्या...........है, के........से............तक की अवधि के लिये उपयोग न किये जाने सम्बन्धी सूचना प्रपत्र च में दिनांक...........को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुयी–

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
(2) कर भुगतान प्रमाण पत्र
(3) स्वस्थता प्रमाण पत्र
(4) परमिट (यदि कोई हो)

दिनांक...................... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर

संभाग / उपसंभाग.......]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 अधिसूचना सं0–139 / ix–1 / 323 / 0 / 2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित

[1] [प्रपत्र च–1
(नियम 22(5) देखिये)
अभ्यर्पण रजिस्टर

कमांक	अभ्यर्पण का दिनांक	रजिस्ट्रीकरण संख्या	यान का प्रकार	स्वामी का नाम एवं पता	अभ्यर्पण की अवधि से तक
1	2	3	4	5	6

वह स्थान जहां यान रखा जायेगा	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर	निरीक्षण रिपोर्ट का सार	स्थान (यदि कोई हो) परिवर्तन की अनुमति	दस्तावेजों की वापसी का दिनांक	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
7	8	9	10	11	12]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढाया गया है।

[1] [प्रपत्र च–2
(नियम 22(10) देखिये)
अभ्यर्पित दस्तावेजों की वापसी हेतु आवेदन पत्र

मैं................एतद्द्वारा अपने मोटरयान संख्या................जिसे दिनांक.........को अभ्यर्पित किया गया था के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की वापसी के लिये आवेदन करता हूँ।

*इसके साथ प्रपत्र घ में कर का भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र भी संलग्न हैं

दिनांक................. आवेदक के हस्ताक्षर

*यदि आवश्यक न हो तो काट दें]

1 अधिसूचना सं0–1009 / ix–1 / 2012 / 323 / 2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा बढाये गये है।

प्रपत्र–छ
(नियम 23(2) देखिये)
कर को वापस करने के लिये आवेदन पत्र
भाग–एक
(दावेदार द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

मै..........................अपने मोटरयान के संबंध में ....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये....................रूपये के कर का भुगतान कर चुका हूँ................. एतत्द्वारा इस आधार पर कि उक्त वाहन का उत्तराखण्ड में ....से......................तक उपयोग नहीं किया गया था, उक्त कर को वापस करने के लिये आवेदन करता हूँ।

*मै इसके साथ अपने दावे के समर्थन मे उक्त वाहन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करता हूँ।

*(जब यान को उत्तराखण्ड से अन्य राज्य को अतंरण के आधार पर वापस करने का दावा किया जाता है, आवश्यक नहीं है)

दिनांक..................20.............. ....

दावेदार के हस्ताक्षर

भाग–दो

(कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

वापस करने के लिये दावा ....को उद्‌भूत था और ....को प्रस्तुत किया गया था.................से प्रारम्भ होने वाली और.................को समाप्त होने वाली अवधि के लिये वापस करना स्वीकृत किया गया।...........रूपये की धनराशि वापिस की जायेगी। वापसी वाउचर संख्या.......दिनांक......................रूपये के लिये आवेदक को व्यक्तिगत रूप से /डाक द्वारा दिया गया/भेजा गया।

दिनांक ....20.............   ....

कराधान अधिकारी के हस्ताक्षा

[1] **प्रपत्र ज –** [निकाल दिया गया]

[2] **प्रपत्र झ–** [निकाल दिया गया]

1, 2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है।

[1] [प्रपत्र ञ

(नियम 17 (1) देखिये)

1. संचालक का नाम ....
2. मार्ग का नाम, जिसके
लिये परमिट स्वीकृत किया गया.....................
3. मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में) ....
4. एक माह में एकल फेरों की संख्या ....
5. एक माह में तय किये गये किलोमीटर की कुल संख्या ....
6. दैनिक समय–सारणी

प्रस्थान का समय	स्टेशन से	पहुंचने का समय	स्टेशन को]

[2] [प्रपत्र ञ–1

(नियम 17 (5) देखिये)

1. संचालक का नाम ....
2. मार्ग का नाम, जिसके
लिये परमिट स्वीकृत किया गया.....................
3. मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में) ....
4. दैनिक समय–सारणी

दिनांक	प्रस्थान का समय	स्टेशन से	पहुंचने का समय	स्टेशन को	तय की गई कुल दूरी

संचालक के हस्ताक्षर]

[3]**ट अनुसूची** [निकाल दिया गया]

1, 2 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 अधिसूचना सं0–1009/ix–1/2012/323/2006 दिनांक 29–11–2012 द्वारा निकाल दिया गया है।

[1]उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2 जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से अध्यक्ष कार्यकारिणी निधि अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य सचिव'' से सदस्य सचिव, राहत निधि अभिप्रेत है;

(घ) ''वर्ष'' से वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) ''नियमावली'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 अभिप्रेत है;

(छ) ''निधि'' से मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित ''उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि'' अभिप्रेत है;

(ज) ''परिवहन आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

टिप्पणी– इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ वही होंगे, जो उनके लिये उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 या उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में दिये गये है।

निधि का गठन 3 निधि का गठन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उदग्रहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि जमा करते हुये किया जायेगा।

राहत की हकदारी 4 (1) [2]{किसी सार्वजनिक सेवायान, (जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित है) के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे।''

(2) प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन राहत की मात्रा ऐसी होगी, जैसी इस नियमावली के अन्त में दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है}

निधि का प्रशासन 5 (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी, जो निधि के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी एवं अधिनियम एवं नियमावली एवं इस नियमावली के अधीन या उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगी।

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–310/ix/195/2008 दिनांक 30–12–2008 द्वारा जारी दिनांक 30–12–2008 से प्रवृत्त

2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–485/ix/235/2011 दिनांक 14–10–2011 से प्रतिस्थापित

(2) कार्यकारिणी अपने कृत्यों, का दक्षतापूर्वक निर्वहन परिवहन आयुक्त कार्यालय के उपलब्ध कर्मचारिवृन्दों से करायेगी। कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नवत होगा–

(एक) परिवहन आयुक्त–	अध्यक्ष
(दो) अपर परिवहन आयुक्त या मुख्यालय पर तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न अधिकारी, जब अपर परिवहन आयुक्त उपलब्ध न हो अथवा पद रिक्त हो–	सदस्य–सचिव
(तीन) सम्बन्धित जिले से सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य

(चार) सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी — सदस्य

(पांच) परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा कोई नामित विभाग का वित्त सेवा का कोई अधिकारी — सदस्य

कार्यकारिणी की बैठक 6 नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार गठित कार्यकारिणी की बैठक हेतु एक सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य– सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। बैठक की गणपूर्ति 03 होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं वित्त सेवा के सदस्य सम्मिलित होने आवश्यक होंगे।

निधि का रख रखाव 7 निधि का रख–रखाव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में होगा।

[1]**{निधि का वित्त पोषण, प्रशासन एवं उपयोग की रीति** 8

(1) कार्यकारिणी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा जो इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार शासित होगा।

(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारो से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन उदगृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उदगृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, कराधान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दुर्घटना राहत निधि के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोलें गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी सम्भाग/उपसम्भाग अथवा चैकपोस्ट पर भारतीय स्टेट बैंक की सी0बी0एस0 शाखा उपलब्ध है, तो उक्त क्षेत्र का कराधान अधिकारी बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर उपरोक्त धनराशि सीधे खाते में जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–485/ix/235/2011 दिनांक 14–10–2011 से प्रतिस्थापित

परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेगा।

(3) परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के 15 दिवस के भीतर रूपये 25–25 लाख की धनराशि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निर्वतन पर, इस निधि से सम्बन्धित राहत राशि वितरण के लिये, रखी जायेगी।

(4) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि, (जनपद का नाम)'' के नाम से बचत बैंक खाता खोला जायेगा।

(5) जनपदों में खोले गये उक्त खाते का संचालन जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट, अपर जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी के अधिकारी एवं जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

(6) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुयी हो, नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन राहत के लिये व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत के लिये हकदार व्यक्तियों को सुनिश्चित करते हुये उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये खाते से तत्काल आर्थिक सहायता वितरित करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पश्चात अगले माह की 5वीं तारीख तक पूर्ववर्ती माह में जनपद में घटित सड़क दुर्घटनाओं, वितरित की गयी धनराशि, सम्बन्धित वाहन दुर्घटना के विवरण, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीद सहित परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। प्रेषित सूचना के साथ ही

जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग का प्रस्ताव भी परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जायेगा।

किसी जनपद के जिलाधिकारी से मांग प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा उक्त निधि से ऐसी धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी को पुनः आवंटित की जायेगी कि जिलाधिकारी के बचत

(8) खाते में न्यूनतम रूपये 25 लाख की धनराशि बनी रहे।

वित्तीय वर्ष के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा पूरी वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा तथा खाते में अवशेष धनराशि का विवरण अगले वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जायेगा।

(9) उपनियम (2) एवं उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाते में अर्जित ब्याज, उक्त निधि का भाग माना जायेगा। उक्तानुसार निधि के मूलधन व ब्याज की धनराशि नियमावली के नियम 8, 9 एवं 10 के अनुसार वर्णित कार्यों के लिये उपयोग की जायेगी। }

(10)

लेखा सम्परीक्षा 9 [1]{कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों, जिसमें जिलाधिकारियों के स्तर पर रखो गये लेखे भी सम्मिलित होंगे, की लेखा परीक्षा के लिये एक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।}

प्रतिवेदन 10 कार्यकारिणी उस समय के पूर्व, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मांगने की शक्ति 11 राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सूचनायें एवं लेखे मांग सकती है जो उसके विचार से उन्हे युक्तियुक्त रूप से संतुष्ट करने के लिये आवश्यक हो, एवं कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल राज्य सरकार को सूचनायें एवं लेखे प्रस्तुत करेगी।

कार्यकारिणी को उप विधियॉ बनाने की शक्ति 12 कार्यकारिणी को इस अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, अपने कारबार के संचालन को विनियमित करने के लिये उप विधियॉ बनाने की शक्ति होगी।

नियमों के प्रवर्तन में कठिनाईयों का दूर किया जाना 13 नियमावली के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकती है। जो इस नियमावली से असंगत न हों।

[2]{अध्यारोही प्रभाव 14 किसी अन्य नियमावली में इस विषय पर बनाये गये नियमों में किसी नियम के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली में दी गयी व्यवस्था प्रभावी होगी।

अनुसूची

(नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत)

क्रम संख्या	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित	50,000

	यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनो नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनो कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे	20,000
4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	5000

1, 2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–485/ix/235/2011 दिनांक 14–10–2011 से प्रतिस्थापित

x—x—x

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग का इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिभाषायें 2 (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होते हुये भी इस नियमावली में–

(क) ''अतिरिक्त कर'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर अभिप्रेत है।;

(ख) ''कर'' से ''उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003'' के अधीन विनिर्दिष्ट कर अभिप्रेत है;

(ग) ''यूजर चार्ज'' से इस नियमावली के नियम 3 में विहित यूजर चार्ज अभिप्रेत है।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 वर्ष 1988), केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 वर्ष 2000) में प्रयुक्त और इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उक्त अधिनियम और नियमों में दिये गये है।

इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के लिये यूजर चार्ज 3 मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण, परमिट, फिटनेस, चालन अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति कर/अतिरिक्त कर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित किसी अभिलेख के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तदधीन बनायें गये नियमों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन देय कर/अतिरिक्त कर, फीस के अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिये प्रति संव्यवहार रू0 20.00 यूजर चार्ज लिया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र स्मार्ट कार्ड 'चिप सहित' के रूप में होगा तो संव्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि रू0 100.00 प्रति संव्यवहार होगी।

राज्य/जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियों का गठन 4 इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड की गुणवत्ता बनाये रखने एवं दक्षता में सुधार लाने के प्रयोजन से नियम 3 के अधीन अधिग्रहित यूजर चार्ज के अधीन प्राप्त धनराशि के प्रबन्धन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (संख्या 21 वर्श 1860) के प्राविधानों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा निम्नवत राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियॅा गठित की जायेगी अर्थात–

(1) **राज्य स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समिति–**

(एक)	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(दो)	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
(तीन)	एन0आई0सी0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(चार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी और	सदस्य

	उनकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड।	
(पांच)	सहायक परिवहन आयुक्त और उनकी अनुपस्थिति में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य/संयोजक

(2) **जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समिति–**

(एक)	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और उनकी अनुपस्थिति में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य/संयोजक
(तीन)	एन0आई0सी0 के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

परिवहन प्रबन्ध समितियों के कार्य एवं दायित्व

5 परिवहन प्रबन्ध समितियों के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगे अर्थात–

(क) यथा स्थिति राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों, जिसमें सम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं चेकपोस्ट भी सम्मिलित है, में स्थापित कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस, फार्म्स, साफ्टवेयर की समीक्षा की जायेगी एवं सभी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखा जायेगा;

(ख) एन0आई0सी0 के सहयोग से आपरेशनल मैनपावर की व्यवस्था करना;

(ग) नियम 3 के अधीन प्राप्त धनराशि का प्रबन्धन एवं उसका प्रयोग इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड व्यवस्थित रखने में करना;

(घ) जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह प्राप्त यूजर चार्ज का बैंक ड्राफ्ट ठीक उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति को भेजा जायेगा;

(ङ) [1]राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि किसी सम्भाग/उप सम्भाग अथवा चैक पोस्ट पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस शाखा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का अधिकरी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। खाते में अर्जित ब्याज, यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 5, 7 एवं 9 में उल्लिखित कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

(च) खातें का संचालन परिवहन आयुक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। खातें में संकलित धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति के संकल्प के अनुसार होगा।

यूजर चार्ज प्राप्ति की रसीद एवं

6 [2]यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद, राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी। जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा

अभिलेखों का रख रखाव

राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए बैंक ड्रॉफ्ट्स अथवा खाते में नकद जमा करायी गई धनराशि के अभिलेख भी रखे जाएंगे, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख भी रखे जायेंगे :—

(क) बैंक पासबुक,
(ख) चैकबुक रजिस्टर,
(ग) राज्य स्तरीय समिति / जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख,
(घ) स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख,
(ङ) दैनिक रोकड़ बही,
(च) ऑडिट आदि सम्बन्धित अभिलेख,
(छ) अन्य अभिलेख जैसा कि राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

यूजर चार्ज के उपयोग हेतु प्रस्ताव 7

(1) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये निम्नलिखित मदों में इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस के अनुरक्षण / संवर्धन हेतु यूजर चार्ज के उपयोग के लिये प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जायेगा अर्थात—

(एक) [3]कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण;
(दो) [3]जनरेटर के क्रय, मरम्मत एवं जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था;
(तीन) [3]सर्वर रूम में हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था;
(चार) अन्य कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य / आइटम का क्रय, मरम्मत;
(पांच) कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी / कार्टिरेज / प्रिन्टर रिबन एवं फर्नीचर आदि का क्रय;
(छः) कार्यालय के प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु आवश्यक सूक्ष्म सिविल कार्य (पार्टीशन आदि), जिनमें सामान्य अनुरक्षण, मरम्मत सम्मिलित है;
(सात) कंजूमेबिल्स यथा— कार्टिरेज रिफिलिंग, प्रिन्टर हैंड, ड्रम किट आदि की व्यवस्था;
(आठ) विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था;
(नौ) सम्बन्धित कार्यालय में यूजर चार्जेज को प्रदर्शित करते हुये डिस्प्ले बोर्डो, की व्यवस्था तथा प्रचार सामग्री और
(दस) [4]कम्प्यूटर एवं अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।
(ग्यारह) [4]कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जांच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।
(बारह) [4]विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।
(तेरह) [4]कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण।

(चौदह) [4]कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप में दर्ज करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(पन्द्रह) [4]कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/ प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सोलह) [4]कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों मे ंसीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सत्रह) [4]कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(अठ्ठारह) [4]कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

(उन्नीस) [4]सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

(2) [5]राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य स्तरीय कार्यालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार

8 [6](1) राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा इस निमित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जाएगी। इस खाते में अर्जित ब्याज भी यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा।

(2) इस खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एकसमय में रू0 1.00 लाख एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक समय रू0 50 हजार की सीमा तक नियम 7 में वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा :

परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय समिति की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

लेखा सम्परीक्षा

9 राज्य स्तरीय समिति प्रतिवर्ष यूजर चार्ज से प्राप्ति एव ंक्रय से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा के लिये एक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी, उसका पारिश्रमिक तय करेगी, जिसका भुगतान प्राप्त यूजर चार्ज से किया जायेगा। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत

करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

अन्य उपबन्ध 10 (1) यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/उपबन्धों के अधीन रहते हुये किया जायेगा;

(2) [7]राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति एवं जिला स्तरीय प्रबन्ध समितियों द्वारा किसी भी दशा में यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि तथा खाते में अर्जित ब्याज से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) यूजर चार्ज की दरों में कोई परिवर्तन शासन के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

मूल नियमावली अधिसूचना संख्या–124/ix/176/2007 दिनांक 04–05–2011 द्वारा प्रख्यापित/प्रकाशित की गयी।

[1,2,3,5,6 एवं 7]अधिसूचना संख्या–810/ix/176/2007 दिनांक 08–10–2012 द्वारा संशोधित।

[4]अधिसूचना संख्या–810/ ix/176/2007 दिनांक 08–10–2012 द्वारा बढाया गया है।

क्रम संख्या–71

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

राज्य का चिन्ह

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून बुधवार, 04 मई 2011 ई0

बैशाख 14, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 124/ix/176/2007

देहरादून 04 मई, 2011

अधिसूचना

प0 आ0–46

राज्यपाल एतदद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 वर्श 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग का इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिभाषायें 2 (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होते हुये भी इस नियमावली में–

(क) ''अतिरिक्त कर'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर अभिप्रेत है।;

(ख) ''कर'' से ''उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003'' के अधीन विनिर्दिष्ट कर अभिप्रेत है;

(ग) ''यूजर चार्ज'' से इस नियमावली के नियम 3 में विहित यूजर चार्ज अभिप्रेत है।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 वर्ष 1988), केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 वर्ष 2000) में प्रयुक्त

और इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उक्त अधिनियम और नियमों में दिये गये है।

इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के लिये यूजर चार्ज 3 मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण, परमिट, फिटनेस, चालन अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति कर/अतिरिक्त कर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित किसी अभिलेख के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तदधीन बनायें गये नियमों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन देय कर/अतिरिक्त कर, फीस के अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिये प्रति संव्यवहार रू0 20.00 यूजर चार्ज लिया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र स्मार्ट कार्ड 'चिप सहित' के रूप में होगा तो संव्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि रू0 100.00 प्रति संव्यवहार होगी।

राज्य/जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियों का गठन 4 इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड की गुणवत्ता बनाये रखने एवं दक्षता में सुधार लाने के प्रयोजन से नियम 3 के अधीन अधिग्रहित यूजर चार्ज के अधीन प्राप्त धनराशि के प्रबन्धन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (संख्या 21 वर्श 1860) के प्राविधानों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा निम्नवत राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियॉ गठित की जायेगी अर्थात–

(1) **राज्य स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समिति–**

(एक)	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(दो)	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
(तीन)	एन0आई0सी0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(चार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड।	सदस्य
(पांच)	सहायक परिवहन आयुक्त और उनकी अनुपस्थिति में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य/संयोजक

(2) **जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समिति–**

(एक)	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और उनकी अनुपस्थिति में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य/संयोजक
(तीन)	एन0आई0सी0 के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

परिवहन प्रबन्ध समितियों के कार्य एवं दायित्व 5 परिवहन प्रबन्ध समितियों के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगे अर्थात–

(क) यथा स्थिति राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों, जिसमें सम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं चेकपोस्ट भी सम्मिलित है, में

स्थापित कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस, फार्म्स, साफ्टवेयर की समीक्षा की जायेगी एवं सभी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखा जायेगा;

(ख) एन0आई0सी0 के सहयोग से आपरेशनल मैनपावर की व्यवस्था करना;

(ग) नियम 3 के अधीन प्राप्त धनराशि का प्रबन्धन एवं उसका प्रयोग इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड व्यवस्थित रखने में करना;

(घ) जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह प्राप्त यूजर चार्ज का बैंक ड्राफ्ट ठीक उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति को भेजा जायेगा;

(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से इस प्रकार प्राप्त बैंक ड्राफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त खोले गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा;

(च) खातें का संचालन परिवहन आयुक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। खातें में संकलित धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति के संकल्प के अनुसार होगा।

यूजर चार्ज प्राप्ति की रसीद एवं अभिलेखों का रख रखाव

6 यूजर चार्ज की प्राप्ति की रसीद राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड बही में की जायेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गये बैंक ड्राफ्टस का अभिलेख रखा जायेगा जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धितः

(क) बैंक पासबुक,

(ख) चैकबुक रजिस्टर,

(ग) ट्रेजरी चालान रजिस्टर,

(घ) धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख रखे जायेंगे।

यूजर चार्ज के उपयोग हेतु प्रस्ताव

7 (1) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये निम्नलिखित मदों में इलेक्ट्रोनिक रिकार्डस के अनुरक्षण/संवर्धन हेतु यूजर चार्ज के उपयोग के लिये प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जायेगा अर्थात–

(एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण;

(दो) जनरेटर के पी0ओ0एल0 और आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था;

(तीन) सर्वर रूम में स्थापित ए0सी0 की मरम्मत की व्यवस्था;

(चार) अन्य कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य/आइटम का क्रय, मरम्मत;

(पांच) कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी/कार्टिरेज/प्रिन्टर रिबन एवं फर्नीचर आदि का क्रय;

(छः) कार्यालय के प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु आवश्यक सूक्ष्म सिविल कार्य (पार्टीशन आदि), जिनमें सामान्य अनुरक्षण, मरम्मत सम्मिलित है;

(सात) कंजूमेबिल्स यथा– कार्टिरेज रिफिलिंग, प्रिन्टर हैंड, ड्रम किट आदि की व्यवस्था;

(आठ) विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था;

(नौ) सम्बन्धित कार्यालय में यूजर चार्जेज को प्रदर्शित करते हुये डिस्प्ले बोर्डों, की व्यवस्था तथा प्रचार सामग्री और

(दस) अन्य सम्बन्धित कार्य

(2) राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार	8		राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में रू0 1.00 लाख एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक बार रू0 50 हजार की सीमा तक कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
लेखा सम्परीक्षा	9		राज्य स्तरीय समिति प्रतिवर्ष यूजर चार्ज से प्राप्ति एव ंक्रय से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा के लिये एक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी, उसका पारिश्रमिक तय करेगी, जिसका भुगतान प्राप्त यूजर चार्ज से किया जायेगा। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।
अन्य उपबन्ध	10	(1)	यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/उपबन्धों के अधीन रहते हुये किया जायेगा;
		(2)	किसी भी दशा में यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नही किया जायेगा।
		(3)	यूजर चार्ज की दरों में कोई परिवर्तन शासन के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
अधिसूचना
08 अक्टूबर, 2012 ई0

संख्या 810/ix/176/2007–12–श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2000) की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. नियम 5 के खण्ड (ङ) का संशोधन– उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के खण्ड (ङ) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से इस प्रकार प्राप्त बैंक ड्राफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त खोले गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा;	(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा; परन्तु यह कि यदि किसी सम्भाग/उप सम्भाग अथवा चैक पोस्ट पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस शाखा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का अधिकरी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। खाते में अर्जित ब्याज, यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 5, 7 एवं 9 में उल्लिखित कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 6 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यूजर चार्ज की प्राप्ति की रसीद राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड बही में की जायेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गये बैंक ड्राफ्टस का अभिलेख रखा जायेगा, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धितः **(क)** बैंक पासबुक, **(ख)** चैकबुक रजिस्टर, **(ग)** ट्रेजरी चालान रजिस्टर, **(घ)** धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख रखे जायेंगे।	यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद, राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी। जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए बैंक ड्रॉफ्ट्स अथवा खाते में नकद जमा करायी गई धनराशि के अभिलेख भी रखे जाएंगे, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख भी रखे जायेंगे :– **(क)** बैंक पासबुक, **(ख)** चैकबुक रजिस्टर, **(ग)** राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख, **(घ)** स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, **(ङ)** दैनिक रोकड़ बही, **(च)** ऑडिट आदि सम्बन्धित अभिलेख, **(छ)** अन्य अभिलेख जैसा कि राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

4. नियम 7 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 7 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (1) के खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
7.(1)(एक)	कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण;	**7.(1)(एक)**	कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण;
(दो)	जनरेटर के पी0ओ0एल0 और आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था;	**(दो)**	जनरेटर के क्रय, मरम्मत एवं जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था;
(तीन)	सर्वर रूम में स्थापित ए0सी0 की मरम्मत की व्यवस्था;	**(तीन)**	सर्वर रूम में हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था;

(2) खण्ड (दस) को निरसित करते हुए निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :–

(दस) कम्प्यूटर एवं अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(ग्यारह) कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जांच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(बारह) विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(तेरह) कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण।

(चौदह) कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप में दर्ज करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(पन्द्रह) कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सोलह) कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों मे सीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सत्रह) कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण

(अठ्ठारह) कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

(उन्नीस) सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

(3) उपनियम (2) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
7.(2) राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।	7.(2) राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य स्तरीय कार्यालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।

5. नियम 8 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 8 मे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में रू0 1.00 लाख एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक बार रू0 50 हजार की सीमा तक कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।	(1) राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा इस निमित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जाएगी। इस खाते में अर्जित ब्याज भी यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा। (2) इस खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एकसमय में रू0 1.00 लाख एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक समय रू0 50 हजार की सीमा तक नियम 7 में वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा : परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के

	वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी : परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगीः परन्तु यह और कि जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय समिति की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. नियम 10 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 10 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(2) किसी भी दशा में यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नही किया जायेगा।	(2) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति एवं जिला स्तरीय प्रबन्ध समितियों द्वारा किसी भी दशा में यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि तथा खाते में अर्जित ब्याज से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अनुभाग–3
अधिसूचना
4 दिसम्बर 1990 ई0

संख्या–7251/तीस–3–90–33–जीई–72–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990

भाग–एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली 1990 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा में समूह 'क' और 'ख' के पद समाविष्ट है।

3–परिभाषायें– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा से है।

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो:

(ञ) ''भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगि कर सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हे वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

5– भर्ती का स्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(1) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी **(एक)** पचास प्रतिशत ऐसे स्थायी यात्रीकर/ मालकर अधिकारियों और प्राविधिक निरीक्षकों, सम्भागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से जिन्होने इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत पद सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) सम्भागीय परिवहन अधिकारी– स्थायी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों में से जिन्होने इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) उप परिवहन आयुक्त स्थायी– सम्भागीय परिवहन अधिकारियों में से जिन्होने इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।
(4) अपर परिवहन आयुक्त– स्थायी उप परिवहन आयुक्तों में से पदोन्नति द्वारा।
6– आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हतायें

7–राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या
(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानियम और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी की जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8– शैक्षिक अर्हता– सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।

9–अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसमें–
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या;
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर की (बी) प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10–आयु– सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–चरित्र–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता अर्न्तवलित हो, दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विधमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारिरीक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग–पॉच–भर्ती की प्रकिया

14– रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया –**(1)** प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में जो भुगतान किये जाने पर आयेाग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है, आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पंहुच सके हो।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा जितने वह उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नही) होगी। आयोग ऐसी सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा सम्बन्धित पाठय विवरण और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय समय पर विहित किये जाय।

16– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया– पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता आधार पर समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

17– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से भिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया– (1) सम्भागीय, उप परिवहन आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर और अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।

(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग।

(3) परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी– ज्येष्ठ सचिव अध्यक्ष होंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18– संयुक्त चयन सूची– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित

प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः– नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19–नियुक्ति–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा जिसमे उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहॉ नियमित नियुक्तियॉ तब तक नही की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा। जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हे पदोन्नत किया जाय, विधमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो उक्त नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में उल्लिखित सूचियों से नियुक्तियॉ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियॉ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इसमें जो भी पहले हो से अधिक नही चलेगी और जहॉ पद आयोग के कार्य क्षेत्र में हो, वहॉ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यो का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।

20– परिवीक्षा (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21–स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

22–ज्येष्ठता–(1) एतद्पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग

द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधें भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्त्रोत से की जाय और स्त्रोतों का अलग अलग कोटा विहित हो, वहॉ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसी रीति से, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे उनके नाम रख कर अवधारित की जायेगी।

परन्तु–

(एक) जहॉ किसी एक स्त्रोंत से नियुक्तियॉ विहित कोटा से अधिक की जाय, वहॉ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियॉ हो, नीचे रखा जायेगा।

(दो) जहॉ किसी स्त्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटा से कम हो, और ऐसी बिना भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियॉ अनुवर्ती वर्ष या वर्शों में की जाय, वहॉ का प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही मिलेगी किन्तु उन्हे उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की नियुक्ति सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे। जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहॉ नियमों या विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी स्त्रोत्र से बिना भरी गयी रिक्तियॉ सम्बन्धित नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य स्त्रोत्र से भरी जाय और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियॉ की जाय वहॉ नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे मानों उनकी नियुक्ति उनके कोटा के रिक्तियों के प्रति की गयी हो।

भाग–सात वेतन दायित्व

23–वेतनमान– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर, चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये है–

पद का नाम	वेतनमान
1– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	
2– सम्भागीय परिवहन अधिकारी	2200–75–2800–द0रो0–100–4000
3– उप परिवहन आयुक्त	3000–100–3500–125–4500
4–अपर परिवहन आयुक्त	3200–100–3500–125–4875
	3700–125–4700–150–5000

24– परिवीक्षा अवधि में वेतन (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उनकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना अन्यथा वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25– दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड– किसी व्यक्ति को

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण

संतोषजनक नही पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठाा प्रमाणित न कर दी जाय; और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सम्पूर्ण योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठाा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग– आठ अन्य उपबन्ध

26– पक्ष समर्थन– पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27– अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28– सेवा की शर्तों में शिथिलता– जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह, उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामलें में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29– व्यावृत्ति– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

इस नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक को सेवा की सदस्य संख्या निम्नलिखित है–

क0सं0	पद का पदनाम	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
	समूह ''क''		
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	14	2
2	उप परिवहन आयुक्त	3	8
3	अपर परिवहन आयुक्त	––	1
	समूह ''ख''		
1	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	56	78

आज्ञा से,

सुरेन्द्र मोहन
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–38/ix/11/2009
देहरादून 03, फरवरी 2009
अधिसूचना
प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त, शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(एक)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 है।
(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह ग के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं– 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः–
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है;
(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
(ग) ''आयोग'' से लोक सभा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(घ) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ङ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(छ) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
(ज) ''सेवा '' से उत्तराखण्ड परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा अभिप्रेत है।
(झ) परिवहन आयुक्त से उत्तराखण्ड परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है;
(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलैण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 **(1)** 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।
(2) 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमे परिवर्तन करने के आदेश न दिया जाये निम्नलिखित होगी–

क0सं0	**पदकानाम**	**पदोंकीसं0 स्थायी**	**अस्थायी**	**कुल पद**
(क)	सम्भागीयनिरीक्षक	03	01	04
(ख)	(प्राविधिक सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	07	08	15

परन्तु–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड सकता हैं या राज्यपाल उसे आस्थिगत रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नही होगा,
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जैसा वे उचित समझे।

भाग–3–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. – सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतो से की जायेगीः–

(एक)– संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	**(क)** पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
	(ख) पचास प्रतिशत ऐसे स्थायी सहायक सम्भागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(दो)– सहायक संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक)	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत मे स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान या बर्मा या श्रीलंका या केनिया या युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया होः

परन्तु उर्पयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और की श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उर्पयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जोयगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हताएँ 8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताये होनी चाहिएः–

(एक) सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक)– **(क)** माध्यामिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, और
(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा प्रदत्त यांात्रिक (मैकेनिकल) या आटोमोबाइल इंजीयनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत आटोमोबाईल कार्यशाला में, जहॉ डीजल तथा पेट्रोल इंजन युक्त हल्के एवं

भारी (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये,

(घ) अभ्यर्थी, मोटर साईकिल, माल वाहन एवं यात्री वाहन/भारी मोटर वाहन चलाने का लाईसेन्स धारक हो।

(ङ) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।

(दो) सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)–**(क)** माध्यामिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा मान्यता प्राप्त मैकेनिकल या ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और किसी वृहत आटो मोबाइल कार्यशाला (वर्कशाप) में मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण, मरम्मत और ओवहालिंग का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण,मरम्मत और ओवहालिंग करने वाले किसी वृहत आटोमोबाइल कार्यशाला में किसी उत्तरदायी पद पर यांत्रिक कार्य का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिये, और

(ग) किसी प्रतिष्ठित कार्यशाला में जहॉ डीजल तथा पेट्रोल इंजन युक्त हल्के एवं भारी वाहनों यात्री वाहनों सहित की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिउए।

(घ) अभ्यर्थी, मोटरसाईकिल, माल वाहन एवं यात्री वाहन चलाने का लाईसेंस धारक हो।

(ङ) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए,

अधिमानी अर्हताये

9 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। आयु दस सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये जाते है, उसे वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में जिन्हे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

आयु

10 सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, यदि पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि मे विज्ञापित किये जाय 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, और 28 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित 6जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियो के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये,अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11 सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या किसी निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह

समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 13 किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 3 अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग और श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15 **(1)** आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विहत प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगे, जो आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किये जा सकते है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में जब तक सम्मिलित नही होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्व करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिशचित करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध मे आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हो। साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंको मे जोड़े जायेगे।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची मे उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामो की संख्या रिक्तियो की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही) होगी। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किये जाये।

पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती की प्रकिया 16 पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची 17 यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गई सूचियों के अनुकल्पतः लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमे पहला नाम, नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से होगा।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18 **(1)** मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची मे हो, निक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों मे से

नियुक्तियाँ कर सकता हैं। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियो में से नियुक्तियां कर सकता है।

परिवीक्षा 19 **(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति मे या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलो में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये;

परन्तु अपवादिक परिस्थितियो के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये संवर्ग में सम्मिलिति किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा–

(क) यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है,

(घ) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ङ) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

ज्येष्ठता 21. एतदपश्चात की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

परन्तु–

(एक) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये,

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियो की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके उस सवंर्ग में थी जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है; परन्तु यह कि–

(क) सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर वह विधिमान्य कारणो के बिना से कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अन्तिम होगा।

(ख) जहां नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ठ पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जाती है, वहां वह दिनांक मौलिक नुियक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान 22 **(1)** सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदो पर चाहें मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान 'परिशिष्ट' में दिये गये है:–

परिवीक्षा 23 **(1)** मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह

अवधि में वेतन		पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान मे उसकी प्रथम वेतनवृद्दि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्दि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्दि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान कर कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्दि के लिए तब तक नही दी जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतः लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **24** किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनिमय **25** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली विनियम या विशेष आदेंशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता **26** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक व ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहां नियम अरायोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उसके उपबन्धों को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

व्यावृत्ति **27** इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्ग या अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

परिशिष्ट
वेतनमान

पद नाम	वेतन बैंड	ग्रेड पे
(एक) प्राविधिक निरीक्षक/ संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	9300–34800	ग्रेड पे–4200
(दो) सहायक संभागीय निरीक्षक	9300–34800	ग्रेड पे–4200

(प्राविधिक)

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–180 / IX / 78 / 2010
देहरादून दिनांक 20 मई 2010

अधिसूचना

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 है।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के खण्ड (छ) का प्रतिस्थापन 2 उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम 3 के खण्ड (छ) में वर्तमान स्तम्भ 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3 (छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।	3(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त अथवा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिये अभिकल्पित व्यक्ति अभिप्रेत है।

नियम 18 का प्रतिस्थापन 3 मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति 18 (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां	नियुक्ति 18 (1) उपनियम (2) के प्राविधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, परन्तु वह व्यक्ति जो, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था तथा जो धारित पद के लिये नियम 8(एक) में निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है, को सम्बन्धित पद पर इस नियमावली के

कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है।

प्रारम्भ से सीधी भर्ती के कोटै में मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

(2) जहां किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से किया जाना है, नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनो श्रेणियों से चयन, नियम 17 के आधार पर तैयार एक संयुक्त सूची से न कर लिया जाय।

(3) यदि किसी एक चयन में एक से अधिक नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है, तो यथास्थिति जिस संवर्ग से पदोन्नति हो रही हो में से चयन में निर्धारित वरिष्ठताक्रम में व्यक्तियों के नामोल्लेख सहित एक संयुक्त आदेश भी निर्गत किया जायेगा। यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से की जा रही है तो नियम 17 के अनुसार नामों का निर्धारण किया जायेगा।

आज्ञा से

एस0 रामास्वामी
सचिव।

<u>संख्या–180/ix/78/2010 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

<u>संख्या–180/ix/78/2010 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

गरिमा रौंकली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–261(1)/IX/78/2010
देहरादून दिनांक 10 जून 2010
अधिसूचना

अधिसूचना सं0–180/ix/78/2010 दिनांक 20 मई 2010 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2010 के नियम 3 में मूल नियमावली के नियम 18 के उपनियम (2) को निम्नवत पढा जाय–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियां कर सकता है।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से, नियुक्तियां कर सकता है। जहां किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से किया जाना है, नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों श्रेणियों से चयन, नियम 17 के आधार पर तैयार एक संयुक्त सूची से न कर लिया जाय।

2– उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त संशोधन उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से

एस0 रामास्वामी
सचिव।

<u>संख्या–261(1)/ix/78/2010 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना/शुद्धिपत्र (हिन्दी व अंग्रेजी) का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

विनोद शर्मा
अपर सचिव।

<u>संख्या–261(1)/ix/78/2010 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

4— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

विनोद शर्मा
अपर सचिव।

क्रम संख्या–83(ख)

पंजीकृत सं0–यूए/डीएन/30/03
(लाइसेंस टू पोस्ट विदआउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून बुधवार, 09 जून 2004ई0
ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 248/परि0/2004
देहरादून 09 जून, 2004
अधिसूचना

प0अ0–296

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1** **(एक)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2** उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं– **3** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ''परिवहन आयुक्त'' से है;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा से है।

(झ) ''परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश से है।

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या 4 (1) 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या जब तक कि उपनियम–(1) के अधीन उसमे परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते है, जिन्हे वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5 सहायक लोक अभियोजक पद पर भर्ती आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा और मौखिक परीक्षण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण– 6 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत मे स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उर्पयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और की श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उर्पयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जांयेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जोयगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हताएँ 8– सहायक लोक अभियोजक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो,

(दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूरा ज्ञान रखता हो।

अधिमानी 9. ऐसे अभ्यर्थी को जिसने –

अर्हताये — **(एक)** जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातो के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु — 10– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और पहली जुलाई को , यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि मे विज्ञापित किये जाय 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, और 27 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र — 11 सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारीया किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति — 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु राज्यपाल, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता — 13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाईनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड–दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमो के अनुसार स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण — 14 नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया — 15 **(1)** आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगे, जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त और सारणीबद्व करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध मे आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हो। साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये

अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोडे जायेंगे।

(4) आयेाग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, उनकी एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंको का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची मे उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामो की संख्या रिक्तियो की संख्या से अधिक, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक न होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जाये।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 16 **(1)** मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची से नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची मे से नियुक्तियाँ कर सकता हैं यदि सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियो में से ऐसी रिक्तियों में एक वर्ष की अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी कम हो, नियुक्तियां कर सकता है।

परिवीक्षा 17 **(1)** किसी पद पर या सेवा में किसी मौलिक रिक्ति मे या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलो में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियो के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 18 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 19 सेवा में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये, तो उस क्रम से, जिसमे उनके नाम नियुक्ति के आदेश में दिये गये हो,

अवधारित की जायेगीः

परन्तु– सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाये।

टिप्पणी– सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद के लिये उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह किसी विधिमान्य कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात– वेतन

वेतनमान **20** (1) सेवा मे चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 350–15–500–द0रो0–20,600–दे0रो0–25–700

परिवीक्षा अवधि में वेतन **21** (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान मे उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सरकार के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड **22** किसी व्यक्ति को–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये

(ख) उसने अपने कार्यक्षेत्र में प्रवीणता बनाये रखी हो और वह अपने कर्तव्य और उसे सौंपे गये कार्य का पालन करने में धीर और तत्पर न रहा हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जायें।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **23** किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **24** अन्य विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों में न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर

सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता **25** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन, किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति **26** इस नियमावली की किसी बात का, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, जिनकी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित है।

परिशिष्ट 'क'

सेवा की वर्तमान स्थायी सदस्य संख्या निम्नलिखित हैः–

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
सहायक लोक अभियोजक	6	350–15–500–द0रो0–20,600–द0रो0––20–25–700रू0

आज्ञा से

प्रकाशचन्द सक्सेना
सचिव

क्रम संख्या– 65

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून मंगलवार 04 मार्च 2014 ई0
फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या 160/ix–1/157(2010)/2014
देहरादून 04 मार्च 2014
अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवानियमावली, 2014

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षित नाम उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवानियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली से–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है,

(ङ) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(च) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रयुक्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(छ) ''सेवा'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा अभिप्रेत है,

(ज) ''परिवहन आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदो की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ठ ''क'' में दी गयी है,

परन्तु यह है कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकेंगे या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

(ख) राज्यपाल समय समय पर ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जैसा वह उचित समझे।

भाग तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत 5 सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

परिवहन विभाग के ऐसे मुख्य सहायक जिन्होने इस रूप में 02 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो एवं प्रशासनिक अधिकारी, जो विधि स्नातक हो, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति से;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भरा जा सकता है।

आरक्षण 6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार अर्हतायें

7 **सेवा में सीधी भर्ती की दशा में यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–**

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या,

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपयुक्त श्रेणी ''ख'' या ''ग'' के अभ्यर्थी का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह कि श्रेणी ''ख'' के अभ्यर्थी के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8 सहायक अभियोक्ता के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

अधिमानी अर्हता 9 **अभ्यर्थी जिसने–**

(क) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो उसे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10 सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाते है तो जिस वर्ष में भर्ती की जानी है उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाय तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष से और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए,

परन्तु अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय अधिकतम आयु सीमा उतनी बढायी जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11 सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधर्मता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 ऐसा पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो,

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय ऐसा करने के लिये विशेष कारण है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकती है।

शारीरिक स्वस्थता 13 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15		पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड समूह ''ग'' (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 या तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी।
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16	(1)	पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे– **(क)** नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष **(ख)** परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो। — सदस्य **(ग)** परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न पद का न हो — सदस्य
		(2)	नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।
		(3)	चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छ नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा ज्येष्ठता

नियुक्ति	17	(1)	मौलिक नियुक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उसी क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15 या नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से नियुक्तियां करेगा।
		(2)	नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रिक्तियों में उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में से नियुक्तियां कर सकता है। यदि सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसे रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां 01 वर्ष की अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, की जा सकेगी।
परिवीक्षा	18	(1)	पद पर मौलिक रिक्ति में किये जाने पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
		(2)	नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक, किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।
		(3)	यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षा अधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
		(4)	ऐसे परिवीक्षा अधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
		(5)	नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य

समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 19 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जायः– और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 20 सेवा में ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग सात वेतन आदि

वेतन 21 (1) सेवा में मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित होगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान ''परिशिष्ट क'' में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 22 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मौलिक नियमों द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 23 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **25** यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाली किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, व उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति **26** इस नियमावली के अधीन किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और रियायतों पर नहीं पडेगा जिनकी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट क

कृपया नियम 4 का उपनियम (2) तथा नियम 21 का उपनियम (2) देखें

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	सहायक अभियोक्ता परिवहन	01 (एक)	9300–34800 ग्रेड पे 4200

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

क्रम संख्या–386 रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ सोमवार 25 अगस्त, 1980

भाद्रपद 3, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग

संख्या 3197–/तीस–3–114जीई–77

लखनऊ 31, अगस्त 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0अ0–300

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(एक)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ''ख'' और ''ग'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषा 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ''परिवहन आयुक्त'' से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, से है।

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है,

(ज) ''सेवा ''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा से है।

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ

होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 **(1)** 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम –(1) के अधीन उसमे परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तुः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5.– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

(1) **यात्रीकर/मालकर अधिकारी** (एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित मे से पदोन्नति द्वाराः

(क) ऐसे स्थायी कर अधीक्षक/यात्रीकर/मालकर अधीक्षक, जिन्होने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो,

(ख) ऐसे स्थायी सहायक सरकारी अभियोक्ताओं मे से जिन्होने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो; और

(ग) परिवहन आयुक्त कार्यालय के ऐसे स्थायी प्रधान सहायकों, प्रधान लिपिकों में से जिन्होने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली होः

परन्तु भर्ती यथा सम्भव इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये व्यक्तियों द्वार और शेष पद पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार धृत किये जायेः–

(क) कर अधीक्षक/मालकर अधीक्षक	40 प्रतिशत
(ख) सहायक सरकारी अभियोक्ता	5 प्रतिशत
(ग) परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रधान सहायक/ प्रधान लिपिक	5 प्रतिशत

(2) कर अधीक्षक– लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी यात्रीकर/मालकर अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा।

(3) यात्री कर/मालकर अधीक्षक

(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित मे से पदोन्नति द्वाराः

(क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के ऐसे स्थायी अनुभाग प्रभारी, उपलेखक, प्रालेखक और आशुलेखकों में से जिन्होने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, और

(ख) सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के ऐसे स्थायी प्रधान लिपिकों, प्रधान लिपिक एवं लेखाकार और आशुलेखकों में से जिन्होने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।

परन्तु भर्ती यथासम्भव इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और शेष पद पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार से धृत किये जाय–

(क) अनुभाग प्रभारी और उप लेखक प्रालेखक – 15 प्रतिशत

(ख) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के आशुलेखक– 7 प्रतिशत
(ग) प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार– 14 प्रतिशत
(घ) सम्भागीय कार्यालयों के आशुलेखक– 14 प्रतिशत

आरक्षण 6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीरवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात सेवा में तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

अधिमानी अर्हतायें 9 ऐसे अभ्यर्थी को जिसने–

(एक) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेवा में सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10 भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11 सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे –

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15 **(1)** आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित करेगा, जो आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकते है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और उसे सारणीबद्व करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध मे आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हो। साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंको का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची मे उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामो की संख्या अधिक होगी किन्तु रिक्तियो की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नही होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी

को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार के अनुमोदन से विहित किये जाये।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 16 पदोंन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची 17 यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी बारी से नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से लिये जायेंगे पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से लिया जायेगा।

परन्तु इस नियम के अधीन संयुक्त चयन सूची तैयार करने में पदोन्नति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेंगे–

(एक) यात्रीकर अधिकारी/माल कर अधिकारी के पद के लिये–

(क) प्रधान सहायक/प्रधान लिपिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित उनकी परस्पर ज्येष्ठता के क्रम में।

(ख) कर अधीक्षक।

(ग) यात्रीकर अधीक्षक, मालकर अधीक्षक और सहायक सरकारी अभियोक्ताओं को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथाअवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

(दो) यात्रीकर अधीक्षक और मालकर अधीक्षक के पदों के लिये–

(क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अनुभाग प्रभारी और आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

(ख) उपलेखक, प्रालेखक, प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में और

(ग) संभागीय कार्यालयों के आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18 **(1)** मौलिक रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियॉ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से इस शर्त पर नियुक्तियॉ कर सकता है कि ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।

परिवीक्षा 19 **(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय

परन्तु आपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और

यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि में संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक कर लिया हों,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21 सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये, तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश से रखे गये हो, अवधारित की जायेगी:

परन्तु–

(एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाये, और

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियो की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो

टिप्पणी–(1) जहॉ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जिससे किसी व्यक्ति की किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति या किसी स्थायी पद पर परिवीक्षा पर मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहॉ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22 **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप से अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है–

पद का नाम	वेतनमान
(एक) यात्रीकर/मालकर अधिकारी	450–25–575–द0रो0–30–725–द0रो0–35–900–50 –950 रू0।
(दो) कर अधीक्षक	400–15–475–द0रो0–20–575–द0रो0–25–750 रू0।
(तीन) यात्रीकर/मालकर अधीक्षक	350–15–500–द0रो0–20–600–द0रो0–25–700 रू0।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23– **(1)** फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान मे उसकी प्रथम

वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवको पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड **24–** किसी व्यक्ति को–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने निरन्तर अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, उसका आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ–अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन **25–** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **26** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **27** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाईया होती है वहां वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यदि नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति **28** इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा जिनकी व्यवस्था सरकार द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियो के व्यक्तियों के लिए करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

प्रकाश चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

क0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1	यात्रीकर अधिकारी / मालकर अधिकारी	26	––
2	कर अधीक्षक	5	––
3	यात्रीकर अधीक्षक / मालकर अधीक्षक	54	52

क्रम संख्या– 83(ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन–30/03
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून बुधवार 09 जून 2004 ई0

ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 248–/परि0/2004

देहरादून 09 जून 2004

अधिसूचना

प0अ0–102

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(1)** यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य–

(एक) मुख्यालय में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक कम कनसोल आपरेटर, लेखाकार, सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं संख्या सहायक के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त से है और मुख्यालय के अन्य पदों के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त से है ;और

(दो) सम्भागीय या उपसम्भागीय कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, लेखाकार के पद के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, मुख्य लिपिक, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर, वरिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर, आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर, लेखालिपिक के पद के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त एवं कनिष्ट लिपिक व कनिष्ट डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद के सम्बन्ध में अपने अपने सम्भागों के कार्यालयों के पदों के लिये सम्भागीय परिवहन अधिकारी से है।

(ख) ''परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है,

(ग) ''अपर परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है।

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(च) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों एवं आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है।

(ट) ''सम्भागीय कार्यालय'' का तात्पर्य सम्भागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय और उसी सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का कार्यालय से है। इसमें उस सम्भाग में पडने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चैकपोस्ट) भी सम्मिलित है।

(ठ) ''सम्भागीय परिवहन अधिकारी'' का तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी से है।

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा से है।

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो।

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 **(1)** 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम –(1) के अधीन उसमे परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;

परन्तुः

क– नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

ख– राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5.– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतो से की जायेगीः–

परिवहन आयुक्त कार्यालय

क0सं0	**पदनाम**	**भर्ती का स्रोत**
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।

दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	मुख्यालय के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	मुख्यालय के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2 में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
छः	लेखा लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
सात	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा
आठ	लेखाकार	मुख्यालय के स्थायी सहायक लेखाकारों/ लेखालिपिकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
नौ	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
दस	सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	स्थायी लेखा परीक्षकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भी भरा जा सकता है।
ग्यारह	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा
बारह	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति का पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
तेरह	वैयक्तिक सहायक	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम कन्सोल आपेरेटरों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोंन्नति द्वारा
चौदह	संकलनकर्ता	सीधी भर्ती द्वारा
पन्द्रह	संख्या सहायक	स्थायी संकलनकर्ताओं में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भी भरा जा सकता है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के सम्बन्ध में

क0सं0	**पदनाम**	**भर्ती का स्रोत**
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने

		भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा।
दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	सम्भागीय कार्यालयों के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर/मुख्य लिपिक	सम्भागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	सम्भागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटरों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	लेखा लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
छः	लेखाकार	सम्भागीय कार्यालय के स्थायी लेखालिपिकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
सात	आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी– सम्भागीय कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद को छोडकर अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची सभी सम्भागीय कार्यालयों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को सम्मिलित कर तैयार की जायेगी

आरक्षण 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें **8** सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है–

क0सं0	पदनाम	अर्हतायें
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	**(एक)** माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। **(दो)** 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ हिन्दी टंकण का ज्ञान। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिये प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। **वांछनीय–** कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण।
दो	लेखालिपिक / सहा0 लेखाकार	एकाउन्टेसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर में कार्य करने के ज्ञान के साथ साथ कम्प्यूटर पर आधारित कार्य का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए पर 4000 की–डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।
तीन	लेखा परीक्षक / ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए।
चार	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	**(एक)** माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। **(दो)** हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अवश्य हो। **(तीन)** कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिये प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय– कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण।
पांच	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर/ आशुलिपिक कम डाटा सुपरवाइजर (सीधी भर्ती की स्थिति में)	**(एक)** माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। **(दो)** हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण की गति अवश्य हो। **(तीन)** कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिये प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय– कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण।

छः	संकलनकर्ता / संख्या सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि।

अधिमानी अर्हतायें 9 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10 सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी की आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11 सेवा मे सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होंगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की 15 किसी पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयेाग के क्षेत्र से बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2003 या तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की

प्रक्रिया जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16 पदोंन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(ii) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हो	सदस्य
(iii) परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न पद का न हो	सदस्य

टिप्पणी– (1) चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों के अधिकारियों को समय समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।

पदोंन्नति द्वारा भर्ती उपरोक्त चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग– पॉच– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17 **(1)** मौलिक रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15 या 16 (जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियॉ कर सकता है यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।

परिवीक्षा 18 **(1)** सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय

परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी

सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 19 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की अस्थायीकरण नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठता 20 (1) सम्पूर्ण राज्य में मुख्यालय स्तर पर ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी।

(2) सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग–छः–वेतन इत्यादि

वेतनमान 21 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहें मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 22– (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतः लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–सात–अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन 23– किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता 25 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाई होती है तो वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस

नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

स्थानान्तरण **26** सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदधारियों को नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

व्यावृत्ति **27** इस नियमावली में किसी बात का, कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट –'क'

परिवहन आयुक्त कार्यालय

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	6500–10500	01	–	01
2	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2/अनुभाग प्रभारी	5000–8000	01	01	02
3	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	06	–	06
4	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	01	07
5	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	12	02	14
6	लेखाकार	5000–8000	01	–	01
7	सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5000–8000	01	–	01
8	लेखा परीक्षक	4000–6000	–	02	02
9	संख्या सहायक	5000–8000	–	01	01
10	संकलनकर्ता	4000–6000	–	01	01
11	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	–	01	01
12	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000–8000	02	–	02
13	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	05	–	05
14	सहायक लेखाकार	4000–6000	–	01	01
15	लेखालिपिक	4000–6000	01	–	01
	योग		36	10	46

सम्भागीय कार्यालय

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	5000–8000	01	03	04
2	मुख्य लिपिक	4500–7000	02	09	11
3	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	15	23	38
4	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	45	20	65
5	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ट डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	57	106	163
6	लेखाकार	5000–8000	03	01	04
7	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	03	01	04
8	लेखालिपिक	4000–6000	07	08	15
	योग		133	171	304

आज्ञा से

एन0एस0 नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून बुधवार 01 जून 2011 ई0

ज्येष्ठ 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 170/XXX–(2)/2011

देहरादून 01 जून 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीर्य संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षित नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुये यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ख) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग'' से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत है, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त होः

(ङ) ''अधीनस्थ पदों'' से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्ही पदों पर की गयी सेवा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी 4 (1) **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक

संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण

अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) **प्रशासनिक अधिकारी**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) **मुख्य सहायक**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) **प्रवर सहायक**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5 नियम 2 के अध्यधीन रहते हुये राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहां जहां पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वहां वहां पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या– 83(ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन–30/03
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून बुधवार 09 जून 2004 ई0

ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 248–/परि0/2004

देहरादून 09 जून 2004

अधिसूचना

प0अ0–103

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(1)** यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें 3 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य– अपर परिवहन आयुक्त से है।

(ख) ''परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है,

(ग) ''अपर परिवहन आयुक्त'' का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल से है।

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(च) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है।

(ञ) ''सम्भागीय परिवहन अधिकारी'' से तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी से है।

(ट) ''सम्भागीय कार्यालय'' का तात्पर्य सम्भागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय और उसी सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) कार्यालय से है। इसमें उस सम्भाग में पडने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चैकपोस्ट) भी सम्मिलित है।

(ठ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा से है।

(ड) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो।

(ढ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 **(1)** 'सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। इस नियमावली के लागू होने के समय सेवा में पदो की संख्या परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु–

क– नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

ख– राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5.– **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतो से की जायेगीः–

पदनाम	भर्ती का स्रोत
प्रवर्तन सिपाही	(एक) संवर्ग के 66–2/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) संवर्ग 33–1/3 प्रतिशत पद विभाग के समूह ''घ'' के ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जो नियम 8(1) में दी गयी अर्हताओं एवं नियम 13 में दी गयी शारीरिक स्वस्थता के मापदण्डों को पूरा करते हो और जो यह चाहते हो कि पद के लिये उनके मामलें में विचार किया जाय।
प्रवर्तन चालक	सीधी भर्ती द्वारा।
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	स्थायी प्रवर्तन सिपाही में से पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति का मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता होगा। परन्तु अन्य बातों के समान होते हुये भी भारी वाहन चलाने के लिये विधिमान्य लाईसेंस धारकों को वरीयता दी जायेगी।

आरक्षण 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार – अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक

ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8 सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है–

क0सं0	पदनाम	अर्हतायें
एक	प्रवर्तन सिपाही	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हुष्ट पुष्ट डील डौल का होना चाहिए।
दो	प्रवर्तन चालक	(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और (दो) यथास्थिति भारी, हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाईसेंस रिक्त अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हतायें 9 (1) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने/जो–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक हो, या

(चार) भारी परिवहन वाहन चलाने हेतु विधिमान्य चालक लाईसेंस धारक हो।

(2) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन चालक के पद पर भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा जिसने/जिसे–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो,

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

आयु 10 सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11 सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना

समाधान करेंगे।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होंगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता **13–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर्तन सिपाही/पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी की ऊॅचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए–

(एक) ऊचॉई– 160 सेंमी

(दो) सीना– बिना फुलायें 76.3 सें0मी0 और फुलाने पर 81.3 सें0मी0

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14** **(1)** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

(2) सीधी भर्ती करने के लिये रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जायेगा–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन द्वारा।

(दो) कार्यालय के सूचनापट पर सूचना चिपकाकर या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तयॉ अधिसूचित करके।

प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया **15** **(1)** सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित दो सदस्य जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हो	सदस्य

टिप्पणी– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औा पिछडे वर्गों के अधिकारियों को समय समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के

अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।

(2) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्कूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिये परीक्षा 100 अंक की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी–

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगें। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे और अधिकतम अंक 15 प्रतिशत होंगे–

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिये	पॉच अंक
(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लियें	प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच अंक

(घ) किसी खिलाडी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम 05 प्रतिशत होंगे–

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो	पॉच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो	चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाडी हो	तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविधालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाडी हो	दो अंक

4(क) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलायेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिये नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे–

(एक)	विषय/सामान्य ज्ञान	चार अंकों तक
(दो)	व्यक्तित्व निर्धारण	तीन अंकों तक
(तीन)	अभिव्यक्ति की क्षमता	तीन अंकों तक

टिप्पणी– किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम 3 के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी जायेगी।

(5) उपनियम 4 के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम

3 के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(6) उपनियम 5 में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

16 प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

17 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। परन्तु प्रवर्तन सिपाही के सम्बन्ध में अन्य बातों के समान होते हुये भी भारी वाहन चलाने के लिये विधिमान्य लाईसेंस धारकों को वरीयता दी जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छ– नियुक्ति परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18 (1) मौलिक रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो नियुक्तियॉ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियॉ कर सकता है यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये इनमें से जो भी पहले हो की जायेगी।

परिवीक्षा

19 (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद

पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परीवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठता 21 **(1)** सम्पूर्ण राज्य में मुख्यालय स्तर पर ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी।

(2) सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22 **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23 **(1)** फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतः लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन 24 किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 26 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाईया होती है वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

स्थानान्तरण **27** सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदधारियों को नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

व्यावृत्ति **28** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट –'क'

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	09	07	16	3050–4590
2	प्रवर्तन चालक	18	10	28	3050–4590
3	प्रवर्तन सिपाही	111	82	193	2750–4200
	योग	**138**	**99**	**237**	

आज्ञा से,

एन0एस0 नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या 775/ix/230/2007
देहरादून दिनांक 14 नवम्बर 2007
अधिसूचना
प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवानियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने के उददेश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2007
भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2007 कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नियमावनली के मूल नियम 13 व 15 के उपनियम (2) (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं उपनियम (4) एवं (5) का प्रतिस्थापन 2 मूल नियमावनली के मूल नियम 13 व 15 के उपनियम (2), (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं उपनियम (4) एवं (5) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 13– शारीरिक स्वस्थता– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर्तन सिपाही/ पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए– (एक) ऊचॉई– 160 सेंमी (दो) सीना– बिना फुलायें 76.3 सें0मी0 और फुलाने पर 81.3 सें0मी0 किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	**13– शारीरिक स्वस्थता–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर्तन सिपाही/पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी को ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए– (एक) ऊचॉई– (क)–सामान्य/अनु0जाति/पिछडी जाति के अभ्यर्थियों के लिये 160 से0मी0 (ख) अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 157.5 से0मी0 (दो) सीना– बिना फुलायें 76.3 सें0मी0 और फुलाने पर 81.3 सें0मी0 परन्तु यह कि किसी पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी का वर्ण–अन्धता/बंहगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। परन्तु यह भी कि सटा घुटना, सपाट पैर, बौ–लेंग, वैरिकोस, वेन, हकलाना, विकलांगता और

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

नियम 15– (2) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिये परीक्षा 100 अंक की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी–

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगें। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे और अधिकतम अंक 15 प्रतिशत होंगे–

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिये– पॉच अंक

(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लियें– प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच अंक

(घ) किसी खिलाडी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम 05 प्रतिशत होंगे–

अन्य विकृतियॉ या समस्यायें, जो प्रवर्तन सिपाही की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, को अयोग्यता माना जायेगा।

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

नियम 15– (2) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। शारीरिक परीक्षण परीक्षा में अभ्यर्थियों से दौड, चिनिंग अप, (बीम) अथवा लम्बी कूद, शारीरिक नाप जोख आदि परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। परीक्षाओं का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(3) (एक) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिये सौ अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कम्रचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये पॉच अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांाकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो)(क) लिखित परीक्षा सौं अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जिसमें सामान्य हिन्दी सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक दिया जायेगा।

(ख)– लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(च) लिखित परीक्षा के पश्चात उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

परन्तु ऐसे पद जिनके लिये कोई शारीरिक

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो– पॉच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो– चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाडी हो– तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविधालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाडी हो– दो अंक

मानक अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हो, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्ही अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हो। ?

(तीन) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में ही दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किंतु 25 प्रतिशत से अनधिक होगी)

(चार) फीस– चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय। फीस वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(पॉच) अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन– जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक व अन्य मूल्यांकनों में प्राप्त अंकों का कुल योग व्यापक परिचान वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर जनपद के जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनीशुदा कर्मचारियों के अंकों को वर्गीकृत करते हुये) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम (Decending order) में उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(छः) अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण, अभ्यर्थियों की ऐसी फीस, का जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग 5 के अनुसार

चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतिया भी दी जायेगी।

उपनियम 4(क) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलायेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

विलुप्त कर दिया जायेगा।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिये नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे–

(एक) विषय/सामान्य ज्ञान
व्यक्तित्व निर्धारण
अभिव्यक्ति की क्षमता
(दो)
(तीन) चार अंकों तक
तीन अंकों तक
तीन अंकों तक

टिप्पणी– किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम 3 के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी जायेगी।

(5) उपनियम 4 के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम 3 के अधीन प्राप्त किये गये

अंकों में जोड दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

विलुप्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–590 / कार्मिक–2 / 2003–55(26) / 2002
देहरादून 13 मई, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विधमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(1)** यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2 किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

इन नियमों का लागू होना 3 यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव 4 यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्ही अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें 5 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–
(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है।
(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय
(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।
(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है।
(ड.) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
(च) ''सेवा'' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है।
(छ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
(ज) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 6 प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत	7	सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
आरक्षण	8	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार– अर्हतायें

राष्ट्रीयता	9	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– **(क)** भारत का नागरिक हो, या **(ख)** तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या **(ग)** भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीरवार) से प्रव्रजन किया हो। परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। **टिप्पणी**– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
आयु	10	सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की जिसमें रिक्तियॅा विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैतीस वर्ष अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
प्राविधिक और शैक्षिक अर्हतायें	11	सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है– **(एक)** किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और **(दो)** यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।
अधिमानी अर्हता	12	अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा जिसनें **(एक)** माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो **(दो)** वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो **(तीन)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो

चरित्र 13 सेवा मे भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ब व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 14 सेवा में भर्ती के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र यन होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 15 किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी वह फाईनेनसियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग–3 के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 16 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियॉ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 17(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी	सदस्य
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछडे वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हो तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे	सदस्य
(चार)(1) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो	सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हो, साक्षात्कार और

ड्राईविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा।

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिये बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18 (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित की जाय।

परिवीक्षा 19 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 20 ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21 ड्राईवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन आदि

वेतनमान 22 सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23 (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी

जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग–8–अन्य विनियमन

पक्ष समर्थन **24** सेवा में लागू नियमों के अधीन सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिशो पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **25** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **26** जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाईया होती है वहां इस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी ओदश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति **27** इस नियमावली की किसी बात का, कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1542/XXX(2)/2005
देहरादून 06 जून 2005
अधिसूचना
प्रकीर्ण

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) यह नियमावली ''उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का प्रतिस्थापन उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है निम्नलिखित स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात–

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत–7 सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।	भर्ती का स्रोत–7– सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। परन्तु यह कि भर्ती वर्ष 2004–05 में समूह 'घ' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिनकी सेवा अवधि 03 वर्ष से अन्यून है और जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता रखते हो, रिक्तियों की संख्या तक, सीधी भर्ती के पदों के विरूद्ध नियुक्ति की जायेगी।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–880/XXX(2)/2004–55(39)/2004
देहरादून 14 जून 2004
अधिसूचना
प्रकीर्ण

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ''घ'' की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 **(1)** यह नियमावली समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2 सेवा नियमावली का लागू होना–**(1)** इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट ''घ'' के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर तकनीकी पद है या नही ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

3 इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव– इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में–

(एक) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे, यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनायें गये हो

(दो) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनायें जाय।

परिभाषायें 4 **जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–**

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती हो नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(घ) ''अधिष्ठान का तात्पर्य समूह ''घ'' के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हो

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(छ) ''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय नैनीताल से है

(ज) ''अधीनस्थ कार्यालय'' का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नही है।

(झ) ''छटनी किया गया कर्मचारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए नियोजित था।

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त

किया गया हो या किया जा सकता है और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नही है।

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग **5** 'सेवा की सदस्य संख्या– किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह ''घ'' के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत **6** समूह ''घ'' के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगाः–

(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	सीधी भर्ती द्वारा
(ख) चपरासी–जमादार	स्थायी चपरासी में से पदोन्नति द्वारा
(ग) दफ्तरी/जिल्द साज/साईक लोस्टाइल आपरेटर	अर्ह चपरासियों, सन्देशवाहकों या फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(घ) फर्राश जमादार	स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(ड) सफाईकार जमादार	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा
(च0) प्रधान माली	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता हैं।

भाग–चार अर्हता

आरक्षण **7** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है।

राष्ट्रीयता **8** समूह 'घ' के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु 9 समूह ''घ'' के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 10 **(1)** चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा जब तक कि माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह ''घ'' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

अन्य श्रेणियों के लिये छूट 11 भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट– भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाडियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्ही प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

चरित्र 12 सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13 अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 14 किसी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारिरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने

कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

चयन समिति का गठन

15 सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछडे वर्ग का न हो तो नुियक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछडे वर्ग का एक अधिकारी नाम– निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछडे वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछडे वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

16 भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी– इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

चयन की प्रकिया

17 (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो आवेदन पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियॉ आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जाय तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वैटेज) देने के लिये निम्नलिखित रीति से अंक देगी–

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये 5 अंक

परन्तु छटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिये जाने वाले अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नही होंगे।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

सामान्य सूची

18 जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाय तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हे एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस

प्रकार तैयार की गयी चयन सूची के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

पदोन्नति की प्रकिया 19 (1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 20 (1) मौलिक रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम सूची में आये हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्त करेगा।

परिवीक्षा 21 (1) अधिष्ठान में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है।

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जायेगी।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण 22 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य आचरण संतोषजनक पाया जाय नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

ज्येष्ठता 23 (1) एतदपश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 24 (1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप से हो या अस्थायी

आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये है।

पद का नाम	वेतनमान
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	2550—55—2060—60—3200
(ख) चपरासी—जमादार	2610—60—3150—65—3540
(ग) चपरासी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	
(घ) फर्राश जमादार	
(ङ) सफाईकार जमादार	
(च) प्रधान माली	

परिवीक्षा अवधि में वेतन 25 (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही दी जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतः लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन 26 पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकालाप के सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 28 जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सें कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1674/XXX(2)/2010
देहरादून दिनांक 23–11–2010
अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
		(3)	यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी पद या सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति के लिये लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2		यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली या ततसमय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।
परिभाषायें	3.		जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–
		(क)	'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
		(ख)	'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
		(ग)	'सरकार' से उत्तराखण्ड को राज्य सरकार अभिप्रेत है; और
		(घ)	'पद' या 'सेवा' से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई पद या सेवा अभिप्रेत है।
अर्हकारी सेवा में शिथिलाकरण	4		यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिये, यथास्थिति निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोडकर ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते है। परन्तु यह कि किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिये अनुमन्य होगी; परन्तु यह और कि पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को अनुमन्य हो चुका हो उसे पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नही होगा।

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–264 / XXX(2) 2015–3(6) / 2012
देहरादून दिनांक 17–08–2015।
अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में अग्रेतर संशोधन के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 के नियम 4 में एक परन्तुक और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

''परन्तु, यह भी कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथा स्थिति निम्नतर पद या पदों पर पदोन्नति के लिये यथास्थिति परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियन्त्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण कर सकेंगे।''

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–181 / ix–1 / 42(2014) / 2016
देहरादून, दिनांक 15 मार्च,2016
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 8क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली, 2015 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन निधि अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य सचिव'' से सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन निधि अभिप्रेत है;

(घ) ''वर्ष'' से वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) ''नियमावली'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 अभिप्रेत है;

(छ) ''निधि'' से उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन निधि अभिप्रेत है;

(ज) ''धारा'' से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा अभिप्रेत है;

(झ) ''परिवहन आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ञ) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ट) ''नगर पालिका'', ''नगर पंचायत'' एवं ''नगर निगम'' को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) अभिप्रेत है।

टिप्पणी– इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 या मोटरयान अधिनियम, 1988 या केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में दिये गए हैं।

निधि का गठन 3 निधि का गठन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) की अधीन उद्गृहित, उपकर के रूप में वसूल धनराशि जमा करते हुए किया

जाएगा।

निधि का उपयोग **4** निधि का उपयोग राज्य की नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा नगर निगम क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित कार्यों के लिये किया जायेगा—

(1) नगरीय क्षेत्रों के लिये यातायात एवं परिवहन की विस्तृत योजना तैयार करना, इस हेतु विभिन्न सलाहकार संस्थाओं की नियुक्ति और उनके माध्यम से सर्वेक्षण/अध्ययन कराना;

(2) नगरीय क्षेत्र के लिये यातायात की निर्बाध गति के लिये विस्तृत सचलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) तैयार करना;

(3) यातायात के प्रभावी मानीटरिंग एवं प्रवर्तन हेतु यातायात सूचना प्रबन्धन नियंत्रण केन्द्र, काल सेन्टर, मानिटरिंग यूनिट का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव, जिसमें आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का क्रय, इन्स्टालेशन एवं रखरखाव भी सम्मिलित है;

(4) यातायात एवं परिवहन की आवश्यकता हेतु विस्तृत डाटा बेस तैयार करना इस हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का क्रय, इन्स्टालेशन एवं रखरखाव भी सम्मिलित है;

(5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही करना, जिसमें प्रदूषण संयंत्रों का क्रय, संचालन, रखरखाव एवं प्रदूषण जांच हेतु मोबाईल टीमों का गठन भी सम्मिलित है;

(6) विभिन्न प्रदूषण जांच केन्द्रों को वैब आधारित साफ्टवेयर के माध्यम से जोडना, साफ्टवेयर का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव एवं इस हेतु आवश्यक हार्डवेयर तथा सर्वर/सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना;

(7) सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्य यथा—प्रवर्तन दलों को आधुनिक उपकरण, इन्टरसेप्टर वाहन, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना;

(8) सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन दलों के लिये वाहनों का क्रय;

(9) निधि के प्रशासन एवं उपयोग के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की सहायतार्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से परामर्शी सेवायें प्राप्त करना एवं उतनी संख्या में सहायकों की व्यवस्था करना जितनी अति आवश्यक हो;

(10) सडक सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों को लाईसेंस जारी करने से पूर्व परीक्षण हेतु सिमुलेटर्स, आटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव;

(11) सडक सुरक्षा एवं वाहन जनित प्रदूषण की दृष्टि से—

(एक) जनसामान्य को जागरूक करने के लिये सडक सुरक्षा नियमों का प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन, होर्डिंग्स, सीडी, लघु वृत्त चित्र का निर्माण एवं प्रसारण तथा रैली का आयोजन;

(दो) स्कूल व कालेजों के विधार्थियों के लिये चित्रकला, क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा

लैक्चर एवं किसी सैलेब्रिटी के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन भी सम्मिलित है;

(तीन) सम्बन्धित कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण;

(चार) तत्सम्बन्धी कोई अन्य कार्य।

परन्तु यह कि यदि उपरोक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के लिये अनुदान अथवा धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तो सम्बन्धित कार्यों के लिये इस निधि से धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

निधि का प्रशासन 5 **(1)** निधि की एक कार्यकारिणी होगी, जो निधि के कार्य–कलापों का प्रबन्ध करेगी एवं अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगी।

(2) कार्यकारिणी का गठन निम्नवत् होगाः–

(एक) परिवहन आयुक्त–	अध्यक्ष
(दो) अपर परिवहन आयुक्त –	सदस्य
(तीन)सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण–	सदस्य/सचिव
(चार) मण्डल आयुक्त, गढवाल एवं कुमायू मण्डल–	सदस्य
(पॉच) पुलिस महानिदेशक, पुलिस द्वारा नमित पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, जो पुलिस उपमहानिदेशक से अन्यून स्तर का न हो–	सदस्य
(छः)वित्त नियंत्रक, परिवहन विभाग–	सदस्य
(सात) इन्स्टीटयूट आफ अर्बन ट्रांसपोर्ट काशीपुर के नियंत्रक अधिकारी–	सदस्य

(3) उपरोक्त स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे जिन्हे अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण पर विचार हेतु आमंत्रित किया जा सकता है–

(एक) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम;

(दो) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी;

(तीन) सम्बन्धित नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत के यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी या सक्षम अधिकारी;

(चार) सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी।

(4) कार्यकारिणी यातायात और परिवहन के किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिये कोई विशेषज्ञ सहयोजित कर सकेगी।

निधि का वित्त पोषण एवं रख–रखाव 6 **(1) (क)** कार्यकारिणी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा। निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त दान/अनुदान जमा किया जायेगा।

(ख) परिवहन विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ग्रीन सेंस के रूप में प्राप्त धनराशि राजकोष में लेखा शीर्षक 0041 में जमा की जायेगी एवंम उक्त के सापेक्ष किसी

वित्तीय वर्ष में एकत्रित की गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार अगली वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर निधि में जमा करायी जायेगी।

(2) निधि का रख–रखाव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में होगा।

(3) प्रत्येक संभागीय एवं उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि किसी संभाग या उप संभाग पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस शाखा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का अधिकारी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, कार्यकारिणी को प्रेषित करेगा।

परन्तु यह और कि यदि वाहन स्वामी द्वारा उपकर का भुगतान ऑन–लाईन आधार पर किया जाता है, तो ऑन–लाईन कर वसूल करने वाले बैंक द्वारा उपकर की धनराशि को सीधे इस खाते में जमा किया जायेगा और यान स्वामी उसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रसीद के द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय या उपसम्भागीय अधिकारी को देगा, खाते में अर्जित ब्याज, निधि का भाग माना जाएगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 4 एवं 9 में उल्लिखित कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

(4) खाते का संचालन परिवहन आयुक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा इस हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। खाते में संकलित धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी के संकल्प के अनुसार होगा।

(5) निधि के खाते में जमा करायी गई धनराशि के अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयों में रखे जाएंगे, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी निम्नलिखित अभिलेख रखे जाएंगेः–

(क) बैंक पासबुक,

(ख) चैकबुक रजिस्टर,

(ग) कार्यकारिणी की बैठकों का विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख,

(घ) स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख,

(च) ऑडिट आदि सम्बन्धित अभिलेख,

(छ) अन्य अभिलेख जैसा कि कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किया जाए।

निधि के उपयोग हेतु प्रस्ताव 7 (1) प्रत्येक जनपद द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये नियम 4 में उल्लिखित कार्यों हेतु निधि के उपयोग के लिये प्रस्ताव कार्यकारिणी को भेजा जायेगा।

(2) कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया

		जायेगा, जो अन्तिम होगा।
कार्यकारिणी की बैठक	8	नियम 5 के उप नियम (2) के अनुसार गठित कार्यकारिणी की बैठक हेतु एक सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य–सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। बैठक की गणपूर्ति 04 होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं वित्त सेवा के सदस्य सम्मिलित होने आवश्यक होंगे। कार्यकारणी की वर्ष में दो बैठकें होनी आवश्यक है।
लेखा सम्परीक्षा	9	कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा के लिए एक लेखा–परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा–परीक्षक अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
प्रतिवेदन	10	कार्यकारिणी उस समय के पूर्व, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मांगने की शक्ति	11	राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सूचनाएं एवं लेखे मांग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हों एवं कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल राज्य सरकार को सूचनाएं एवं लेखे प्रस्तुत करेगी।
कार्यकारिणी को उप विधियां बनाने की शक्ति	12	कार्यकारिणी को इस अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अपने कारबार के संचालन को विनियमित करने के लिये उप विधियां बनाने की शक्ति होगी।
अन्य उपबन्ध	13	(1) निधि में प्राप्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमो और उपबन्धों के अधीन रहते हुये किया जायेगा। (2) किसी भी दशा में निधि में प्राप्त धनराशि तथा खाते में अर्जित ब्याज से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। (3) उपकर की दरों में कोई परिवर्तन शासन के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।
नियमों के प्रवर्तन में कठिनाईयों का दूर किया जाना	14	नियमावली के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो।

आज्ञा से,

सी0 एस0 नपलच्याल
सचिव।

संख्या–306 / ix–1 / 2017

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान,सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 06अप्रैल, 2017

विषय– उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि उपविधि–2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–249 / टी.आर. / आठ–8 / 2015 दिनांक 03 सितम्बर,2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रश्नगत उपविधि पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण पर उपरोक्तानुसार उपविधि निर्गत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

हरिचन्द्र सेमवाल
अपर सचिव।

कार्यालय कार्यकारिणी
उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि
संख्या– /ix–1/195(2004)/2017
देहरादूनः दिनांक अप्रैल,2017
विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 वर्ष, 2003) की धारा–8 के अधीन बनायी गयी उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के नियम–12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये निधि की कार्यकारिणी द्वारा अपने कारबार का संचालन करने हेतु बनायी गयी निम्नलिखित उपविधि का राज्यपाल सहर्ष अनुमोदन प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि उपविधि, 2015

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ 1 (1) यह उपविधि उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि, उपविधि, 2015 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस उपविधि में:–

(1) ''कार्यकारिणी'' से उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन गठित कार्यकारिणी अभिप्रेत है,

(2) ''छमाही'' से छः कैलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो जून या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होती है अभिप्रेत है;

(3) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(4) ''सहायक लेखाधिकारी'' से इस पद पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में तैनात उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अधिकारी अभिप्रेत है।

टिप्पणी– इस उपविधि में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 या उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 या उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में दिये गये हैं।

कार्यकारिणी की बैठक, एजेण्डा और कार्यवृत्त 3 (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार होगी।

(2) सदस्य सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी बैठक में विचार करने के लिये कार्यसूची (एजेण्डा) के मदों को तैयार करेगा और कार्यसूची के प्रत्येक मद की विस्तृत टिप्पणी (नोट) तैयार करेगा।

(3) कार्यकारिणी की बैठक हेतु नियत दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची की प्रति कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(4) समस्त मामलों का विनिश्चय नियमित बैठक में उपस्थित सदस्यों, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, के बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

(5) सदस्य सचिव बैठक में लिये गये विनिश्चयों को अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और उसकी जिल्दबन्द कार्य पुस्तिका रखेगा।

परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख 4

(1) निधि के बचत बैंक खाते की पासबुक, चैकबुक, निर्गत चैक से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव परिवहन आयुक्त कार्यालय में निधि के रखरखाव से सम्बन्धित अनुभाग प्रभारी द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा निधि के लेन देन की प्रविष्टियां कर अगले दिन सदस्य सचिव को अवलोकित करायी जायेगी।

(2) परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक कोषबही रखी जायेगी जिसमें निधि में प्राप्त और उससे जिलाधिकारियों को आवंटित धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा।

(3) किसी जनपद के जिलाधिकारी से मांग प्राप्त होने पर निधि से उनको आवंटित धनराशि का चैक सदस्य सचिव और सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा।

(4) राज्य में सार्वजनिक सेवा यानों की दुर्घटनाओं का विवरण रखने एवं तत्सम्बन्धी सूचनायें बनाने के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर एक साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा और उसे अद्यतन रखा जायेगा।

मंजिस्ट्रीयल जांच आख्या में दिये गये सुझावों पर कार्यवाही 5

किसी सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना की उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा की गयी मंजिस्ट्रीयल जांच आख्या में दुर्घटना घटित होने के लिये बताये गये कारणों पर इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित पंजिकायें रखी जायेगी–

(एक) जांच में दोषी पायें गये वाहन चालकों की चालन अनुज्ञप्ति पर कार्यवाही का रजिस्टर,

(दो) जांच के आधार पर सम्बन्धित वाहन के परमिट के विरूद्ध कार्यवाही का रजिस्टर,

(तीन) खराब सड़कों को ठीक करने के लिये सड़क निर्माण सम्बन्धी संस्था से अपेक्षित कार्यवाही का रजिस्टर।

उक्त विषयक कार्यवाही का अद्यतन विवरण कार्यकारिणी की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख 6

(1) प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय में निधि की एक कोषबही रखी जायेगी जिसमें परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा आवंटित धनराशि एवं सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों एवं घायलों को वितरित राहत राशि का विवरण रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक जिलाधिकारी स्तर पर खाते की पासबुक एवं चैकबुक रजिस्टर को अद्यतन रखा जायेगा।

(3) प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय में सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं घायलों को स्वीकृत एवं

वितरित राहत राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में अनुरक्षित पंजिका में रखा जायेगा–

क्र0 सं0	दुर्घटनाग्रस्त वाहन की संख्या	प्रकार	दुर्घटना का दिनांक	स्थान	मृतकों के नाम	मृतक आश्रितों को वितरित धनराशि का विवरण (चैक सं0 व दिनांक)	गम्भीर घायलों के नाम	वितरित धनराशि का विवरण (चैक सं0 व दिनांक)	साधारण घायलों के नाम	वितरित धनराशि का विवरण (चैक सं0 व दिनांक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(4) प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय में दुर्घटनाग्रस्त सार्वजनिक सेवायानों एवं प्रभावित व्यक्तियों को वितरित राहत राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में अनुरक्षित पंजिका में रखा जायेगा–

क्र0 सं0	दुर्घटना का दिनांक	स्थान	वाहन की संख्या	प्रकार	परमिट संख्या एवं वैधता	मजि0 जांच गठित करने का दिनांक	मजि0 जांच आख्या में प्राप्त करने का दिनांक	दुर्घटना में			देय राहत राशि	वितरित धनराशि	पावती रसीद को परिवहन आयुक्त को प्रेषित करने का दिनांक
								मृतकों की संख्या	गम्भीर घायलों की संख्या	साधारण घायलों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जिलाधिकारी द्वारा सूचनाओं का प्रेषण

7 (1) जिलाधिकारी द्वारा प्रतिमाह जनपद में घटित सार्वजनिक सेवायानों की दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच एवं उसमें प्रभावित व्यक्तियों को वितरित राहत राशि की समीक्षा की जायेगी एवं उसकी आख्या परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

(2) जिलाधिकारी के द्वारा दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त को मजिस्ट्रीयल जांच आख्या प्रेषित करते समय आख्या की एक प्रति सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि स्वीकृत करना

8 (1) जिलाधिकारी द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि स्वीकृत एवं वितरित करने के लिये सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से इस आशय की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन सार्वजनिक सेवायान है।

(2) दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सार्वजनिक सेवायान होने पर राहत के लिये चिन्हित हकदारों को जिलाधिकारी द्वारा निधि में दी गयी अनुसूची के अनुसार राहत राशि स्वीकृत कर चैक के माध्यम से वितरित की जायेगी तथा वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीदें अभिलेखार्थ सुरक्षित रखी जायेंगी।

(3) जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक सेवायान की मजिस्ट्रीयल जांच आख्या परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेंगी।

जिलाधिकारी द्वारा दुर्घटना राहत निधि की मांग

9 प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर निधि के नियम 8 के उपनियम (3) के अन्तर्गत 25 लाख रूपये की धनराशि राहत राशि वितरण के लिये रखे जाने की व्यवस्था है। इस धनराशि के 25 लाख से कम होने पर नियम 8 के उपनियम (8) के अन्तर्गत जिलाधिकारी की मांग पर परिवहन आयुक्त द्वारा ऐसी धनराशि आवंटित की जायेगी

करना कि जिलाधिकारी के बचत खाते में न्यूनतम 25 लाख रूपये की धनराशि बनी रहे। जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग करते समय परिवहन आयुक्त को निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी–

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष धनराशि	परिवहन आयुक्त द्वारा वर्ष में		अर्जित ब्याज	माह के अन्त तक वितरित की गयी धनराशि	माह के अन्त में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
				आवंटित धनराशि रूपये में	आवंटन का दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परीक्षणोपरान्त मांग के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रत्येक सम्भागीय, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय व चैकपोस्ट में रखे जाने वाले अभिलेख एवं उनके द्वारा सूचनाओं का प्रेषण

10 (1) प्रत्येक सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा प्रतिदिन निधि में प्राप्त धनराशि को उसके बैंक खाते में जमा किया जायेगा एवं इस हेतु एक पृथक कोषबही रखी जायेगी व उसका नियमित रख रखाव किया जायेगा।

(2) निधि के नियम 8 के उपनियम (2) के अन्तर्गत जिन चैकपोस्टों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की सी0बी0एस0 शाखा के माध्यम से सीधे निधि के खाते में धनराशि जमा करायी गयी है उनके द्वारा भी एक पृथक कोषबही रखी जायेगी और उसका नियमित रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रत्येक सम्भागीय, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय तथा परिवहन चैकपोस्ट द्वारा प्रतिमाह निधि में जमा की गयी धनराशि की सूचना परिवहन आयुक्त कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उसके ठीक अगले माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्रत्येक सम्भागीय, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय में दुर्घटनाग्रस्त सार्वजनिक सेवायानों के विवरणों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में एक पंजिका रखी जायेगी जिसका समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

निधि का आडिट

11 निधि में धनराशि जमा करने और उसका वितरण करने से सम्बन्धित सभी कार्यालयों का प्रतिवर्ष आडिट किया जायेगा।

सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुर्घटनास्थल एवं यान का निरीक्षण

12 किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सम्बन्धित जिला का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सम्भागीय/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तत्काल दुर्घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा दुर्घटनाग्रस्त यान से सम्बन्धित परमिट, फिटनेस, कर जमा होने की स्थिति, बैठने की क्षमता, चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की वैधता की सूचनायें सम्बन्धित जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,

सी0एस0 नपलच्याल
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड सड़क परिवहन
दुर्घटना राहत निधि

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 06 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बैरियर'' से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) ''उपकर'' से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकर निरीक्षक'' से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(i) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(ii) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) ''संग्रहण प्राधिकारी'' से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) ''पट्टेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पटटे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) ''हल्का मोटरयान'' से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) ''मोटरयान'' से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नही है;

(झ) ''अधिसूचना'' से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकारी गजट'' से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) ''मार्ग अवस्थापना'' से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' या ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''टोकन'' से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

उपकर की दर और उसका भुगतान

3 (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयान से उनके सम्मुख स्तम्भ (3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रत्येक मोटरयान पर राज्य सरकार द्वारा उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2)
राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में किसी वर्ग के यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट उपकर की दरों में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर उन्हे बढा सकती है या विलोपित कर सकती है और तद्पश्चात प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगीः

परन्तु यह कि किसी एक समय में प्रतिकर की दरों में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

(3)
उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को उसके जारी होने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

(4)
किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति 'बैरियर' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(5)
मोटरयान, जिसने राज्य में किसी बैरियर पर उपधारा (4) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उस समयावधि के भीतर, जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है, पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नही होगा।

(6)
प्रतिदिन की रसीद 24 घन्टे के लिये विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी।

(7)
तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(8)
वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

उपकर संग्रह करने का अधिकार पटटै पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पटटा स्वीकृत करने के उददेश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पटटेधारक के लिये पटटे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना

5 इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

उपकर निरीक्षक के अधिकार

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

बैरियर की स्थापना

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना

9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियॉ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रकिया

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

सचल दस्तों की स्थापना

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टो तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण

प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिये जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियॉ

12. (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पॉच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नही लेगा।

कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन

13. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नही होगी।

छूट

14. (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

15. राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

प्रमाणीकरण **16.** **(1)** किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॅा किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और अपवाद **17.** **(1)** उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची
(धारा–3 देखियें)

क0 सं0	यान का विवरण	प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये प्रतिकर की दरें
1	2	3	4	5
1	**यान जिसकी भार वहन क्षमता**			
	(क) 90 कुन्तल से अधिक है।	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 20 कुन्तल से अधिक 90 कुन्तल तक	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ग) 10 कुन्तल से अधिक 20 कुन्तल तक	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(घ) सार्वजनिक भार वाहन या निजी भार वाहन के साथ चालित ट्रेक्टर सिवाय जल, कृषि कार्य के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो।	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
2	**सवारी यान जिनमें बैठने की क्षमता–**			
	(क) 20 सवारी से ऊपर हो	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 12 सवारी तक	40.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(ग) अन्य हल्के मोटरयान जैसे जीप, कार, पिकअप वैन, स्टेशन वैगन	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नही है।
	(1) जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो,	30.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 15 गुना	लागू नही है।
	(2) जब निजी भार वाहन के रूप में पंजीकृत हो	30.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(3) उपकर बैरियर के 6 कि0मी0 के	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर	लागू नही है।

	दायरे में निवास करने वाली निजी पंजीकृत यान के स्वामी		का 20 गुना	
	(घ) मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा	20.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना

टिप्पणी– (1) स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी।

(2) स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 14 देखिये)

क0 सं0	विवरण	शर्तें और अपवाद
1	2	3
1	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।	–
2	विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिमण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान।	–
3	अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान।	–
4	मोटर साइकिल और स्कूटर, और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)।	–
5	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान	–

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला
प्रमुख सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–2887/कम्पयू/8–102/2017 दिनांक 31 मई,2017

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,

समस्त पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग,
उत्तराण्ड।

विषयः उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 एवं चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम–52 के अन्तर्गत आकर्षक पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी एवं ऑनलाईन बुकिंग व्यवस्था दिनांक 01–06–2017 से लागू किए जाने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विशयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2934 / टीआर / आकर्षक पंजीयन नं0 / 2017 दिनांक 30–05–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–510 / ix–1 / 302(2007) / 2017 दिनांक 30–05–2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गई है। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत शासन द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान(चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 के नियम–52 को दिनांक 01–06–2017 से लागू करने के निर्देश दिए गए है।

इस सम्बन्ध में कोई आवेदक parivahan.gov.in वैबसाईट पर fancy number लिंक पर जाकर अधिसूचित अथवा गैर अधिसूचित आकर्षक पंजीयन नम्बर की ऑनलाईन नीलामी अथवा ऑनलाईन बुकिंग में भाग ले सकता है। इस सम्बन्ध में आवेदकों के उपयोगर्थ तैयार किए गए '' User Mannual '' की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही आकर्षक पंजीयन नम्बरों की नीलामी / बुकिंग के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न– यथोक्त

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं विभागाध्यक्ष (वाहन टीम), एनआईसी मुख्यालय, ए–ब्लॉक, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी राज्य ईकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
5– टी0आर0 अनुभाग, मुख्यालय।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड राज्य के परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहनों को आवंटित किए जाने वाले आकर्षक / अति महत्वपूर्ण / महत्वपूर्ण एवं इच्छित पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी / आरक्षण करने के लिए आवेदकों हेतु गाईडलाईन्सः–

****

1– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम–52 के अन्तर्गत किसी मोटरयान स्वामी को वाहन के पंजीयन हेतु आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर प्रचलित श्रृंखला से पूर्व आवंटित पंजीयन नम्बर के ठीक बाद पड़ने वाले पंजीयन नम्बर आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु नियमावली में विहित व्यवस्था के आधार पर कोई वाहन स्वामी अति आकर्षक/आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण एवं अन्य इच्छित पंजीयन नम्बर को निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आरक्षण करा सकता है।
2– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित नम्बरों को नीलामी हेतु आरक्षित रखा गया है:–
0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0101, 0777, 0786, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7000, 7070, 7272, 7777, 7979, 8888, 9000, 9191,9999
3– उपरोक्त पंजीयन नम्बरों के आरक्षण हेतु कोई भी आवेदक न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट ''परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड'' के नाम से बनाते हुए सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदकों में से उच्चतम बोलीदाता के द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित पंजीयन नम्बर आरक्षित कर दिया जाएगा और असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा कराया गया बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
4– उपरोक्त पंजीयन नम्बरों के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के द्वारा निम्नलिखित पंजीयन नम्बरों को अति महत्वपूर्ण/आकर्षक/महत्वपूर्ण श्रेणी में अधिसूचित किया गया है, जिनके लिए क्रमशः रूपये 10 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार आरक्षण मूल्य निर्धारित है।

अति महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याएं (देय शुल्क रू0–10,000/)

90	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1001	1100
1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2002	2100	2200
2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3003	3100	3200	3300
3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4004	4100	4200	4300	4400
4500	4600	4700	4800	4900	5000	5005	5100	5200	5300	5400	5500
5600	5700	5800	5900	6000	6006	6100	6200	6300	6400	6500	6600
6700	6800	6900	7007	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800
7860	7900	8000	8008	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800
8900	9009	9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	

आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0–5000/)

111	222	444	555	666	888	1122	1133	1144	1155
1166	1177	1188	1199	1786	1881	2211	2233	2244	2255
2266	2277	2288	2299	2772	2786	3311	3322	3344	3355

3366	3377	3388	3399	3663	3786	4411	4422	4433	4455
4466	4477	4488	4499	4786	5445	5511	5522	5533	5544
5566	5577	5588	5599	5786	6336	6611	6622	6633	6644
6655	6677	6688	6699	6786	7227	7711	7722	7733	7744
7755	7766	7786	7788	7799	8118	8811	8822	8833	8844
8855	8866	8877	8899	9786	9911	9922	9933	9944	9955
9966	9977	9988							

महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0–2000/)

18	20	27	30	36	40	45	50	54	60
63	70	72	80	81	202	303	404	505	606
707	808	909	1010	1212	1313	1414	1515	1616	1717
1818	1919	2020	2121	2223	2323	2424	2525	2626	2727
2828	2929	3030	3131	3232	3434	3535	3636	3737	3838
3939	4040	4041	4141	4242	4343	4545	4646	4747	4848
4949	4950	5050	5151	5252	5353	5454	5656	5757	5858
5959	6060	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6768	6868
6969	7171	7373	7474	7575	7676	7677	7878	8080	8181
8282	8383	8484	8585	8686	8787	8989	9090	9292	9393
9494	9595	9696	9797	9898					

5– उपरोक्त अति महत्वपूर्ण/आकर्षक/महत्वपूर्ण श्रेणी में अधिसूचित पंजीयन नम्बरों के आरक्षण हेतु कोई आवेदक पंजीयन नम्बर के सम्मुख अंकित आरक्षण मूल्य की धनराशि का ऑनलाईन भुगतान करते हुए, पंजीयन नम्बर की उपलब्धता के आधार पर, पंजीयन नम्बर आरक्षित करा सकता है। अति महत्वपूर्ण/आकर्षक/महत्वपूर्ण श्रेणी में अधिसूचित पंजीयन नम्बरों का आरक्षण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर ऑनलाईन रूप में किया जाएगा।

6– उपरोक्त प्रस्तर–2 एवं 4 में इंगित पंजीयन संख्याओं के अतिरिक्त यदि कोई आवेदक अन्य इच्छित नम्बर का आरक्षण कराना चाहता है तो नम्बर की उपलब्धता के आधार पर रूपये 2,000.00 (रूपये दो हजार मात्र) का आरक्षण शुल्क ऑनलाईन जमा करा कर नम्बर आरक्षित करा सकता है।

7– उपरोक्त तीनों श्रेणीयों में किसी आवेदक द्वारा पंजीयन नम्बरों का आरक्षण कराने की तिथि से 30 दिवस के भीतर वाहन पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित अवधि में वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा आरक्षित पंजीयन संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जमा करायी गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार निरस्त की गई पंजीयन संख्या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को आवंटित कर दी जाएगी, जिसके द्वारा निर्धारित विहित शुल्क जमा कर दिया गया हो।

8– यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर वाहन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह 30 दिवस की अवधि समाप्त होने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन प्रधिकारी के कार्यालय में पंजीयन संख्या आरक्षण हेतु जमा करायी गई धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त धनराशि जमा करा कर उक्त 30 दिवस की अवधि को आगामी 30 दिवस के लिए केवल एक बार बढ़ा सकता है। उक्त 60 दिवस के पश्चात् किसी भी दशा में अवधि को आगे नहीं बढ़ायाजाएगा।

9– प्रस्तर–2 एवं प्रस्तर–4 में विनिर्दिष्ट अति आकर्षक/आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण पंजीयन संख्याओं के लिए कोई आवेदन प्राप्त न होने पर, उन्हें किसी वाहन को आवंटित नहीं किया जाएगा।

10– ऑनलाईन नीलामी एवं ऑनलाईन आरक्षण के सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:–

ऑनलाईन नीलामी हेतु प्रक्रिया

****

(1) अधिसूचित पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक परिवहन विभाग के पोर्टल https://parivahan.gov.in/fancy/ पर आवेदन कर सकते है।

(2) कृपया नीलामी प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पूर्व अपनी पसन्द के नम्बर की उपलब्धता की जॉच कर लें। इस हेतु कृपया पोर्टल पर ''User Other Services'' मेन्यू में ''Available Fancy/Choice Number'' पर क्लिक करें।

(3) कृपया वैब पेज पर सम्बन्धित राज्य ''State'' एवं सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी कार्यालय ''RTO'' का चयन करें। उपरोक्त चयन के फलस्वरूप आवेदक प्रदर्शित पंजीयन नम्बरों में से अपनी पसन्द के नम्बर की जॉच कर सकते हैं।

(4) अपनी पसन्द के नम्बर की उपलब्धता जॉचने के उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल के Home पेज पर User ID बनाते हुए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस हेतु कृपया ''New Public User'' पर क्लिक करें और अपना नाम, ई–मेल आईडी, मोबाईल नम्बर सही–सही अंकित करें। उल्लेखनीय है कि जो नाम, ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आपके द्वारा अंकित किया जाएगा, वह परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा और इसी नाम एवं नम्बर के आधार पर कालान्तर में वाहन का पंजीयन किया जाएगा। उपरोक्त सूचनाएं भरने के उपरान्त आवेदक द्वारा ''Sign Up'' बटन पर क्लिक किया जएगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त आवेदक को User ID एवं Password की सूचना SMS एवं Email के माध्यम से प्राप्त होगी।

(5) उपरोक्तानुसार प्राप्त User ID, Password एवं Verification Code अंकित करते हुए आवेदक द्वारा पोर्टल के Home Page पर Login किया जाएगा। Login के

फलस्वरूप निम्नलिखित पृष्ठ प्रदर्शित होगा, जिसमें 02 मॉड्यूल प्रदर्शित होंगेः–

(5.1) Proceed to Notified Fancy Number Auction System

(5.2) Proceed to other than Notified Number Booking System

(6) नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक द्वारा ''Proceed to Notified Fancy Number Auction System'' का चयन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा।

(7) ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया हेतु निम्न प्रकार दिवसों का निर्धारण किया गया हैः–

(7.1) प्रत्येक कार्यालय में निविदा प्रक्रिया प्रति माह 02 बार आयोजित की जाएगी।

(7.2) पहली बोली प्रक्रिया 01 तारीख से 15 तारीख तक तथा दूसरी बोली प्रक्रिया 16 तारीख से माह के अन्त तक संपादित की जाएगी।

(7.3) प्रत्येक माह की पहली तारीख से 06 तारीख तक सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाईन बोली हेतु रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और बैंक ड्रॉफ्ट मूल रूप से सम्बन्धित पंजीयन कार्यालय में जमा कराया जाएगा, जिसके आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा उसका Verification कम्प्यूटर पर किया जाएगा।

(7.4) 07 तारीख बैंक ड्राफ्ट जमा करने हेतु रिजर्व दिवस के रूप में रहेगी।

(7.5) 08 तारीख से 10 तारीख तक वैबसाईट बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी, जिसमें बोलीदाता अपनी बोली लगा सकते हैं। उक्त बोली 10वें दिन अपरान्ह 4:00 बजे बन्द हो जाएगी। बोली समाप्त होने के लिए कुछ समय के भीतर सफल बोलीदाता की घोषणा कम्प्यूटर जेनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर कम्प्यूटर पर स्वतः प्रदर्शित होगी।

(7.6) सफल बोलीदाता का परिणाम घोषित होने के 02 दिवस के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा Auction Amount (उच्चतम बोली) की अवशेष धनराशि ऑनलाईन रूप में भुगतान करनी होगी, जिसके आधार पर जेनरेटेड ऑनलाईन भुगतान की रसीद परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।

(7.7) उपरोक्तानुसार रसीद प्रस्तुत करने पर असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा कराए गए बैंक ड्रॉफ्ट मूल रूप में वापस कर दिए जाएंगे।

(7.8) इसी प्रकार 16वीं तारीख से उपरोक्त दिवसों के आधार पर द्वितीय बोली प्रक्रिया लागू की जाएगी।

(7.9) उपरोक्तानुसार सफल बोलीदाता यदि निर्धारित 30 दिवस की अवधि के भीतर वाहन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके द्वारा 30 दिवस की अवधि व्यतीत होने से पूर्व विहित शुल्क के साथ समय बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन भी नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा नम्बर को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जाएगा।

(7.10) इसी प्रकार यदि किसी उच्चतम बोलीदाता द्वारा किसी नम्बर के लिए बोली लगायी जाती है परन्तु उसके द्वारा निर्धारित अवधि में Auction Amount (उच्चतम बोली) जमा नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा किए गए बैंक ड्रॉफ्ट को जब्त कर लिया जाएगा और उक्त नम्बर को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जाएगा।

(7.11) यदि कोई आवेदक एक पंजीयन संख्या से अधिक के लिए बोली लगाना चाहता है तो उसे प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य का पृथक–पृथक बैंक ड्रॉफ्ट जमा कराना होगा।

(8) ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कृपया मेन्यू में ''Number Selection'' पर क्लिक करें।

(9) कृपया ''RTO'', ''Vehicle Type'', ''Vehicle Catagory'', ''Vehicle Series'' का चयन करें और बोली हेतु इच्छित नम्बर का भी चयन करें और आगे बढ़ें।

(10) कृपया आवेदक के सम्बन्ध में पूछी गई जानकारियॉ अंकित करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, पते का प्रमाण पत्र आदि सम्मिलित हैं। कृपया सूचना भर कर ''Submit''बटन पर क्लिक करें।

(11) कृपया ऑन लाईन नीलामी में भाग लेने हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये 10000.00 का बैंक ड्राफ्ट के विवरण अंकित करें।

(11.1) कृपया ऑन लाईन पेमेन्ट शीर्षक में "Payment Mode" के अन्तर्गत "Draft Payment" का चयन करें और आगे बढ़े।

(11.2) कृपया "Proceed" बटन पर क्लिक करें।

(11.3) कृपया "DRAFT DETAIL" अंकित और "Submit" बटन पर क्लिक करें।

(11.4) कृपया निम्न लिंक से "Acknowledgement Letter" प्रिन्ट करें।

(12) कृपया उपरोक्त मुद्रित "Acknowledgement Letter" एवं मूल बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में जमा करायें और अपने रजिस्ट्रेशन को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिये एक्टिवेट करायें।

(13) एक्टिवेशन के उपरान्त "Auction Services" मैन्यू के अन्तर्गत "Bidding Process" बटन के माध्यम से बोली में भाग लें।

(14) बोली हेतु खिड़की निर्धारित अवधि के लिए ही खुली होगी, जिसकी सूचना आपको समय≤ पर वैबसाईट पर उपलब्ध होगी। अतः कृपया प्रक्रिया में भाग लेते हुए "Select For Auction"का चयन करें और अपनी बोली अंकित करें।

(15) बोली हेतु अवशेष समय भी आपको खिड़की पर प्रदर्शित होगा। अतः कृपया समय का ध्यान रखें।

(16) कृपया आप बोली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर रूपये 1000.00 के गुणक में अपनी बोली को परिवर्तित कर सकते हैं। इस हेतु "Select For Auction" का चयन करते हुए निम्नलिखित बटन के माध्यम से अपनी बोली को बढा अथवा घटा सकते हैं।

(17) कृपया बोली हेतु निर्धारित समय समाप्त होने के उपरान्त स्वतः कम्प्यूटर जैनरेटेड अन्तिम परिणाम जानने के लिये "Show Final Result"पर क्लिक करें।

(18) "Final Auction Result"आप निम्नलिखित लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं:–

(19) सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान ऑन लाईन रूप में जमा कराया जाना है।

(20) कृपया ऑन लाईन शुल्क भुगतान के उपरान्त निम्न लिंक से "Acknowledgement Letter" प्रिन्ट करें।

(21) कृपया उपरोक्तानुसार रसीद प्रिन्ट के पश्चात् नम्बर आरक्षण की जानकारी सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें और वाहन का पंजीयन

कराते समय उक्त आरक्षण को अपनी पत्रावली से अवश्य लिंक कराएं अन्यथा आपको ''Running Series''से कोई अन्य नम्बर आवंटित हो सकता है। अतः यह अति महत्वपूर्ण है, कृपया पत्रावली लिंक कराने का विशेष ध्यान रखें।

ऑनलाईन आरक्षण हेतु प्रक्रिया

****

(1) अधिसूचित आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण तथा अन्य इच्छित पंजीयन नम्बरों के ऑनलाईन आरक्षण के लिए आवेदक परिवहन विभाग के पोर्टल https://parivahan.gov.in/fancy/ पर आवेदन कर सकते है।
(2) कृपया आरक्षण प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पूर्व अपनी पसन्द के नम्बर की उपलब्धता की जॉच कर लें। इस हेतु कृपया पोर्टल पर ''User Other Services'' मेन्यू में ''Available Fancy/Choice Number'' पर क्लिक करें।
(3) कृपया वैब पेज पर सम्बन्धित राज्य ''State'' एवं सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी कार्यालय ''RTO'' का चयन करें। उपरोक्त चयन के फलस्वरूप आवेदक प्रदर्शित पंजीयन नम्बरों में से अपनी पसन्द के नम्बर की जॉच कर सकते हैं।
(4) सूची में अंकित पंजीयन नम्बरों से भिन्न किसी इच्छित पंजीयन नम्बर की उपलब्धता की जॉच हेतु आवेदक Enter Choice Number Numeric Part में पंजीयन संख्या के अंक को भर कर ''Check Availability'' पर क्लिक कर उसकी उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
(5) अपनी पसन्द के नम्बर की उपलब्धता जॉचने के उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल के भ्वउम पेज पर न्मत प्क बनाते हुए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस हेतु कृपया ''New Public User'' पर क्लिक करें और अपना नाम, ई–मेल आईडी, मोबाईल नम्बर सही–सही अंकित करें। उल्लेखनीय है कि जो नाम, ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आपके द्वारा अंकित किया जाएगा, वह परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा और इसी नाम एवं नम्बर के आधार पर कालान्तर में वाहन का पंजीयन किया जाएगा। उपरोक्त सूचनाएं भरने के उपरान्त आवेदक द्वारा ''Sign Up'' बटन पर क्लिक किया जएगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त आवेदक को User ID एवं Password की सूचना SMS एवं Email के माध्यम से प्राप्त होगी।
(6) उपरोक्तानुसार प्राप्त User ID, Password एवं Verification Code अंकित करते हुए आवेदक द्वारा पोर्टल के Home Page पर Login किया जाएगा। Login के फलस्वरूप निम्नलिखित पृष्ठ प्रदर्शित होगा, जिसमें 02 मॉड्यूल प्रदर्शित होंगेः–

(6.1) Proceed to Notified Fancy Number Auction System
(6.2) Proceed to other than Notified Number Booking System

(7) ऑनलाईन आरक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक द्वारा ''Proceed to other than Notified Number Booking System'' का चयन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा।

(8) ऑनलाईन आरक्षण के लिए कृपया मेन्यू में ''Number Selection'' पर क्लिक करें।
(9) कृपया ''RTO'', ''Vehicle Type'', ''Vehicle Catagory'', ''Vehicle Series'' का चयन करें और आरक्षण हेतु इच्छित नम्बर का भी चयन करें और आगे बढ़ें।
(10) कृपया आवेदक के सम्बन्ध में पूछी गई जानकारियॉ अंकित करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, पते का प्रमाण पत्र आदि सम्मिलित हैं। कृपया सूचना भर कर ''Submit''बटन पर क्लिक करें।
(11) **ऑनलाईन शुल्क भुगतान**
(11.1) कृपया नम्बर आरक्षण हेतु ऑनलाईन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही करें।
(11.2) ऑनलाईन भुगतान हेतु नीचे दर्शाये गए पृष्ठ पर ''Pay'' बटन पर क्लिक करें और इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
(11.3) कृपया सफलतापूर्वक भुगतान के उपरान्त निम्न प्रकार प्रदर्शित रसीद का अवलोकन करें और ''Proceed''बटन पर क्लिक करें।
(11.4) कृपया रसीद प्रिन्ट करने हेतु 'Print''बटन पर क्लिक करें।
(12) कृपया उपरोक्तानुसार रसीद प्रिन्ट के पश्चात् नम्बर आरक्षण की जानकारी सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें और वाहन का पंजीयन कराते समय उक्त आरक्षण को अपनी पत्रावली से अवश्य लिंक कराएं अन्यथा आपको 'Running Series''से कोई अन्य नम्बर आवंटित हो सकता है। अतः यह अति महत्वपूर्ण है, कृपया पत्रावली लिंक कराने का विशेष ध्यान रखें।
(13) जैसा कि उपरोक्त मूल प्रस्तर–7 एवं 8 में स्पष्ट किया गया है कि कृपया वाहन निर्धारित अवधि से पूर्व पंजीयन हेतु सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपका आरक्षण रद्द करते हुए उक्त पंजीयन नम्बर किसी दूसरे आवेदक को आवंटित किया जा सकता है।

आज्ञा से ,
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–2934/कम्पयू/8–102/2017 दिनांक 02जून, 2017

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग,

उत्तराण्ड।

विषयः <u>उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 एवं चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम–52 के अन्तर्गत आकर्षक पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी एवं ऑनलाईन बुकिंग व्यवस्था दिनांक 01–06–2017 से लागू किए जाने के सम्बन्ध मे।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2887/कम्प्यू/8–102/2017 दिनांक 31–05–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासन उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 के नियम–52 को दिनांक 01–06–2017 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवेदकों के उपयोगार्थ तैयार किये गये "User Mannual" की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में पंजीयन अधिकारियों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में यद्यपि इस कार्यालय के कार्यवृत्त संख्या–1065/कम्प्यू/8–102/2017 दिनांक 14–03–2017 के अन्तर्गत पूर्व में निर्देश दिये गये हैं, परन्तु सॉफ्टवेयर के कार्यालय स्तर पर संचालन, कार्य की महत्ता एवं एकरूपता के दृष्टिगत पंजीयन अधिकारियों हेतु निम्न प्रकार मार्गदर्शक बिन्दु पुनः प्रसारित किये जा रहे हैं:–

1– उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 के नियम 52 के प्राविधान दिनांक 01–06–2017 से प्रभावी हो गये हैं, अतः उक्त तिथि से उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर, आरक्षण की प्रणाली एवं आरक्षण हेतु पूर्व निर्धारित दरों में परिवर्तन किया गया है।

2– नियम–52 के अन्तर्गत किसी मोटरयान स्वामी को वाहन के पंजीयन हेतु आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर प्रचलित श्रृंखला में पूर्व आवंटित पंजीयन नम्बर के ठीक बाद पड़ने वाले पंजीयन नम्बर आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु नियमावली में विहित व्यवस्था के आधार पर कोई वाहन स्वामी अति आकर्षक/आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण एवं अन्य इच्छित पंजीयन नम्बर को निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आरक्षण करा सकता है।

3– नयी व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित निम्नलिखित पंजीयन चिन्ह निर्धारित शुल्क जमा करने पर, केवल ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से ही आरक्षित किये जायेगें:–

0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0101, 0777, 0786, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7000, 7070, 7272, 7777, 7979, 8888, 9000, 9191, 9999

4– उपरोक्त नियमावली के नियम 52 (2)(तीन) के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य अति महत्वपूर्ण, आकर्षक एवं महत्वपूर्ण नम्बरों के सम्बन्ध में टी0आर0 अनुभाग की अधिसूचना संख्या–2884/टी0आर0/आकर्षक नम्बर/2017 दिनांक

31–05–2017 निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचना में अधिसूचित पंजीयन चिन्ह केवल ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर आरक्षित किये जायेगें। संक्षेप में अधिसूचित पंजीयन नम्बरों का विवरण निम्नवत् हैः–

अति महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याएं (देय शुल्क रू0–10,000 /)(107 संख्यायें)

90	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1001	1100
1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2002	2100	2200
2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3003	3100	3200	3300
3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4004	4100	4200	4300	4400
4500	4600	4700	4800	4900	5000	5005	5100	5200	5300	5400	5500
5600	5700	5800	5900	6000	6006	6100	6200	6300	6400	6500	6600
6700	6800	6900	7007	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800
7860	7900	8000	8008	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800
8900	9009	9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	

आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0–5000 /)(93 संख्यायें)

111	222	444	555	666	888	1122	1133	1144	1155
1166	1177	1188	1199	1786	1881	2211	2233	2244	2255
2266	2277	2288	2299	2772	2786	3311	3322	3344	3355
3366	3377	3388	3399	3663	3786	4411	4422	4433	4455
4466	4477	4488	4499	4786	5445	5511	5522	5533	5544
5566	5577	5588	5599	5786	6336	6611	6622	6633	6644
6655	6677	6688	6699	6786	7227	7711	7722	7733	7744
7755	7766	7786	7788	7799	8118	8811	8822	8833	8844
8855	8866	8877	8899	9786	9911	9922	9933	9944	9955
9966	9977	9988							

महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0–2000 /)(105 संख्यायें)

18	20	27	30	36	40	45	50	54	60
63	70	72	80	81	202	303	404	505	606
707	808	909	1010	1212	1313	1414	1515	1616	1717
1818	1919	2020	2121	2223	2323	2424	2525	2626	2727
2828	2929	3030	3131	3232	3434	3535	3636	3737	3838
3939	4040	4041	4141	4242	4343	4545	4646	4747	4848
4949	4950	5050	5151	5252	5353	5454	5656	5757	5858
5959	6060	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6768	6868
6969	7171	7373	7474	7575	7676	7677	7878	8080	8181
8282	8383	8484	8585	8686	8787	8989	9090	9292	9393
9494	9595	9696	9797	9898					

5– उपरोक्त प्रस्तर–2 एवं 3 में इंगित पंजीयन संख्याओं के अतिरिक्त यदि कोई आवेदक अन्य इच्छित नम्बर का आरक्षण कराना चाहता है तो नम्बर की उपलब्धता के आधार पर रूपये 2,000.00 (रूपये दो हजार मात्र) का आरक्षण शुल्क ऑनलाईन जमा करा कर नम्बर आरक्षित करा सकता है।

6– चूंकि उत्तराखण्ड मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 52 के प्राविधान दिनांक 01–06–2017 से लागू हो गये हैं। अतः उक्त नियम के आधार पर अधिसूचित पंजीयन संख्याओं को उक्त तिथि से कम्प्यूटर पर ब्लॉक कर दिया जायेगा और उन्हें रनिंग सीरिज में निर्धारित शुल्क के बिना आवंटित नहीं किया

जायेगा। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 01–06–2017 अथवा उसके उपरान्त किसी भी पंजीयन कार्यालय में कोई आकर्षक पंजीयन नम्बर मैन्युअल आधार पर कार्यालय में आरक्षित नहीं किया जायेगा और सभी नम्बर केवल ऑनलाईन नीलामी अथवा बुकिंग के माध्यम से आरक्षित किये जायेगें।

7– उपरोक्त तीनों श्रेणियों में किसी आवेदक द्वारा पंजीयन नम्बरों का आरक्षण कराने की तिथि से 30 दिवस के भीतर वाहन पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित अवधि में वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा आरक्षित पंजीयन संख्या का आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जमा करायी गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

8– नियमावली में यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर वाहन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह 30 दिवस की अवधि समाप्त होने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन प्रधिकारी के कार्यालय में पंजीयन संख्या आरक्षण हेतु पूर्व में जमा करायी गई धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त धनराशि जमा करा कर उक्त 30 दिवस की अवधि को आगामी 30 दिवस के लिए केवल एक बार बढ़ा सकता है। उक्त 60 दिवस के पश्चात् किसी भी दशा में अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

9– यदि सफल निविदादाता निर्धारित अवधि में वाहन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके द्वारा समय बढ़ाने की प्रार्थना भी नहीं की जाती है, तो उसके द्वारा भुगतान की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आरक्षित नम्बर के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

9.1 ऐसे पंजीयन नम्बर, जिनका आरक्षण केवल नीलामी के आधार पर किया जाता है, को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जायेगा।

9.2 इसी प्रकार यदि कोई उच्चतम बोलीदाता द्वारा किसी नम्बर के लिए बोली लगायी जाती है, परन्तु उसके द्वारा निर्धारित अवधि में "ऑक्शन अमाउन्ट" (उच्चतम बोली) जमा नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा किये गये आरक्षित मूल्य के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा और उक्त नम्बर को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जायेगा।

9.3 ऐसे पंजीयन नम्बर, जिनका आरक्षण ऑनलाईन बुकिंग के आधार पर किया जाता है, को पुनः ऑनलाईन बुकिंग हेतु खोल दिया जायेगा।

10– प्रस्तर–2 एवं प्रस्तर–4 में विनिर्दिष्ट अति आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/आकर्षक/महत्वपूर्ण पंजीयन संख्याओं के लिए कोई आवेदन प्राप्त न होने पर, उन्हें किसी वाहन को आवंटित नहीं किया जाएगा।

11– कोई आवेदक parivahan.gov.in वैबसाईट पर fancy number लिंक पर जाकर अधिसूचित अथवा अन्य इच्छित पंजीयन नम्बर की ऑनलाईन नीलामी अथवा ऑनलाईन बुकिंग में भाग ले सकता है।

12– जैसाकि पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि पंजीयन अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय में वर्तमान प्रचलित सीरीज तथा पिछली एक सीरीज जिसके कि कुछ नम्बर बुकिंग से छूट गये हैं, को ही ऑनलाईन नीलामी अथवा ऑनलाईन बुकिग हेतु खोला जायेगा।

13– परिवहन कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन नीलामी हेतु निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

13.1 नीलामी हेतु अधिसूचित पंजीयन नम्बरों के आरक्षण हेतु कोई भी आवेदक न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट ''परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड'' के नाम से बनाते हुए सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की बोली रूपये 1 हजार के गुणांक में बढ़ाते हुए स्वीकार की जायेगी।

13.2 प्रत्येक कार्यालय में निविदा प्रक्रिया प्रति माह 02 बार आयोजित की जाएगी।

13.3 पहली बोली प्रक्रिया 01 तारीख से 15 तारीख तक तथा दूसरी बोली प्रक्रिया 16 तारीख से माह के अन्त तक संपादित की जाएगी।

13.4 प्रत्येक माह की पहली तारीख से 06 तारीख तक सम्बन्धित आवेदक द्वारा ऑनलाईन बोली हेतु रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और बैंक ड्रॉफ्ट मूल रूप से सम्बन्धित पंजीयन कार्यालय में जमा कराया जाएगा, जिसके आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा उसका Verification कम्प्यूटर पर किया जाएगा।

13.5 07 तारीख बैंक ड्राफ्ट जमा करने हेतु रिजर्व दिवस के रूप में रहेगी।

13.6 08 तारीख से 10 तारीख तक वैबसाईट बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी, जिसमें बोलीदाता अपनी बोली लगा सकते हैं। उक्त बोली 10वें दिन अपरान्ह 4:00 बजे बन्द हो जाएगी। बोली समाप्त होने के लिए कुछ समय के भीतर सफल बोलीदाता की घोषणा कम्प्यूटर जेनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर कम्प्यूटर पर स्वतः प्रदर्शित होगी।

13.7 सफल बोलीदाता का परिणाम घोषित होने के 02 दिवस के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा Auction Amount (उच्चतम बोली) की अवशेष धनराशि ऑनलाईन रूप में भुगतान करनी होगी, जिसके आधार पर जेनरेटेड ऑनलाईन भुगतान की रसीद परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।

13.8 उपरोक्तानुसार रसीद प्रस्तुत करने पर असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा कराए गए बैंक ड्रॉफ्ट मूल रूप में वापस कर दिए जाएंगे।

13.9 इसी प्रकार 16वीं तारीख से उपरोक्त दिवसों के आधार पर द्वितीय बोली प्रक्रिया लागू की जाएगी।

13.10 उपरोक्तानुसार सफल बोलीदाता यदि निर्धारित 30 दिवस की अवधि के भीतर वाहन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके द्वारा 30 दिवस की अवधि व्यतीत होने से पूर्व विहित शुल्क के साथ समय बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन भी नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा नम्बर को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जाएगा।

13.11 इसी प्रकार यदि किसी उच्चतम बोलीदाता द्वारा किसी नम्बर के लिए बोली लगायी जाती है परन्तु उसके द्वारा निर्धारित अवधि में Auction Amount (उच्चतम बोली) जमा नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा किए गए बैंक ड्रॉफ्ट को जब्त कर लिया जाएगा और उक्त नम्बर को पुनः नीलामी हेतु खोल दिया जाएगा।

13.12 यदि कोई आवेदक एक पंजीयन संख्या से अधिक के लिए बोली लगाना चाहता है तो उसे प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य का पृथक–पृथक बैंक ड्रॉफ्ट जमा कराना होगा।

14– आकर्षक पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी/बुकिंग हेतु एन0आई0सी0 द्वारा parivahan.gov.in/fancy पोर्टल बनाया गया है, जिस पर नम्बरों/सीरिज को ऑनलाईन नीलामी अथवा बुकिंग हेतु खोले जाने के लिए प्रत्येक पंजीयन अधिकारी को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है। कृपया समस्त पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें उक्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड यथा समय प्राप्त हो गया है।

15– उपरोक्तानुसार आवंटित किया जा रहे यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग एक अति गोपनीय एवं सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कार्य है। अतः उक्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को न बताया जाये और समय–समय पर पासवर्ड परिवर्तित किया जाता रहे।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं विभागाध्यक्ष (वाहन टीम), एनआईसी मुख्यालय, ए–ब्लॉक, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी राज्य इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–840/ix–1/79(2016)/2017टी.सी.
देहरादून, दिनांक 20 नवम्बर,2017

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 138 सपठित धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या–627 / ix–1 / 79(2016) / 2017टी.सी. दिनांक 07 सितम्बर, 2017 के अनुसरण में उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष के प्रयोजनार्थ कार्यो को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली,2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 है।
		(2)	यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2		जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः– (क)''कोष'' से ''उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष'' अभिप्रेत है; (ख)''वित्तीय वर्ष'' से एक कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है; (ग) ''अधिनियम'' से मोटरयान अधिनियम,1988 अभिप्रेत है; (घ) ''राज्य'' से ''उत्तराखण्ड राज्य'' अभिप्रेत है।
सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना और उपभोग के सम्बन्ध में	3	(1)	उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढीकरण और सडक सुरक्षा उपायों के कियान्वयन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कोष की स्थापना की जायेगी, जिसे ''उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष'' ज्ञात नाम से जाना जाएगा।
		(2)	इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग नियम 10 में विनिर्दिष्ट कार्यो हेतु किया जायेगा।
कोष का लेखा वर्गीकरण एवं वित्तीय प्रकिया	4	(1)	एक पृथक उपशीर्षक 03–मोटर परिवहन आरक्षित निधि (उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष) खोलकर इस कोष को स्थापित किया जायेगा जो कि लेखाशीर्षक 8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–00–200–अन्य निधियां–03–मोटर परिवहन आरक्षित निधि (उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष)–00 के अधीन होगा।
		(2)	कोष से व्यय हेतु आवश्यक प्राविधान परिवहन विभाग की अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक ''3055–सडक परिवहन–00–001–निदेशन एवं प्रशासन,09–उत्तराखण्ड सडक सुरक्षा कोष को अन्तरण–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता'' तथा 3055–सडक परिवहन,–00–001–निदेशक एवं प्रशासन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01– उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण, 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज

			सहायता'' के अन्तर्गत किया जायेगा। होने वाले व्यय को एक ही समय उपर्युक्त कार्यात्मक शीर्ष के नामे डाला जायेगा और उस व्यय को कार्यात्मक शीर्ष भाग–4 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसे उत्तराखण्ड सडक सुरक्षा कोष से पूर्ण होने वाली धनराशि में भी प्रदर्शित किया जायेगा।
		(3)	वर्ष के अन्त में उक्त व्यय की गयी धनराशि को नधि के शीर्षक संख्या–8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–00–200–अन्य निधियां–03–मोटर परिवहन आरक्षित (उत्तराखण्ड प्रदेश सडक सुरक्षा कोष) के व्यय के पक्ष में पुस्तांकित किया जायेगा।
कोष के स्त्रोत	5	(1)	पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के निम्नलिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जाएगीः– (एक) 0041–वाहन कर 00– 101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 02–प्रशमन शुल्क से प्राप्तियां– 01–परिवहन विभाग द्वारा वसूली गयी धनराशि (दो) 0041–वाहन कर 00– 101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 02–प्रशमन शुल्क से प्राप्तियां– 02–पुलिस(यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गयी धनराशि (तीन) 0041–वाहन कर 00– 101–भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां 03–जुर्माना आदि से प्राप्तियां–
		(2)	उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि की 25% धनराशि नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर जमा करायी जायेगी।
		(3)	यदि कोई वित्तीय अंशदान उत्तराखण्ड सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जायेगा।

<table>
<tr><td>प्रादेशिक सीमा</td><td>6</td><td></td><td colspan="3">ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य है, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में किये जायेंगे।</td></tr>
<tr><td rowspan="17">कोष की प्रबन्धन समिति</td><td rowspan="17">7</td><td rowspan="14">(1)</td><td colspan="3">इस कोष के लिये परिवहन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा तथा यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगाः–</td></tr>
<tr><td>क0 सं0</td><td>पदनाम</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार;</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रमुख सचिव, विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पुलिस महानिदेश, उत्तराखण्ड;</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>11</td><td>परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड;</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य।</td><td>सदस्य/ सचिव</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="3">समिति ''कोष की प्रबन्ध समिति'' कही जायेगी तथा समिति के सभी सदस्य पदेन होंगे।</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="3">एक वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की न्यूनतम एक बैठक अवश्य होगी।</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td colspan="3">कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) 06 सदस्यों से होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्त्तव्य</td><td rowspan="3">8</td><td>(1)</td><td colspan="3">समिति कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी।</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="3">समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="3">समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करेगी।</td></tr>
</table>

कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्ते	9		कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्ते निम्नवत होंगी–
		(क)	कोष की प्रबन्ध समिति द्वारा योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा।
		(ख)	कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनायें/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके।
		(ग)	सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का भुगतान कोष की प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोंपरान्त कोष से किया जायेगा।
		(घ)	कोष से सम्बन्धित किसी भी धनराशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा।
		(ङ)	कोष से स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की गयी है।
कोष द्वारा वित्त पोषित योजनायें/कार्य		10	कोष द्वारा निम्नलिखित योजनायें/कार्य संचालित हो सकेंगे–
		(क)	समस्त राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य राजमार्गो और नगरीय मार्गो पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना, अर्थात :– (एक)दुर्घटना के मामलों में जनसामान्य की सुरक्षा एवं मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित आवश्यकता के अनिवार्य/नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आदि लगाया जाना/रख–रखाव, जहां अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख–रखाव किया जाना सम्भव न हों; (दो) दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं उनके लिये सुधार के उपाय करना; (तीन) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पंहुचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना ; जहां किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया जाना संभव न हो; (चार) पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रख–रखाव एवं उपयोग हेतु आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना; यदि किसी अन्य

			योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया जाना संभव न हो; (पांच) यातायात के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन हेतु यातायात सूचना प्रबन्धन नियंत्रण केन्द्र, कॉल सेन्टर, मॉनिटरिंग यूनिट का निर्माण, संचालन एवं रख–रखाव, जिसमें आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का क्रय, इन्टॉलेशन एवं रख–रखाव भी सम्मिलित है।
		(ख)	परिवहन आयुक्त कार्यालय में गठित लीड एजेंसी को सुदृढ़ किये जाने हेतु आवश्यक उपकरणों / फर्नीचर आदि का क्रय एवं रख–रखाव तथा लीड एजेंसी के दैनिक कार्यो के सम्पादन हेतु आउटसोर्सिग के माध्यम से उतनी संख्या में सहायकों की व्यवस्था करना, जितना आवश्यक हो एवं परामर्शी सेवायं प्राप्त करना;
		(ग)	सड़क दुर्घटना के आंकडे एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। इस हेतु सड़क दुर्घटना के आंकडों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण तथा नियन्त्रण हेतु ''सड़क दुर्घटना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम'' लागू करना;
		(घ)	ड्रांइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु परिवहन कार्यालयों / उपसंभागों मे सिमुलेटर्स, आटोमेटेड ड्रांइविंग टेस्ट ट्रैक एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव करना;
		(ड)	समय–समय पर मोटर वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से धनराशि की प्रतिपूर्ति करना;
		(च)	व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस जांच हेतु परिवहन कार्यालयों / उपसंभागों में वाहन निरीक्षण पिट एवं आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव करना;
		(छ)	सडक दुर्घटनाओं की रोकधाम और नियन्त्रण एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु उपकरण / संयत्रों यथा–वाहनों, इन्टरसेप्टर वाहनों, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन, प्रचार वाहनों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का क्रय, संचालन एवं रख–रखाव करना;
		(ज)	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़को के निर्माण के उपरान्त थर्ड पार्टी ऑडिट के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिटर की सेवायें प्राप्त करना।
		(झ)	यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना। यातायात शिक्षा सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत होंगे:– (एक) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा अन्यथा यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना; (दो) जनसामान्य में यातायात नियमों का

			प्रचार–प्रसार करना; (तीन) बच्चों के बीच यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना; (चार) यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार कराना; (पांच) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपस्कर का क्रय एवं उनका रख–रखाव; (छः) आडियो–वीडियो उपस्करों/कम्प्यूटर एवं अन्य उपसाधन से युक्त यातायात प्रचार–प्रसार वाहन क्रय करना और जनसामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना; (सात) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदशर्नियों का आयोजन करना; (आठ) ''यातायात सप्ताह'', ''यातायात माह'' , यातायात त्रैमास'' तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे यातायात सेमिनार, बैठकों, रैली, प्रतियोगितायें एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम आदि उत्तराखण्ड के जनपदों में आयोजित कराना; (नौ) यातायात सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के पुलिस, परिवहन, नगर विकास विभाग आदि के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; (दस) प्रदेश के बडे महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अध्ययन कराया जाना।
		(ण)	सुदृढ सड़क सुरक्षा का उपाय एवं यातायात प्रबन्धक के कोई अन्य कार्य जो कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा उपर्युक्त एवं लाभकारी समझा जाये।
कोष की प्रबन्धन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	11	(1)	लीड एजेंसी/परिवहन आयुक्त जिलों में परिवहन, पुलिस लोक निर्माण विभाग आदि के फील्ड ऑफीसर से प्राप्त अथवा स्वप्रेरणा से तैयार किये गये प्रस्ताव/योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।
		(2)	कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों परिवहन विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।
	12	(1)	योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

			कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही–सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा;
		(2)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा ;
		(3)	अनुमोदित कार्यों से सम्बन्धित क्रय के मामलों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2017 एवं समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा	13	(1)	परिवहन आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों एवं कोषागार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा–जोखा रखा जायेगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों से किया जायेगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनाओं से सम्बन्धित आदेश समसामयिक रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दिया जायेगा;
		(2)	कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/अनुपयोजित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की कोष को जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी। ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समिर्पित नहीं किया जायेगा।
		(3)	कोष की धनराशि को किसी परियोजना में विनिवेश नहीं किया जायेगा वरन नियम–10 में उल्लिखित उपयोगी कार्य कराये जायेंगे;
		(4)	इस लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा की जायेगी;
		(5)	कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा;

आज्ञा से,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–86 / ix–1 / 2017
देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2017

अधिसूचना संख्या–85 / ix–1 / 2017 दिनांक 31 जनवरी,2017 द्वारा प्रख्यापित परिवहन यानों में गति सीमा नियंत्रक (स्पीड गवर्नर) लगाये जाने विषयक अधिसूचना की (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त गढवाल मण्डल एवं कुँमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां परिवहन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्न–यथोक्त।

(राजेश कुमार)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–85 / ix–1 / 2016 / 33 / 2013
देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर,2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे परिवहन यानों, जो उक्त नियम के उपनियम (1) के विनिर्दिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आते है और जिन्हें उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन छूट प्राप्त नही है,पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 को या उससे पूर्व उनके प्रचालकों द्वारा ऐसे गति नियन्त्रक या गति समिति करने के कृत्य से जो समय–समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 018 / 2001 मानक के अनुसार हों, विद्यमान अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल,2014 को अधिक्रमित करते हुए, सुसज्जित करने हेतु अधिसूचित करते हैं–

1. उपरोक्तानुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर अधिकतम 80 कि0मी0 प्रति घण्टा पूर्व नियत गति सीमा वाला नियन्त्रक लगाया जाएगा।
2. उपरोक्तानुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यानों और अन्य परिवहन यानों जैसे–डम्पर,टैंकर,स्कूल बस, सीटी बस, पर अधिकतम 60 कि0मी0 प्रति घण्टा पूर्व नियत गति सीमा वाला नियन्त्रक लगाया जाएगा।
3. उपरोक्त प्राविधान ऐसे परिवहन यानों पर लागू नहीं होंगे, जिन पर पहले से गति नियन्त्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की प्रक्रिया) लगा हो।
4. इलैक्ट्रॉनिक नियन्त्रक इकाई के माध्यम से गति को नियन्त्रित करने वाले गति नियन्त्रक से भिन्न गति नियन्त्रक को उत्तराखण्ड परिवहन के सम्भागीय निरीक्षक के मुहर द्वारा मोहरबनद / मुद्रित किया जायेगा।
5. गति नियन्त्रक से सुसज्जित यान को किसी भी दशा में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–52 / ix / 424 / 2009 दिनांक 30 जनवरी 2009 अथवा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित / निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर नही चलाया जायेगा।
6. गति नियंत्रक के विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी एक प्राधिकृत टेस्टिंग ऐजेन्सी से ए0आई0एस0:018 / 2001 मानकों को पूरा करने का टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
7. गति नियंत्रक विनिर्माता या डीलर उसको किसी परिवहन यान में लगाते समय गति नियंत्रक पर यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को उभरे या खुदे रूप में अंकित करेगा ताकि उसका उपयोग किसी अन्य परिवहन यान में न हो सकें।

8. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबन्धों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा निर्गत टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र के आधार पर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित प्रकार का गति नियंत्रक ही लगाया जायेगा।
9. गति नियंत्रक/उसके स्पेयर पार्टस की उपलब्धता विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर कम्पनी होलोग्राम के साथ संस्थापन प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह की दस तारीख से पहले सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृता प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट भेजेगा।
10. प्राधिकृत टेंस्टिंग ऐजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्ट मेक/माडल/वैरियंट के गति नियंत्रक का विशिष्ट मेक/माडल/वैरियंट यान में संस्थापन के पश्चात गति नियंत्रक को सील द्वारा परिवहन विभाग उत्तराखण्ड की अधिकारिक सील से सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक द्वारा सील किया जायेगा।
11. गति नियंत्रक में कोई मरम्मत का कार्य जिसे सील में छेडछाड किये बिना करना सम्भव न हो, करने के लिये सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से पूर्व में लिखित अनुमति ली जायेगी। मरम्मत का अपेक्षित कार्य करने के उपरान्त गति नियंत्रक को यान स्वामी द्वारा इस प्रकार लगया जायेगा कि वह समय समय पर यथासंशोधित ए0आई0एस0ः018/2001 मानक के अनुरूप हो और उसे सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक के द्वारा अधिकारिक सील से इस प्रकार सील किया जायेगा, कि सील में छेडछाड किये बिना उसे हटाना सम्भव न हो।
12. परिवहन यान का स्वामी या चालक सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की लिखित अनुमति के बिना परिवहन विभाग की अधिकारिक सील में छेडछाड नहीं करेगा। प्रत्येक यान का मरम्मत के प्रत्येक कार्य का पृथक अभिलेख रखा जायेगा, जिसे परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों की मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।
13. सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक द्वारा गति नियंत्रक युक्त प्रत्येक यान का अभिलेख रखा जायेगा, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा प्रतिमाह परिवहन आयुक्त को भेजी जायेगी।
14. यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गति नियंत्रक की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य उसके विनिमार्ता द्वारा प्राधिकृत कार्यशाला में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाये।
15. परिवहन यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन करते समय यान स्वामी और चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गति नियंत्रक में लगायी गयी सील अक्षत है। यदि सिकी समय सक्षम प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि वाहन की किसी सील में छेडछाड किया गया है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व यान चालक व स्वामी का होगा और उसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा। इसके साथ ही सक्षम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मामला सम्बन्धित सचिव, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को भी सूचित किया जायेगा जो कृत्य की गम्भीरता को देखते हुये सचिव, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यान के परमिट को रदद या निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

16. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी सक्षम प्रवर्तन अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि गति नियंत्रक की सील अक्षत रहते हुये यान विहित गति सीमा से अधिक गति पर चलाया जा रहा है, तो वह चालक या स्वामी को यान को सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक को यान की गतिसीमा मापने हेतु परीक्षण/निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिये लिखित निर्देश देगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि स्पीड गवर्नर की सील अक्षत रहते हुये उसे निष्प्रभावी बनाने के लिये कोई तकनीकी व्यवस्था की गयी है तो उसे इस अधिसूचना के आशय का उल्लंघन समझा जायेगा और चालक या स्वामी या दोनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।
17. जहॉ सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) से गति नियंत्रक की मरम्मत करने की अधिकारिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो चालक और वाहन स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान में जब तक अधिकारिक सील न लगायी जाये तब तक कोई सवारी नही ले जायी जायेगी। उक्त अवधि में चालक द्वारा यान के अगले और पिछले भाग में बोर्ड पर लाल रंग से यह प्रदर्शित किया जायेगा कि ''यान बिना गति नियंत्रक के है''।
18. परिवहन यान के चालक और स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यान के विंउ स्क्रीन के तक में बॉयी ओर सफेद रंग से तीन सेंटीमीटर ऊंचाई व समुचित मोटाई के अक्षरों में यह प्रदेर्शित हो कि ''ए0आईएस0:018 मानक के अनुरूप गति नियंत्रक लगा है''।

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 06 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बैरियर'' से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) ''उपकर'' से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकर निरीक्षक'' से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) ''संग्रहण प्राधिकारी'' से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) ''पट्टेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पटटे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) ''हल्का मोटरयान'' से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) ''मोटरयान'' से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988

(59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नही है;

(झ) ''अधिसूचना'' से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकारी गजट'' से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) ''मार्ग अवस्थापना'' से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' या ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''टोकन'' से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

उपकर की दर और उसका भुगतान 3 **(1)** किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) उपकर की रसीद प्रतिदिन के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि की गणना प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी अर्थात इस अवधि में राज्य में एक से अधिक बार प्रवेश करने पर पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(दो) उपकर के भुगतान के उपरान्त यदि कोई मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति एक दिन से अधिक अवधि के लिये राज्य में ठहरता है तो उससे ठहरने की अवधि के आधार पर उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह राज्य से बाहर जाकर पुनः राज्य में प्रवेश करता है तो ऐसे वाहन को प्रत्येक प्रवेश पर उपकर का भुगतान करना होगा।

उपकर संग्रह करने का अधिकार पटटै पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पटटा स्वीकृत करने के उददेश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पटटेधारक के लिये पटटे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना

5 इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

उपकर निरीक्षक के

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग

अधिकार — करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

बैरियर की स्थापना 7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन 8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना 9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियॉ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रकिया 10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

सचल दस्तों की स्थापना 11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टो तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिये जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियॉ

12. (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पॉच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नही लेगा।

कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन

13. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये

गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नही होगी।

छूट **14. (1)** द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति **15.** राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

प्रमाणीकरण **16. (1)** किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और **17. (1)** उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर

अपवाद अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची

(धारा–3 देखियें)

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये प्रतिकर की दरें
1	2	3	4	5
1	**यान जिसकी भार वहन क्षमता**			
	(क) 90 कुन्तल से अधिक है।	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 20 कुन्तल से अधिक 90 कुन्तल तक	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ग) 10 कुन्तल से अधिक 20 कुन्तल तक	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(घ) सार्वजनिक भार वाहन या निजी भार वाहन के साथ चालित ट्रेक्टर सिवाय जल, कृषि कार्य के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो।	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
2	**सवारी यान जिनमें बैठने की क्षमता–**			
	(क) 20 सवारी से ऊपर हो	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 12 सवारी तक	40.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(ग) अन्य हल्के मोटरयान जैसे जीप, कार, पिकअप वैन, स्टेशन वैगन	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नही है।
	(1) जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो,	30.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 15 गुना	लागू नही है।
	(2) जब निजी भार वाहन के रूप में पंजीकृत हो	30.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(3) उपकर बैरियर के 6 कि0मी0 के दायरे में निवास करने वाली निजी पंजीकृत यान के स्वामी	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नही है।
	(घ) मोटर रिक्शा और स्कूटर	20.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट	स्तम्भ (4) में

	रिक्शा		दर का 20 गुना	विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना

टिप्पणी– **(1)** स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी।
(2) स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 14 देखिये)

क0 सं0	विवरण	शर्तें और अपवाद
1	**2**	**3**
1	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।	–
2	विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिमण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान।	–
3	अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान।	–
4	मोटर साइकिल और स्कूटर, और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)।	–
5	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान	–

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 13 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 3 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात–

(1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का

भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

स्पष्टीकरण—

(एक) उपकर की रसीद प्रतिदिन के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि की गणना प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी अर्थात इस अवधि में राज्य में एक से अधिक बार प्रवेश करने पर पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(दो) उपकर के भुगतान के उपरान्त यदि कोई मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति एक दिन से अधिक अवधि के लिये राज्य में ठहरता है तो उससे ठहरने की अवधि के आधार पर उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह राज्य से बाहर जाकर पुनः राज्य में प्रवेश करता है तो ऐसे वाहन को प्रत्येक प्रवेश पर उपकर का भुगतान करना होगा।

धारा 11 का संशोधन **3** मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगीः—

''(3) मोटरयान का चालन या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश के समय भुगतान किये गये उपकर की रसीद को राज्य में ठहरने के दौरान वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।''

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''अनुसूची के स्तम्भ 3 के अधीन विहित दर'' के स्थान पर शब्द ''धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर'' रख दिये जायेंगे।

परन्तु यदि धारा 4 के अधीन उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने का राज्य सरकार निर्णय करती है, तो उपधारा (3) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

अनुसूची का निकाला जाना **4** मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,
सं0 345 / XXXVI(3) / 2016 / 84(1) / 2016
देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर,2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ''उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016'' पर दिनांक 29 नवम्बर,2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(यहॉ संलग्नक छापा जाय)

पताका– ''क''

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र खुल्वे)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 28 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
		(2)	यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
संक्षिप्त नाम का संशोधन	2		उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे अब '' उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम 2012'' के नाम से पढ़ा जाएगा, शीर्षक सहित संशोधित समझा जाएगा।
धारा 3 का संशोधन	3		मूल अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा।
द्वितीय अनुसूची का संशोधन	4		मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लिखित विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रख दिया जायेगा; अर्थात '' विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण /विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद से संबंधित मोटरयान।''

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– ..... वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	**1**	**(1)**	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
		(2)	यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
संक्षिप्त नाम का संशोधन	**2**		उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे अब '' उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम 2012'' के नाम से पढ़ा जाएगा, शीर्षक सहित संशोधित समझा जाएगा।
धारा 3 का संशोधन	**3**		मूल अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा।
द्वितीय अनुसूची का संशोधन	**4**		मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लिखित विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रख दिया जायेगा; अर्थात '' विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण /विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद से संबंधित मोटरयान।''

उत्तराखण्ड शासन,
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग।
देहरादून, दिनांक 14 नवम्बर 2016

मै सचिव, परिवहन विभाग को दिनांक 14 नवम्बर,2016 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित विषय पर मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भेजता हूं।

कार्यवलि की मदः 25

विषयः उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रत्तर संशोधन करने के लिए उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

आदेशः निर्णीत हुआ कि प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी के साथ संलग्न ''उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016'' को विधान सभा के समक्ष यथाप्रक्रिया पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

2. कृपया मंत्रिमण्डल के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन शीघ्र सुनिश्चित करने तथा संलग्न प्रपत्र में क्रियान्वयन आख्या, इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति के साथ गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्त।

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–121/2017/243/IX–1/2011
देहरादूनः दिनांक 17 फरवरी,2017
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–06 वर्ष, 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट उपकर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें
1	2	3
1	*माल वाहन*	
	(क) भारी मालयान	*60.00 रूपया*
	(ख) मध्यम मालयान	*50.00 रूपया*
	(ग) हल्का मालयान	*40.00 रूपया*
2	*यात्री वाहन*	
	(क) बस	*60.00 रूपया*
	(ख) मैक्सी कैब	*50.00 रूपया*
	(ग) मोटर कैब	*40.00 रूपया*
	(घ) तिपहिया मोटरयान	*30.00 रूपया*
3	*हल्का मोटरयान जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो।*	*30.00 रूपया*
4	*व्यवसायिक मोटर साईकिल रिक्शा*	*20.00 रूपया*

टिप्पणी–

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन तिमाही टोकन की दरें उपरोक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट दरों का 20 गुना होंगी।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन वार्षिक टोकन की दरें उपरोक्त स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दरों का 60 गुना होंगी।

(3) स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी, जबकि तिमाही या वार्षिक भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम,2012
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 06 वर्ष 2013) मूल अधिनियम
दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम,2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 13 वर्ष 2016) वर्ष 2016
दिनांक 29 नवम्बर, 2016 से प्रवृत्त

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम,2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 28 वर्ष 2016)
दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से प्रवृत्त

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बैरियर'' से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) ''उपकर'' से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकर निरीक्षक'' से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) ''संग्रहण प्राधिकारी'' से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) ''पट्टेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पटटे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) ''हल्का मोटरयान'' से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) ''मोटरयान'' से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नही है;

(झ) ''अधिसूचना'' से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकारी गजट'' से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) ''मार्ग अवस्थापना'' से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' या ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''टोकन'' से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

उपकर की दर और उसका भुगतान

3 (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही

अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

उपकर संग्रह करने का अधिकार पटटै पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्‌टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पटटा स्वीकृत करने के उददेश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पटटेधारक के लिये पटटे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्‌टे के अधीन पट्‌टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना

5 इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

उपकर निरीक्षक के अधिकार

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

बैरियर की स्थापना

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्‌य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर

लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना

9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियॉ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रक्रिया

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

सचल दस्तों की स्थापना

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टो तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी

माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिये जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियॉ **12.** (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पॉच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नही लेगा।

कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन **13.** कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नही होगी।

छूट **14.** (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति **15.** राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और

सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

प्रमाणीकरण 16. (1) किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और अपवाद 17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 14 देखिये)

क0सं0	विवरण	शर्तें और अपवाद
1	2	3
1	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।	–
2	विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिमण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान।	–
3	अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान।	–

4	मोटर साइकिल और स्कूटर, और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)।	—
5	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान	—

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–571/195/ix-1/2004 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 17, जुलाई, 2017
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (........... संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (............ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची का संशोधन 2 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के नीचे स्तम्भ I में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ II में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् –

स्तम्भ I वर्तमान अनुसूची (नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत दुर्घटना/क्षति का विवरण)			स्तम्भ II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची (नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत दुर्घटना/क्षति का विवरण)		
क्रम संख्या		देय राहत की धनराशि (रूपये में)	क्रम संख्या		देय राहत की धनराशि (रूपये में)
1	2	3	1	2	3
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000	1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	1,00,000
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/ अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन,	50,000	2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो	1,00,000

	उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है— (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनो नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि			नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है— (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनो नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा— (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनो कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे	20,000	3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा— (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनो कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे	40,000
4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3	5000	4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने पर यदि घायल व्यक्ति को	10,000

से भिन्न मामलों में)	अनिवार्यतः दो दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े, की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)

आज्ञा से,

(डी0सैन्थिल पाण्डियन)
सचिव।